रजि. (डी. एन.)-128/91

REGISTERED No. D. (D.N.)-128/91

DELHI PUBLIC LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 10, 1991/श्रावण 19, 1913
NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 10, 1991/SRAVANA 19, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 20 जून, 1991

का. आ. 2099.—सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि आयकर नियम, 1962 के नियम 6-कककग के प्रयोजनों के लिए निर्धारित प्राधिकारी होने के नाते सचिव, वित्त मंत्रालय (वित्त विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नीचे दी गई संस्था/एसोसिएशन को तथा उसके नीचे दिए गए कार्यक्रम को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35-ग ग ख के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है।

संस्था/एसोसिएशन का नाम

फोर व्हील ड्राईव फाउंडेशन, 798, भण्डारकर रोड, पुणे, 411004

कार्यक्रम

सुशीला जैन बेक—2

निर्धारित प्राधिकारी द्वारा दिए गए दोनों ही अनुमोदन अर्थात् धारा 35-ग ग ख की उपधारा (2) के अधीन संस्था के लिए और धारा 35 ग ग ख की उपधारा (i) के अधीन कार्यक्रम के लिए (ii) निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए दिनांक 1-8-1990 से तीन वर्षों की अवधि के लिए वैध हैं—

(1) मैसर्स फोर व्हील ड्राईव फाउंडेशन, 798, भण्डारकर रोड, पुणे-411004, संरक्षण विषयक कार्यकलापों के लिए उसके द्वारा प्राप्त किए गए दानों का एक अलग हिसाब रखेगा।

(2) उक्त फाउंडेशन प्रत्येक वर्ष के संरक्षण कार्यकलापों की प्रगति रिपोर्ट को निर्धारित प्राधिकारी के पास प्रत्येक वर्ष 30 जून तक प्रस्तुत करेगा।

(3) उक्त फाउंडेशन दिनांक 30 जून तक कुल प्राप्त तथा दानदायियों के वार्षिक लेखों को निर्धारित प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों की प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्तों के पास भेजेगा।

(4) उक्त अनुमोदन निर्धारित प्राधिकारी के निरंतर संतुष्ट रहने के अधीन है और यदि आवश्यक समझा गया तो उसे भूतलक्षी प्रभाव से वापिस लिया जा सकता है।

[सं. 8894/फा. सं. 203/83/90-आयकर नि. III]

निशि नायर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 20th June, 1991

S.O. 2099.—It is notified for general information that the Institution/Association mentioned below and its programme given hereunder ,have been approved by the Secretary M/o is-

शहरी विकास मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1991

का. आ. 2107.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे सारणी के स्तंभ (1) में वर्णित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है और यह निदेश देती है कि उक्त अधिकारी, उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के प्रवर्ग की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पद नाम	सरकारी स्थान का प्रवर्ग
1	2
1. कार्यपालक इंजीनियर, मेघालय केंद्रीय प्रभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, शिलांग।	मेघालय में केन्द्रीय सरकार साधारण पूल के क्वार्टर।
2. इंजीनियरी अधिकारी, निर्माण अधीक्षण सर्वेक्षक (पूर्वोत्तर जोन)	

[फा. सं. 11013(4)/84-पोल. II]

आर. डी. सहाय, उपनिदेशक (पो.)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Directorate of Estates)

New Delhi, the 22nd July, 1991

S.O. 2107—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being a gazetted officer of the Government, to be an estate officer for the purpose of the said Act and further, directs that the said officer shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on an estate officer under the said Act in respect of the category of public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of Officer	Category of public premises
(1)	(2)
Executive Engineer, Meghalaya Central Division, Central P.W.D. Shillong	General Pool quarters of the Central Govt. in Meghalaya

[File No. 11013(4)/84-Pol. II]

R.D. SAHAY, Dy. Director of Estates (Pol.)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1991

का.आ. 2108.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति अथवा सुझाव लिखित रूप में इस सूचना के जारी होने के तीस दिन की अवधि के अन्दर सचिव दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास सदन, आई.एन.ए., "बी" ब्लाक, नई दिल्ली को भेज दें। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी अवश्य देना चाहिए।

संशोधन

"जोन डी-13 (चाणक्य पुरी क्षेत्र) के अंतर्गत आने वाले और उत्तर पश्चिम में 60.6 मीटर सरदार पटेल मार्ग (200 फुट मार्गाधिकार), दक्षिण-पश्चिम में व्यावसायिक उपयोग (होटल मौर्य शैरटन), दक्षिण-पूर्व और उत्तर-पूर्व में आवासीय उपयोग (रेलवे कालोनी एवं सरकारी स्टाफ क्वार्टर्स) से घिरे हुए लगभग 4.035 हैक्टेयर (10 एकड़) क्षेत्र का भूमि उपयोग "मनोरंजनात्मक उपयोग" से बदलकर "सरकारी उपयोग" में किया जाना प्रस्तावित है।"

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य दिवसों में उपनिदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, विकास मीनार, छठी मंजिल, इन्द्रप्रस्थ ऐस्टेट, नई दिल्ली के पास उपलब्ध होगा।

[सं. एफ 16(8)/85-एम. पी.]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

New Delhi, the 26th July, 1991

S.O. 2108.—The following modification which Central Government proposes to make in the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, I.N.A., 'B' Block, New Delhi within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The person making the objection/suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION :

"The land use of an area measuring about 4.035 Ha. (10 acres) falling in zone D-13 (Chankaya Puri Area) and bounded by 60.96 Mts. Sardar Patel Marg (200' R/W) in the North-West, Commercial use (Hotel Maurya Sherton) in the South-West, residential use (railway colony and Government staff quarters) in the South-East and North-East is proposed to be changed from 'recreational' to 'Government use'."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Deputy Director (Master Plan), Vikas Minar, 6th Floor, I. P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred above.

[No. F. 16(8)/85-M.P.]

रजि. सं. डी. (डी. एन.)-128/91 REGISTERED No. D. (D.N.)-128/91

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[5] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 9, 1991/कार्तिक 18, 1913
[5] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 9, 1991/KARTIKA 18, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

सूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1991

का. आ. 2809—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री रामसिंह शलूजा ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे पटियाला (पंजाब) में नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में भेजा जाए।

[सं. 5(86)/91-न्या.]

पी. सी. कन्नन, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTICE

New Delhi, the 25th October, 1991

S.O. 2809.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Sh. Ram Singh Shlooja, Advocate for appointment as a Notary to practise in Patiala (Punjab).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(86)/91-Judl.]

P. C. KANAN, Competent Authority.

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1991

का. आ. 2810—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक राज्य सरकार की सहमति से जो गृह सचिवालय की अधिसूचना सं. एच. डी. 320 सी. एल. यू. 88 तारीख 5 अगस्त, 1991 द्वारा दी गई है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधि-

1GI/91

SCHEDULE

State : Maharashtra District : Raigad Tahasil : Alibag

Village	Survey Number	Hissa Number	Gat No.	Area Hector	Are
Sahan	—	—	120 Part	—	09
	—	—	121 Part	—	08
	—	—	170 Part	—	01
	—	—	316 Part	—	06
	—	—	327 Part	—	07
	—	—	398 Part	—	02

[No. 14016/63/90-

RAJIV MEHRSHI, Dy.

विद्युत और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1991

का.आ. 2824.—केन्द्रीय सरकार, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 (1948 का 54) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिश्चित करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, प्रत्येक ऐसा स्कीम जिसमें पच्चीस करोड़ रुपये से अधिक पूंजी-व्यय का प्रावधान हो, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को उसका सहमति के लिये प्रस्तुत की जाएगी ।

[फा. सं. 25(12)-91-डी (एस.ई.बी.)]

के. आर. भगवान, उप सचिव

MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

(Department of Power)

New Delhi, the 29th October, 1991

S.O. 2824.—In exercise of power conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Electricity (Supply) Act, 1948, (54 of 1948), the Central Government hereby decides that with effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, every scheme estimated to involve a capital expenditure exceeding rupees twenty five crores only shall be submitted to the Central Electricity Authority for its concurrence.

[F. No. 25/12/91-D (SEB)]

K. R. BHAGWAN, Dy. Secy.

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1991

का.आ. 2825.—यह एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दसवीं लोकसभा के सदस्य कर्नल राव राम सिंह को राजघाट समाधि अधिनियम 1951 (1951 का 41वां) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसार राजघाट समाधि समिति के एक सदस्य के रूप में चुना गया है।

[सं. 25011/7/85-डब्ल्यू. 3]

एस. रंगनाथन, उप सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Works Division)

New Delhi, the 11th October, 1991

S.O. 2825.—It is hereby notified that Col. Rao Ram a Member of the Tenth Lok Sabha, has been elected Member of the Rajghat Samadhi Committee in accordance with clause (d) of sub-Section (1) of Section 4 of the Samadhi Act, 1951 (No. 41 of 1951).

[No. 25011/7/

S. RANGANATHAN, Dy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1991

का.आ. 2826.—केन्द्रीय सरकार का, दिल्ली मुख्य योजना विकास संजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे द्वारा जनता की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है । प्रस्ता संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो या सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई. एन. "बी" ब्लाक, नई दिल्ली को इस नोटिस के जारी होने की तारीख तीस दिनों की अवधि के अंदर भेज दें । आपत्ति करने वा वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी लिखें ।

संशोधन :

"जोन जी-14 (तिलक नगर क्षेत्र) में आने वाले, पश्चिम पुनर्वास स्कीम से और उत्तर में नाले तथा मौजूदा सड़क से में गुरुद्वारे और आर्य समाज मंदिर, से तथा सब्जी मंडी, सी एच. एस. औषधालय तथा दि. न.नि. की बागवानी घिरे हुए लगभग 1 हैक्टेयर (2.47 एकड़) क्षेत्र के भूमि को "आवासीय" उपयोग से "स्थानीय व्यावसायिक" उपयोग बदलने का प्रस्ताव है ।"

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण उप-निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, विकास मीनार,

नई दिल्ली में उक्त अवधि के अंदर सभी कार्य दिवसों [सं. एफ. 20(15) 88-एम.पी.]

रणबीर सिंह, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 29th October, 1991

S.O. 2826.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, I.N.A. 'B' Block, New Delhi within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The persons making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION :

"(The land use of an area measuring about 1 hects. 2.47 (2.47 acres) falling in Zone G-14 (Tilak Nagar Area) bounded by Slum re-housing scheme in the West Nallah and existing road in the North, Gurdwara and Arya Samaj Mandir in the South and vegetable market C.G.H.S. dispensary and M.C.D. horticulture nursery, is proposed to be changed from 'residential' use to 'local commercial'."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Deputy Director Master Plan Section, Vikas Minar, 6th Floor, I.P. Estate, New Delhi, on all working days within the period referred to above.

[No. F. 20 15)/88-MP]

RANBIR SINGH, Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1991

का. आ. 2827.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 20 की उपधारा (1) के अनुसरण में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात्:—

केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित

1. डा. एम. आर. मेहता,
सं. 5, होस्पीटल रोड,
जयपुर ।

2. डा. ए. के. मुखर्जी,
स्वास्थ्य सेवा अपर महानिदेशक,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
नई दिल्ली ।

3. डा. एस. पी. त्रिपाठी
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्,
नई दिल्ली ।

4. डा. एल. एच. हीरानन्दानी,
एफ. आर. सी. एस. (इंगलैंड), डी. एल. ओ. (लंदन),
एफ. आर. पी. एस. (मुम्बई)
द्वितीय मंजिल, ए-3 अमरचन्द
मैंशन, वाई. डब्ल्यू. सी. ए. मैडम कामा रोड से आगे, मुम्बई।

5. डा. (श्रीमती) ललिता कामेश्वरन,
उप कुलपति,
डा. एम. जी. आर. मैडिकल विश्वविद्यालय,
पैरियार बिल्डिंग,
52, ईवीके सम्पत सलाई,
वैपरी,
मद्रास ।

6. डा. एस. जेड. अहमद,
निदेशक,
शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान,
कश्मीर ।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्वाचित

1. डा. बी. रे चौधरी,
220, लोअर सरकुलर रोड,
कलकत्ता ।

2. डा. बी. सी. छप्परवाल,
प्रोफेसर आफ पिडिआट्रिक्स,
एम जी. एम. मैडिकल कालेज
इन्दौर (मध्य प्रदेश)

3. डा. वी. बी. त्रिपाठी,
(सेवानिवृत्त चिकित्सा प्रोफेसर),
बक्सी नगर,
कटक ।

[(सं. बी. 11013/13/89-एम. ई. (पी) एम ई. (यूजी)]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 17th October, 1991

S.O. 2827.—In pursuance of sub-section (1) of Section 20 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government hereby constitutes the Postgraduate Medical Education Committee consisting of the following members, namely :—

NOMINATED BY THE CENTRAL GOVERNMENT

1. Dr. S. R. Mehta,
No. 5, Hospital Road,
Jaipur-302001.

2. Dr. A. K. Mukherjee,
Addl. Director General of Health Services,
Directorate General of Health Services,
New Delhi.

3. Dr. S. P. Tripathi,
Indian Council of Medical Research,
New Delhi.

4. Dr. L. H. Hiranandani,
FRCS (Eng.), D.L.O. (Lond.),
F.R.P.S. (Bombay),
2nd Floor, A-3, Amarhand Mansion,
Next to Y.W.C.A., Madame Came Road,
Bombay.

5. Dr. (Smt.) Lalitha Kameswaran,
Vice-Chancellor,
Dr. M.G.R. Medical University,
Periyar, Building,
52, E.V.K. Sampath Salai,
Vepery,
Madras.

6. Dr. S. Z. Ahmed,
Director,
Sher-I-Kashmir Institute of Medical Sciences,
Kashmir.

रजि. सं. डी. (डी. एन.)-128/91 REGISTERED No. D. (D.N.)-128/91

24 MAR 1992

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[भाग II—खण्ड 3] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 7, 1991/अग्रहायण 16, 1913
[PART II—Sec. 3] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 7, 1991/AGRAHAYANA 16, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1991

का. आ. 2995.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी विनिमय संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया था, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/397/91-सी.यू.-8 तारीख 1-10-1991 को यह निदेश जारी किया था कि श्री देवीचन्द मलचन्द जैन, उर्फ, ए-41, तीसरा तल, पार्वती मैंनसन, अलीभाई प्रेमजी रोड, ग्रांट रोड, बम्बई-7 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो ;

2. और केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हों ।

[फा. सं. 673/397/91-सी.यू.-8]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
ORDER

New Delhi, the 20th November, 1991

S.O. 2995.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange & Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), vide order issued under F. No. 673/397/91-CUS. VIII dated 1st October, 1991 under the said sub-section directing that Shri Devi Chand Mulchand Jain @ Arun, A-41, 3rd Floor, Parvati Mansion, Alibhai Premji Road, Grant Road, Bombay-400007, be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

STRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

(Department of Power)

New Delhi, the 10th July, 1991

In pursuance of Sub-section 2(a) of Section 36A ian Electricity Act, 1910 (9 of 1910), the Centra l nt is pleased to nominate Shri Krishna Swarup, Central Electricity Authority as Chairman of the ectricity Board vice Shri Janak Kumar Bhasin.

[No. 25/8/90-D (SEB

M.L. SHARMA, Desk Officer

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1991

3015.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसे आम जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में सचिव विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए. "बी" ब्लाक को इस नोटिस के जारी होने से तीस दिन की अवधि के भीतर दे। आपत्ति करने या सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम भी देना चाहिए :

ब्लाक डी-14 (सफदरजंग हवाई अड्डा और रेसकोर्स क्षेत्र) में आने वाले लगभग 1.2 हेक्टेयर (3 एकड़) क्षेत्र, जो उत्तर में एयरफोर्स स्टाफ क्वार्टर (पंचशील मार्ग) पूर्व में विद्यमान कुशक नाला (रेस-कोर्स क्षेत्र) दक्षिण में मनोरंजनात्मक क्षेत्र और पश्चिम में खेल के मैदान तथा खुले स्थानों (विनय मार्ग) से घिरा हुआ है, का भूमि उपयोग पुलिस लाइन के अस्थायी निर्माण हेतु "मनोरंजनात्मक उपयोग" से "आवासीय उपयोग" में इस शर्त पर बदला जाना प्रस्तावित है कि दिल्ली पुलिस द्वारा इस स्थान को खाली करने और उचित स्थान पर स्थानांतरण के बाद इस भूमि उपयोग को "मनोरंजनात्मक उपयोग" में दोबारा बदल दिया जाएगा।"

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपरिष्ट अवधि के अंदर सभी कार्य दिवसों में उप निदेशक कार्यालय मुख्य योजना अनुभाग, विकास मीनार, छठी मंजिल, आई पी एस्टेट नई दिल्ली में उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ 16 (91)/77-एम पी]

रणबीर सिंह, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 29th November, 1991

3015.—The following modification which the Central ment proposes to make to the Master Plan/Zonal lopment Plan of Delhi, is hereby published for public rmation. Any person having any objection or sugges- with respect to the proposed modification may send the tion or suggestion in writing to the Secretary, Delhi lopment Authority, Vikas Sadan, INA, 'B' Block, New within a period of thirty days from the date of issue notice. The persons making the objection or sugges- should also give his name and address :

MODIFICATION :

"The land use of an area measuring about 1.2 hect (3 acres) falling in zone D-14 (Safdarjung Aero-dramme and Race Course Area) and surrounded by Air Force Staff Quarters (Panchsheel Marg) in the North, exising Kushak Nallah (Race Course Area) in the East recreational area in the South and play ground and open spaces (Vinay Marg) in the West, is proposed to be changed from the 'recreational use' to 'residential use' for temporary construction for location of a police line with the proviso that this use of the land would revert back to 'recreational use' after Delhi Police vacates the site and shift to an appropriate location".

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Deputy Director, Master Plan Section, Vikas Minar, 6th floor, IP Estate, New Delhi, on all working days within the period referred to above.

[No. F. 16(19)/77-MP]

RANBIR SINGH, Secy.

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1991

का.आ. 3016.—लोक परिसर (अनधिकृत कब्जा हटाना) अधिनियम 1971 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई तालिका के कालम-1 में उल्लिखित अधिकारियों को जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के समतुल्य है के उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है। ये अधिकारी उक्त तालिका के कालम-2 में उल्लिखित अपने-अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं में और कालम-3 में विनिर्दिष्ट लोक परिसरों के संबंध में उक्त अधिनियम में अथवा सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करेंगे :—

तालिका

अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियुक्त सम्पदा अधिकारी	सम्पदा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाएं	लोक परिसर की श्रेणी
1	2	3
लेखा उप नियंत्रक, प्रधान कार्यालय, भारतीय होटल निगम, बम्बई। प्रबंधक विधि और न्यायना, प्रधान कार्यालय, भारतीय होटल निगम, बम्बई।	महाराष्ट्र राज्य	वे सभी लोक परिसर जिनके मालिक पट्टेदार किरायदार अथवा लाइसेंसधारी भारतीय होटल निगम है और वे सभी परिसर जिन की भारतीय होटल निगम द्वारा और निगम की ओर से मांग की गई है।
महाप्रबन्धक, सेन्टॉर होटल दिल्ली, एयरपोर्ट, दिल्ली। लेखा उप नियंत्रक, सेन्टॉर होटल, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली।	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	
महाप्रबन्धक सेन्टॉर लेक व्यू होटल, श्रीनगर। कार्मिक प्रबंधक सेन्टॉर लेक व्यू होटल श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर राज्य	

[फाइल संख्या एवी-13050/8/91-एए]

प्रकाश चन्द्र, अवर सचिव

रजि० सं० डी० एल-33001/92 REGISTERED NO. DL-33001/92

DELHI PUBLIC LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

24 MAR 1992

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 15, 1992/माघ 26, 1913
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 15, 1992/MAGHA 26, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर)

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(न्यायिक विभाग)

सूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1992

का. आ. 498.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री रतन लाल चौधरी, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि वे बालोतरा (जिला बाड़मेर), राजस्थान में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. फा. 5 (21)/92 न्या.]

पी.सी. कन्नन, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

(Judicial Section)

NOTICE

New Delhi, the 22nd January, 1992

S.O. 498.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956, that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Ratan Lal Chaudhury, Advocate for appointment as a Notary to practise in Balotra, Rajasthan.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(21)/92-Judl.]

P. C. KANAN, Competent Authority

1	2	3	4	5	6
	Rarapur (Contd.)	13	1/2	0	02	78
			2/3	0	04	30
			02	0	09	61
			03	0	12	40
			04	0	12	40
			05	0	12	39
			14			
			01	0	12	39
			02	0	12	39
			03	0	07	59
			83	0	02	53
			91	0	02	02
			95	0	11	64
			799	0	01	01
			856	0	01	01

[No. R-31015/1/92-O.R.-I]

KULDIP SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1992

का.आ. 547.—होमियोपैथिक केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित व्यक्ति को स्तम्भ (1) में उल्लिखित विश्वविद्यालय से निर्वाचित किया गया है।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 482(अ) तारीख 6 अगस्त, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित" शीर्षक के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

विश्वविद्यालय का नाम	सदस्य का नाम और पता
(1)	(2)
"16. कलकत्ता विश्वविद्यालय	डॉ. बी. एन. साहा ए/8/11 कल्याणी, नदिया, पश्चिम बंगाल।"

[संख्या वी. 26017/15/87-होमियो (सी. सी. एच)
किशोर मुखी, निदेशक (मा.चि.प.)

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना सं. का.आ. 482 (अ) तारीख 6-8-1974 द्वारा तथा पश्चात् अधिसूचना सं. वी. 26018/15/87-होमि (सी. सी. एच) (II) तारीख 29-8-19 द्वारा जारी की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi the 27th Jan., 1992

S.O. 547.— Whereas in pursuance of the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Homoeopathic Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the person mentioned in column (2) of the Table below has been elected from the University mentioned in column (1).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning, Department of Health, No. S.O. 482(E) dated the 6th August 1974, namely:—

In the said notification under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3" after the existing entries the following entry shall be added namely:—

Name of the University	Name and address of the member
1	2
"16. University of Calcutta	Dr. B.N. Saha A/8/11, Kalyani, Nadia, West Bengal."

[No.V.-26017/15/87-Homoeo(CCH)(II)]
R.K. MUKHI, Director (ISM)

FOOT NOTE: The original notification was issued vide No. S.O. 482(E) dated the 6th August, 1974 and subsequent amendment by notification No. V. 26018/15/87-Homoeo(CCH)(II) dated 29th August, 1990.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1992

का.आ. 548.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे एतद्द्वारा आम जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो, तो वह अपनी आपत्ति अथवा सुझाव लिखित रूप में इस सूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अन्दर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई.एन.ए., नई दिल्ली को भेज दें।

क्ति करने/सुझाव देने वाले व्यक्ति अपने नाम और पते

जोन एफ-5 (आर. के. पुरम क्षेत्र) के अन्तर्गत आने वाले लगभग 0.219 हेक्टेयर क्षेत्र, जो उत्तर-पश्चिम में 60 फुट चौड़ी सड़क, उत्तर-पूर्व में विद्यमान गैस गोदामों और मुख्य योजना हरित क्षेत्र, दक्षिण-पश्चिम में पालम मार्ग (बाहरी रिंग रोड) और मुख्य योजना हरित क्षेत्र तथा दक्षिण-पूर्व में विद्यमान नाले और सैक्टर-6 आर. के. पुरम से घिरा हुआ है, का भूमि उपयोग "मनोरंजनात्मक" से "व्यावसायिक" में बदला जाना प्रस्तावित है।"

संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए इस अवधि के अन्दर सभी कार्य दिवसों को उप निदेशक (मास्टर योजना), विकास मीनार, छठी मंजिल, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध होगा।

[सं. एफ-20(9)/88-एम. पी.]
रणबीर सिंह, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 6th February, 1992

S.O. 548.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, I.N.A. New Delhi within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION :

"The land use of an area measuring about 0.219 hect., falling in zone F-5 (R. K. Puram Area) and bounded by 60' wide road in the North-West, existing gas godowns and Master Plan green in the North-East, Palam Marg (Outer Ring Road) and Master Plan green in the South-West and existing nallah and sector-VI, R. K. Puram in the South-East, is proposed to be changed from 'recreational' to Commercial'."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of Deputy Director Master Plan Section, Vikas Minar, 6th floor, I.P. Estate, New Delhi on all working days within the peirod referred to above.

[No. F. 20(9)|88-MP]
RANBIR SINGH, Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1992

का.आ. 549.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार नौरन चन्दमेटा कोलवरी ऑफ डब्लू. सी. एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-1-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/445/90-आई.आर.(सी-II)]
राजा लाल, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 15th January, 1992

S.O. 549.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of North Chandametta Colliery of W.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th January, 1992.

ANNEXURE

BEFORE SHRI V. N. SHUKLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)
Case No. CGIT/LC(R)(96)/1991

PARTIES:

Employers in relation to the management of North Chandametta Colliery of W.C. Ltd. P.O. Bhamori, District Chhindwara (M.P.)

AND

Their workman Shri Jamaluddin, represented through the M.P.K.K.M.P. (HMS), Post Junnardeo, District Chhindwara (MP)-480551.

APPEARANCES :
For Workman—Shri G. N. Shah.
For Management—Shri R. K. Singh.
INDUSTRY : Coal Mining. DISTRICT : Chhindwara (MP)

AWARD

Dated, December 24th, 1991

This is a reference made by the Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-22012/445/90-IR(Coal-II) dated 25th April, 1991, for adjudication of the following dispute :—

"Whether the action of the management of Manager, North Chandametta Colliery of Western Coalfields Ltd., Pench Area, P.O. Bhamori, District Chhindwara (M.P.) in not correcting the date of birth of Shri Jamaluddin S/o Shri Jalaluddin Chowkidar of North Chandametta Colliery from 1st July, 1931 to 12th September, 1935 on the basis of the School Leaving Certificate of Class-III produced by him is justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled to?"

2. Instead of filing their respective statement of claim by either party, they have filed a Compromise Petition and stated that they have settled the matters in terms thereof. Parties verified the terms of settlement which are as under :—

1. Union demanded that Shri Jamaludin, Peon may be sent to Medical Board and in case he is found unfit for duty his son may be employed. Accordingly the son of Sri Jamaluddin, Sri Samsudin was appointed.

2. As such the Union desires to withdraw the case from the CGIT, Jabalpur.

3. According to the terms of settlement the son of Sri Jamaluddin has been appointed and therefore the Union desires to withdraw this case in view of the terms of settlement the case is disposed of accordingly. No order as to costs.

V. N. SHUKLA, Presiding Officer
[No. L-22012/445/90-IR(C-II)]
RAJA LAL, Desk Officer

रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/92

REGISTERED NO. DL-33001

DELHI PUB...

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं० 19]
[No. 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 9, 1992/वैशाख 19, 1914
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 9, 1992/VAISHAKHA 19, 1914

इस भाग को भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1992

का.आ. 1201—केन्द्रीय सरकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या जी.जी. 92-69-वी.एम.एफ-2992-2940 (डी)-7 दिनांक 10-4-92 द्वारा प्राप्त गुजरात राज्य सरकार की सहमति से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 302 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अन्तर्गत दंडनीय अपराधों और पुलिस थाना चिखली, जिला वलसाद, गुजरात के प्रथम सी.आर. सं. 4/92 द्वारा दर्ज मामले में उपरोक्त अपराधों में उससे होने वाले या उससे संबंधकार के अनुक्रम में किए गए प्रयत्न, दुष्प्रेरणों और षड्यन्त्रों में संबंधित प्रयत्न उपर्युक्त अपराध तथा अपराधों के प्रयोजन के लिए संपूर्ण गुजरात राज्य पर करती है।

[संख्या 228/13/92-ए.वी.डी.-II]

ए.सी. शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS
(Department of Personnel & Training)

ORDER

New Delhi, the 20th April, 1992

S.O. 1201.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946) the Central Government with the consent of the State Government of Gujarat vide Notification No. G-92-69-VSF/2992-2940(D) dated 10-4-1992 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Gujarat for investigation of offences punishable under section 302 Indian Penal Code (45 of 1860) read with Section 4 of Indian Penal Code and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with one or more of the offences mentioned above and any other offence or offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts in the case registered vide Ist CR No. 4/92 of Chikli Police Station, District Valsad of Gujarat.

[No. 228/13/92-AVD. II]

A. C. SHARMA, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1992

का. आ. 1211.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जो जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसी संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो या सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति अथवा सुझाव लिखित रूप में इस सूचना के जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, इन्द्रा प्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को भेज दें। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें।

"8.1 हेक्टेयर (20 एकड़) क्षेत्र में से लगभग 3.7 हेक्टेयर (8.87 एकड़) क्षेत्र, जो उत्तर में विद्यमान दिल्ली कचरा निपटान डिपो से घूंटकुर गांव, पश्चिम में दिल्ली बवाना रोड और पूर्व में गंगा टैक्स हाउस से घिरा हुआ है, का भूमि उपयोग "ग्रामीण क्षेत्र" से "सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं" (100 बिस्तर के अस्पताल) में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।"

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उक्त अवधि के अंदर सभी कार्यदिवसों में उप-निदेशक (मुख्य योजना), विकास मीनार, छठी मंजिल, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध होगा।

[संख्या एफ. 20(12)/85-एम. पी.]

रणबीर सिंह, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 23rd April, 1992

S.O. 1211.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, INA, New Delhi within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION :

"The land use of an area measuring about 3.7 hac. (8.87 acres) out of 8.1 ha. (20 acres) and bounded by existing MCD physical centre in the North, Poothkhurd village in the South, Delhi-Bawana Road in the West and Ganga Toll Rest House in the East, is proposed to be changed from 'rural use' to 'public and semi-public facilities' (100 bedded hospital)".

The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Deputy Director, Master Plan Section, Vikas Minar 6th floor, I.P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred to above.

[No. F. 20(12)/85-MP]

RANBIR SINGH, Secy.

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1992

का. आ. 1212.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका के कालम 1 में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष अधिकारी के रूप में संपदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो वायुदूत लिमिटेड के सरकारी परिसरों, जो निम्नलिखित तालिका के कालम 3 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के संबंध में कालम 2 में उल्लिखित संबंधित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अंतर्गत उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उक्त संपदा अधिकारी को सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसे प्रदत्त कर्तव्यों का निष्पादन करेगा।

तालिका

अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत नियुक्त संपदा अधिकारी	संपदा अधिकारी के क्षेत्राधिकार की प्रादेशिक सीमाएं	सरकारी परिसरों की श्रेणियां
उप प्रबन्धक (निगमित प्रणाली एवं विधि कार्य)	संपूर्ण भारत में	सभी परिसर जिनका वायुदूत लिमिटेड पट्टाधारी है, किराएदार है या लाइसेंसधारी है और वे सभी परिसर जिन्हें वायुदूत के लिए या उसकी ओर से अधिग्रहीत किया गया है।

[संख्या ए वी-18030/1/92-ए. सी. (वी. एल.)]

एम. भट्टाचार्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM

New Delhi, the 24th April, 1992

S.O. 1212.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants Act 1971, the Central Government hereby appoints the officer mentioned in Column 1 of the table below, being an officer equivalent to the Gazetted Officer of the Government of India, to be estate officer for the purpose of the said Act, who shall exercise the power conferred and perform the duties imposed on the said estate officer by or under the Act within the limits of the respective jurisdiction mentioned in Column 2 in respect of the public premises belonging to Vayudoot Limited and specified in Column 3 of the said Table.

TABLE

Estate Officer appointed under section 3 of the Act	Territorial limits of jurisdiction of the estate officers	Categories of the public premises
Dy. Manager (Corporate Systems & Legal)	All over India	All premises of which Vayudoot Ltd. is the owner lessee, tenant or licencee and all premises which are requisitioned for and on behalf of Vayudoot Ltd.

[F.No.AV.18030/1/92-ACVL]

M. BHATTACHARJEE, Under Secy.

DELHI PUBLIC LIBRARY

रजिस्ट्री सं. डी॰एल॰-33004/92

6 JAN 1993

REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 273] नई दिल्ली, सोमवार, मई 4, 1992 वैशाख 14, 1914
No. 273] NEW DELHI, MONDAY, MAY 4, 1992/VAISAKHA 14, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1992

सा. का. 313(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (एफ) के अन्तर्गत उपराज्यपाल, दिल्ली/प्रशासक, दि.वि.प्रा. ने बे.ले. मोहन निवासी डी-134/4, मादल डाक्रन, दिल्ली, श्री वीर सिंह राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के मेम्बर निवासी 1806 गली बाबन वाल, विलगन, दिल्ली और सुनील देव, निवासी डी-531, न्यू सेक्टर

रजि० सं० डी० एल०—33001/92 REGISTERED NO. DL-33001/92

6 JAN 1993

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 23, 1992/ज्येष्ठ 2, 1914
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 23, 1992/JYAISTHA 2, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 31 मई, 1990

का० आ. 1295.—गोवा, दमण व दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 18) (आगे कथित अधिनियम कहा गया) की धारा 60 और 62 की उपधारा (2) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, नामत:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(i) यह आदेश गोवा राज्य सेवा आवंटन आदेश 1990 कहलाएगा ।

(ii) यह आदेश 30 मई, 1987 को लागू हुआ समझा जाएगा ।

गोवा राज्य सेवा के लिए आवंटन

(i) केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उन व्यक्तियों को नियत करती है जो उक्त अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन गोवा राज्य सेवा के लिए अस्थायी रूप से आवंटित किए गए हैं और जिनका नाम इस आदेश के साथ संलग्न सूची-I में शामिल नहीं किया गया है को गोवा राज्य सेवा में अंतिम रूप से आवंटित समझा जाएगा ।

1156 GI/92—1

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 1992

का.आ. 1302.—केन्द्रीय सरकार, का दिल्ली की मुख्य योजना दिल्ली योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो या सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव लिखित रूप में इस सूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई.एन.ए., नई दिल्ली को भेज सकता है। आपत्ति करने/सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता भी दे।

जोन एफ-3 (पिंजरापोल क्षेत्र) में पड़ने वाले और उत्तर तथा पश्चिम में गवर्नमेंट पूल हाउसिंग (एन्ड्रयूजगंज, सादिक नगर और आयुर्विज्ञान नगर), पूर्व में 45 मीटर चौड़े मार्ग जे.बी. टीटो मार्ग (200 फुट मार्गाधिकार), और पश्चिम में 30 मीटर चौड़े (100 मार्गाधिकार) खेल गांव मार्ग से घिरे तथा दिल्ली मास्टर योजना-2001 में सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक उपयोग (प्रस्तावित कन्वेंशन सैंटर) के लिये निर्धारित 28/75 हैक्टेयर (71 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को अधिसूचना सं. के-13012/7/72-यू.डी.आई., दिनांक 28-12-73 द्वारा अधिसूचित जोन डी-17, 18, 19, 20 और एफ-2 तथा 3 के संयुक्त क्षेत्रीय विकास नक्शों में निर्धारित भूमि उपयोग अर्थात् "आवासीय" (आवास)—14.17 हैक्टेयर, व्यावसायिक (समाज सदन) 6.88 हैक्टेयर और जिला पार्कों/जोनल ग्रीन—7.70 हैक्टेयर" के लिए रखने का प्रस्ताव है।

2. प्रस्तावित संशोधन की दर्शाने वाली नक्शा निरीक्षण, के लिए उक्त अवधि के अंदर सभी कार्य दिवसों को उप-निदेशक, मुख्य योजना प्रभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध होगा।

[सं. एफ 3 (33)/89 एम.पी.]
रणबीर सिंह, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 1302.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, I.N.A., 'B' Block, New Delhi within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION :

The land use of an area measuring 28.75 ha. (71 acres), falling in zone F-3 (Pinjrapole Area), bounded by Government pool housing (Andrews Ganj), Sadiq Nagar and Ayurvigyan Nagar), in the North and South; Marshal J. B. Tito Marg 45 mtrs. wide (200 ft. r/w) in the East and Khel Gaon road 30 mtrs. wide (100' r/w) in the West and earmarked in MPD-2001 for 'public and semi-public use' (proposed convention centre)', is proposed to be restored to land uses earmarked in the contiguous Zonal Development Plans of Zones D-17, 18, 19, 20 and F-2 and 3. notified vide notification No. K-13012/7/71-UDI dated 28-12-73 i.e. for "residential" (housing)—14.17 ha., commercial (community centre)—6.88 ha. and district/zonal green—7.70 ha."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Deputy Director, Master Plan Section, Vikas Minar, 6th Floor, I.P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred to above.

[No. F. 3(33)/89-MP]
RANBIR SINGH, Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1992

का.आ. 1303.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1957 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन देहरादून के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-4-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-30012/4/89-आई आर (विविध)]
बी.एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 27th April, 1992

S.O. 1303.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to to the management of Oil and Natural Gas Commission Dehradun and their workmen, which was received by the Central Government on 24-4-1992.

[No. L-30012/4/89-IR (Misc.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR.

Industrial Dispute No. 151 of 1989

In the matter of dispute :

BETWEEN

Sri Lalit Mohan S/o Sri Shyama Prasad R/o Rajiv Nagar Dharmpur Danda P.O. Nehrugram Distt. Dehradun.

AND

The Chairman Oil and Natural Gas Commission Tel Bhawan Dehradun.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour vide its Notification No. L-20012/4/89-IR (Misc.) dated 31-5-89, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

Kya Tel avam Prakratik Gas Aayog Dehradun ke prabandhan dwara Sri Lalit Mohan putra Sri Sharda Prasad Mazdoor ko dinnank 7-3-89 se sewa se nishkashit karna nyayochit hai ? Yadi Nahi to Karamchari kis anutosh ka adhikari hai ?

2. The case of the workman is that he had worked with the management of the Oil and Natural Gas Commission (hereinafter referred to as management) from 9-11-83 to 7-3-88 whereafter his services were terminated illegally from the afternoon of the same day without compliance of Section 25F of I.D. Act. He alleges that he had worked for more than 240 days in each year during the said period and that during the period of 12 months proceeding the date of terminations of his services he had worked for 370 days as per details given by him in para 5 of the claim statement.

रजि. एस.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

DELHI PUBLIC LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 1992/आषाढ़ 4, 1914
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 1992/ASADHA 4, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1992

का.आ. 467(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि शहरी विकास मंत्रालय सं. 11011/2/89-डीडी. आई आई बी/आई ए दिनांक 28-8-1991 के द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (एच) के अंतर्गत श्री सज्जन कुमार और श्री हरि किशोर सिंह को लोकसभा ने श्री जे.पी. अग्रवाल और श्री कांशी राम के स्थान पर निर्वाचित किया है, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् में लोकसभा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ. 1(1) 92-बै.क./दि.वि.प्रा.]

रणबीर सिंह, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 1992

S.O. (E) — It is hereby notified that under clause (h) section-5 of the Delhi Development Authority Act, 1957, Go Ministry of Urban Development vide its letter No. K-110(1) 28-8-91 has informed that the Lok Sabha have, since elected namely Sh. Sajjan Kumar and Sh. Hari Kishore Singh to serve the Advisory Council of the Delhi Development Authority in J. P. Agarwal and Kalka Dass.

[No. F. 1(1)

RANBIR

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-1100
and Published by Controller of Publications, Delhi-110054, 1992

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 27, 1992/आषाढ़ 6, 1914
No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 27, 1992/ASADH 6, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(न्यायिक खण्ड)

सूचनाएं

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1992

का. आ. 1660.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री पी. बालाचन्द्रन नायर एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे तिरुवन्तपुरम सिटी (केरल) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(64)/92-न्यायिक]
पी. सी. कन्नन, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

(Judicial Section)

NOTICES

New Delhi, the 27th April, 1992

S.O. 1660.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956, that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri P. Balachandran Nair, Advocate for appointment as a Notary to practice in Thiruvanthapuram City (Kerala).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(64)/92-Judl.]

P. C. KANAN, Competent Authority

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1992

का. आ. 1661.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी

1503 GI/92—1.

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, 14 मई, 1992

का.आ. 1734.—अब निम्नलिखित क्षेत्रों के बारे में कुछ संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार प्रभावित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली बृहद योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करती है तथा जिसे दिल्ली अधिनियम, 1957 (1957 का 61वां) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 14-10-91 के संदर्भित संख्या एफ 3(56) 89-एम.पी. भाग-1 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) में अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव, उक्त नोटिस की तारीख से 30 दिन की अवधि में आमंत्रित किए गए थे।

और अब प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अब केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली बृहद योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय किया है।

अब अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की उक्त बृहद योजना में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :—

"उत्तर में डेयू फ्लाई ऐश पोन्ड्स से घिरे, दक्षिण में राजघाट थर्मल पावर स्टेशन से, पूर्व में यमुना नदी से और पश्चिम में राजघाट (समाधि परिसर) से घिरे आने "ओ" (यमुना नदी) के लगभग 4.035 हैक्टेयर (10 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को कृषि और जल निकाय (उपयोग क्षेत्र ए-4) से विनिर्माण) (उपयोग क्षेत्र एम-1) फ्लाई ऐश ब्रिक प्लान्ट की स्थापना के सीमित प्रयोग के लिए परिवर्तित किया जाता है"।

[सं-के. 13011/12/91-डी डी आई बी]

आई. एल. बंसल, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

New Delhi, the 14th May, 1992

S.O. 1734.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan regarding the areas mentioned hereunder were published with Notice No. F.-3(56)/89-MP-Pt. I dated 14-10-91 in accordance with the provision of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act within thirty days from the date of the said Notice;

And whereas no objections and suggestions have been received with regard to the said proposed modification;

And whereas, the Central Government have decided to modify the Master Plan/Zonal Development Plan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION :—

"The land use of an area measuring about 4.035 hect. (10 acres) forming part of Zone 'O' (River Yamuna) and bounded byDESU fly-ash ponds in the North, Rajghat Thermal Power Station in South, river Yamuna in the East and Rajghat (Samadhi complex) in the West, is changed from 'agricultural and water body' (use zone A-4) to 'Manufacturing' (use zone M-1)" for the limited purpose of setting up fly-ash brick plants.

[No. K-13011/12/91/DDIB]

I. L. BANSAL, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 22 जून, 1992

का.आ. 1735.— केन्द्रीय सरकार का, दिल्ली की मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति अथवा सुझाव लिखित रूप में इस सूचना के जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अन्दर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, बी ब्लाक, आई. एन. ए., नई दिल्ली को भेज दें। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम एवं पता भी अवश्य देना चाहिए।

संशोधन :—

"जोन ई–13 (भाग) (मंडावली – फजलपुर) में पड़ने वाले और पूर्व में गाजीपुर नाले/रोड नं. 56 से, दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 24 से, पश्चिम में 45 मीटर चौड़ी सड़क से और उत्तर में आवासीय सहकारी समूह आवास समितियों (मंडावली – फजलपुर एनसटेंशन) से घिरे हुए लगभग 20 हैक्टेयर (49.4 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "परिवहन (ट्रक टर्मिनल एवं इन्टीग्रेटिड फ्रेट काम्पलैक्स) से"

1.	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	10.32 हैक्टेयर
2.	व्यावसायिक	4.80 हैक्टेयर
3.	मनोरंजनात्मक	2.73 हैक्टेयर
4.	परिवहन (सड़क)	2.15 हैक्टेयर
	कुल	20.00 हैक्टेयर

में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।"

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य दिवसों में उप-निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, विकास मीनार, छठी मंजिल, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध होगा।

[सं. एफ. 20(12)/91–एमपी]

रणवीर सिंह, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 22nd June, 1992

S.O. 1735.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION :—

"The land use of an area measuring, about 20 ha. (49.4 acres) falling in zone E-13 (Part) (Mandawali—Fazalpur) and bounded by Gazipur Drain/Road No. 56 in the East, National Highway No. 24 in the South 45 mtrs. wide road in the West, and residential cooperative group housing societies (Mandawali—

--Fazalpur Extension) in the North, is proposed to be changed from 'Transportation (Truck Terminal and Integrated Freight Complex) to"

(i) Public and semi-public facilities	10.32 ha.
(ii) Commercial	4.80 ha.
(iii) Recreational	2.73 ha.
(iv) Transportation (Roads)	2.15 ha.
Total	20.00 ha.

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Deputy Director, Master Plan Section, Vikas Minar, 6th floor, I.P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred to above.

[No. F. 20(12)91-MP]
RANBIR SINGH, Secy.

नई दिल्ली, 22 जून, 1992

का. आ. 1736— केन्द्र सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे एतद्द्वारा जनता की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, "बी" ब्लाक, विकास सदन, आई. एन. ए., नई दिल्ली को लिखित में भेज सकता है। आपत्ति करने/सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता भी दे।

संशोधन :

"जोन एच 7 में पड़ने वाले और उत्तर पश्चिम तथा उत्तर-पूर्व में सुल्तानपुर मिर्जा गांव तथा प्राथमिक विद्यालय से, दक्षिण-पश्चिम में मीजूदा नाले से, और दक्षिण पूर्व में मंगोलपुरी औद्योगिक योजना चरण – 1 से घिरे लगभग 2.30 हेक्ट. (5.68 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को आवासीय उपयोग से "सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं (श्मशान/कब्रिस्तान एवं सीमेटरी) में बदलने का प्रस्ताव है।"

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उक्त अवधि के अंदर सभी कार्य दिवसों को उप निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, विकास मीनार छठी मंजिल, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध होगा।

[सं एफ 20(5)/91-एम पी]
रणवीर सिंह, सचिव

New Delhi, the 22nd June, 1992

S.O. 1736.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objection/suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION :—

"The land use of an area, measuring about 2.30 ha. (5.68 acres) falling in sub-zone H-7 and bounded by Sultanpur Mazra Village and Primary School in the North-West and North-East, existing drain in South-West and Mangolpuri Industrial Scheme Phase-I in the South-East, is proposed to be changed from 'residential use' to 'public and semi-public facilities' (Cremation ground/burial ground and Cemetary)."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of Deputy Director, Master Plan Section, Vikas Minar, 6th. Floor, I.P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred to above.

[No. F. 20(5)/91-MP]
RANBIR SINGH, Secy.

नई दिल्ली, 22 जून, 1992

का. आ. 1737 केन्द्रीय सरकार का, दिल्ली की मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति अथवा सुझाव लिखित रूप में इस सूचना के जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अन्दर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई. एन. ए., नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज दें। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम एवं पता भी अवश्य देना चाहिए।

संशोधन :

"जोन एच-2 में पड़ने वाले और उत्तर पूर्व में मार्ग संख्या-37 से, पश्चिम में रिंग रोड से और दक्षिण में वजीरपुर डी. टी. सी. डिपो से घिरे लगभग 3.6 हैक्टेयर (8.9 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "मनोरंजनात्मक" से "विनिर्माण" (हल्के एवं सेवा उद्योग में बदलने का प्रस्ताव है।"

2 प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, विकास मीनार, छठा मंजिल इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे।

[सं. एफ. [illegible] (11) 91 -एम पी]
रणवीर सिंह, सचिव

New Delhi, the 22nd June, 1992

S.O. 1737.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi, hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION :—

"The land use of an area, measuring about 3.6 h (8.9 acres) falling in sub-zone H-2 and bounded by Road No. 37 in the North-East, Ring Road in t West and Wazirpur DTC Depot in the South, proposed to be changed from 'Recreational' 'Manufacturing' (Light and service industry).

2. The plan indicating the proposed modification will available for inspection at the office of the Deputy Direct Master Plan Section, Vikas Minar, 6th floor, IP Est New Delhi on all working days within the period refer to above.

(No. F 20(11)91-M

RANBIR SINGH, S

1738 नई दिल्ली, 22 जून, 1992

का. आ. 1738—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति की कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति अथवा सुझाव लिखित रूप में इस सूचना के जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अन्दर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई एन ए, नई दिल्ली को भेज सकता है। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम एवं पता भी देना चाहिए।

संशोधन :—

"उप जोन सी-14 में पड़ने वाले और उत्तर में खाली ट्रक पार्किंग से, दक्षिण में 60 मीटर चौड़ी सड़क (खैबर बाई पास) से, पूर्व में मैगजीन रोड से और पश्चिम में 30 मीटर चौड़ी सड़क (तिमारपुर रोड) से घिरे हुए लगभग 10.41 हैक्टेयर (25.72 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "उपयोगिता" (सफाई भूमि) से "सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं" (सांस्थानिक) में बदलने का प्रस्ताव है।"

प्रस्तावित संशोधन को दर्शानेवाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य दिवसों में उप-निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, विकास मीनार, छठा मंजिल, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ. 3 (76)/82—एम. पी.]

रणबीर सिंह, सचिव

New Delhi, the 22nd June, 1992

S.O. 1738.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Development for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION :—

"The land use of an area measuring about 10.41 ha. (25.72 acres) falling in sub-zone C-14 and bounded by Idle Truck Parking in the North, 60 mtrs. wide road (Khyber Bye Pass) in the South, Magazine Road in the East and 30 mtrs. wide road (Timarpur Road) in the West, is proposed to be changed from 'Utility' (Sanitary land) to 'Public and semi-public facilities' (Institutional)".

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Deputy Director, Master Plan Section, Vikas Minar, 6th floor, IP Estate, New Delhi on all working days within the period referred to above.

[No. F3(76)82-MP]

RANBIR SINGH, Secy.

नई दिल्ली, 22 जून, 1992

का. आ. 1739—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जो एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो या कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव इस सूचना के जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अन्दर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई. एन. ए., नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज सकता है। आपत्ति करने या सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता भी दे।

संशोधन :—

"जोन डी-I (कनाट प्लेस एवं इसके विस्तार) में पड़ने वाले तथा उत्तर में ईस्टर्न कोर्ट बिल्डिंग से, दक्षिण तथा पूर्व में आवासीय क्षेत्र और एच. सी. माथुर लेन से तथा पश्चिम में 45 मीटर मार्ग-अधिकार जनपथ से घिरे लगभग 0.92 हैक्टेयर (2.277 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं" से "सरकारी कार्यालयों" में बदलने का प्रस्ताव है।"

(ii) प्रस्ताव है कि केन्द्र के शहरी रूप को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय व्यवसाय जिला (महानगर केन्द्र अर्थात् (कनाट प्लेस एवं इसके विस्तार) में भवन की अधिकतम ऊंचाई 50 मीटर तक रखने की अनुमति दी जाए।

2. प्रस्तावित संशोधन दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उक्त अवधि के अंदर सभी कार्य-दिवसों को उप-निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, विकास मीनार, छठी मंजिल, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली में उपलब्ध होगा।

[सं. एफ. 16 (7)/90—एम. पी.]

रणबीर सिंह, सचिव

New Delhi, the 22nd June, 1992

S.O. 1739.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, I.N.A., Delhi within a period of thirty days from date of issue of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION :—

"The land use of an area, measuring 0.92 ha. (2.277 acres) in the zone D-I, (Connaught Place and its Extension) and bounded by Eastern Court Building in the North, residential area and H. C. Mathur Lane in the South and East, 45 mtrs. r/w Janpath in the West, is proposed to be changed from 'public and semi-public facilities' to 'Govt. Offices'.

(ii) It is proposed that the maximum height of the building in the Central Business District (Metropolitan City Centre i.e., Connaught Place and its Extension) could be permitted upto 5050 mtrs., keeping in view the urban form of the Centre."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Deputy Director, Master Plan Section, Vikas Minar, 6th. floor, I.P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred to above.

[No. F. 16(7)90-MP]

RANBIR SINGH, Secy.

रजिस्ट्रेड नं. डी एल-33001/92

REGISTERED NO. DL-33001/92

DELHI PUBLIC LIBRARY

8 FEB 1993

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 10, 1992/आश्विन 18, 1914
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 10, 1992/ASVINA 18, 1914

इस भाग को भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

सूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992

का. आ. 2541.— नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री प्रभु दयाल शर्मा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए किया है कि उसे तहसील अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए ;

2. किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए ।

[सं. 5(207)/92-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

(Judicial Section)

NOTICE

New Delhi, the 16th September, 1992

S.O. 2541.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956, that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Prabhu Dayal Sharma, Advocate, for appointment as a Notary to practise in Tehsil Anup Shahar, Distt. Buland Shahar (Uttar Pradesh).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(207)/92-Judl.]

P. C. KANAN, Competent Authority

और पूर्व में 100' चौड़ी सड़क कन्या उच्च पाठशाला से घिरे और पश्चिम में डी एम सी बाल तथा बालिका प्राथमिक पाठशाला से घिरे क्षेत्र के लगभग 0.7 एकड़ क्षेत्र में भूमि उपयोग को शैक्षिणिक प्राथमिक पाठशाला से "संस्थाएं" (धार्मिक) में परिवर्तित किया जाता है।

[सं. के-13011/4/87/डीडी II ए/वाए/आईबी]

आई. एल. बन्सल, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

New Delhi, the 7th April, 1992

S.O. 2619.—Whereas certain modifications, which the Central Govt, proposed to make in the master Plan for Delhi/Zonal Development Plan regarding the areas mentioned hereunder were published with Notice No. F-20(18)84-MP dated 2-4-88 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said act, within thirty days from the date of the said notice;

And whereas objections and suggestions have been received in response to the aforesaid notice and have duly been considered by the Central Govt;

And whereas the Central Government have decided to modify the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section, (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Govt. hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION

"The land use of an area measuring about 0.7 acres falling in Defence Colony and bounded by 100 ft. wide road existing tomb in the North and bounded by 50 ft. wide road and residential flats of block 'C' in the South and bounded by 100 ft. wide road Hig School for Girls in the East and area bounded by D.M.C. Boys & Girls Primary School in the West is changed from "Educational" (Primary School) to "Instutional" (Religious)."

[No. K-13011/4/87/DD/IIA/VA/B]

I. L. BANSAL, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1992

का.आ. 2620:—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, "बी" ब्लॉक, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने/सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता भी दे।

संशोधन :

"उप-जोन एफ-14 (किशनगढ़ क्षेत्र) में पड़ने वाले तथा उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व में क्षेत्रीय पार्कों से और पश्चिम में मौजूदा सड़क तथा क्षेत्रीय पार्क से घिरे लगभग 1.00 हेक्टेयर (2.5 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "मनोरंजनात्मक" से "सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं" (श्मशान भूमि) में बदलने का प्रस्ताव है।"

(2) प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, विकास मीनार, छठा मंजिल, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली में उक्त अवधि के अंदर सभी कार्य-दिवसों को उपलब्ध होगा।

[सं. एफ-3 (57)/90-एम.पी]

रणबीर सिंह, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 28th September, 1992

S.O. 2620.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan Zonal Development Plan for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objection/suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION :

"The land use of an area, measuring 1.00 ha. (2.5 acres) falling in sub-zone F-14 (Kishan Garh Area) bounded by regional parks in the North, South and East and existing road and regional parks in the West, is proposed to be changed from 'recreational' to 'public and semi-public facilities' (Cremation Ground)."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of Deputy Director, Master Plan Section, Vikas Minar, 6th Floor, I.P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred above.

[No. F. 3(57)/90-MP]

RANBIR SINGH, Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 मई, 1992

का. आ. 2621 :—केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 4 और धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् नियम, [illegible] का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती [illegible]

रजिस्ट्री सं. डी एल-33001/92

REGISTERED NO. DL-33001/92

DELHI PUBLIC LIBRARY

22 MAR 1993

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 7, 1992/कार्तिक 16, 1914
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 7, 1992/KARTIKA 16, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

योजना मंत्रालय
(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1992

का.आ. 2775.—केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियमावली, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (2), नियम 12 के उप-नियम (2) के खंड (ख) और नियम 24 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना की अनुसूची में मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 28 फरवरी, 1957 के का. नि. आ. 633 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना की अनुसूची सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी II, भाग I में क्रम संख्यांक "राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन" के सामने मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"1	2	3	4	5
सभी समूह "ख" राजपत्रित और अराजपत्रित पद	निदेशक	निदेशक	सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी	

टिप्पणी : भारत सरकार में मंत्रिमंडल सचिवालय की मूल अधिसूचना दिनांक 28-2-1957 के का.नि.आ. संख्या 633 के तहत प्रकाशित की गई थी। तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए थे :—

मंत्रिमंडल सचिवालय अधिसूचना का.आ. 2119 दिनांक 3-9-60

मंत्रिमंडल सचिवालय,
सांख्यिकी विभाग अधिसूचना का.आ. 898 दिनांक 31-3-62

—वही— का.आ. 436 दिनांक 8-2-1964

(12) under the heading "Pondicherry University", after the entries, the following entries shall be inserted, namely:—

(Doctor of Medicine (Microbiology)	M.D. (Microbiology)
Doctor of Medicine (Pathology)	M.D. (Pathology).
Doctor of Medicine (Paediatrics)	M.D. (Paed).

(13) under the heading, "University of Rajasthan", after the entries, the following entries shall be inserted, namly:—

"Doctor of Medicine (Dermatology. Venereology and Leprosy)	M.D. (Derm. Ven. & Leprosy)."
Master of Surgery (Neuro Surgery)	M.Ch. (Neuro-Suregery).

(14) under the heading, "Sambalpur University", after the entries, the following entries shall be inserted, namely:—

"Doctor of Medicine (Anaesthesiology)	M.D. (Anaes.)
Doctor of Medicine (Paediatrics)	M.D. (Paed).

(15) under the heading, "Saurashtra University", after the entries, the following shall be inserted, namely:—

"Doctor of Medicine (Microbiology) M.D. (Microbiology)

R. VIJYAKUMARI, Desk Officer

[No. V. 11015/24/92-ME(UG)]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1992

का.आ. 2799—केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के कलकत्ता सलाहकार पैनल के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित दिनांक 2-7-92 की सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 809/3/92-एफ (सी) में —

अंक और शब्दों "8, श्रीमती अबानी भट्टाचार्य" के स्थान पर "8.श्री अबानी भट्टाचार्य" पढ़ा जाए।

[फाईल संख्या 809/3/92-एफ(सी)]

एम.एस. सेठी, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st October, 1992

S.O. 2799.—In the Notification of Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 809/3/92-F(C), dated 2-7-92 regarding appointment of members of the Calcutta Advisory Panel of Central Board of Film Certification,

for the figure and words "8. Mrs Abani Bhattacharya", read "8. Mr. Abani Bhattacharya".

[File No. 809/3/92-F(C)]

M. S. SETHI, Desk Officer

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 1992

का.आ. 2800—चलचित्र (प्रमाणन) नियम 1983 के नियम 7 और 8 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस मंत्रालय की (i) दिनांक 30-9-91 की सं. 809/3/91 एफ (सी) (ii) दिनांक 24-8-92 की सं. 809/1/92-एफ(सी) और दिनांक 26-8-92 की सं. 809/1/92-एफ(सी) की अधिसूचनाओं के अनुक्रम में केन्द्र सरकार श्रीमती विद्या बेलोर, 31, सागर, आठवां तल, बी रोड, चर्च गेट, बम्बई को केन्द्रीय चित्र प्रमाणन बोर्ड की बम्बई सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश होने तक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 809/1/92-एफ(सी)]

एम.एस. सेठी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th October, 1992

S.O. 2800.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) read with rules 7 and 8 of the Cinematograph (Certification) Rules, 1983 and in continuation of this Ministry's Notifications (i) No. 809/3/91-F(C) dated 30-9-91 (ii) No. 809/1/92-F(C) dated 24-8-92 and (iii) No. 809/1/92-F(C) dated 26-8-92, the Central Government is pleased to appoint Smt. Vidya Belose, 31, Sagar, 8th Floor, C Road, Church Gate, Bombay as member of the Bombay advisory panel of the Central Board of Film Certification with immediate effect and until further orders.

[File No. 809/1/92-F(C)

M. S. SETHI, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1992

का. आ. 2801.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालय को, जिनके कर्मचारी वृन्द ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

दूरदर्शन अल्प-शक्ति प्रेषण केन्द्र,
मंदसौर, मध्य प्रदेश।

[संख्या ई-11011/37/91-हिंदी]

पी. के. गोरावारा, निदेशक (राजभाषा)

New Delhi, the 16th October, 1992

S.O. 2801.—In pursuance of Sub-rule (4) of rule 10 the Official Languages (use for official purpose of Union) Rules, 1976, the Central Government hereby no the following office of the Ministry of Information a Broadcasting the Staff whereof have acquired the worl knowledge of Hindi :—

Doordarshan Low Power Transmitter,
Mandshaur,
Madhya Pradesh.

[No. E-11011/37/91-Hi

P. K. GORAWARA, Director (C

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली 27, अक्तूबर, 1992

सार्वजनिक सूचना

का. आ. 2802—केन्द्रीय सरकार का, दिल्ली की मास्टर योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्ताव संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो तो वह

आपत्ति अथवा सुझाव इस सूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अन्दर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई.एन.ए., नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज दें। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम एवं पता भी अवश्य देना चाहिए।

संशोधन :

"उत्तर-पूर्व में गोकुलपुरी गांव से घिरे, दक्षिण में वजीराबाद मार्ग से घिरे और पश्चिम में पूर्वी यमुना नहर/गोकुलपुरी पुनर्वास कॉलोनी से घिरे लगभग 2.4 हेक्टेयर (5.92 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "आवासीय उपयोग" से "सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं" (सुविधा सेवा-केन्द्र) में बदलने का प्रस्ताव है।"

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा, निरीक्षण के उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य-दिवसों में उप-निदेशक (योजना अनुभाग विकास मीनार, छठी मंजिल, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ. 20(14)/91-एम. पी.]

रणबीर सिंह, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 27th October, 1992

PUBLIC NOTICE

S.O. 2802.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objection/suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION :

"The land use of an area measuring about 2.4 ha. (5.92 acres) and bounded by Gokulpuri Village in the North-East Wazirabad road in the South and Eastern Yamuna Canal/Gokulpuri Resettlement Colony in the West, is proposed to be changed from 'residential' to 'public and semi-public facilities' (Facility-Service-Centre)."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of Deputy Director, Master Plan Section, Vikas Minar, 6th Floor, I.P. Estate New Delhi on all working days within the period referred to above.

[No. F. 20(14)/91-MP]

RANBIR SINGH, Secy.

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1992

का.आ. 2803.—लोक परिसर (अनाधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, नागर विमानन महानिदेशालय से संबंधित भूमि और आवास स्थान के मामले में कथित अधिनियम के उद्देश्य से भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी या इसके समकक्ष रक होने के कारण निम्नलिखित अधिकरियों को प्रत्येक के सामने दिखाए गए स्टेशन पर संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

अधिकारी का पदनाम	स्टेशन
1. नियंत्रक उड़नयोग्यता, दिल्ली	दिल्ली
2. नियंत्रक उड़नयोग्यता, बम्बई	बम्बई
3. नियंत्रक उड़नयोग्यता, कलकत्ता	कलकत्ता
4. नियंत्रक उड़नयोग्यता, हैदराबाद	हैदराबाद
5. नियंत्रक उड़नयोग्यता, लखनऊ	लखनऊ
6. नियंत्रक उड़नयोग्यता, पटना	पटना
7. नियंत्रक उड़नयोग्यता, भोपाल	भोपाल
8. नियंत्रक उड़नयोग्यता, मद्रास	मद्रास
9. नियंत्रक उड़नयोग्यता, बंगलोर	बंगलोर
10. नियंत्रक उड़नयोग्यता, कानपुर	कानपुर
11. वरिष्ठ उड़नयोग्यता, अधिकारी गुवाहाटी	गुवाहाटी
12 वरिष्ठ उड़नयोग्यता, अधिकारी त्रिवेंद्रम	त्रिवेंद्रम

[फा. सं. डी-11014/1/92-स्था-I(बीई)]

प्रकाश चन्द्र, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION & TOURISM

New Delhi, the 30th September, 1992

S. O. 2803 :—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the following officers, being gazetted officers of the Government or of equivalent rank, as estate officers for the purposes of the said Act, in respect of the residential accommodation and land belonging to the Directorate General of Civil Aviation and located at the stations indicated against each :

Designation of the Officer	Station
(i) Controller of Airworthiness, Delhi	Delhi
(ii) Controller of Airworthiness, Bombay	Bombay

रजि. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[148] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 1992/अग्रहायण 5, 1914
[148] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 1992/AGRAHAYANA 5, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(सचिव कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1992

का.आ. 864 (अ) — एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के खण्ड (एच) के उप-खण्ड 2(5) के अन्तर्गत राज्य सभा सदस्य श्री के. धवन को राज्य सभा के प्रतिनिधि के रूप में हरविन्दर सिंह हंसपाल की जगह

दिनांक 24-7-92 से दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद का सदस्य कार्य करने के लिए निर्वाचित किया गया है ।

[संख्यां : एफ. 1 (1)/92-

रणबीर

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Secretary's Office)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 1992

S.O. 864(E).—It is hereby notified that under Clause (h) of sub-sec of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Shri Dhawan, Member Rajya Sabha has been elected to serve as Rajya representative of the Advisory Council of the Delhi Development Au w.e.f. 24-7-1992 in place of Shri Harvinder Singh Hanspal.

[F. No. 1(1)/92-MC

RANBIR SINGH

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government ;

And whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of sction 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vestingic in the Central Government, vest in the CPPL Limited free from all encumbrances ;

SCHEDULE

Tehsil : Panvel District : Raigad State : Maharashtra

Name of Village	S.No./ Gat No.	Hissa No.	Area Hectare	Are	Centare
1	2	3	4	5	6
Shil-ottar Raicur	42	5 part	00	01	40

[F.No. R-31015/10/93OR-II]
KULDIP SINGH, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1993

का. आ. 2353.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और सक्षम बनाने वाले अन्य सभी प्रावधानों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा, दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवास सम्पदा का प्रबन्ध एवं निपटान) विनियम, 1968 के अन्तर्गत निर्मित सम्पत्तियों के निपटान की पद्धति, एवं शर्तों का निर्णय लेने की अपनी सभी शक्तियां उपाध्यक्ष को सौंपता है।

[सं. एफ. 25(39)/91/इम्पल./डी.डी.ए.]
रणबीर सिंह, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 13th October, 1993

S.O. 2353.—In exercise of the powers conferred upon it by and sub-section (1) of Section 52 of the Delhi Development Act 1957 and all other enabling provisions, Delhi Development Authority hereby delegates, to its Vice-Chairman, all its powers to decide the manner, terms and conditions of disposal of built-up properties, under Delhi Development Authority (Management and Disposal of Housing Estates) Regulations 1968.

[No. F. 25(39)/91/Impl/DDA]
RANBIR SINGH, Secy

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2354.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली मास्टर योजना/क्षेत्रीय (डिवीजनल) विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की सूचना के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई. एन.ए., नई दिल्ली को इस सूचना के जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने/सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता भी दे।

संशोधन :

1. "खामपुर गांव की राजस्व सम्पदा में, पूर्व में वर्तमान नाला सं. 6 से, पश्चिम में जी.टी. करनाल रोड से, और उत्तर तथा दक्षिण में हरित पट्टी से घिरे 10 हैक्टेयर (25 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "ग्रामीण' उपयोग से "उपयोगिता" (मलजल शोधन संयंत्र) में बदलने का प्रस्ताव है।"

2. बूढ़पुर गांव और नीज़ापुर गांव के निकट, दक्षिण में बवाना एस्केप से, उत्तर में हरित पट्टी से, पश्चिम में जी.टी. करनाल रोड से और पूर्व में नहारी मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से घिरे लगभग 40 हैक्टेयर (100 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "ग्रामीण उपयोग" से "उपयोगिता" (मलजल शोधन संयंत्र) में बदलने का प्रस्ताव है।"

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिये उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली में उक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य-दिवसों को उपलब्ध रहेगा।

[सं.एफ. 3(52)/91-एम.पी.]
रणबीर सिंह, सचिव

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 29th October, 1993

S.O 2354.—The following modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan/Zonal (divisional) development Plan for Delhi, are hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modifications may send the objections/suggestions in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, I.N.A., New Delhi, within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The person making the objection/suggestion should also give his name and address.

...DIFICATIONS :

(i) "The land use of an area, measuring 10 ha. (25 acres) bounded by existing drain No. 6 in the East, G.T. Karnal Road in the West and green belt in the North and South, in the revenue estate of village Khampur is proposed to be changed from 'rural use' to 'utilility' (Sewage Treatment Plant)".

(ii) "The land use of an area, measuring 40 ha. (100 acres) near village Budhpur and village Bijapur, bounded by Bawana excape in the South, green belt in the North, G.T. Karnal Road in the West and green belt Nahari, major distributory in the East, is proposed to be changed from 'rural use' to 'utility' (Sewage Treatment Plant)".

2. The plan indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Deputy Director, Master Plan Section, 6th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi, on all working days within the period referred above.

[No. F. 3(52)/91-MP]

RANBIR SINGH, Secy.

Delhi Development Authority

श्रम मन्त्रालय

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2355—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंडियन एयर लाईन्स के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-11012/7/90-आई आर (विविध)]

के. वी. बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 7th October, 1993

S.O. 2355.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management to M/s. Indian Airlines and their workmen, which was received by the Central Government on 6th October, 1993.

[No. L-11012/7/90-IR (Misc.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANAPATI SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 79/90

In the matter of dispute between:

Shri Roop Ram S/o Shri Nathi Ram through Indian Airlines workmen Association Regd.

Versus

M/s. Indian Airlines through the Manager Personnel Services, Thaper House, New Delhi.

APPEARANCES:

None—for the workman.

Shri M. J. Paul—for the Management

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-11012/7/90-IR(Misc.) dated 8/90 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Indian Airlines, New Delhi in imposing punishment of reduction of basic pay by 3 stages with cumulative effect on Shri Roop Ram, Master Technician vide their order dated 5th May, 1986 and subsequently restoring two increments in July, 1987 was justified. If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The workman in this case had died and the parties had been taking time for settlement but none have been appearing on behalf of the workman or his representative for the last six dates. It appears that parties are not interested in getting the dispute adjudicated upon after the death of the workman. I, therefore, pass a no dispute award in this case.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2356—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंडियन एयर लाईन्स के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-11012/8/90-आई आर (विविध)]

के. वी. बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th October, 1993

S.O. 2356.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Indian Airlines and their workmen, which was received by the Central Government on 6-10-93.

[No. L-11012/8/90-IR (Misc.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA; PRESIDING OFFICER: CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL; NEW DELHI

I.D. No. 80/90

In the matter of dispute between

Shri Roop Ram through the Regional Secretary, Indian Airlines Workmen Association, C5B/150, Janakpuri Delhi-58.

Versus.

The Manager Personnel, Indian Airlines, Thapar House, Janpath, New Delhi.

APPEARANCES :

None for the workman.

Shri M. J. Paul for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-11012/8/90-IR(Misc) dated 8/90 has refer-

रजिस्ट्री संख्या डी० एल०—33001/93

REGISTERED NO. DL-33001/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 15, 1994/पौष 25, 1915
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 15, 1994/PAUSA 25, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministry of the Government of India (other than Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

न्यायिक अंश

सूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1993

का. आ. 106.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री इकबाल सिंह एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे नवां शहर, नवांशहर जिला (पंजाब) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(127)/93—न्यायिक]

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & CO. AFFAIRS
(Department of Legal Affairs)
JUDICIAL SECTION
NOTICE

New Delhi, the 7th December, 1993

S.O. 106.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Iqbal Singh Gill, Advocate for appointment as a Notary to practice in Nawanshar Sub Division, Distt. Jalandhar (Punjab).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(127)/93-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1993

का. आ. 107.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री हुकम चन्द खोबर एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे राहतक (हरियाणा में) व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(133)/93—न्यायिक]

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 14th December, 1993

S.O. 107.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

138 (संख्या 5-13 : 59-एम आई) तारीख 9 जनवरी, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नाम निर्दिष्ट "शीर्षक के नीचे क्रम संख्यांक 21 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"21. डा० वी०के० भार्गव,
निदेशक, चिकित्सा शिक्षा,
इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय,
शिमला।"

[सं० वी 11013/11/93-एम ई (यूजी)]

अमरजीत सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 17th December, 1993

S.O. 213.—Whereas in pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) the Central Government in consultation with the Government of Himachal Pradesh, have nominated Dr. V. K. Bhargava, Director, Medical Education, Indira Gandhi Medical College to be member of the Medical Council of India with effect from the date of issue of this notification.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health, No. S.O. 138 (No. 5-13/59-MI), dated the 9th January, 1960 namely :—

In the said notification, under the heading "Nominated under clause (a) of sub-section (1) of section 3" for serial number 21 and the entry relating thereto the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

"21. Dr. V. K. Bhargava,
Director Medical Education,
Indira Gandhi Medical College,
Shimla."

[No. V-11013/11/93-ME(UGE)]

AMARJIT SINGH, Dy. Secy.

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1993

का. आ. 214.—दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का एक) की धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री मीर नसरुल्लाह को 25-10-93 के बाद दिल्ली नगर कला आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्हें तीन वर्ष की और कार्यकालावधि होने के निर्णय तक कार्य करते रहने का अनुमोदन करती है।

[सं. ए-11013/4/83-डी. डी. वी / वी. VI] बी. दास
सहायक नियंत्रक (व्यवसाय)
Asstt. Controller (Business)
आर० दैनर्जी, निदेशक सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
पटियाला लाईन, दिल्ली-54
Patiala Lines, Delhi-54

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

New Delhi, the 19th November, 1993

S.O. 214.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (one of 1974), the Central Government hereby approves the continuance of Shri Mir Nasrullah as Chairman, Delhi Urban Art Commission after 25-10-1993 till a view is taken for giving him a fresh three years term.

[No. A-11013/4/83-DDVB[VI]IB[JA]

R. BANNERJI, Director

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1993

का. आ. 215:—केन्द्रीय सरकार का, दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय (डिवीजनल) विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में, यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अन्दर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई. एन. ए., नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज सकता है। आपत्ति करने/सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम एवं पता भी अवश्य दें।

संशोधन :

"योजना डिवीजन "एफ" उप जोन एफ-8 (ओखला) में पड़ने वाले और दक्षिण में रेलवे क्वार्टरों से, पश्चिम में सी. सी. आई. ग्राईडिंग इकाई से, उत्तर में डी. टी. सी. कम्पाउंड वाल से और पूर्व में मथुरा आगरा रेलवे लाइन से घिरे 39 हैक्टेयर (96.33 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "महानगर यात्री टर्मिनल (23.7 हैक्टेयर) जिला पार्क (9.8 हैक्टेयर) समाज सदन (2.1 हैक्टेयर) और मुख्य योजना मार्ग (परिवहन) (3.4 हैक्टेयर)" से "गोदाम और डिपो (आई सी. डी.)" में इस शर्त पर बदलने का प्रस्ताव है कि ले-आउट प्लान में दर्शाए गए 39 हैक्टेयर में से 6 हैक्टेयर (14.82 एकड़) क्षेत्र को हरित क्षेत्र के रूप में रखा जाए और उसका रख-रखाव किया जाए।"

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य-दिवसों में उपनिदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ-3 (41)/89—एम. पी.]

वी. एम. वंगल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 31st December, 1993

S.O. 215.—The following modification, which the Central Government proposes to make in the Master Plan/Zonal (Divisional) Development Plan for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objections/suggestions in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi, within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objections/suggestions should also give his name and address.

"The land use of an area, measuring 39 ha. (96.33 acres) falling in Planning Division 'F' sub-zone F-8 (Okhla) and bounded by Railway quarters in the South, CCI grinding unit in the West, DTC compound wall in the North and Mathura Agra Railway Line in the East, is proposed to be changed from 'Metropolitan Passenger Terminal (23.7 ha.) District Parks (9.8 ha.) Community Centre (2.1 ha.) and Master Plan Road (Transportation) (3.4 ha.)" to 'Warehousing and Depots (ICD)' subject to that 6 ha. (14.82 acres) to be retained and maintained as green out of 39 ha. as shown in layout plan."

2. The plan indicating the proposed modification, will be available for inspection at the office of the Deputy Director, Master Plan Section, 6th Floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi, on all working days within the period referred above.

[No. F. 23(41)/89-MP]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1993

का. आ. 216 :—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में, यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति अथवा सुझाव इस सूचना के जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अन्दर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई. एन. ए., नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज दे। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम एवं पता भी अवश्य देना चाहिए।

संशोधन

दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र के भाग-2, खंड-3, उपखंड (2) के पृष्ठ 121 पर निम्नलिखित व्यवस्था है :—

भूमि उपयोग		भूमि की %
आवासीय	—	45–55
व्यावसायिक	—	3–4
औद्योगिक	—	6–7
मनोरंजनात्मक	—	15–20
सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	—	8–10
परिचालन	—	10–12

इसे निम्नलिखितानुसार बदलने का प्रस्ताव है :—

भूमि उपयोग		भूमि की %
आवासीय	—	48–58
व्यावसायिक	—	5–6 (2% सेवा उद्योग के लिए)
मनोरंजनात्मक	—	15–20
सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	—	10–12
परिचालन	—	10–12

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य-दिवसों में उपनिदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, विकास मीनार, छठी मंजिल, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ-20 (19)/93-एम. पी.]

वी. एम. बंसल, आयुक्त एवं सचिव

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 31st December, 1993.

S.O. 216.—The following modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi 2001. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modifications may send the objections/suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi within a period of 30 days from the date of this notice. The person making objections/suggestions should also give his name and address.

MODIFICATIONS :

At page 121 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1-8-90 which reads as follows :

Land Use	% of Land
Residential	45—55
Commercial	3—4
Industrial	6—7
Recreational	15—20
Public & Semi public facilities	8—10
Circulation	10—12

is proposed to be replaced by the following as under :

Land Use	% of Land
Residential	48—58
Commercial	5—6 (2% of for service industry)
Recreational	15—20
Public and Semi public facilities	10—12
Circulation	10—12

2. The proposed modification will be available for inspection in the office of the Deputy Director, Master Plan Section, 6th Floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi on all working days during the period referred above.

[No. F. 20(19)/93-MP]

V.M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

Attested
सहायक निदेशक (व्यावसाय)
Asstt. Director (Business)

भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईंस, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/94

Regd. REGISTERED NO. DL-33001/94

22/2/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 22, 1994/माघ 2, 1915.
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 22, 1994/MAGHA 2, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1993

का.आ. 245.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोवा राज्य सरकार की सहमति से, जो गृह विभाग (साधारण) अधिसूचना सं. 2/84/92-एच.डी. (जी.) तारीख 13-10-1993 द्वारा दी गई थी, पुलिस थाना कैनाकोने, गोवा में भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख के साथ पठित धारा 397, 302 के अधीन दांडिक मामला सं. 40/92 के अपराधों के रजिस्ट्रीकरण और अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण गोवा राज्य पर करती है।

[संख्या 228/55/93-ए.वी.डी.-II]
पराग प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)

ORDER

New Delhi, the 30th December, 1993

S.O. 245.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Goa vide their Home Department (General) Notification No. 2/84/92-HD(G) dated 13-10-1993 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Goa for registration and investigation of the offences in Criminal Case No. 40/92 under Section 397, 302 read with 120-B; Indian Panel Code, of Police Station, Canacone, Goa.

[No. 228/55/93-AVD.II]
PARAG PRAKASH, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1993

(आयकर)

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)

का.आ. 246.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (V)

भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईंस, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

MODIFICATION :

"Area bounded by Najafgarh Road on North-West; Pankha Road and Janakpuri Scheme on North Rewari Line on East and Oil-Pipe Line on the South-West, is changed from 'agricultural and rural use, zone to :—

1.	Residential	1228.00 ha.
2.	Commercial	156.81 ha.
	(a) Commercial 61.81 ha.	
	(b) Service Centre 45.00 ha.	
3.	Govt. Use	61.51 ha.
4.	Public/semi-public	265.71 ha.
5.	Public utility	43.68 ha.
6.	Recreational	481.10 ha.
7.	Transportation	497.32 ha.
		3052.00 ha.

[No. K. 13011/3/88-DDIIAAIB]
S. C. SAGAR, Under Secy.

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1994

का. आ. 277.—दिल्ली विकास (मुख्य योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना) नियम, 1959 के नियम 5 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 18 (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की क्षेत्रीय विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने तथा उसके प्रकाशन के लिए सूचना।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :—

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के "चार दीवारी शहर" (जोन "ए" व जोन "सी" का भाग) के लिए एक क्षेत्रीय विकास योजना प्रारूप तैयार कर लिया गया है :

और

(ख) उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, भूतल, विकास मीनार में आगे पैरा 3 में उल्लिखित तारीख तक सभी कार्य दिवसों के दौरान प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक उपलब्ध होगी।

2. इस प्रारूप योजना के सम्बन्ध में एतद्द्वारा आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।

3. आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप में आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, नई दिल्ली 23, को सन् 1994 के फरवरी महीने की 20 तारीख से पहले भेजें।

आपत्ति/सुझाव भेजने वाले व्यक्ति को अपना नाम एवं पता भी अवश्य देना चाहिए।

[फाईल सं. एफ. 1 (28)/92-जे. पी.]

विपिन मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

Asstt Controller (Business)

PUBLIC NOTICE

Govt of India

New Delhi, the 14th January, 1994

S.O. 277.—Notice under section 10(1) of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) read with rule 5 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959, of the preparation and publication of the draft of the Zonal Development Plan for the National Capital Territory of Delhi.

Notice is hereby given that :

(a) A draft of a Zonal Development Plan for, Zone Walled City (Part of Zone 'A' and part of Zone 'C') in the National Capital Territory of Delhi has been prepared.

(b) A copy thereof will be available for inspection of the office of the Delhi Development Authority, on Ground Floor, Vikas Minar between hours of 11 A.M. to 5 P.M. on all working days till the date mentioned in para 3 hereinafter.

2. Objection and suggestions are hereby invited with respect to this draft plan.

3. The objecion or suggestion may be sent in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, New Delhi-23 before the 20th day of February, 1994.

Any person making the objection or suggestion should also give his name and address.

[F. No. F. 1(28)-92-ZP]
V. M. BANSAL, Commissioner cum Secy.

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1994

का. आ. 278.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव देना हो, तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अन्दर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई. एन. ए., नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज सकता है। आपत्ति करने/सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पूरा डाक पता भी देना चाहिए।

संशोधन :—

(1) "भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-II के खण्ड—3 के उपखंड (ii) दिनांक 1-8-90 के पृष्ठ 163 पर निर्दिष्ट भूखण्ड के न्यूनतम आकार को 30 वर्गमीटर से 16 वर्ग मीटर में परिवर्तित किया जाना है।

(2) 50 वर्ग मीटर से 100 वर्ग मीटर के आकार के भूखण्ड की श्रेणी, जो इस समय भारत के असाधारण राजपत्र भाग—II के उपखण्ड (ii) दिनांक 1-8-90 के पृष्ठ 162 पर विनियमों में शामिल नहीं है, को शामिल किया जाए।"

दिल्ली मुख्य योजना—2001 में निर्दिष्ट उपयुक्त उपबन्ध केवल मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र के लिए लागू होगा, जहां आवंटन पहले ही किया जा चुका है।

(2) दिल्ली मुख्य योजना—2001 की एक प्रति, जिसमें प्रस्तावित संशोधन को समाविष्ट किया गया है

Deputy Director (Plg.)
Delhi Development Authority
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी।

[सं. एफ. 20 (10) 93/एम. पी.]

वी. एम. बंसल, आयुक्त एवं सचिव

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 14th January, 1994

S.O. 278.—The following modification which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objections/suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi, within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The person making objections/suggestions should also give his name and complete postal address.

MODIFICATION:

(i) "The minimum size of plot to be changed from 30 sq. mt. to 16 sq. mt. at page 163 of the Gazette of India, extraordinary Part II Section 3, sub-section (ii) dated 1-8-90.

(ii) The category of 50 sq. mt. to 100 sq. mt. plot size which is presently not including in the regulations at page 162 of the Gazette of India extraordinary Part II sub-section (ii) dt. 1-8-90 is to be included.

The above proviso in the MPD-2001 will only be applicable for Mayapuri Industrial Area where allotments have already been made.

2. A copy of MPD-2001 incorporating the proposed modification will be available for inspection in the office of the Deputy Director, Master Plan Section, 6th Floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi on all working days during the period referred above.

[No. F-20(10)93/MP]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1993

का. आ. 279.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 22-12-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011/112/87-डी-2 (ए)]

एच० एस० गौड़, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd December, 1993

S.O. 279.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1 Bombay as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on 22-12-93.

[No. L-12011/112/87/D-IIA]

H. S. GOUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, BOMBAY

PRESENT :

Shri Justice R. G. Sindhakar, Presiding Officer.

REFERENCE NO. CGIT-27 OF 1988

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bank of Baroda

AND

Their workmen

APPEARANCES :

For the Management : Shri D'Souza, Officer of the Bombay Chamber of Commerce.

For the Workmen : Shri A. P. Kulkarni, Advocate

INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 24th day of November, 1993

AWARD

Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, as by letter dated 20-4-1988 made following reference to this Tribunal under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

"Whether the action of the management of Bank of Baroda in granting sick leave to five workmen and subsequently treating the same on loss of pay instead of adjustment in future accrual/balance of earned leave is justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled to?"

2. Five employees on the establishment of Bank of Baroda, Gulalwadi Branch have contended that though sick leave was sanctioned and they were paid management later by an order dated 12-3-1986, directed deduction from the monthly salary of these employees amount which were paid to the employees for the period for which, they were sanctioned sick leave. This position is not disputed by the management and the management's contention is that the leave which was in excess of the entitlement came to be sanctioned and they were paid for that period and therefore, it was required to be recovered. The employees contention is that the management ought to have adjusted the overdrawn sick leave with the future accrual or with the balance of earned leave. That was the policy of the Bank, the Bank departed from this and caused loss to the employees by deducting amount from their wages. Reliance is placed also upon para no. 15.14 of chapter XV of the Leave Rules. According to the employees, in accordance with that the sick leave should have been adjusted against their future accrual. It is also contended that they have not been heard before taking this action.

3. It is also contended that the employees were suffering from Jaundice due to consumption of contaminated water at Gulalwadi Branch and the Bank informed all the five workmen concerned that they can avail six months full pay sick leave at any time. It is because of this assurance that the workmen concerned applied for leave and the same was duly sanctioned. The action of the management, is challenged on this ground also.

4. It has been also contended that the action is an unfair labour practice and amounts to victimisation against the employees who have changed their allegiance from the Bank's panel Union namely Bank of Baroda Employees Federation and had joined INTUC affiliated Union.

5. The Bank has denied the averments about unfair labour practices and assurance given. According to the management the period of absence was treated as extraordinary as no ordinary leave was due to them and that extraordinary was on loss of pay and amount was recovered in installments to minimise hardship. The staff members asked for more easy instalments and that request was also considered favour-

Department of Publication
सिविल लाईंस, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 1, 1994/फाल्गुन 10, 1915
No. 100] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 1, 1994/PHALGUNA 10, 1915

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1994

का.आ. 207 (अ) :—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण, अनुबंध 1 एवं 2 के अनुसार, उप राज्यपाल, दिल्ली, जिनके पक्ष में भारत सरकार, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और शहरी विकास मंत्रालय (स्वास्थ्य और शहरी विकास विभाग), नई दिल्ली द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या 18011(28) 67-यू.डी. दिनांक 14-2-69 द्वारा धारा 57 के अन्तर्गत शक्तियां प्रदत्त की जा चुकी हैं, के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा अद्यतन यथा संशोधित दिल्ली डवलपमेंट एथोरीटी (सेलरीज, एलाउन्सेज एण्ड कन्डीशन्स आफ सर्विसेज) रेगुलेशन, 1961 के रेगुलेशन 12 तथा रेगुलेशन 15 की अनुसूची में संशोधन करता है।

अनुबंध 1

विनियम 15 की अनुसूची

सेवा-पद का विवरण	नियुक्ति करने वाले अधिकारी	दंड देने में सक्षम अधिकारी	दण्ड	अपील न्यायाधिकरण
1	2	3	4	5
समूह "क"				
(1) भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों को छोड़ कर, ऐसे अधिकारी जिनके वेतन अथवा वेतनमान का अधिकतम 6700रु. के समान अथवा उससे अधिक हो	अध्यक्ष	अध्यक्ष	सभी	शहरी विकास मंत्रालय

1	2	3	4	5
(2) भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों को छोड़ कर, ऐसे अधिकारी जिनके वेतन अथवा वेतनमान का अधिकतम 6700 रु. से कम हो परन्तु 4000 रु. से कम न हो।	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सभी	अध्यक्ष
समूह "ख"	दि.वि.प्रा. के कोई भी पूर्णकालिक सदस्य	दि.वि.प्रा. के कोई भी पूर्णकालिक सदस्य	सभी	उपाध्यक्ष
समूह "ग"	आयुक्त (कार्मिक)	(1) आयुक्त (कार्मिक) (2) अन्य आयुक्त मुख्य अभियंता मुख्य लेखाधिकारी	सभी मामूली दण्ड	दि.वि.प्रा. के सभी पूर्णकालिक सदस्य
समूह "घ"	निदेशक (कार्मिक)	(1) निदेशक (कार्मिक) (2) अभिशासी अभियंता	सभी मामूली दण्ड	आयुक्त (कार्मिक)

टिप्पणी :

(क) इस विनियम के लिए "वेतन" का अर्थ यह है, जो एफ.आर. 9(21)(ए) (आई.) में निर्धारित किया गया है,

(ख) पद के वेतन अथवा वेतनमान से तात्पर्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित वेतन अथवा वेतनमान से है,

(ग) सामान्य वेतन संशोधन के कारण जब वेतनमान संशोधित होंगे तो उपर्युक्त वेतनमान को ऊपर की ओर संशोधित माना जाएगा और पद के वर्गीकरण के साथ-साथ वेतनमान उपर्युक्त के अनुसार यथावत रहेगा।

अनुबन्ध 2

दिल्ली विकास प्राधिकरण (वेतनमान, भत्ते एवं सेवा-शर्तें) विनियम, 1961

"पदों का वर्गीकरण :

12. प्राधिकरण में नियुक्ति, नियंत्रण एवं अनुशासन के उद्देश्य से सेवा एवं पद निम्नानुसार वर्गीकृत होंगे

क्रम सं.	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
1	2	3
1.	ऐसे वेतन या वेतनमान वाले पद जिनका अधिकतम 4000 रु. से कम न हो।	समूह "क"
2.	ऐसे वेतन या वेतनमान वाले पद जिनका अधिकतम 2900 रु. से कम न हो किन्तु 4000 रु. से कम हो।	समूह "ख"

1	2	3
3.	ऐसे वेतन या वेतनमान वाले पद जिनका अधिकतम 1500—रु. से कम नहीं है किन्तु 2900—रु. से कम हो।	समूह "ग"
4.	ऐसे वेतन या वेतनमान वाले पद जिनका अधिकतम 1500—रु. से कम हो।	समूह "घ"

टिप्पणी — (क) इस विनियम के उद्देश्य से वेतन का अभिप्राय एफ.आर. 9(21) (क) (i) में निर्धारित से है;

(ख) किसी पद के वेतन या वेतनमान का अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित वेतन या वेतनमान से है;

(ग) जब भी वेतनमान में संशोधन सामान्य वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप होगा तो उल्लिखित वेतनमान को तदनुसार ऊपर की ओर संशोधित माना जाएगा ताकि पदों के वर्गीकरण के साथ-साथ उपर्युक्त के अनुसार वेतनमान वही रहे।

[डी.डी.ए./एफ.2(728)/97—एच.सी./लीगल/पार्ट]

विश्व मोहन बंसल, सचिव
(दिल्ली विकास प्राधिकरण)

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION)

New Delhi, the 1st March, 1994

S.O. 207(E).—In exercise of the powers conferred by section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority, with the previous approval of the Lt. Governor, Delhi, in whose favour powers under Section 57 has been delegated vide Notification No. 18011(28)/67-UD dated 14-2-1969 issued by the Governmen of India, Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Department of Health and Urban Development), New Delhi, hereby amend Regulation 12 and the schedule to Regulatino 15 of the Delhi Development Authority (Salaries, Allowances and conditions of Service) Regulations, 1961, as amended upto date, as per Annexure-I & II.

ANNEXURE—I

SCHEDULE TO REGULATION 15

Title of service of post	Appointing	Authority empowered to impose penalty	Penalties	Appellate Authority
Group 'A'				
(i) Carrying a pay of or a scale of pay the maximum of which is equivalent to or over Rs. 6700/- except those appointed by the Govt. of India.	Chairman	Chairman	All	Ministry of Urban Development.
(ii) Carrying a pay of or a scale of pay, the maximum of which is less than Rs. 6700/- but not less than Rs. 4000/- except those appointed by Govt. of India.	Vice-Chairman	Vice-Chairman	All	Chairman
Group 'B'	Any full time member of DDA	Any full time member of DDA.	All	Vice-Chairman
Group 'C'	Commr. (Pers)	1. Commr.(Pers.) 2. Other Commissioners/Chief Engineers/CAO.	All Minor penalties	Any full time member of DDA
Group 'D'	Dir. (Pers.)	1. Dir. (Pers.) 2. Executive Engineers	All Minor penalties	Commr. (Pers.)

Note : (a) For the purposes of this regulation 'pay' has the meaning assigned to it in F.R. 9(21)(a)(i);

(b) The pay or scale of pay of a post means the pay as scale of pay prescribed by the Authority ;

(c) As and when pay scales are revised, consequent on general pay revision, the scale of pay mentioned above will be deemed to have been revised upwards accordingly so that scale of pay vis-a-vis classification of posts remain the same as above.

ANNEXURE–I"

The Delhi Development Authority (Salaries, Allowances & Conditions of Service) Regulation, 1961.

"Classification of posts" 12. The services and posts under the Authority shall, for purpose of appointment, control and discipline, be classified as follows:

S.No.	Description of posts	Classificatiof of posts
1.	A post carrying a pay of or a scale of pay the maximum of which is not less than Rs. 4000/-	Group 'A'
2.	A post carrying a pay of or a scale of pay the maximum of which is not less than Rs. 2900/- but is less than Rs. 4000/-	Group 'B'
3.	A post carrying a pay of or a scale of pay the maximum of which is not less than Rs. 1500/- but is less than Rs. 2900/-	Group 'C'
4.	A post carrying a pay of or a scale of pay the maximum of which is less than Rs. 1500/-.	Group 'D'

Note : (a) For the purposes of this regulation 'pay' has the meaning assigned to it in F.R. 9(21)(a)(i);

(b) The pay or scale of pay of a post means the pay or scale of pay prescribed by the Authority;

(c) As and when pay scales are revised, consequent on general pay revision, the scale of pay mentioned above will be deemed to have been revised upwards accordingly so that scale of pay vis-a-vis Classification of posts remain the same as above.

[DDA/F2 (728)/97/HC/Legal/PT]

V.M. BANSAL, Secy. (Delhi Development Authority).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994

रजिस्ट्री संख्या सी. एल.—33001/94

REGISTERED NO. DL-33001/94

H.C. (G.D. Unit)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 12, 1994/फाल्गुन 21, 1915
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 12, 1994/PHALGUNA 21, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

न्यायिक खंड

सूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1994

का.आ. 668—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री हाड़को वालिबा नरहरी एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे निफड़ और नासिक जिला, (महाराष्ट्र) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(9)/94-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

Judicial Section

NOTICE

New Delhi, the 7th January, 1994

S.O. 668.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance if Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Hadape Valiba Narhari, Advocate for appointment as a Notary to practise in Nephad & Nasik, Distt. (Maharashtra).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[F. No. 5(9)/94-Jud.]

P. C. KANNAN Competent Authority

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
811 Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों की डाक विभाग में सम्पदा अधिकारियों के बतौर कार्य करने हेतु नियुक्ति को भारत के राजपत्र के भाग II खंड-3(ii) दिनांक 11-9-93 में प्रकाशित किया गया था, में पृष्ठ सं. 5 क्रम सं. 18 पर इलाहाबाद क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) के सामने निम्नलिखित परिवर्तन किया जाये।

क्रम सं.	सर्किल का नाम	अधिकारियों का पदनाम	क्षेत्राधिकार
18	उत्तर प्रदेश	सहायक महानिदेशक डाक सेवाएं (स्था. एवं जांच) इलाहाबाद क्षेत्र	इलाहाबाद क्षेत्र :

[सं. 2-119/90-भवन]

ए. के. सिंह, सहायक महानिदेशक (पी. एम. ई.)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th January, 1994

S.O. 703.—In the Notification issued under the Directorate Office of even No. dated 28-1-92 in respect of the Central Govt. Gazetted Officers appointed to act as Estate Officers in the Department of posts published in Gazette of India in Part-II-3(ii) dated 11-9-93. The followirg changes may be made against sl. No. 18 page 5 against Allahabad Region (Uttar Pradesh).

Sl. No.	Name of Circle	Designation of the Officers	Territorial Jurisdiction
18	Uttar Pradesh	Asstt. Director Postal Services (Estt. & Inv.) Allahabad Region	Allahabad Region

[No. 2-119/90-Bldg.]

A.K. SINGH, Asstt. Director General (PME)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1994

का.आ. 704.—केन्द्र सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना—2001 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति अथवा सुझाव इस सूचना के जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अन्दर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन "बी" ब्लाक, आई. एन. ए., नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज दें आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम एवं पता भी अवश्य देना चाहिए।

संशोधन :

(1) भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड-3, उपखंड (2) दिनांक 1-8-90 के पृष्ठ 155 (बाईं ओर के कालम) पर (बी)(2) के अंत में "ए-3 ग्रामीण जोन (ए-2 सहित)" के अन्तर्गत निम्नलिखित को जोड़ा जाना प्रस्तावित है :

"मोटल उसके संबंध में बनाए गए विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी उपयोग जोनों और 60 मीटर न्यूनतम चौड़ाई वाले अन्तर्राज्यीय मार्गों अथवा उनके समानान्तर चलने वाले सेवा मार्गों के सभी उपयोग जोनों में अनुमत है।"

(2) भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड-3, उपखंड (2) दिनांक 1-8-90 के पृष्ठ 171 (बाईं ओर के कालम) पर "0.33 (मोटल्स)" शीर्षक के अन्तर्गत परिभाषा को निम्नानुसार बदलने का प्रस्ताव है :—

"विशेष रूप से सड़क यात्रियों के खानपान, ठहरने, विश्राम एवं मनोरंजन तथा संबंधित कार्य-कलापों को पूरा करने के लिए तैयार एवं प्रचालन परिसर।"

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाली दिल्ली मुख्य योजना—2001 की प्रति निरीक्षण के लिए उपयुक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य-दिवसों में उप-निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, विकास मीनार, छठी मंजिल, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगी।

[सं. एफ. 20(4)83—एम. पी.]

वी. एम. बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 25th February, 1994

S.O. 704.—The following modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi-2001, is hereby published for public information, any person having any objections/suggestions with respect to the proposed modifications may send the objections/suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, I.N.A., New Delhi, within a period of 30 days from the date of this notice. The person making objections/suggestions should also give his name and address.

MODIFICATIONS :

(i) On page 155 (left hand column) of the Gazette of India, extraordinary part II, section 3, sub-section (ii) dated 1-8-90 under heading "A-3 Rural Zone (including A-2)" at the end of (b)(ii), the following is proposed to be added :

"Motel is permitted as per Regulations made on that behalf in all use zones on National Highways and Inter State Roads of a minimum width of 60 mtrs. or service roads running parallel to them."

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
नई दिल्ली-54

(ii) On page 171 (left hand column) of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) dated 1-8-90 under the headings '033(Motels)', the definition is proposed to be replaced as under:

"A premises designed and operated especially to cater to the boarding, lodging, rest and recreation and related activities of travellers by road."

2. A copy of the MPD-2001, Gazette of India, incorporating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Deputy Director, Master Plan Section, 6th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi on all working days during the period referred above.

[F. 20(4)83-MP]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1994

का.आ. 705.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डिविजनल इंजीनियर, टेलीकाम, रेलवे इलैक्ट्रिफिकेशन सवाईमाधोपुर के प्रबन्धतंत्र के सबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कोटा के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को (.....) को प्राप्त हुआ था।

[सं०एल-40012/63/89-डी. II 2-(बी) पार्ट]

के. वी. बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 1st February, 1994

S.O. 705.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Kota as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Divisional Engineer Telecom, Rly. Electrification, Sawaimadhopur and their workmen, which was received by the Central Government.

[No. L-40012/63/89-D.II(B)(Pt.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबंध

न्यायाधीश, औद्योगिर न्यायाधिकरण, कोटा राज०

निर्देश प्रकरण क्रमांक: ओ० न्या० (केन्द्रीय)-5/1990

दिनांक स्थापित : 25-1-90

प्रसंग : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक [संख्या एल-40012/63/89—डी—2 (बी)] दिनांक 19/1/90

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

मध्य

Attested

बत्तीलाल पुत्र श्री मरबूदिया गूजर गांव कोठारी पोस्ट आफिस मलारना जिला सवाईमाधोपुर।

—प्रार्थी श्रमिक

एवं

डिविजनल इंजीनियर, टेलीकाम, रेलवे इलैक्ट्रिफिकेशन, माधोपुर।

प्रतिपक्षी नि

उपस्थित

श्री जगदीश नारायण शर्मा,

आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिनिधि—श्री एन. के.

प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से —कोई उपस्थित नह

अधिनिर्णय दिनांक : 9 जून, 1993

अधिनिर्णय

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा निम्न निर्देश औद्यो विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे तदुपरान्त "अधि 1947 के सम्बोधित किया जायेगा) की धारा 10 (घ) व उपधारा (2—क) के अन्तर्गत इस न्यायाधि को अधिनिर्णयार्थ सम्प्रेषित किया गया है:

"Whether the action of the Divisional Engineer, com, Railway Electrification, Sawaimadhop terminating the services of Shri Battilal S/c Habudiya Gujar w.e.f. 30-7-1987 is justified not, what relief the workman is entitled to ?"

2. निर्देश न्यायाधिकरण में प्राप्त होने पर दर्ज स्टर किया गया व पक्षकारों को सूचना भिजवाई प्रार्थी श्रमिक बत्तीलाला ने अपने बारे में कहा है कि प्रतिपक्षी नियोजक डिविजनल इंजीनियर टेलीकाम इलैक्ट्रिफिकेशन, सवाईमाधोपुर द्वारा 1-8-85 से बेतन पर नियोजित किया गया था और उसने प्रति के यहां 28-7-87 तक निरन्तर कार्य किया, इस तरह इस अवधि में 240 दिन से अधिक दिवस तक काम चुका था, पर 29-7-87 से प्रतिपक्षी ने उसे बिना कारण बताये और बिना पूर्व सूचना के नौकरी से नि दिया। नौकरी से निकलने से पूर्व श्रमिक को न तो माह का नोटिस अथवा नोटिस वेतन दिया गया मुआवजा दिया गया न प्रस्तावित किया गया। इस प्र अधिनियम, 1947 की धारा 25-एफ की पालन न क श्रमिक को अवैध रूप से सेवा से हटाया गया है।

3. दिनांक 22-8-92 को प्रतिपक्षी पर नोटिस तामील हो चुकी थी परन्तु इससे आगे नियत तार 26-9-92 को प्रतिपक्षी की ओर से कोई उपस्थित न हुआ इसलिए प्रतिपक्षी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही गयी।

4. प्रार्थी बत्तीलाला ने अपने शपथ-पत्र में क के तथ्यों का समर्थन करते हुए कहा है कि उसे 1-8-

सहायक नियंत्रक (बी)/(हिन्दी)
Asstt Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54

रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/94

REGISTERED NO. DL-33001

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 26, 1994/चैत्र 5, 1916
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 26, 1994/CHAITRA 5, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1993
(आयकर)

का. आ. 770.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-छ की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "श्री रंगनाथ पेरुमल टेम्पल, तिरूनीरमलाई, मद्रास" को सम्पूर्ण तमिलनाडु, राज्य में एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 9493/फा. सं. 176/46/93 आयकर नि-I]
शरत चन्द्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
New Delhi, the 9th December, 1993
(INCOME-TAX)

S.O. 770.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Sri Ranganatha Perumal Temple, Thiruneermalai, Madras" to be a place of Public Worship of renown throughout the State of Tamil Nadu for the purposes of the said clause.

[Notification No. 9493/F. No. 176/46/93-IT(AI)]
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1994
(आयकर)

का. आ. 771.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "मारथोमा सिरिअन चर्च आफ मालाबार, केरल" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात :-

(i) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है

(ii) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों की संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा

प्रकाशन विभाग
Department of Publication
पत्रिका लाईन, दिल्ली-54
Periodicals Lines, Delhi-54

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1994

का. आ. 796.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2) में प्रकाशित निम्नलिखित राजपत्र अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा जनता की सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने आपत्तियों/सुझावों को देने की निर्धारित 60 दिनों की अवधि में 30 दिन की अवधि और बढ़ा दी गई है। यथार्थतः अब् आपत्तियों/सुझावों को देने की अवधि प्रारम्भिक अधिसूचनाओं सार्वजनिक नोटिसों की तारीख से 90 दिनों की है।

क्रम सं.	विषय	सार्वजनिक सूचना	एस. ओ. सं.	तिथि
1.	नई दिल्ली के बंगलो जोन का निरूपण एवं विकास नियंत्रण मानदण्ड	एफ 20(5)92—एमपी	2880	25-12-93.
2.	जोन बी शहरी विस्तार करोलबाग के लिए क्षेत्रीय विकास योजना प्रारूप	एफ 1(18)92 जेड़पी	94	8-1-94
3.	जोन एफ (दक्षिण दिल्ली 1 के लिए क्षेत्रीय विकास योजना प्रारूप	एफ 1(22)92 जेड़पी	217	15-1-94
4.	जोन चार दीवारी के शहर (भाग ए एवं बी) के लिए क्षेत्रीय विकास योजना प्रारूप	एफ 1(28)92 जेड़पी	277	22-1-94

[एफ 20 (5) 93—एमपीं पार्ट I]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

FOR PUBLIC INFORMATION

New Delhi, the 18th March, 1994

S.O.796.—In partial modification of the following Gazette notifications published in the Gazette of India, Part II section 3 sub-section (ii), it is hereby notified for information of the public that the Lt. Governor of Delhi has extended the period of 30 days prescribed therein for filing objections/suggestions by 60 days, precisely speaking the total period for filing the objections/suggestions is now 90 days from the date of initial notifications/public notices.

S. No.	Subject	Public Notice No.	S.O. No.	Date
1.	Delineation of Bungalow Zone of New Delhi and Development control norms.	F 20 (5) 92—MP	2880	25-12-93
2.	Draft Zonal Development Plan for Zone B (city extension-Karol Bagh).	F 1 (18) 92—ZP	94	8-1-94
3.	Draft Zonal Development Plan for Zone F (South Delhi-I).	F 1 (22) 92—ZP	217	15-1-94
4.	Draft Zonal Development Plan for Zone Walled City (Part A&C).	F 1 (28) 92—ZP	277	22-1-94

[F. 20 (5) 92—MP—Pt. I]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secretary

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1994

का.आ. 797—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, उसे दिनांक 9-2-94 को प्राप्त राजस्थान स्टेट टंगस्टन डवलपमेंट कार्पो. प्रबन्धन के संबंध कर्मकारों और नियोक्ताओं के बीच हुए औद्योगिक विवाद के संबंध में अनुबन्ध में यथोक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण बीकानेर के पंचाट को प्रकाशित करती है।

[सं. एल-29012/25/89-आई. आर. (विविध)]

बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 2nd March, 1994

S.O. 797.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bikaner as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Rajasthan State Tungsten Development Corp. Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on 9-2-94.

[No. L-29012/25/89-IR(Misc.)]

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)

B. M. DAVID, Desk Officer

Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/94

Received from GOI Press.....
on REGISTERED. NO. DL-33001/94

H.C. (G.D.) (Hair)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 18] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 30, 1994/वैशाख 10, 1916
No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30, 1994/VAISAKHA 10, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

COMPLETED

पूरा कर लिया गया है

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1994

का.आ. 1003.—केन्द्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 6 के उपबन्धों के अनुसरण में, अपने द्वारा नियुक्त किये गये और वर्ष 1994 के प्रारंभ में विधि व्यवसायरत नोटरियों की सूची प्रकाशित करती है:—

क्रम सं.	नोटरी का नाम	आवास और व्यवसाय की	अर्हताएं	वह क्षेत्र जिसमें वह विधि व्यवसाय करने के लिये प्राधिकृत है,
1	2	3	4	5
1.	सर्वश्री श्रीवल्लभ अन्नेशिर मगरेट	मगरेट एंड कं., अन्नीमैंशन, नरसिंघजी मास्टर रोड, मेरोल गेट फोर्ट, बंबई	अधिवक्ता बंबई	संपूर्ण भारत
2.	भगवती प्रसाद	सेतानसहायक नियंत्रक (व्यवसाय), 2, रसेल स्ट्रीट, कलकत्ता Asstt Controller (Business)	एटर्नी एट ला कलकत्ता उच्च न्या.	संपूर्ण भारत

भारत सरकार

914 GI/94—1. (1295)

Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

1	2	3	4	5	6
Kalkha (Concld.)		8			
		5	0	06	83
		6	0	09	36
		1			
		3	0	02	78
		8	0	09	36
		18	0	10	12
		13	0	03	79
		19	0	02	53
		22/2	0	02	78
		23	0	00	25
		134			
		16	0	00	08
		25	0	04	55
		135			
		10	0	04	30
		11	0	09	36
		20/1	0	01	77
		20/2	0	03	54
		21	0	05	56
		142			
		1	0	00	25
		143			
		5	0	02	53
		154	0	04	55
		155	0	00	76
		159	0	02	53
		163	0	04	05
		242	0	07	33
		265	0	00	76
Lohari	42	9			
		17	0	03	04
		24	0	05	06
Sutana	23	66			
		5	0	04	05
		6	0	11	89
		15	0	01	2
		16	0	01	7
		17	0	05	06
		195	0	05	06
Untla	44	14			
		16/1	0	04	05
		16/2	0	00	76
		18	0	03	04
		19	0	03	79
		21/2	0	01	01
		23	0	06	07
		25	0	09	11
		27			
		2/1	0	04	05
		2/2	0	03	29
		3/1	0	01	52
		3/2	0	02	53
		6/1	0	06	07
		6/2	0	03	01
		9	0	06	83
		10	0	00	03
		11	0	06	58
		12	0	03	04
		14	0	00	51
		15	0	03	29
		87	0	08	85
		98	0	02	53
		258	0	02	78
Asan Khurd	22	24			
		9	0	03	29
		12	0	09	11
		19/1	0	04	05
		19/2	0	00	76
		22	0	09	11
		34			
		0	9	06	58
		38			
		4	0	04	30
		7	0	01	52
		14	0	03	29
		71	0	03	54
		77	0	04	30
		132	0	01	01
Asan Kalan	21	85			
		1	0	02	78
		10/1	0	01	77
		10/2	0	01	01
		11	0	03	29
		202	0	00	51
		203	0	00	51

[No. R-31015/2/94-OR-I]

KULDIP SINGH, Under Secy.

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1994

का. आ. 1017:—दिल्ली मुख्य योजना में केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित किए हैं, जिन्हें एतद्द्वारा जनता की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव देना हो तो वह अपनी अपत्तियों/सुझावों को लिखित रूप में इस सूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के अंदर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई. एन. ए., नई दिल्ली को भेज सकता है। आपत्ति करने/सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी देना चाहिए।

(1) दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (2), जो दिल्ली मुख्य योजना-2001 से संबंधित है, पृष्ठ सं. 102

पर समूह "ज" निषिद्ध उद्योग (क) खतरनाक/हानिकारक औद्योगिक इकाइयां सलूलोज उत्पाद शीर्ष के अन्तर्गत "फल" उपशीर्ष के अंतर्गत "एबटवाआर्स" शब्द को हटाया जाना प्रस्तावित है।

(2) नरेला योजना में पड़ने वाले और उत्तर में खामपुर और सिंघोला गांव की राजस्व सीमा से, पूर्व में नाला सं. 6 से, पश्चिम में जी. टी. करनाल रोड से घिरे और दक्षिण में सिंघोला की सीमा से 300 मीटर की दूरी पर 24 हैक्टेयर (59.3 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "कृषि और जल निकाय" (ग्रामीण उपयोग) से "—विनिर्माण (व्यापक उद्योग)" में बदलने का प्रस्ताव है।"

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाले नक्शे सहित मुख्य योजना दिल्ली—2001 के भारत के राजपत्र की एक प्रति निरीक्षण के लिए उपनिदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली के पास सभी कार्य दिवसों में उपर्युक्त अवधि के दौरान उपलब्ध होगी।

[एफ. 3 (143)/82-एम. पी.]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 30th April, 1994

S.O. 1017.—The following modifications which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi, are hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modifications may send the objections/suggestions in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi within a period of 30 days from the date of issue o fthis notice. The person making the objection/suggestion should also give his name and address :

MODIFICATIONS :

(i) "At page 180 of the Gazette of India Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1-8-90 of MPD-2001, under heading Group 'H' Prohibited Industries (a) Hazardous/Noxious industrial units cellulosic products under sub-heading 'Fruits', the word 'Abattoirs' is proposed to be deleted".

(ii) "The land use of an atea measuring 24 ha. (59.3 acres) falling in Narela scheme and bounded by revenue boundary of village Khampur and Singhola in the North, drain No. 6 in the East, G. T. Karnal Road in the West and 300 mtrs. depth from the boundary of Singhola in the South, is proposed to be changed from 'agricultural and water body' (rural use) to 'manufacturing extensive industry)"

2. A copy of the MPD-2001, Gazette of India as well as plan indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Deputy Director, Master Plan Section, 6th floor, I. P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred above.

[No. F. 3(143)/82-MP]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secretray

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1994

का. आ. 1018.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उसे दिनांक 24/3/94 को प्राप्त विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट प्रबंधन के संबंध में उनके कर्मकारों और नियोक्ताओं के बीच हुए औद्योगिक विवाद के संबंध में अनुबंध में यथोक्त औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है।

[सं. एल-34011/8/88-डी.-III-बी]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 31st March, 1994

S.O. 1018.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Hyderabad, as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Visakhapatnam Port Trust and their workmen, which was received by the Central Government on 24-3-1994.

[No. L-34011/8/88-D.III(B)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD

PRESENT :

Shri V. Venkatachalam, M.A., B.L.,
Indstrial Tribnal-I.

Dated : 1st day of March, 1994

Industrial Dispute No. 7 of 1992

BETWEEN :

Port & Dock Employees Association (Regd. No. D-3/70) represented by its General Secretary, Sri V. Ramana-man, Rama Padma Nivas, 1st No. 25-32-3, upstair Dandu Bazar, Maharanipet, Visakhapatnam-530022. ...Petitioner

AND

Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईंस, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

Attested
Advocate
(Business)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94

REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 1994/ज्येष्ठ 6, 1916
No. 227] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 1994/JYAISTHA 6, 1916

दिल्ली विकास प्राधिकरण

शुद्धि पत्र

दिल्ली, 19 मई, 1994

सा. का. नि. 478 (अ) :—अधिसूचना संख्या डी. डी. ए./एफ. 2(728)/97/एच. सी./लीगल/पार्ट दिनांक 1 मार्च, 1994 में आंशिक संशोधन करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त अधिसूचना के हिन्दी रूपान्तर के अनुबन्ध-1 में समूह "ग" और "घ" के संबंध में कालम सं. 4 में दोनों स्थानों पर छपे "सभी मामूली दण्ड" के स्थान पर "सभी" शब्द पढ़े जाएं और इसके अतिरिक्त उक्त अनुबन्ध-1 कालम सं. 1 में उल्लिखित क्रमशः समूह "ग" और समूह "घ" पदों की सेवाओं के लिए

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

कालम सं. 3 में (2) और पुनः (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों के संबंध में कालम सं. 4 में छोड़े गए खाली स्थानों पर "मामूली दन्ड" शब्द पढ़े जाएं।

[संख्या डी. डी. ए./एफ. 2 (728)/97/एच. सी./लीगल/पार्ट]

आदेशानुसार,
विश्व मोहन बंसल, सचिव
दिल्ली विकास प्राधिकरण

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307] नई दिल्ली, सोमवार, जून 20, 1994/ज्येष्ठ 30, 1916
No. 307] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 20, 1994/JYAISTHA 30, 1916

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 1994

का. आ. 456 (अ).—शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या—एच—11013/12/82—डी. डी. वी. ए. दिनांक 19 जून, 1990 के द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को, दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबंध एवं निपटान), विनियम, 1968 के विनियम 19 में संशोधन करने के लिए आदेश दिए हैं। तदनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने संकल्प संख्या 126/92 के द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबंध एवं निपटान) विनियम, 1968 के विनियम 19 में संशोधन कर दिया है। बाद में भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय

ने सरकार से इसके प्रकाशन के पश्चात् संशोधित विनियम के कार्यान्वयन के लिए अपना अनुमोदन करने का अनुरोध किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबंध एवं निपटान) विनियम, 1968 का संशोधित विनियम 19 निम्न प्रकार है :—

"आवंटिती/अवक्रेता (हायरर) को सम्पत्ति की स्थिति के बारे में आपत्ति करने का रोक है :—

प्राधिकरण किराया खरीद अथवा बिक्री के समय मौजूदा स्थिति में सम्पत्ति प्रदान करने का प्रस्ताव करेगा। आवंटिती अथवा अवक्रेता (हायरर) सम्पत्ति की स्थिति के सम्बन्ध में भली-भांति जानकारी प्राप्त कर लेगा और उसे बाद में सम्पत्ति की स्थिति के बारे में शिकायत करने अथवा आपत्ति करने अथवा कोई दावा प्रस्तुत करने की रोक होगी बशर्ते कि दि. वि. प्रा. ने उस सम्पत्ति को अपने खर्च पर ठीक करवा दिया हो :—

(1) वर्षा के कारण रिसाव, सीलन और टपकने जैसे दोष, सम्पत्ति का कब्जा लेने की तिथि के बाद बारिश का एक मौसम बीत जाने अथवा छह महीने, जो भी बाद में हों, के अन्दर लिखित में दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में लाए गए हों।

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लगायी गयी सेनेटरी अथवा जल-आपूर्ति अथवा बिजली की दोष पूर्ण फिटिंग से रिसाव, सीलन और टपकने जैसे दोष सम्पत्ति के कब्जा लेने की तिथि से छह माह के अन्दर लिखित में दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में लाए गए हों।"

[फा. सं. —एफ 2 (62)/90/पी एण्ड सी आ]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव
(दिल्ली विकास प्राधिकरण)

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 1994

S.O. 456(E).—The Govt. of India, Ministry of Urban Development, vide its letter No. H-11013/12/82-DDVA dated 19th June 1990, asked Delhi Development Authority to amend REGULATION 19 of Delhi Development Authority (Management & Disposal of Housing Estates), Regulation 1968. Accordingly, the Delhi Development Authority vide its resolution No. 126/92 has amended the

regulation 19 of Delhi Development Authority (Management & Disposal of Housing Estates), Regulation 1968. Subsequently, the Govt. of India, Ministry of Urban Development vide its letter No. H-11013/12/82-DDVA dated 20-7-93, has conveyed their approval for implementation of the amended Regulation after publication in the Gazette. The amended Regulation 19 of Delhi Development Authority (Management & Disposal Housing Estates), Regulation 1968 is as under :—

"Allottee/Hirer precluded from objecting to property circumstances :

The Authority shall offer the property on Hire-purchases or Sale on the basis of property circumstances that exist at the time. The allottee or Hirer shall fully make himself conversent with the property circumstances and he shall be precluded from making complaint or raising objections or setting up claims regarding the property circumstances at any subsequent stage, provided that DDA shall set right, at its own cost :

(i) Such defects of seepage, dampness and leakage on account of rain as are brought to the notice of the DDA, in writing upto the period of passing of One mansoon season or six months, whichever is later, from the date of taking over possession of the property ;

(ii) Such defects of seepage, dampness and leakage from sanitary or water supply fittings, as well as the defective electrical fittings fitted by DDA, as are brought to the notice of the DDA, in writing, within six months from the date of taking over possession of the property".

[F. No. F2(62)90/P&C(H)]

VISHAV MOHAN BANSAL, Commr-cum-Secy.
(D.D.A.)

Printed by the Manager Govt. of India Press Ring Road, Mava Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994

185

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94

REGD. NO D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307] नई दिल्ली, सोमवार, जून 20, 1994/ज्येष्ठ 30, 1916
No. 307] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 20, 1994/JYAISTHA 30, 1916

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 1994

का. आ. 456 (अ).—शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या—एच—11013/12/82—डी. डी. वी. ए. दिनांक 19 जून, 1990 के द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को, दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबंध एवं निपटान), विनियम, 1968 के विनियम 19 में संशोधन करने के लिए आदेश दिए हैं। तदनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने संकल्प संख्या 126/92 के द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबंध एवं निपटान) विनियम, 1968 के विनियम 19 में संशोधन कर दिया है। बाद में भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय

ने राजपत्र में उसके प्रकाशन के पश्चात् संशोधित विनियम के कार्यान्वयन के लिए अपना अनुमोदन जारी किया था। संघ का एच—11013/12/82/डी. डी. वी. ए. दिनांक 20-7-93 के द्वारा दे दिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबंध एवं निपटान) विनियम, 1968 का संशोधित विनियम 19 निम्न प्रकार है:—

"आवंटिती/अवक्रेता (हायरर) को सम्पत्ति की स्थिति के बारे में आपत्ति करने की रोक है:—

प्राधिकरण किराया खरीद अथवा बिक्री के समय मौजूदा स्थिति में सम्पत्ति प्रदान करने का प्रस्ताव करेगा। आवंटिती अथवा अवक्रेता (हायरर) सम्पत्ति की स्थिति के सम्बन्ध में भली-भांति जानकारी प्राप्त कर लेगा और उसे बाद में सम्पत्ति की स्थिति के बारे में शिकायत करने अथवा आपत्ति करने अथवा कोई दावा प्रस्तुत करने की रोक होगी बशर्ते कि दि. वि. प्रा. ने उस सम्पत्ति को अपने खर्च पर ठीक करवा दिया हो:—

(1) वर्षा के कारण रिसाव, सीलन और टपकने जैसे दोष, सम्पत्ति का कब्जा लेने की तिथि के बाद बारिश का एक मौसम बीत जाने अथवा छह महीने, जो भी बाद में हों, के अन्दर लिखित में दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में लाए गए हों।

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लगायी गयी सेनेटरी अथवा जल-आपूर्ति अथवा बिजली की दोष पूर्ण फिटिंग से रिसाव, सीलन और टपकने जैसे दोष सम्पत्ति के कब्जा लेने की तिथि से छह माह के अन्दर लिखित में दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में लाए गए हों।"

[फा. सं. —एफ 2 (62)/90/पी एण्ड सी आ]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव
(दिल्ली विकास प्राधिकरण)

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 1994

S.O. 456(E).—The Govt. of India, Ministry of Urban Development, vide its letter No. H-11013|12|82-DDVA dated 19th June 1990, asked Delhi Development Authority to amend REGULATION 19 of Delhi Development Authority (Management & Disposal of Housing Estates), Regulation 1968. Accordingly, the Delhi Development Authority vide its resolution No. 126/92 has amended the

regulation 19 of Delhi Development Authority (Management & Disposal of Housing Estates), Regulation 1968. Subsequently, the Govt. of India, Ministry of Urban Development vide its letter No. H-11013/12/82-DDVA dated 20-7-93, has conveyed their approval for implementation of the amended Regulation after publication in the Gazette. The amended Regulation 19 of Delhi Development Authority (Management & Disposal Housing Estates), Regulation 1968 is as under :—

"Allottee/Hirer precluded from objecting to property circumstances :

The Authority shall offer the property on Hire-purchases or Sale on the basis of property circumstances that exist at the time. The allottee or Hirer shall fully make himself conversent with the property circumstances and he shall be precluded from making complaint or raising objections or setting up claims regarding the property circumstances at any subsequent stage, provided that DDA shall set right, at its own cost :

(i) Such defects of seepage, dampness and leakage on account of rain as are brought to the notice of the DDA, in writing upto the period of passing of One mansoon season or six months, whichever is later, from the date of taking over possession of the property ;

(ii) Such defects of seepage, dampness and leakage from sanitary or water supply fittings, as well as the defective electrical fittings fitted by DDA, as are brought to the notice of the DDA, in writing, within six months from the date of taking over possession of the property".

[F. No. F2(62)90/P&C(H)]

VISHAV MOHAN BANSAL, Commr-cum-Secy.
(D.D.A.)

Printed by the Manager Govt. of India Press Ring Road, Mayu Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994

रजिस्ट्री संख्या डी. एस.—33001/94

REGISTERED NO. DL-33001/9

H.C. (G.S.) Unit

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सांविधार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 27, 1994/भाद्र 5, 1916
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 27, 1994/BHADRA 5, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Page is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1994

का.आ. 2012:—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सतिन्दर सिंह सेखोन की हत्या के संबंध में सदर पुलिस थाना, अम्बाला में रजिस्टर्ड एफ.आई.आर. सं. 89 दिनांक 16-7-94 के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34, 201 और 449 तथा शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25/30/54/59 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों और उक्त अपराधों और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अन्य अपराधों के संबंध में या उनसे संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों के अन्वेषण के लिए हरियाणा सरकार के गृह विभाग के आदेश सं. 9/83/94-9 एच जी- II दिनांक 8 अगस्त, 1994 के नहन हरियाणा सरकार की सहमति से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण संपूर्ण हरियाणा राज्य पर करती है

[सं. 228/39/94-ए.वी.डी-II.]

आर.एस. बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

ORDER

New Delhi, the 8th August, 1994

S.O. 2012.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of Haryana vide Government of Haryana, Home Department

Asstt Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

1	2	3	4	5
	3069	—	08	10
	3070	—	—	72
	2309/3796	—	15	30
	3067/3831	—	01	80
	28	3	20	42

[No. L-14016/6/94-G.P.]
ARDHENDU SEN, Director

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1994

का.आ. 2083.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली के मुख्य योजना-2001/जोन "डी" (नई दिल्ली) की (डिवीजनल) विकास योजना में निम्नलिखित न करने का प्रस्ताव है, जिन्हें जनता की जानकारी के तद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । प्रस्तावित संशोधनों संध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/सुझाव हो तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव को इस सूचना के जारी के बाद 30 दिन की अवधि के अन्दर लिखित रूप में , दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास भवन, "बी" ब्लाक, एन.ए., नई दिल्ली को भेज दें । आपत्ति करने/सुझाव वाले व्यक्ति को अपना नाम एवं पता भी देना चाहिए।

संशोधन

1. "सब-जोन डी-2 (माता सुंदरी क्षेत्र) के अंतर्गत वाले और पूर्व में 30.48 मी. चौड़े मार्गाधिकार रोड, में 36.58 मी. चौड़े दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, में सर्विस लेन और उत्तर में सार्वजनिक एवं अर्द्ध-निक उपयोग से घिरे हुए लगभग 1.50 हेक्टेयर 70 एकड़) क्षेत्र का भूमि उपयोग "मनोरंजनात्मक उपयोग" सार्वजनिक और अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं (सामाजिक सांस्कृतिक) में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है ।"

2. सबजोन डी-4 (संसद मार्ग क्षेत्र) के अंतर्गत आने और उत्तर में प्लाट नं. 5, दक्षिण में प्लाट नं. 1, में 11.5 मीटर सर्विस लेन और पश्चिम में 36.58 चौड़े जंतर मंतर रोड से घिरे हुए लगभग 1.00 र (2.47 एकड़) प्लाट नं. 3 जंतर मंतर रोड के उपयोग को "सार्वजनिक और अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं आवासीय उपयोग" में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित

3. सबजोन डी-4 (संसद मार्ग क्षेत्र) के अंतर्गत आने और उत्तर में प्लाट नं. 7, दक्षिण में प्लाट नं. 3, में 11.5 मी. सर्विस लेन, और पश्चिम में 36.58 मी. जंतर मंतर रोड से घिरे हुए लगभग 1.00 हैक्टेयर 47 एकड़) प्लाट नं. 5 जंतर मंतर रोड का भूमि

उपयोग "सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं" से "आवासीय उपयोग" में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है ।"

4. "सब-जोन डी-5 (डी.आई.जैड. क्षेत्र) के अंतर्गत आने वाले और उत्तर में आवासीय क्षेत्र, दक्षिण में हैवलक रोड, पूर्व में 45.7 मी. चौड़े मार्केट रोड और पश्चिम में आवासीय क्षेत्र से घिरे हुए लगभग 1.17 हैक्टे. (2.78 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "आवासीय उपयोग" से "सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं" में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है ।"

5. "सब जोन डी-13 (चाणक्यपुरी) के अंतर्गत आने वाले और उत्तर में 24 मी. चौड़े मार्गाधिकार, दक्षिण में रेलवे क्षेत्र, पूर्व में चाणक्यपुरी समाज सदन (यशवंत प्लेस) और पश्चिम में 21 मी. चौड़ रोड से घिरे हुए लगभग 6.00 हैक्टेयर (14.82 एकड़) क्षेत्र का भूमि उपयोग "मनोरंजनात्मक उपयोग" से "आवासीय उपयोग" (राज्य अतिथि गृह) में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है ।"

प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला नक्शा उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य दिवसों में निरीक्षण के लिए संयुक्त निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ. 20(14)/93-एमपी]
विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 27th August, 1994

S.O. 2083.—In following modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan-2001/Zonal (Divisional) Development Plan of Zone 'D' (New Delhi) for Delhi, are hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modifications may send the objecion/suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi, within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making objection/suggestion should also give his name and address.

MODIFICATIONS

1. "The land use of an area measuring about 1.50 Ha. (3.70 acres) falling in sub-zone D-2 (Mata Sundari Area) and bounded by 30.48 mtrs. wide R/W road in the East, 36.58 mtrs. wide Din Dayal Upadhyay Marg in the South, Service Lane in the West and Public and semi public use in the North is proposed to be changed from 'recreational use' to 'public and semi public facilities' (Social and cultural).

2. "The land use of an area measuring about 1.00 Ha. (2.47 acres) of plot no 3 Jantar

Attested
नायक (वाणिज्य)
Assistant (Business)

भारत सरकार
Government of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
नई दिल्ली-54
New Delhi-54

Mantar Road falling in sub zone D-4 (Parliament Street Area) and bounded by plot no. 5 in the North, plot no. 1 in the South, 11.5 mtrs. Service Lane in the East and 36.58 mtrs. wide Jantar Mantar Road in the West, is proposed to be changed from 'public and semi public facilities' to 'residential use'."

3. "The land use of an area measuring about 1.00 Ha. (2.47 acres) of plot no. 5 Jantar Mantar Road falling in sub zone D-4 (Parliament Street Area) and bounded by plot no. 7 in the North, Plot no. 3 in the South, 11.5 mtrs. Service Lane in the East and 36.58 mtrs. wide Jantar Mantar Road in the West, is proposed to be changed from 'Public and semi public facilities' to 'residential use'."

4. "The land use of an area measuring about 1.17 Ha. (2.78 acres) falling in Sub-Zone D-5 (DIZ Area) and surrounded with residential area towards the North, Havlock Road in the South, 45.7 mtrs. wide Market Road in the East and Residential Area in the West, is proposed to be changed from 'residential use' to 'public and semi public facilities'," (Social and cultural).

5. "The land use of an area measuring about 6.00 Ha. (14.82 acres) falling in sub-zone D-13 (Chanakyapuri) and bounded by 24 mtrs. wide R/W road in the North, Railway Area in the South, Chanakyapuri Community Centre (Yashwant Place) in the East and 24 mtrs. wide road in the West, is proposed to be changed from 'recreational use' to 'residential use'," (State Guest Houses).

2. The plan indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of Joint Director Master Plan Section, 6th floor, Vikas Minar, I. P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred above.

[No. F. 20(14/93-MP]
V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1994

का.आ. 2084.—केन्द्रीय सरकार का, दिल्ली की मुख्य योजना/क्षेत्रीय (जोनल) विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अन्दर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई.एन.ए., नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज सकता है । आपत्ति करने/सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम एवं पूरा पता भी अवश्य दें ।

संशोधन :

पूल पहलाद पुर गांव में 13.97 हैक्टेयर (34.50 एकड़) क्षेत्रफल भूमि जो दो पॉकेटों में है, (i) 'पॉकेट "ए" 4.07 हैक्टेयर (10.05 एकड़) में फैला हुआ है और उत्तर-पश्चिम में महरौली बदरपुर रोड़, दक्षिण-पश्चिम तथा दक्षिण-पूर्व का "ग्रामीण उपयोग" जोन और उत्तरपूर्व में 30 मीटर चौड़ी सड़क से घिरा हुआ है और (ii) पॉकेट "बी" का क्षेत्रफल 9.90 हैक्टेयर (24.25 एकड़) है और यह क्षेत्र उत्तर-पश्चिम में निर्मित क्षेत्र, दक्षिण-पश्चिम में 30 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण-पूर्व में दिल्ली संघ-शासित प्रदेश की सीमा से और उत्तर-पूर्व में "ग्रामीण उपयोग" से घिरा हुआ है—के भूमि उपयोग को "मनोरंजनात्मक (क्षेत्रीय पार्क)" से "आवासीय" में बदला जाना प्रस्तावित है ।

2. "0.84 हैक्टेयर (2.07 एकड़) क्षेत्रफल भूमि को, जो उत्तर में रेलवे यार्ड, दक्षिण में डी.टी.सी. डिपो नांगलोई, पूर्व में उद्योग नगर औद्योगिक क्षेत्र और पश्चिम में सुरजमल स्टेडियम से घिरी हुई है—"मनोरंजनात्मक उपयोग" से "सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं (समशान भूमि)" में बदला जाना प्रस्तावित है ।"

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य-दिवसों में संयुक्त निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, विकास मीनार, छठी मंजिल, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा ।

[सं. एफ. 20(6)/86-एम.पी.पार्ट]
वी.एम. बंसल, आयुक्त एवं सचिव

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 27th August, 1994

S.O. 2084.—The following modifications which the Central Government proposes to make in the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi, are hereby published for public information. Any person having any objections/suggestions with respect to the proposed modifications may send the objections/suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, I.N.A., New Delhi within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making objection/suggestions should also give his name and complete postal address.

MODIFICATIONS

1. "The land use of an area measuring 13.97 ha. (34.50 acres) at village Pul Pahlad Pur in two pockets i.e. (i) Pocket-A measuring 4.07 ha. (10.05 acres) and bounded by Mehrauli Badarpur Road on the North West, Rural use' zone of the South West and [illegible] and 30 m wide road on the North (ii) Pocket B measuring 9.90 ha. (24.25 acres) bounded by Built up area

सहायक नियंत्रक (व्यवसाय)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

on the North West, 30 m wide road on South-West, Delhi Union Territory boundary on South East, and 'Rural use' zone on the North-East, is proposed to be changed from 'Recreational' (Regional park) to 'Residential'."

2. "The land use of an area measuring 0.84 ha. (2.07 acres) bounded by Railway Line in the North, D.T.C. Depot Nangloi in the South, Udyog Nagar Industrial Area in the East and Suraj Mal Stadium in the West is proposed to be changed from 'recreational use' to 'Public and semi public facilities' Cremation ground)".

e plans indicating the proposed modifications will ailable for inspection at the office of the Joint or Master Plan Section, Vikas Minar, 6th floor, ata, New Delhi on all working days within the referred above.

[No. F. 20(6)/86-MP-Pt.]
V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

नई दिल्ली, 05 अगस्त, 1994

का.आ. 2085.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बम्बे पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2, बाम्बे के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 05-08-94 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-31012/2/90-आई.आर. (मिसलेनियस)]
के.वी.बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th August, 1994.

S.O. 2085.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay as shown in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bombay Port Trust, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th August, 1994.

[No. L-31012/2/90-IR(Misc.)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/26 of 1990

Employers in relation to the Management of Bombay Port Trust, Bombay.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers : Shri M. B. Anchan, Advocate.

For the Workmen : Shri S. R. Wagh, Advocate.

INDUSTRY : Ports and Docks. STATE : Maharashtra.

Bombay, dated 22nd July, 1994

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, New Delhi by its Order No. L-31012/2/90-IR (Misc.) dated September 1990 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :

"Whether the management of Bombay Port Trust, Bombay, in relation to its Railway Engineering Section at Bombay, were justified in reverting Shri P. N. Sarpate, Asstt. Fitter, w.e.f. 9-5-1987 to the post of Gangman by promoting Shri G. G. Maghade ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. After the reference the parties were duly served with notices. The workman through the Union Secretary, Transport and Dock Workers' Union filed its claim at Ex. 2.

3. The Union contended that Shri Punjaram Nathu Sarpate, Assistant Fitter, is in the employment of the Bombay Port Trust, in its Railway Engineering Section at Bombay. In that section there is a post of Assistant Fitter. This post is reserved for Scheduled Caste workers. It is to be filed up from the eligible candidates from the category of Gangman who were already in the services of Bombay Port Trust.

4. The post of Assistant Fitter fell vacant. The workman had already passed the Departmental Test and made him eligible for promotion post of Assistant Fitter in the year 1979. He produced necessary caste certificate. After proper scrutiny the Bombay Port Trust promoted the workman to the post of Assistant Fitter with effect from 20th August, 1986. He worked in that capacity upto 9th May, 1987. The workman asserted that without assigning any reason he was reverted to Gangman and one Shri Gulab Ganpat Magade, Gangaman was promoted as Assistant Fitter in place of the workman with retrospective effect from 18-10-86.

5. On the representation of the workman, the Union wrote a letter to Bombay Port Trust to reconsider its decision of reverting the workman. But it was of no use. Hence, a dispute was raised to the Regional Labour Commissioner, Bombay in a conciliation proceeding nothing could take place, hence the matter was sent to the Central Government with a failure report. Thereafter the dispute was sent to the Tribunal for adjudication.

6. The workman contended that the action of the management is arbitrary, unjust and uncalled for. He prayed that, the order of reverting him to Gangaman be set aside and he be reinstated as Assistant Fitter with effect from 9-5-87 with all other benefits of the post.

7. The management denied the claim of the worker by its Written Statement Ex. 3. It is contended that there were two other Gangmen of the Scheduled Caste who were Senior to the workman. They were also eligible for the said promotion. At a relevant time they had not produced their Caste Certificate, it is, therefore, the workman, Sarpate was promoted on an Ad-hoc basis. After their filing of the Certificate, the matter was kept before the management and after due consideration Maghade was promoted and Sarpate was reverted to the post of Gangaman. It is on the basis of the Chairman's order that Junior should not be promoted ignoring the claims of the seniors. It is submitted that the action of the management is perfectly legal and proper.

8. My Learned Predecessor framed Issues at Ex. 4. The Issues and my findings thereon are as follows :—

ISSUES	FINDINGS
(1) Whether the management of Bombay Port Trust, Bombay in relation to its Railway Engineering Section, Bombay were justified in reverting Shri P. N. Sarpate, Assistant Fitter with effect from 9-5-1987 to the post of Gangman by promoting Shri G. G.Maghade ?	No.
(2) If not, what relief is the concerned workman entitled to ?	As per Award.
(3) What Award ?	As per Award.

सहायक निदेशक (वाणिज्य)
Assistt. Director (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/94

REGISTERED NO. DL-33001/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 3, 1994/भाद्र 12, 1916
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 3, 1994/BHADRA 12, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (Other than Miuistry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1994

का. आ. 2094.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत कब्जाधिकारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार अपर पुलिस उप-महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, बंगलौर (कर्नाटक) को भारत सरकार के एक राजपत्रित अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, ग्रुप केन्द्र, बंगलौर (कर्नाटक) के नियंत्रण या कब्जे के अधीन सरकारी परिसर के सम्बन्ध में, अपने क्षेत्राधिकार के स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत, सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, और उसके लिए दिए गए कर्तव्यों का पालन करेगा।

[सं. ए-2-8/93-प्रशा-I के.रि.पु.ब./पी. एफ-IV]

एन. के. सिन्हा, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 27th July, 1994

S.O. 2094.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Additional Deputy Inspector General of Police, Group Centre, Central Reserve Police Force, Bangalore (Karnataka), the officer being gazetted officer of the Government of India, to be an Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on estate officer by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction, in respect of the public premises under the control or occupation of the Central Reserve Police Force, Group Centre, Bangalore (Karnataka).

[No. A-II-8/93-Adm. I. CRPF/PF-IV]

N. K. SINHA, Director

(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1994

का. आ. 2095.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रबंध अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा मद्रास के सभाहर्ता को अपने राज्य के दायित्वों

Asstt. Controller (Business)

(3227)

1905 GI/94—1

भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

New Delhi, the 5th August, 1994

S.O. 2144.....—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Indian Medical Council Act ,1956 (102 of 1956), the Central Government after consultation with the Medical Council of India hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely :—

After the heading 'Berhampur University' and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be inserted , namely :—

'Barkatullah University', Bhopal.	
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery	MBBS
Doctor of Medicine (Physiology)	M.D. (Physiology)
Doctor of Medicine (Pharmacology)	M.D. (Pharmacology)
Doctor of Medicine (Medicine)	M.D. (Medicine)
Master of Surgery (Surgery)	M.S. (Surgery)
Diploma in Ophthalmic Medicine and Surgery	D.O.M.S.
Doctor of Medicine (Radiology)	M.D. (Radiology)
Diploma in Medical Radiology and Electrology.	D.M.R.E.
Diploma in Clinical Pathology	D.C.P.
Master of Surgery (Ophthalmology)	M.S. (Ophthalmology)
Master of Surgery (Orthopaedics)	M.S. (Orthopaedics)
Doctor of Medicine (Pathology)	M.D. (Pathology)
Master of Surgery (Anatomy)	M.S. (Anatomy)
Doctor of Medicine (Social and Preventive Medicine)	M.D. (SPM)
Doctor of Medicine (Obstetrics and Gynaecology)	M.D. (Obstetrics & Gynaecology)
Diploma in Orthopaedics	Dip. in Orthopaedics.
Diploma in Child Health	D.C.H.
Doctor of Medicine (Anaesthesiology)	M.D. (Anaesthesiology)
Diploma in Anaesthesiology	D.A.
Diploma in Forensic Medicine	D.F.M.
Doctor of Medicine (Forensic Medicine)	M.D. (Forensic Medicine)
Doctor of Medicine (Paediatrics)	M.D. (Paediatrics)

Note : — These qualifications shall be recognised medical qualifications when granted by the Barkatullah University in respect of students being trained at Gandhi Medical College, Bhopal.

[No. V-11015/6/94-ME(UG)]
S.K. MISHRA, Desk Officer

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1994

का. आ. 2145.—दिल्ली विकास (मुख्य योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना) नियम, 1959 के नियम 5 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 10(1) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की क्षेत्रीय विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने तथा उसके प्रकाशन के लिए सूचना ।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :—

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जोन डी (नई दिल्ली) के लिए एक क्षेत्रीय विकास योजना प्रारूप तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, भूतल, विकास मीनार में आने पैरा 3 में उल्लिखित तारीख तक सभी कार्य दिवसों के दौरान प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध होगी ।

2. इस प्रारूप योजना के सम्बन्ध में एतद्द्वारा आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं ।

3. आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप में आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, नई दिल्ली-23, को सन् 1994 के दिसम्बर महीने की 2 तारीख से पहले भेजें ।

आपत्ति/सुझाव भेजने वाले व्यक्ति को अपना नाम एवं पता भी अवश्य देना चाहिए ।

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Controller (Business)

[फाइल सं. एफ. 1(5)/91-जेड.पी.]
विन्ध मोहन बंगला, आयुक्त एवं सचिव

1905 GI/94 - 6

भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 26th August, 1994

S.O. 2145.—Notice under section 10(1) of the Delhi Development Act, 1957 (No. 51 of 1957) read with rule 5 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959, of the preparation and publication of the draft of the Zonal Development Plan for the National Capital Territory of Delhi.

Notice is hereby given that :

(a) A draft of a Zonal Development Plan for Zone D (New Delhi) in the National Capital Territory of Delhi has been prepared.

(b) a copy thereof will be available for inspection of the office of the Delhi Development Authority on Ground Floor, Vikas Minar between hours of 11 A.M. to 5 P.M. on all working days till the date mentioned in para 3 hereinafter.

2. Objections and suggestions are hereby invited with respect to this draft plan.

3. The objection or suggestion may be sent in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, New Delhi-23, before the 2nd day of December, 1994.

Any person making the objection or suggestion should also give his name and address.

[No. F1(5)/91-ZP]
V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secretary

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1994

का. आ. 2146.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एयर इण्डिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार और औद्योगिक अधिकरण, श्रम न्यायालय सं. 2, बंबई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-8-1994 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या-एल-11012/34/92-आईआर (विविध)/आईआर (कोल-I)]

सी. गंगाधरन, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 3rd August, 1994

S.O. 2146.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Labour Court No. 2, Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employees in relation to the management of Air India and their workmen, which was received by the Central Government on 3-8-1994.

[No. L-11012/34/92-IR (Misc.)/IR (Coal-I)]
C. GANGADHARAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer

Reference No. CGIT-2/57 of 1993

Employers in relation to the management of Air India

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Ms. K. Madhusmita : Advocate.

For the Workmen—(1) Mr. R. S. Masurekar Treasurer ACEU.

(2) Mrs. A. U. Pinge, Workman in person.

INDUSTRY : Civil Aviation STATE : Maharashtra

Bombay, the 7th July, 1994

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, New Delhi by its Order No. 11012/34/92-IR (Misc.) dated 14-6-92 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :

"Whether the action of the management of Air India in terminating the services of Mrs. Anjali U. Pinge Clerk-cum-Typist w.e.f. 25-8-89 is legal and justified ? If not what relief the concerned workman is entitled to ?"

2. The parties were duly served with notices. A statement of claim was filed by Air Corporation Employees' Union at Exh. W-2.

3. The opponent, the Air India did not file their Written Statement. On the contrary both of them filed consent terms at Exh. X-3. It was filed on 29-6-94. As the party concerned was not present the matter was adjourned. Today the concerned parties were present. They accepted the consent terms which was read and recorded.

4. In view of the consent terms the Reference does not survive. In the result I pass the following Award.

AWARD

The Reference is disposed of for non-prosecution.

No order as to costs.

S. B. PANSE, Presiding Officer

Ex. X/3

BEFORE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-II BOMBAY

Ref. No. CGIT-11/57 of 1993

Employers in relation to the Management of Air India

AND

Their Workmen

as represented by ACEU, Bombay.

CONSENT TERMS

May it please the Hon'ble Tribunal,

Ministry of Labour vide its Order bearing No. 11012/34/92-IR (Misc.) dated June 14, 1992 have referred the dispute mentioned in the Schedule referred for adjudication to the Presiding Officer, CGIT-II, Bombay.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Air India in terminating the services of Mrs. Anjali U. Pinge, Clerk-cum-Typist w.e.f. 25-8-1989 is legal and justified ? If not what relief the concerned workman is entitled to ?"

During the pendency of the proceedings before the Hon'ble Tribunal Bombay, the Secretary-Air Corporation Employees' Union (ACEU), Bombay representing on behalf of the concerned workman has taken up the matter again for bilateral discussions with the Management of Air India, and after series of discussions held between the parties the following terms and settlements have been arrived at :—

(i) Mrs. A. U. Pinge will be reinstated in service as Clerk in Stores and Purchases Department at the starting of pay scale of Typist/Clerk.

(ii) Mrs. Pinge will be on probation for a period of six months from the date of reporting for duty. Mrs. Pinge will be confirmed in service on the expiry of the probationary period of six months subject to her work and conduct being satisfactory during the probationary period.

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Assistant Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/94 REGISTERED NO. DL-33001/94

on 12/2/94

P.C.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

P.O. 350

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 10, 1994/भाद्र 19, 1916
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 10, 1994/BHADRA 19, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

सूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1994

का. आ. 2174.—नोटरीज नियम 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री खलील एस. शेख एडवोकट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे वीराड़, सोपाड़ा—वसाई क्षेत्र (महाराष्ट्र) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए ।

[सं. 5(94)/94-न्यायिक]
पी. सी. कण्णन्, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Department of Legal Affairs)
(Judicial Section)
NOTICE

New Delhi, the 29th July, 1994

S.O. 2174.—Notice is hereby given by the Competent Authority in persuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of he said Rules, by Sh. Khalil S. Shaikh Advocate for appointment as a Notary to practise in Virar Sopara-Vasai Region in the state of Maharashtra.

2. Any obection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned with for appointment as a Notary to practice in Virar Sopara-Vasai Region in the State of Maharashtra.

[F. No. 5(94)/94 Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority.

सूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1994

का. आ. 2175 नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सुश्री देवयानी एस. शाह, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे महाराष्ट्र में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए ।

[सं. 5(97)/94-न्यायिक]
पी. सी. कण्णन्, सक्षम प्राधिकारी

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt Controller (Business)
(3315)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 18th August, 1994

ORDER

S.O. 2297.—Whereas medical qualification MBBS, granted by University of Dublin, Republic of Ireland is a recognised medical qualification for the purpose of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).

And whereas Dr. R. C. Rigg, a British national who possesses the said qualification is at present attached to P. D. Hinduja National Hospital and Medical Research Centre, Bombay for charitable work.

Now, therefore, in pursuance of Clause (c) of the provisions of sub-section 1 of Section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies the period during which Dr. R. C. Rigg is attached to P. D. Hinduja National Hospital and Medical Research Centre, Bombay as one year or for duration of her assignment whichever is shorter, as the period for which the medical practice of the said doctor shall be limited.

[No. V-11016/5/94-ME (UG)]
S. K. MISHRA, Desk Officer

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1994

का.आ. 2298 —केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित कार्यालयों को, जिसमें 80% से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, जगदलपुर–494001 (म.प्र.)
2. क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, अनुसंधान प्रसार केन्द्र, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, गुमला–835207 (बिहार)।
3. केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, बुनियादी बीज गुणन एवं प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, पाली–495449, जिला बिलासपुर (म.प्र.)।
4. राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, सं. 708, सेक्टर 11, पंचकुला (हरियाणा)।
5. केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान प्रसार केन्द्र, सुजानपुर–145023, जिला गुरदासपुर (पंजाब)।

2. दिनांक 12-5-1994 की समसंख्यक अधिसूचना में प्रकाशित "4. राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना, रेशम कीट बीज उत्पादन केन्द्र, 767–बी.टी.सी. स्कीम, रानी रोड, उदयपुर–313001 (राजस्थान)" के स्थान पर "4. पी 2 फार्म गृह बीजागार, राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, फतहनगर–313205 (राजस्थान)" पढ़ा जाए।

सहायक नियंत्रक (कार्यालय)

[सं. ई-11016/2/94-हिन्दी]

हरन दास उप सचिव

1959 GI/94—18.

प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली–54
Civil Lines, Delhi–54

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 10th August, 1994

S.O. 2298.—In pursuance of Sub-Rule 4 of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rule 1976 the Central Government hereby notifies the following offices under the Ministry of Textiles more than 80 per cent staff have acquired working knowledge of Hindi :—

1. Regional Tasar Research Station, Central Silk Board, Jagdalpur-494001 (M.P.).
2. Regional Sericulture Research Station, Research Extension Station, Central Silk Board, Gumala-835207 (Bihar).
3. Central Tasar Research and Training Institute, Basic Seed Multiplication and Training Institute, Central Silk Board, Pali-495449, Distt. Bilaspur (M. P.).
4. National Sericulture Project, Central Silk Board, No. 708, Sector 11, Panchkula (Haryana).
5. Central Sericulture Research and Training Institute, Research Extension Station, Sujanpur-145023, Distt. Gurdaspur (Punjab).

2. "4. National Sericulture Project, Silk Warm Seed Production Centre, 767, B.T.C. Scheme, Rani Road, Udaipur-313001 (Raj.)" published in the Notification of even number dated 12-5-1994 may be read as "4. P 2 Farm-cum-Grainage, National Sericulture Project, Central Silk Board, Fatehnagar-313205 (Rajasthan).

[No. E-11016/2/94-Hindi]
CHARAN DASS, Dy. Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1994

का.आ. 2299.—दिल्ली विकास (मुख्य योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना) नियम, 1959 के नियम 5 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 10(1) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की क्षेत्रीय विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने तथा उसके प्रकाशन के लिए सूचना।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :—

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जोन "ई" (यमुना पार क्षेत्र) के लिए एक क्षेत्रीय विकास योजना प्रारूप तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, भूतल विकास मीनार में आने पैरा 3 में उल्लिखित तारीख तक सभी कार्य दिवसों के दौरान प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध होगी।

2. इस प्रारूप योजना के सम्बन्ध में एतद्द्वारा आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।

3. आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप में आयुक्त एवं सचिव दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, नई दिल्ली-23 को सन् 1994 के दिसम्बर महीने की 9 तारीख से पहले भेजे।

आपत्ति/सुझाव भेजने वाले व्यक्ति को अपना नाम एवं पता भी अवश्य देना चाहिए।

[फाइल संख्या एफ 1(21) 92 जैड० पी०]

विजय मोहन शंगल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st September, 1994

S.O. 2299.—Notice under section 10(1) of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) read with rule 5 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959 of the preparation and publication of the draft of the Zonal Development Plan for the National Capital Territory of Delhi.

Notice is hereby given that :

(a) A draft of a Zonal Development Plan for Zone 'E' (Trans Yamuna Area) in the National Capital Territory of Delhi has been prepared.

(b) A copy thereof will be available for inspection of the office of the Delhi Development Authority, on Ground Floor, Vikas Minar, I. P. Estate, New Delhi, between hours of 11 A.M. to 5 P.M. on all working days till the date mentioned in para '3' hereinafter.

2. Objections and suggestions are hereby invited with respect to this draft plan.

3. The objection or suggestion may be sent in writing to the Commissioner-Cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi-23, before the 9th day of December, 1994.

Any person making the objection or suggestion should also give his name and address

[No. F. 1(21)/92-ZP]

V. M. BANSAL, Commissioner-Cum-Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1994

का.आ. 2300 —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार दक्षिण रेलवे के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-8-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41012/110/89-आई आर (डी०यू)/बी-I]

वी.के. शर्मा, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 22nd August, 1994

S.O. 2300.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Southern Railways and their workmen, which was received by the Central Government on the 12-8-94.

[No. L-41012/110/89-IR(DU)/B.I]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR COURT, BANGALORE

Dated, the 30th July, 1994

PRESENT :

Sri M. B. Vishwanath, B.Sc., B.L.,

CENTRAL REFERENCE NO. 44/90

I Party

Sri G. Govindappa
S/o Gopallappa,
Addiganahalli,
Singanaya Kanahalli Post,
Bangalore Cantonment,
Pin : 560 001

(By Sri C. S. Sathyanarayana, Advocate)

V/s.

II Party

The Chief Engineer,
Southern Railway (Const.),
Bangalore North Taluk,
Bangalore-560 001

(By Sri J. Nagaraj, Advocate)

AWARD

In this reference made by the Hon'ble Central Government by its order No. L. 41012/110/89-IR(DU) Dated 27-7-90 under Section 10(2A)(1)(d) of I.D. Act the point for adjudication as per schedule to reference is :—

"Whether the management of Southern Railway is justified in dismissing Sri G. Govindappa Casual Labour Khalasi from service w.e.f. 23-9-85? If not, what relief the workman is entitled to?"

2. The charge against I party workman is :—

The I party workman was on night duty on the night of 30/31-8-85 at Doddaballapur. When he was on night duty he intentionally opened the locks of cement shed at Doddaballapur and committed the of 10 bags of cement for the use of construction of the house of his brother-in-law.

3. In the claim statement it is contended :—

The I party workman was night watchman on 30/31-8-85 in the Doddaballapur depot unit. On 30/31-8-85 at about 2.00 a.m. Head Clerk/Stores, came with four unknown men, since they are not Railway workers and he ordered to open the cement shed and I party workman obeyed his orders. Hence the workman opened the lock of Shed No. 6. Thereafter he told the four strangers to take 10 bags of cement. Accordingly 4 strangers took 10 bags of cement from the cement shed and they loaded into the bullock cart and took away immediately. The work-

सहायक नियंत्रक (वित्त व्यय)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/94

REGISTERED NO. DL-33001/94

Received from GOI Press.....
on.....

H.C. (G.D. Unit)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 10, 1994/अग्रहायण 19, 1916
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 10, 1994/AGRAHAYANA 19, 1916

इस भाग को भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministeries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1994

का.आ. 3426.—1980 के अधिनियम 61 तथा 1984 के अधिनियम 35 के अनुसार यथा संशोधित लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 के 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पुनर्वास प्रभाग, गृह मंत्रालय में अवर सचिव श्री आर.एस. आहूजा को सरकार का राजपत्रित अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है। वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में प्लाट सं. ई-51-52, कीर्ति नगर, नई दिल्ली में स्थित लोक परिसर के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत इन शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कार्यों का निष्पादन करेंगे।

[सं. -1 (8)/94-बंदोबस्त]
पी.के. शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Rehabilitation Division)

New Delhi, the 14th November, 1994

S.O. 3426.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) as amended by Act 61 of 1980 and Act 35 of 1984, the Central Government hereby appoints Shri R. S. Ahuja, Under Secretary, Rehabilitation Division, Ministry of Home Affairs, being a Gazetted Officer of the Government, to be an Estate Officer for the purpose of the said Act. He shall exercise the powers and perform the duties of an Estate Officer under the said Act in respect of Public Premises, situated at the Plot No. E-51-52, Kirti Nagar, New Delhi in the National Capital Territory of Delhi.

[No. 1(8)/94-Settlement]
P. K. SHARMA, Director

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
(5141) Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Dep... of Publication
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

आदेश

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1994

का.आ. 3445:— रोकेंड मास्को स्टेट मेडिकल इंस्टिट्यूट यू एस एस आर द्वारा प्रदान की गई एम डी (फिजीशियन) आयुर्विज्ञान अर्हता, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजन के लिए एक मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता है :

और डा. तामरा आसकर, जिसके पास उक्त अर्हता है इस समय पूर्व कार्य के लिए भारतीय कैंसर सोसाइटी सोलापुर से संलग्न है ;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में,

(1) इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि, या

(2) उस अवधि को जिसके दौरान डा. तामरा आसकर, भारतीय कैंसर सोसाइटी, सोलापुर से संलग्न है ।

इन दोनों में से जो भी कम हो, ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिस तक उक्त डाक्टर द्वारा चिकित्सा व्यवसाय सीमित होगा ।

[संख्या वी. 11016/6/94-एम ई (यू जी)]

एस.के. मिश्रा, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 17th November, 1994

S.O. 3445.—Whereas the medical qualification M.D. (Physician) granted by 2nd Moscow State Medical Institute, U.S.S.R. is a recognised medical qualification for the purpose of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And, whereas, Dr. Tamara Ausekar who possesses the said qualification is at present attached to Indian Cancer Society, Solapur, for charitable work;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies,

(1) the period of one year from the date of issue of this notification, or

(2) the period during which Dr. Tamara Ausekar is attached to Indian Cancer Society, Solapur.

whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the said doctor shall be limited.

[No. V. 11016/6/94-ME(UG)]

S. K. MISHRA, Desk Officer

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1994

का.आ. 3446:— केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (सं के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 नियम 10 के उप-नियम 4 के अनुसरण में वस्त्र मंत्रालय अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित कार्यालयों को जिनमें 80% कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त क लिया है, अधिसूचित करती हैं :—

1. क्षेत्रीय कार्यालय, एनटीसी (डी पी आर) लि. 14,मध्या मार्ग, सेक्टर 26, चंडीगढ़ ।

2. क्षेत्रीय कार्यालय, एन टी सी (डी पी आर) लि 71/4, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-15

3. क्षेत्रीय कार्यालय, एन टी सी (डी पी आर) लि. मंगल भवन, संसार चंद्र रोड, जयपुर

[सं. .ई-11016/2/94-हिन्दी]

चरन दास, उप सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 16th November, 1994

S.O. 3446.—In pursuance of Sub-Rule 4 of Rule 10 of t Official Language (Use for Official Purposes of the Unio Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the f lowing offices under the Ministry of Textiles whereof m than 80% staff have acquired working knowledge of Hir

1. Regional Office, NTC (DPR) Ltd., 14-Madhya Ma Sector-26, Chandigarh.
2. Regional Office, NTC (DPR) Ltd., 71/4, Najafg Road, New Delhi-15.
3. Regional Office, NTC (DPR) Ltd., Mangal Bhav Sansar Chander Road, Jaipur.

[No. E-11016/2/94-Hin

CHARAN DASS, Dy. Se

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1994

का.आ. 3547 —केन्द्र सरकार का दिल्ली म मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोध करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लि एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोध के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव लिखि रूप में इस सूचना के जारी होने की तारीख से तीस दि की अवधि के अन्दर आयुक्त-एवं-सचिव, दिल्ली विका प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई.एन.ए

नई दिल्ली को भेज सकते हैं । आपत्ति करने या सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें।

संशोधन :

"उत्तर में इण्डियन स्पाइनल इन्जरी हास्पिटल एवं ग्रामीण क्षेत्र से, दक्षिण और पूर्व में सुल्तान गढ़ी मकबरे और ग्रामीण क्षेत्र से, और पश्चिम की तरफ आवासीय एवं ग्रामीण क्षेत्र से घिरे लगभग 27.25 हैक्टेयर (67.30 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "ग्रामीण उपयोग जोन" से "परिवहन (हवाई अड्डा)" में बदलने का प्रस्ताव है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :—

(1) आवासीय	4.69 हैक्टेयर
(2) परिवहन (हवाई अड्डा)	18.16 हैक्टेयर
(3) परिवहन (45 मीटर चौड़ी सड़क)	3.40 हैक्टेयर
(4) मनोरंजनात्मक (सुल्तान गढ़ी स्मारक के आसपास विरासत योजना के लिये)	1.00 हैक्टेयर

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिये उक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य दिवसों में संयुक्त निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, विकास मीनार, छठी मंजिल, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध होगा।

[सं. एफ. 3(61)/90—एम.पी.]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त-एवं-सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 30th November, 1994

S.O. 3447.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi, Zonal Development Plan is hereby published for public information. Any person having any objection for suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION

"The land use of an area measuring 27.25 hect. (67.30 acres) bounded by Indian Spinal Injury Hospital and rural area in the North Sultan, Garhi Tomb and Rural area in the South and East, and residential and rural area towards the West is proposed to be changed form 'rural use Zone' to transportation (airport)' with the following break up :

(i) Residential	4.69 ha.
(ii) Transportation (airport)	18.16 ha.
(iii) Transportation (45 m wide road)	3.40 ha.
(iv) Recreational (for Heritage scheme around Sultan Garhi monument).	1.0 ha.

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Jt. Director, Master plan Section, Vikas Minar, 6th floor, I.P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred to above.

[No. F. 3(61)90-MP]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 नवंबर, 1994

का.आ. 3448.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस ईसी एल के प्रबंधतंत्र के संबंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-10-94 को प्राप्त हुआ था।

[सं.एल-22012/484/91 आई आर (सी-II)]

राजा लाल, डैस्क अधिकारी,

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 1st November, 1994

S.O. 3448.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S.E.C. Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on 25-10-94.

[No. L-22012/484/91 IR-C.II]

RAJA LAL, Desk Officer.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

CASE NO. CGIT/LC(R)(150)/1992

BETWEEN

Shri Sarju Singh represented through the Secretary, A.K.M.S. (AITUC) Quarter No: B/72, Urja Nagar, P.O. Govra Project, District Bilaspur (M.P.).

AND

Sub-Area Manager, S.E.C.L., Dipika Project, P.O. Govra Project, District Bilaspur (MP).

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईंस, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/94

REGISTERED NO. DL-33001/94

Received from GOI Press ..... on .....

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 14, 1995/पौष 24, 1916
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 14, 1995/PAUSA 24, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1994

का.आ. 48.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), नियमावली, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के शासनिक नियंत्रण में स्थित भारतीय यूनिट ट्रस्ट, कारपोरेट कार्यालय, 13, विट्ठलभाई ठाकरसी मार्ग (न्यू मैरीन लाइन्स), बम्बई को, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

[सं. 11013/4/94-हि.का.क.]

सुधीर कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 19th December, 1994

S.O. 48.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the Unit Trust of India, Corporate Office, 13, Vithaldas Thakarsi Marg (New Marin Line), Bombay (under the Administrative control of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs) where of more than 80 per cent of Staff have acquired working knowledge of Hindi.

[No. 11013/4/94-HIC]

S. K. VERMA, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1994

का.आ. 49.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा श्री एस.एस. कोहली, कार्यपालन महाप्रबन्धक, पंजाब एंड सिंध बैंक, को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक के रूप में पदनामित) के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. एफ. 9/15/94-बी.ओ.]

एम.एस. गीतारामन, अवर सचिव

(29)

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publicatio
सिविल लाईंस, दिल्ली-54

P.O 350
K.M. 15
C.P.B 335
COMPLETED
पूरा कर दिया गया है।

64. Mrs. Peggy Lalu Thomas
65. M/s. K. Bharathy
66. Ms. Thenmozhe
67. Ms. Latha
68. Ms. R. Brinda
69. Ms. Rajeswari
70. Ms. Vijaya Janakiraman
71. Ms. Geetha Krishnan
72. Ms. Usha Chandrasekar
73. Ms. Gowri
74. Ms. Shanthi Nandagopal
75. Mrs. Vijayalakshmi Rajasekar
76. Dr. Renuka Srinivasan
77. Mrs. Lalitha Sriram
78. Mrs. Jayanthi
79. Mrs. Lalitha Pasupathy
80. Dr. (Mrs.) Saraswathi Govindarajan
81. Dr. Suginthavathi

[F. No. 809/6/93-F (C)]
SHARWAREE GOKHALE, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1994

का.आ. 78.—चलचित्र (प्रमाणन) नियमावली, 1983 के नियम 7 तथा 8 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. 809/7/91/एफ (सी) दिनांक 30 सितम्बर, 1991 के अधिक्रमण में केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के तिरुवनंतपुरम सलाहकार पैनल का पुनर्गठन करती है और निम्नलिखित व्यक्तियों को कथित पैनल में 1-1-1995 से 2 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, सदस्य के रूप में नियुक्त करती है :—

1. श्री के.वी. हरिदासन
2. श्री एम.एफ. थामस
3. श्री टी.एन. जयदेवन
4. श्री पी. रामचन्द्रन नायर
5. श्री पी देवदास
6. श्रीमती उषा राजगोपालन
7. प्रो. सुलोचना नायर
8. श्रीमती भामा रामकृष्णन
9. श्रीमती जया चन्द्रहासन
10. श्रीमती राजी कृष्णमूर्ति
11. डा. एन.ए. करीम
12. श्रीमती सारा टॉमस
13. श्री कुलाथूर भास्करन नायर
14. श्रीमती गिरिजा सेथुनाथ
15. श्रीमती प्रमीला गोपालकृष्णन
16. श्रीमती चेचम्मा इसाक
17. श्रीमती निर्मला बाबू पाल
18. श्रीमती सांथा नायर
19. डा. (श्रीमती) वी.एम. राजालक्ष्मी
20. श्री के.पी. देवदास
21. प्रो एम. कृष्णन नायर
22. श्री के.पी. उदय भानु
23. श्रीमती रागिनी कृष्णन
24. श्री ए.के. हमीद

Attested
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54.

[फा.सं. 809/10/93/एफ (सी)]

शर्वरी गोखले, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 21st December, 1994

S.O. 78.—In exercise of the powers conferred b section (1) of Section 5 of the Cinematograph Ac (37 of 1952), read with rules 7 and 8 the Cinema (Certification) Rules, 1983 and in supersession o Ministry's notifications No. 809/7/91-F (C) dated September, 1991 the Central Government is pleased constitute the Thiruvananthapuram advisery panel Central Board of Film Certification and to appoin following persons as members of the said panel with from 1-1-1995 for a period of two years or until orders whichever is earlier :—

1. Shri K. V. Haridasan
2. Shri M F. Thomas,
3. Shri T. N. Jayadevan,
4. Shri P. Ramachandran Nair,
5. Shri P. Devdas,
6. Smt. Usha Rajagopalana,
7. Prof. Sulochana Nair,
8. Smt. Bhama Ramakrishanan,
9. Smt. Jaya Chandrabasan,
10. Smt. Raji Krishnamoorthi,
11. Dr. N. A. Karim,
12. Smt. Sarah Thomas,
13. Shri Kulathoor Bhaskaran Nair,
14. Smt. Girija Sethunath,
15. Smt. Prameela Gopalakrishnan,
16. Smt. Chechamma Isaac,
17. Smt. Nirmala Babu Paul,
18. Smt. Santha Nair,
19. Dr. (Mrs.) V. M. Rajalkshmi,
20. Shri K. P. Devodas,
21. Prof. M. Krishnan Nair
22. Shri K. P. Udaya Bhanu,
23. Smt. Ragini Krishanan,
24. Shri A. K. Hameed.

[F. No. 809/10/93-F (C
SHARWAREE GOKHALE, Jt. Sec

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1995

का.आ. 79.—दिल्ली विकास (मुख्य योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना) नियम 1959 के नियम 5 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 10(1) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की क्षेत्रीय विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने तथा उसके प्रकाशन के लिए सूचना।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जोन "जी" (सिविल लाईन क्षेत्र) के लिए एक क्षेत्रीय विकास योजना प्रारूप तैयार कर लिया गया है।

(ख) उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, भूतल, विकास मीनार में सभी दिन 3 में उल्लिखित तारीख तक सभी कार्य दिवसों के दौरान प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक उपलब्ध होगी।

2. इस प्रारूप योजना के सम्बन्ध में एतद्द्वारा आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।

3. आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप में आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, नई दिल्ली 23, की ओर 1995 के अप्रैल महीने की 13(तेरह) तारीख से पहले भेजें।

आपत्ति/सुझाव भेजने वाले व्यक्ति को अपना नाम एवं पता भी अवश्य देना चाहिए।

[फाइल सं. एफ. 1(16) 92 जैड पी.]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 4th January, 1995

S.O. 79.—Notice under Secion 10(1) of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) read with rule 5 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959, of the preparation and publication of the draft of the Zonal Development Plan for the National Capital Territory of Delhi.

Notice is hereby given that :

(a) A draft of a Zonal Development Plan for Zone 'C' (Civil Lines Area) in the National Capital Territory of Delhi has been prepared:

(b) A copy thereof will be available for inspection of the office of the Delhi Development Authority, on Ground Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi between hours of 11 A.M. to 5 P.M. on all working days till the date mentioned in para '3' hereinafter.

2. Objections and suggestions are hereby invited with respect to this draft plan.

3. The objection or suggestion may be sent in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, New Delhi-23, before the 13th day of April, 1995.

Any person making the objection or suggestion should also give his name and address.

[No. F. 1(16)/92-ZP]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1994

का. आ. 80.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, एस सी सी एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-12-94 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-22012/59/94 आई आर (सी-II)]

राजा लाल, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 15th December, 1994

S.O. 80.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Hyderabad, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S.C.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 15-12-1994.

[No. L-22012/59/94-IR (C. II)]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL-I AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri A. Hanumanthu, M.A., LL.B., Industrial Tribunal-I.

Dated, 6th day of December, 1994

Industrial Dispute No. 44 of 1994

BETWEEN

The Vice President,
Singareni Mines and Engineering Works Union, (HMS) Godavarikhani, Karimnagar District ..Petitioner/Workman.

AND

The General Manager,
Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division-I,
Godavai Khani, Karimnagar District ..Respondent/Management.

APPEARANCES :

None—for the Petitioner.
S/Sri K. Srinivasa Murthy, G. Sudha, J. Shyamala and Y. S. Chakravarthy, Advocates—for the Respondent/Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-22012/59/94-IR (C-II), dated 24/27-6-1994 referred the following dispute under Section 10(1)(d) and Sub-section 2-A of Section 10 of the I. D. Act, 1947 between the employers in relation to the Management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam and their Workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Management in not preparing the date of promotion of Sri S. A. Rahim, Driver, Transport Section RG-I, S.C. Co. Ltd., Godavarikhani to the Post of Driver Grade-C from 1-3-1989 to 1-3-1988 on par with Sri R. Rajanna is legal and justified ? If not to what relief the workman is entitled ?"

This dispute was registered as Industrial Dispute No. 44/94 on the file of this Tribunal and notices were issued to both the parties by Registered Post Ack. Due.

2. The Notice issued to the Petitioner was served on 9-8-1994 on 26-9-94 when the case was called the Petitioner called absent again on 6-10-94 the Petitioner was called absent he was set exparte and the matter was posted for counter. Sri K. Srinivasa Murthy and G. Sudha and others filed Vakalat for the Respondent on 2-11-94. Respondent not filed the counter time was extended to 6-12-94. On 6-12-94 also counter not filed. As both parties failed to take interest in the matter under dispute, the reference is dismissed.

3. Hence the reference is closed.

Written by me given under my hand and the seal of this Tribunal this the 6th day of December, 1994.

A. HANUMANTHU, Industrial Tribunal-I

Attested
सहायक नियंत्रक (व्यापार)
Asstt. Controller (Business)

भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
पटियाला हाउस, दिल्ली-54

रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/95

REGISTERED NO. DL-33001/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 18, 1995/ फाल्गुन 27, 1916
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 18, 1995/PHALGUNA 27, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(न्यायिक अनुभाग)

सूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1995

का.आ. 683 .—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6क के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री नरहरि राय देवराज, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे ललियानगर बाग लिंगापल्ली क्षेत्र (आंध्र प्रदेश) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए ।

[सं. 5(32)/95—न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & CO. AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

(Judicial Section)

NOTICE

New Delhi, the 17th February, 1995

S.O. 683.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6a of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Narahari Rao Devraj Advocate for appointment as a Notary to practise in Lalitha Nagar Bagh Lingamapalli Area, (Andhra Pradesh).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(32)/95-Judl.]

P.C. KANNAN, Competent Authority

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
(909)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

Gandhi Road,
Ongole-523001,
Prakasam Dist. (A.P.).

Chilakaturi Peta-Chirala Road,
P.O. Annanibhotalawaripalem-523124,
Door No. 4-42 Chirala,
Tehsil,
Prakasam Dist. (A.P.).

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1995

का.आ. 691 :—केन्द्रीय सरकार, दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची के भाग 1 में, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से संबंधित क्रम संख्यांक 38 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

प्राधिकारी या संस्था	मान्यताप्राप्त दंत चिकित्सा अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
39. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	बैचलर ऑफ़ डेंटल सर्जरी	बी.डी.एस., कुरुक्षेत्र (यह अर्हता तब मान्यता प्राप्त दंत चिकित्सा अर्हता होगी जब यह 24 नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् अनुदत्त की गई हो)।

[सं. वी-12018/3/94-पी एम एस]

आलोक पेरती, निदेशक

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 24th February, 1995

S.O. 691—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 10 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Central Government, after consulting the Dental Council of India, hereby makes the following further amendment in the Schedule to the said Act, namely:—

In Part I of the said Schedule, after serial number 38 relating to Lalit Narayan Mithila University and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Authority or Institution	Recognised dental qualification	Abbreviation for registration
39. Kurukshetra University	Bachelore of Dental Surgery	(B.D.S. Kurukshetra). This qualification shall be recognised dental qualification when granted on or after 24th November, 1993.

सहायक नियंत्रक (बिक्री)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

[No. V.12018/3/94-PMS]

ALOK PERTI, Director

(1276) दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1995

का.आ. 692—केन्द्रीय सरकार का, दिल्ली की मुख्य योजना/प्रारूप क्षेत्रीय (जोनल) विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसें जनता की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो तो यह अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अन्दर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई.एन.ए., नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज सकता है। आपत्ति करने/सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम एवं पूरा पता भी अवश्य दें।

संशोधन

"उप-जोन-1 (नरेला) में आने वाले 1.62 हैक्टेयर (4 एकड़) क्षेत्र, जो उत्तर, पूर्व, दक्षिण में डी.एस.आई.डी.सी. औद्योगिक संपदा से और पश्चिम में विद्यमान दि.न.नि. प्राथमिक विद्यालय और अलीपुर रोड से घिरा

हुआ है, कि भूमि उपयोग को "विनिर्माण" से "सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं (विद्यालय)" में बदला जाना प्रस्तावित है।"

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिये उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य दिवसों में संयुक्त निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास भीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ. 9(5)/92-एम.पी.]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 9th March, 1995

S.O. 692.—The following modification which the Central Government proposes to make in the Master Plan/Draft Zonal Development Plan, is hereby published for public information. Any person having any objections/suggestions with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' block, INA, New Delhi within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objection/suggestion should also give his name and address:

MODIFICATION

"The land use of an area, measuring 1.62 hac. (4 acres) falling in sub-zone I (Narela) bounded by DSIDC Industrial Estate in the North, East, South and existing MCD Primary School and Alipur Road in the West, is proposed to be changed from 'manufacturing' to 'Public and Semi-Public Facilities' (School)."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Joint Director, Master Plan Section, 6th floor, Vikas Minar, I.P. estate, New Delhi on all working days within the period referred above.

[No. F. 9(5)92-MP]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1995

का.आ. 693.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस ई सी एल के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/480/91-आई आर (सी-II)]

राजा लाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 15th February, 1995

S.O. 693.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S.E.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 13-2-1995.

[No. L-22012/480/91-IR (C-II)]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP)

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(132)/1992

BETWEEN

Shri Karmoo, represented through the General Secretary, Koyla Shramik Sabha (HMKP), Korba Colliery, P.O. Korba, Colliery, District Bilaspur (MP)-495677.

AND

The Dy. General Manager, S.E.C.L. Rajgamar Colliery, P.O. Rajgamar Colliery, District Bilaspur (MP)-495601.

PRESIDED IN :

By Shri Arvind Kumar Awasthy.

APPEARANCES :

For Workman—None.

For Management—Shri A. K. Shasi, Advocate.

INDUSTRY : Coal Mines DISTRICT : Bilaspur (MP)

AWARD

Dated, 3rd February, 1995

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-22012/480/91-IR (C-II) dated 22-6-92 for adjudication of the following industrial dispute :—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Rajagamar Colliery of S.E.C. Ltd. in terminating the services of Shri Karmoo S/o Banaw Tyadle w.e.f. 11-10-90 is legal and justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled to ?"

2. The workman neither appeared nor he has filed the statement of claim. The notices to the parties to appear on 25-8-92 was issued on 3-7-92 and when the parties did not appear on 25-8-92 notices were again sent for the appearance of the parties on 14-10-92. Similarly notices were sent to the workman on 22-8-94, 14-9-84 and lastly on 25-11-94 registered notice was sent to the workman for filing the statement of claim. Inspite of all these notices the workman neither appeared nor he has filed the statement of claim.

As it is clear that the workmkan is not interested in pursuing the dispute, no dispute award is passed without any order as to costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1995

का.आ. 694.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस ई सी एल के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक

भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54

रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350] नई दिल्ली, शनिवार, जून 17, 1995/ज्येष्ठ 27, 1917
No. 350] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 17, 1995/JYAISTHA 27, 1917

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(आयुक्त एवं सचिव का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 1995

"मोटल"

का.आ. 550(अ) :—1. ग्रामीण जोन/हरित पट्टी और व्यावसायिक जोनों में राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्तर्राज्यीय मार्गों (मार्ग का तात्पर्य ऐसे मार्ग से है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को पड़ोसी राज्य से सीधे ही जोड़ता हो) तथा जिसकी न्यूनतम चौड़ाई (मार्गाधिकार) 20 मी. हो अथवा उनके समानान्तर गुजरने वाले सर्विस मार्गों पर मोटलों की अनुमति है ।

1434GI/95

"(i) आनुषांगिक जोन में स्थित मोटल होटलों पर लागू मानदण्डों और भवन उपविधियों के अनुसार होगा।

(ii) ग्रामीण जोन हरित पट्टी में स्थित मोटल निम्नलिखित मानदण्डों और भवन उपविधियों के अनुसार होगा :—

(1) प्लाट का न्यूनतम आकार 1 हैक्टेयर होगा।

(2) प्लाट में अन्दर आने और बाहर जाने के लिए उपयोग में आने वाले ड्राइव-वे की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर होगी।

(3) सामने की ओर न्यूनतम सैट बैक 15 मीटर और साइडों तथा पीछे की ओर 9 मीटर होगा। यह सड़क की चौड़ाई से अलग सड़कों (ग्रीन बेल्ट) के अतिरिक्त होगा, जब तक कि उसे विधि द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं किया हो।

(4) एफ.ए.आर. 15 होगा बशर्ते कि प्रत्येक प्रथम एवं द्वितीय हैक्टेयर में अधिकतम भूतल क्षेत्र 1500 वर्गमीटर हो और शेष भूमि के क्षेत्रफल का 5% हो बशर्ते कि अधिकतम 1500 वर्गमीटर हो।

(5) अधिकतम भूतल कवरेज एफ.ए.आर. के बराबर होगा।

(6) निर्मित क्षेत्र 9 मीटर की ऊंचाई से अधिक नहीं होगा।

(7) भूतल कवरेज के बराबर तहखाने की अनुमति दी जाएगी जो कि वातानुकूलन यंत्र, निस्पंदन संयंत्र (फिल्टरेशन प्लांट), विद्युत सब-स्टेशन, पार्किंग और अन्य आवश्यक सेवाओं हेतु आवश्यक सीमा के बराबर एफ.ए.आर. से मुक्त होगा।

(8) पार्किंग स्थल की व्यवस्था तल क्षेत्रफल के प्रत्येक 100 व.मी. में 1.67 ई.सी.एम. के न्यूनतम पैमाने पर होगी, जिसमें तहखाने में किया गया प्रावधान भी शामिल है।

(9) फुटकर एवं सेवा दुकानें तल क्षेत्र के अधिकतम 5% तक सीमित होंगी।

(10) जल एवं विद्युत आपूर्ति, सीवरेज, जल-निकास और अन्य आधारिक संरचनाओं की व्यवस्था भवन विनियम प्राधिकरण के पैमाने और मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(11) भूमि के उपयोग हेतु सभी अनुमतियां एवं स्वीकृतियां जोकि विकास हेतु अनुमोदन तथा स्वीकृति के संबंध में अपेक्षित होती हैं, निर्धारित प्राधिकारियों से प्राप्त की जाएंगी।"

[फ. 20(4)/83-एम.पी.]

विष्ण मोहन बंगा, आयुक्त एवं सचिव

S.No 350
16/6/1995

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Office of the Commissioner-cum-Secretary)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 1995

"MOTELS

S.O. 550(E).— 1. Motels are permitted in Rural Zone /Green Belt and in Commercial Zones on National Highways and inter-State roads (defined to mean a road which directly connects the National Capital Territory with a neighbouring State) of a minimum width (right-of-way) of 20 mts. or service roads running parallel to them.

2. A motel located in Commercial Zones will be subject to the norms and building standards applicable to hotels.

3. A motel located in the Rural Zone/Green Belt shall be subject to the following norms and building standards :—

(i) The minimum plot size shall be one ha.

(ii) The minimum width of the drive-way used for entry into, and exist from, a plot shall be 9 mts.

(iii) The minimum setback shall be 15 mts. in the front and 9 mts. from the sides and the rear. This shall be in addition to a green buffer from the road-width if and as specified by law.

(iv) The FAR shall be 15, subject to a maximum floor space of 1500 sq. mts. each on the first and second hectares, and 5% of the area of the remaining land comprised in the site subject to a maximum of 1500 sq. mts.

(v) The maximum ground coverage shall be equivalent to FAR.

(vi) The built-up structure shall not exceed the height of 9 mts.

(vii) Basement equivalent to the ground coverage shall be allowed free from FAR to the extent necessary for airconditioning plant, filtration plant, electric sub-station, parking and other essential services.

(viii) Parking space shall be provided on a minimum scale of 1.67 ECS per 100 sq. mts. of floor area, including the provision made in this regard in the basement.

(ix) Retail and service shops shall be limited to a maximum of 5% of the floor area.

(x) Water and electric supply, sewerage, drainage and other such infrastructure shall be provided on a scale and according to standards satisfactory to the building regulatory authority.

(xi) All permissions and clearances for use of land which are usually required in a connection with approval of, or sanction for, development shall be obtained from the prescribed authority."

[F. No. 20(4)/82-MP]

V.M. BANSAL, Commr.-cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995

रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 352] नई दिल्ली, सोमवार, जून 19, 1995/ज्येष्ठ 29, 1917
No. 352] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 19, 1995/JYAISTHA 29, 1917

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 1995

का. आ. 552(अ).—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली मुख्य योजना—2001 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति अथवा सुझाव लिखित रूप मे इस सूचना के जारी होने के 30 दिनों की अवधि के अन्दर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, बी—ब्लॉक, विकास सदन, आई. एन. ए.. नई दिल्ली को भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी देना चाहिए।

संशोधन :—

जोन (डिवीजन) "एफ" (दक्षिण दिल्ली-1) में आने वाला 315.00 हैक्टे. (778.05 एकड़) क्षेत्र, जो कि पूर्व में नेल्सन मंडेला रोड से, दक्षिण में वसन्त कुंज डी. डी. ए. समूह आवास से, पश्चिम में रक्षा भूमि (डिफैंस लैंड) से और उत्तर में इंडियन एयर लाइंस कालोनी से घिरा हुआ है, का भूमि उपयोग निम्नलिखित तालिका के अनुसार परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है :—

क्रम संख्या	भूमि उपयोग	दिल्ली मुख्य योजना 2001 के अनुसार	प्रस्तावित भूमि
1.	आवासीय	100.00 हैक्टे.	49.00 हैक्टे
2.	व्यावसायिक	8.00 हैक्टे.	65.00 हैक्टे
3.	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	41.50 हैक्टे.	39.00 हैक्टे
4.	मनोरंजनात्मक	147.00 हैक्टे	147.00 हैक्टे.
5.	परिवहन	18.50 हैक्टे.	15.00 हैक्टे
	कुल	315.00 हैक्टे.	315.00 हैक्टे.

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य दिवसों में संयुक्त निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय मे उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ. 20(7)/89/एम पी]
विश्व मोहन बंगल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 17th June, 1995

S. O. 552 (E):— The following modification, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi-2001, is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objections/suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, INA New Delhi, within a period of 30 days from the date of issued of this notice. The person making the objection/suggestions should also give his name and address.

MODIFICATION :

The land use of an area measuring 315.00 ha. (778.05 Acres) falling in the Zone (Division) 'F' (South Delhi-I) bounded by Nelson Mandela Road in the East, Vasant Kunj DDA Group Housing in the South, Defence land in the West, and Indian Airlines Colony in the North, is proposed to be changed as per the following table :—

Sl. No.	Land Use	As per MPD-2001	Proposed land
1.	Residential	100.00 ha.	49.00 ha.
2.	Commercial	8.00 ha.	65.00 ha.
3.	Public and Semi-Public facilities.	41.50 ha.	39.00 ha.
4.	Recreational	147.00 ha.	147.00 ha.
5.	Transportation	18.50 ha.	15.00 ha.
	Total	315.00 ha.	315.00 ha.

2. The plan indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Joint Director, Master Plan Section, 6th Flooor, I.P. Estate, New Delhi on working days within the period referred above.

[No. F. 20(7)/89/MP]

V.M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/95

Received from GOI P. ... 12 5 4
on.....REGISTERED NO. DL-33001/95 20

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

P.O 35
KM 15

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 26, 1995/भाद्र 4, 1917
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 26, 1995/BHADRA 4, 1917 PB 3

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

COMPLETED
पूरा कर दिया गया है

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

न्यायिक अनुभाग

सूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1995

का.आ. 2284.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 ए के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री सुभाष आर नर्वेकर, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए किया है कि उसे अंकोला तालुका, उत्तर कन्नड़ा, कर्नाटक में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए ।

[सं. 5(67)/95-न्यायिक]

पी. सी. कन्नन, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

Judicial Section

NOTICE

New Delhi, the 8th August, 1995

S.O. 2284.—Notice is hereby given by the Competent authority in pursuance of Rules 6a of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Subhash R. Narvekar, Advocate for appointment as a Notary to practise in Ankola Taluka, Distt. Uttra Kannada (Karnataka).

Attested

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(67)/95-Judl.]

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Assistant Controller (Business)
P. C. KANNAN, Competent Authority

2002 GI/95—1

(3109)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54

47. Railway Station, Kurastikalan
48. Railway Station, Malwa
49. Railway Station, Kanaspur Gugoli
50. Assistant Engineer, Bindkiroad
51. Railway Station, Aug
52. Railway Station, Karvingwa
53. Railway Station, Prempur
54. Railway Station, Sarsaul
55. Railway Station, Chakeri
56. Railway Station, Chandari
57. Divisional Medical Supdt., Kanpur
58. Divisional Engineer (H.Q.), Kanpur
59. Assistant Signal and Tel. Comm. Engineer, Kanpur
60. Assistant Public Relation Officer, Kanpur
61. Assistant Engineer, Kanpur
62. Coaching Depot Officer, Kanpur
63. Railway Station, Kanpur Juhi
64. Railway Station, Govindpuri
65. Railway Station, Panki
66. Railway Station, Bhaupur
67. Railway Station, Maitha
68. Railway Station, Rura
69. Assistant Engineer, Rura
70. Railway Station, Jhinjhak
71. Assistant Engineer, Jhinjhak
72. Railway Station, Ambiyapur
73. Railway Station, Khanchausi
74. Railway Station, Faphund
75. Assistant Engineer, Faphund
76. Assistant Engineer, Bharthana
77. Railway Station, Ekdil
78. Assistant Electrical Engineer (TRD) Itawah
79. Divisional Medical Officer, Itawah
80. Railway Station, Jaswant Nagar
81. Railway Station, Balarai
82. Railway Station, Bhudan
83. Railway Station, Kaurara
84. Assistant Divisional Medical Officer, Shikohabad
85. Assistant Engineer, Shikohabad
86. Railway Station, Uraon
87. Railway Station, Takha
88. Railway Staiton, Oshma
89. Railway Station, Tindauli
90. Assistant Engineer, Mainpuri
91. Railway Station, Mainpuri (Kachahri)
92. Railway Station, Bhogaon
93. Railway Station, Khatraun
94. Railway Station, Meta
95. Railway Station, Niva Karori
96. Railway Station, Ugarpur
97. Railway Station, Makhanpur
98. Assistant Engineer, Firozabad
99. Railway Station, Hirangaon
100. Railway Station, Mitawali
101. Railway Station, Barhan
102. Railway Station, Shivala Tehu
103. Railway Station, Shahnagar Timaruwa
104. Railway Station, Jalesarnagar
105. Railway Station, Kusawa
106. Railway Station, Bashundhara
107. Railway Station, Jawaharpur Kamsan
108. Assistant Engineer, Etn
109. Railway Station, Yamuna Bridge
110. Railway Station, Chhalesar
111. Railway Station, Etmadpur
112. Railway Station, Chamraula
113. Railway Station, Jalesar Road
114. Railway Station, Pora
115. Railway Station, Hathras Kila
116. Assistant Divisional Medical Officer, Hathras
117. Assistant Engineer, Hathras
118. Railway Station, Sasni
119. Railway Station, Madrak
120. Railway Station, Daud Khan
121. Divisional Engineer, Aligarh
122. Railway Station, Mehraval
123. Railway Station, Kulwa
124. Railway Station, Somna
125. Railway Station, Danver
126. Assistant Divisional Medical Officer, Khurja
127. Railway Station, Sikandarpur
128. Railway Station, Chola
129. Railway Station, Bair
130. Railway Station, Dankaur
131. Railway Station, Ajaibpur
132. Railway Station, Dadri
133. Railway Station, Maripat
134. Assistant Engineer, Ghaziabad
135. Assistant Controller of Stores, Ghaziabad
136. Assistant Engineer, Dankaur.

[No. Hindi-95/OL-1/12711]

S. A. A. ZAIDI, Secy. Railway Board

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1995

का. आ. 2300—केन्द्रीय सरकार का मुख्य योजना/मसौदा क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है जो सार्वजनिक सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "डी" ब्लाक, आई.एन.ए., नई दिल्ली को भेज सकता है। आपत्ति करने/सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें।

संशोधन :—

जोन "ग" (दक्षिण दिल्ली) में पड़ने वाले और उत्तर में मौजूदा पार्क की तरफ 24 मीटर चौड़ी सड़क से, पूर्व

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

में त्यागराज नगर की तरफ 24 मीटर चौड़ी सड़क से, दक्षिण में नाले की तरफ 24 मीटर चौड़ी सड़क से और पश्चिम में डी.डी.ए. विकास सदन की तरफ 24 मीटर चौड़ी सड़क से घिरे लगभग (12.55 हेक्टेयर) (31 एकड़) भूमि के भूमि उपयोग को सड़क किनारे हरित (7 एकड़) और स्टेडियम (12.17 एकड़) सहित "मनोरंजनात्मक उपयोग" से "आवासीय उपयोग" में बदलने का प्रस्ताव है।"

2. प्रस्तावित संशोधन की दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उक्त अवधि के अंदर सभी कार्य-दिवसों को संयुक्त निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध होगा।

[सं. एफ 20(11)92-एम.पी.]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 16th August, 1995

S.O. 2300.—The following modification which the Central Government proposes to make in the Master Plan. Draft Zonal Development Plan, is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objection/suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION

"The land use of an area, measuring about 12.55 ha. (31 acres) falling in Zone 'D' (South Delhi) and bounded by 24 mtrs. wide road towards existing park in the North, 24 mtr. wide road towards Tyagraj Nagar in the East, 24 mtr. wide road towards Nallah in the South and 24 mtr. wide road towards DDA Vikas Sadan in the West, is proposed to be changed from 'recreational use' to 'residential use' including the 'road side green' (7 acres) and 'Stadium' (12.17 acres)".

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Joint Director, Master Plan Section, 6th floor, Vikas Minar, I. P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred above.

[No. F. 20(11)/92-MP]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1995

का.आ. 2301—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मै. भारत कोकिंग कोल लि. का क्षेत्र सं. 12 के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 1) धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-8-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-20012/66/93- आई.आर. (कोल-I)]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 2nd August, 1995

S.O. 2301.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 1) Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Area No. XII of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 1-8-1995.

[No. L-20012/66/93-IR (Coal-I)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference under Section 10(1)(d) (2-A) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 76 of 1994

PARTIES :

Employers in relation to the management of C. V. Area of M/s. Bharat Coking Coal Limited.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Shri P. K. Sinha, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen—None.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dated, the 24th July, 1995

AWARD

By Order No. L-20012/66/93-I.R. (Coal-I) dated 16-3-1994 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2-A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the dispute for adjudication in this Tribunal with following schedule :

"Whether the action of the management of M/s. BCCL Area No. XII in terminating the services of Sri Amrit Hari, Sweeper, NLOCP w.e.f. 16-6-92 is justified ? If not, what relief the concerned workman entitled to ?"

2. The order of reference was received in this Tribunal on 4-4-1994. Thereafter the case was fixed for filing written statement on behalf of the workman. Despite registered notice and also notice through official messenger sent to the sponsoring Union no one appeared on behalf of the workman to file written statement. Even on 21-7-95 none appeared on behalf of the workman.

3. Therefore, it appears that neither the sponsoring Union nor the concerned workman is interested in prosecuting the reference.

4. Under such circumstances I render a 'no dispute' award in the present reference.

P. K. SINHA, Presiding Officer

Attested
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईंस, दिल्ली-54

रजि० सं० डी० एल०-33001/93

REGISTERED NO. D. L.-33001/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 8, 1996/ज्यैष्ठ 18, 1918
No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 8, 1996/JYAISTHA 18, 1918

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 23 मई, 1996

का०आ० 1576.—केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं० 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री बी० हनुमा रेड्डी और एम० श्री रामामूर्थि, अधिवक्ताओं को, सेशन न्यायालय, ओंगोल, जिला प्रकाशम, आन्ध्र प्रदेश में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा अन्वेषित अथवा संचित मामला सं० आरसी-1(एस)/96/सीबीआई/एसीई/एसआईटी मद्रास (श्री मागुटा सुब्बा रामा रेड्डी हत्या कांड) तथा उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक किसी अन्य विषय का संचालन करने के लिए, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० 225/90/96-ए०वी०डी०-II]

एस० सोन्दर राजन, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 23rd May, 1996

S.O. 1576.—In xercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints of S/Shri B. Hanuma Reddy and M. Sree Rama Murthy, Advocates as Special Public Prosecutors for conducting case No. RC. 1(S)/96/SPE/CBI/SIT Madras (Shri Magunta Subba Rama Reddy murder case) and any other matter connected therewith or incidental thereto, investigated or instituted by he Delhi Special Police Establishment in the Session Court, Ongole, Prakasam District, Andhra Pradesh.

[No. 225/90/96-AVD. II]

S. SOUNDAR RAJAN, Under Secy.

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 10th May, 1996

S.O. 1657.—Whereas in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), Dr. Amarnath Baswantrao Solepure, Professor and Head, Department of Physiology, Sri Bhausaheb Hira Government Medical College, Malagaon, Dhule-424001, Maharashtra has been elected by the Senate of North Maharashtra University, Jalgaon to be a member of Medical Council of India from 14th December, 1995 ;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the then Ministry of Health No. S.O. 138, dated the 9th January, 1960, namely:—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3", after serial number 73 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be added, namely:—

"74. Dr. A. B. Solepure,
Professor and Head,
Department of Physiology,
Sri Bhausaheb Hira Government Medical College,
Dhule-424001,
Maharashtra."

[No. V. 11013/4/96-ME(UG)]
S. K. MISHRA, Desk Officer

Foot Note.—The principal notification was published in the Gazette of India vide notification number S.O. 138, dated the 9th January, 1960.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 1996

का.आ. 1658 :—केन्द्रीय सरकार का, दिल्ली मुख्य योजना-2001 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जो सार्वजनिक सूचना के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति/अपना सुझाव इस सूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर आयुक्त-एवं-सचिव दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन "बी" ब्लॉक आई.एन.ए. नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने/सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी देना चाहिए।

संशोधन—

1. "उप-जोन एफ-7 (सुखदेव विहार) में पड़ने वाले, उत्तर एवं पूर्व में जिला पार्क/कृषि भूमि से, दक्षिण में एन.डी.एम.सी. कम्पोस्ट प्लांट/वर्कशाप से, पश्चिम में एन.डी.एम.सी. वर्कशाप/मंजूदा मार्ग से घिरे, 0.32 हेक्टेयर (0.79 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "मनोरंजनात्मक" (जिला पार्क) से "विनिर्माणी" (सेवा केन्द्र) में बदलने का प्रस्ताव है।"

2. "नरेला उप-नगर परियोजना पेज-1 के भाग के रूप में और उत्तर में प्रस्तावित 80 मीटर चौड़ी सड़क से, दक्षिण में ग्रामीण उपयोग (कृषि भूमि) गांव टिकरी खुर्द से, पूर्व में स्लम एवं जे.जे. के पुनर्वास के लिए विकसित डी.डी.ए. अधिग्रहीत भूमि और पश्चिम में 40 मीटर मार्गाधिकार वाली मंजूदा सड़क और मनोरंजनात्मक (विकसित हरित पट्टी) से घिरे लगभग 21 हेक्टेयर (52.0 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "ग्रामीण क्षेत्र" से आवासीय "उपयोग" में बदलने का प्रस्ताव है।"

3. "पूर्व में पश्चिमी यमुना नहर से, उत्तर और पश्चिम में ग्रामीण उपयोग (कृषि भूमि) से तथा दक्षिण में 80 मीटर प्रस्तावित मार्गाधिकार वाली बवाना-नरेला सड़क (शहरी विस्तार) से घिरे लगभग 39.3 हेक्टयर (97.0) एकड़ क्षेत्र के भूमि उपयोग को "ग्रामीण-उपयोग" से "सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं (सो.आर.पो.एफ.) बटालियन 6) में बदलने का प्रस्ताव है।"

4. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए, संयुक्त निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टट, नई दिल्ली के कार्यालय में, उक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य-दिवसों को उपलब्ध रहेगा।

[सं.एफ. 20 (18) 95—एम.पी.]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 27th May, 1996

S.O. 1658.—The following modification which the Central Govt. proposes to make in the Master Plan for Delhi-2001, are hereby published for public information. Any person having any objection suggestion with respect to the proposed modifications may send the objections|suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block INA, New Delhi within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objections|suggestion should also give his name and address :—

MODIFICATIONS :

1. "The land use of an area measuing 0.32 ha. (0.79 Acre) falling in sub-zone F-7 (Sukhdev Vihar) bounded by District Park|Cultivated land in the North and East, MCD compost plant|Workshop in the South and NDMC Workshop|existing Road in the West, is proposed to be changed from 'recreational' (District

Attested
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54.

ks)" to manufacturing (Service Cen-

".

he land use of an area, measuring out 21 ha. (52.0 acres) forming part Narela Sub-city Project Phase-I and unded by proposed 80 M wide Road the North, Rural use (Agricultural nd) Village Tikri Khurd in the South, DA acquired land developed for re-ttlement of Slum and JJ in the East nd 40M R/W existing road and Recrea-onal (developed green strip) in the Vest, is proposed to be changed from Rural use' to 'Residential use'."

The land use of an area measuring bout 39.3 ha. (97.0 acres) and bounded by Western Yamuna Canal in the East Rural use (Agricultural land) in the North and West and 80M proposed R/W Bawana Narela Road (Urban Extension) in the South is proposed to be changed from 'Rural use' to 'Public & Semi Pub-lic facilities' (CRPF Battalion 6 nos.)".

plan indicating the proposed modifica-be available for inspection at the office oint Director, Master Plan Section, 6th kas Minar, I.P. Estate, New Delhi on all days within the period referred above.

[No. F. 20(18)95-MP]

. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 मई, 1996

का० आ० 1659.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूको बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-5-96 प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल 12011/101/88डी ए/आई आर (बी-2)]

पी० जे० माईकल, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 9th May, 1996

S.O. 1659.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of United Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 8th May, 1996.

[No. L-12011/101/88-D.II.A/IR(B-II)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, राज, जयपुर

केस नं० सी०आई० टी० 63/89

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के आदेश संख्या एल-12011/101/88-डी 2(ए) दिनांक 1-6-89

अध्यक्ष, यूको बैंक स्टाफ एसोसियेशन, परवाना भवन, माधोबाग जोधपुर । प्रार्थी

बनाम

सहायक महाप्रबंधक, यूको बैंक, शास्त्री नगर, जयपुर । अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश, श्री के०एल० व्यास, आर०एल०जे०एल०

प्रार्थी की ओर से : जे० एल० शाह

अप्रार्थी की ओर से : श्री मान सिंह

अवार्ड दिनांक: 21-10-95

अवार्ड

श्रमिक प्रतिनिधि श्री जे०एल० शाह व विपक्षी प्रतिनिधि श्री मानसिंह उपस्थित हैं । दोनों पक्षों का कथन है कि विवाद बाबत श्रमिक यूनियन व प्रबन्धक में समझौता हो गया है । उस समझौते के अनुसार श्रमिकगण को भुगतान हो रहा है अतः श्रमिक यूनियन विवाद में आगे कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं । दोनों पक्षों के बीच सम्पन्न समझौते व श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधि की अभिव्यक्ति के अनुसार विवाद में नो-डिस्प्यूट अधिनिर्णय पारित करने का आदेश दिया जाता है । अधिनिर्णय प्रकाशनार्थ केन्द्र सरकार को भेजा जावे ।

के० एल० व्यास, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 14 मई, 1996

का० आ० 1660.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार न्यू बैंक ऑफ इंडिया (पंजाब नैशनल बैंक) के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-5-96 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल 12012/221/90-आई०आर० (बी-2)]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1996

S.O. 1660.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of New Bank of India (Now PNB) and their workmen, which was received by the Central Government on 9th May, 1996.

[No. L-12012/221/90-IR(B-II)]

B. M. MOHAN, Desk Officer

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)

Asstt. Controller (Business)

भारत सरकार

Govt of India

प्रकाशन विभाग

Department of Publication

सिविल लाईन, दिल्ली-54

Civil Lines, Delhi-54.

रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 256] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 21, 1996/ज्येष्ठ 31, 1918
No. 256] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 1996/JYAISTHA 31, 1918

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 1996

का. आ. 449(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल, दिल्ली, जिनके पक्ष में धारा 57 के अंतर्गत भारत सरकार, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और शहरी विकास मंत्रालय (स्वास्थ्य और शहरी विकास विभाग) नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 18011 (28)/67-यू. डी. दिनांक 14-2-1969 द्वारा शक्तियां प्रदान की गई थीं, के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यथा अद्यतन संशोधित दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबंध और निपटान) विनियम-1968 में अतिरिक्त विनियम संख्या 60 जोड़ दिया है, जो निम्न प्रकार है :—

"विनियम संख्या 60—इन विनियमों में किसी भी बात के होते हुए प्राधिकरण किसी विनियम की अपेक्षा को, उस सीमा तक और उन अपवादों तथा शर्तों के आधार पर, छोड़ सकता है अथवा छूट दे सकता है, जोकि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।"

[एफ 2 (27) 96/कोआर्ड. (एच)/डीडीए]

विश्व मोहन बंसल, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 1996

S.O. 449 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Delhi Development Authority with the previous approval of the Lt. Governor, Delhi, in whose favour powers under Section 57 have been delegated vide Notification No. 18011 (28)/ 67--UD dated 14-2-1969 issued by the Govt. of India, Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Deptt. of Health and Urban Development), New Delhi has added an additional Regulation No. 60 to DDA (Management and Disposal of Housing Estates) Regulations--1968 as amended uptodate, as under :—

"Regulation No. 60—Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Authority may dispense with or relax the requirement of any regulation to such extent and subject to such exceptions and conditions as may be specified by it."

[F. 2(27) 96/Coord(H)/ DDA]

V.M. BANSAL, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996

No: 005/dd-1719

Received from GOI Press... 13033
on...

28-10-9

H.G. (G.B.Delhi) O. D.L.-330

रजिस्ट्री सं० डीएल०-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

P.O. 370
K.M. 30
Deptt 20
C.P.B. 370

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 583] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 11, 1996/आश्विन 19, 1918
No. 583] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 11, 1996/ASVINA 19, 1918

COMPLETE
पूरा कर दिया गया

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 1996

का.आ. 708 (अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारत सरकार, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय ने दिल्ली विकास अधिनिय 1957 की धारा 5 (2) (एच) के अन्तर्गत अपने पत्र सं. के-11011/27/92-डी.डी.आई.ए., दिनांक 17 सितम्बर, 1996 द्वारा सूचित किया है f सर्वश्री जय प्रकाश अग्रवाल और विजय गोयल, संसद सदस्य (लोक सभा) विधिवत् रूप से दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य चु लिए गए हैं।

[सं. एफ. 1 (2)/93-95/एम.सी./डी.डी.ए.
वी. एम. बंसल, आयुक्त एवं सचि

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 1996

S.O. 708 (E).—It is hereby notified that under Section 5(2) (h) of the Delhi Development Act, 1957 the Govt. of India Ministry of Urban Affairs and Employment have vide their letter No. K.-11011/27/92-DDIA, dated 17th September, 199 communicated that S/shri Jai Prakash Aggarwal and Vijay Goel, M.P.s (Lok-Sabha) have been duly elected to be members o the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[No. F. 1 (2)/93-95/MC/DDA
V.M. BANSAL, Commr.-cum-Secy

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Assistant Controller (Business)

2496 GI/96

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996

Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54.

रजिस्ट्री सं० डीएल-33004/96

H.C. (G.D. Unit)
REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 584] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 11, 1996/आश्विन 19, 1918
No. 584] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 11, 1996/ASVINA 19, 1918

दिल्ली विकास प्राधिकरण

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1996

COMPLETED
पूरा कर दिया गया है।

का. आ. 709 (अ) :—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2)(एच) के अंतर्गत, भारत सरकार, शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या के-11011/27/92-डी. डी. आई.ए. दिनांक 8-8-96 द्वारा सूचित किया है कि श्री भुवनेश चतुर्वेदी, संसद सदस्य (राज्य सभा) को दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद का विधिवत् सदस्य चुना गया है।

यह अधिससूचना का. आ. सं. 652(ई) दिनांक 24-9-96 के माध्यम से जारी पूर्ववर्ती अधिसूचना का स्थान लेगी।

[सं. एफ. 1 (2) /93-95/एम.सी./डी.डी. ए.]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th October, 1996

S.O. 709 (E) :— It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Govt. of India, Ministry of Urban Affairs and Employment have vide their letter No. K-11011/27/92-DDIA dated 8-8-96 communicated that Shri Bhuvnesh Chaturvedi, M.P. (Rajya Sabha) has been duly elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

This supersedes earlier notification issued vide S.O. No. 652(E) dated 24-9-96.

[No. F. 1 (2)/93-95 /M.C./DDA]

V. M. Bansal, Commr.-cum-Secy.

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)

2497 GI/96

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996

भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

रजि. सं. डी.एल. 33001/96

REGISTERED NO. D. L.-33001

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 12, 1996/आश्विन 20, 1918
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 12, 1996/ASVINA 20, 1918

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1996

(आय कर)

का.आ. 2841.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा ("मालंकारा आर्थोडोक्स सीरियन चर्च कोट्टायम, केरल" को कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(1) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिये इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिये करेगा, जिनके लिये इसकी स्थापना की गई है;

(2) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों में संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा, अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकायें नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 10161/फा.सं. 197/92/96-आयकर नि.-1]

एच.के. चौधरी, अवर सचिव

2349 GI/96—1

Attested
Asstt. Controller (Business)
(391) Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

(शहरी कार्य और गरीबी उन्मूलन विभाग)

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1996

का.आ. 2869.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित अधिकारी को, जो आन्ध्र प्रदेश सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के संबंध में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थान का प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
1. विशेष आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश सरकार नई दिल्ली। 2. संयुक्त आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश सरकार, नई दिल्ली।	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश सरकार के या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए सभी स्थान।

[सं. 21012/1/96-पोल-1]

आर.डी. सहाय, उप सम्पदा निदेशक

MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT

(Departmento f Urban Affairs and Poverty Aleviation)

New Delhi, the 20th September, 1996

S.O. 2869.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eiviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), The Central Government hereby appoints the officers mentioned in column 1 of the Table below, being gazetted officers of the Government of Andhra Pradesh, to be estate officers for the purposes of the said Act who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officers by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in col 2 of the said Table.

TABLE

Designation of the officer	Category of public premis and local limits of jurisdictio
1	2
1. Special Commissioner, Government of Andhra Pradesh, New Delhi. 2. Joint Commissioner. Government of Andhra Pradesh, New Delhi.	All premises belonging to or taken on lease by the Government of Andhra Pradesh in the National Capital Territory of Delhi.

[No. 21012/1/96-Pol. I

R.D. SAHAY, Dy. Director of Estates

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1996

का.आ. 2870.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना-2001 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ती हो अथवा सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति अथवा सुझाव लिखित रूप में इस सूचना जारी होने के 30 दिन की अवधि के अन्दर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, नई दिल्ली को भेज दें। आपत्ति करने/सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी देना चाहिए।

संशोधन —

"भगवान दास रोड स्थित सर्वोच्च न्यायालय के वकीलों के चैम्बर के लिए विद्युत सब-स्टेशन के मामले में निम्नलिखित अनुज्ञेय की जाती है—

(1) अनुज्ञेय अधिकतम तल कवरेज को 25% से 40 प्रतिशत किया जाए और

(2) अनुज्ञेय न्यूनतम अग्रभाग (फ्रंट सैटबैक) को 6 मीटर से 4 मीटर किया जाए।"

प्रस्तावित संशोधन की एक प्रति निरीक्षण के लिए उपयुक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य-दिवसों में संयुक्त निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी।

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)

Asstt. Controller (Business)

[संख्या एफ 20(6) 84-एम.पी.]

विश्व मोहन कौशल, [illegible]

भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईंस, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st October, 1996

S.O. 2870.—The following modification which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi-2001, is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification/amendment may send the objection/suggestion in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objection/suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION

"In case of electric sub-station, Supreme Court lawyers chamber at Bhagwan Dass Road, the relaxation in (i) permissible maximum ground coverage from 25 per cent to 40 per cent and (ii) permissible minimum front set back from 6m to 4m is recommended."

2. A copy of proposed modification will be available for inspection at the office of Joint Director, Master Plan Section, 6th floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred above.

[No. F. 20(6)/84-MP]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1996

का.आ. 2871.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस सी सी एल के प्रबंधतंत्र के संबंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 12-9-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/18/94-आई आर (सी-II)]

राजा लाल, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 18th September, 1996

S.O. 2871.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S.C.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 12-9-96.

[No. L-22012/18/94-IR (C-II)]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

Attested

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL
HYDERABAD

PRESENT:

Sri V. V. Raghavan, B.A. LL.B., Assistant Commissioner of Labour (Central)

Dated, 8th day of August, 1996

Industrial Dispute No. 56 of 1994

BETWEEN

Shri R. Linga Reddy, Ex. Badli,
C/o Shri V. Ravinder, Qtr. No. 57,
Raman Colony, P.O. Kalyanikhani,
District Adilabad-504231. ..Petitioner

AND

The General Manager, Singareni
Collieries Company Limited, RG-I,
Godavarikhani, District:
Karimnagar-505001. ..Respondent

APPEARANCES:

Sri Y. Rama Rao, Advocate for the Petitioner.
M/s. K. Srinivasa Murty and G. Sudha, Advocates for the Respondent.

AWARD

This is a reference made by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi by its Order No. L-22012(18)/94-IR(C-II), dated 11-5-94 and Corrigendum dated 26-8-1994 under Sections 10(1)(d) and 2-A of Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of Industrial Dispute mentioned in its schedule which reads as follows:

"Whether the action of the management of Singareni Collieries Co. Ltd., Srirampur in terminating the services of Shri R. Linga Reddy w.e.f. 19-9-92 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. After receipt of the above reference this Tribunal issued notices to both the parties. The Advocates for the petitioner and Respondent filed Vakalats on 28-12-1994. The case was adjourned from time to time for claim statement. The claim statement was filed by the Petitioner on 15-2-1995 and a counter has been filed on 19-4-1995 by the Respondent. Thereafter the matter was posted for enquiry from time to time.

3. From 16-6-1995 to till date i.e. 8-8-1996, neither the petitioner nor the respondent were ready to lead evidence. Hence it is found that the petitioner is not evincing any interest to prosecute his matter, eventhough several adjournments were granted by this Tribunal to lead his evidence and prosecute his matter.

4. On a perusal of the docket sheet, it is found that both parties are not evincing any interest to prosecute this matter. Hence there is no option except to close the reference. Hence the I.D. is closed.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 8th day of August, 1996.

V. V. RAGHAVAN, Industrial Tribunal-I

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1996

का.आ. 2872.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एम सी सी एल के प्रबंधतंत्र के संबंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-9-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/16/94-आई आर (सी-II)]

राजा लाल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 18th September, 1996

S.O. 2872. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hydera-

भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/96

Received from GOI Press on 21-1-97

REGISTERED NO. D. L.-33001/96

H.C. (G.D. Unit)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 11, 1997/पौष 21, 1918
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 11, 1997/PAUSA 21, 1918

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

COMPLETED
पूरा कर दिया गया है

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1996

का. आ. 47.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री सुधीर शर्मा, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को श्री एम.एस. सीतारमन के स्थान पर विजया बैंक में निदेशक के रूप में नामित करती है।

[सं. एफ. 9/3/96-बी.ओ.-I]

के. के. मंगल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 27th December, 1996.

S.O. 47.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section 3 of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, read with sub-sclause (1) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby nominates Shri Sudhir Sharma, Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, New Delhi, as Director of Vijaya Bank Vice Shri M.S. Seetharaman.

[F. No. 9/3/96-BO.I]

K. K. MANGAL, Under Secy.

3191 GI/96—1.

Asstt Controller (Business)

(87) भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) and (8) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of the self-indicating non-automatic mechanical weighbridge of type WMW series of class III medium accuracy with brand name "WEITEX" (hereinafter called the model) manufactured by M/S Weitex India Limited, 1-3-176/35/22/26, Bhagyalaxminagar, Kavadiguda, Hyderabad-500080, and which is assigned the approval mark IND/09/95/20.

The model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class (III) weighing instrument with a maximum capacity of 30000 kg and minimum capacity of 100 kg. The verification scale interval (e) is 5 kg. It has a tarce device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular section of size 9×3 metre. The LED display indicates the weighing results. The instrument operates on 230 volts, 50 Hertz alternate current power supply;

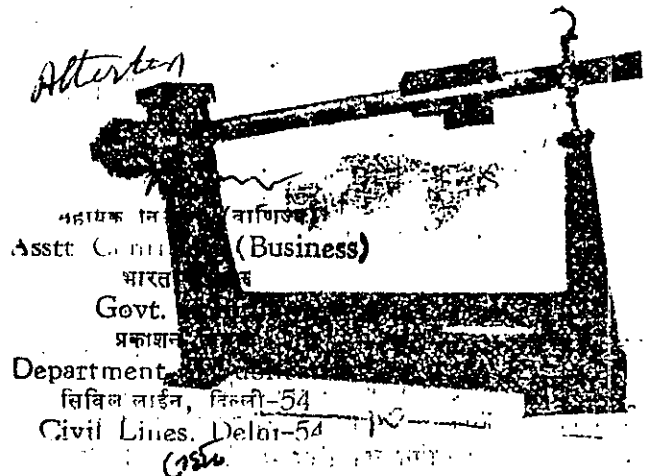

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the modal shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 5t/1 kg., 10t/2 kg., 15t/2 kg., 20t/5 kg, 30t/5 kg, 40t/5 kg, 50t/10 kg, 60t/10 kg, 80t/10 kg, and 100t/20kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[File No. WM 21(2)/95]

RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1997

सा.का.नि. 58 :—दिल्ली विकास (मुख्य योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना) नियम, 1959 के नियम 5 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 10(1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की क्षेत्रीय विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने तथा उसके प्रकाशन के लिए सूचना।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :—

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जोन "एच" (उत्तरी दिल्ली) के लिए एक क्षेत्रीय विकास योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है।

(ख) उसकी एक प्रति निरीक्षक के लिए मूतल) विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय में आगे पैरा 3 में उल्लिखित तारीख तक सभी कार्य दिवसों के दौरान प्रातः 11.00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध होगी।

2. इस प्रारूप योजना के संबंध में एतद्द्वारा आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।

3. आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप में आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, बी ब्लॉक, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 को सन् 1997 के महीने अप्रैल की 11 तारीख से पहले भेजें।

आपत्ति अथवा सुझाव भेजने वाले व्यक्ति को अपना नाम एवं पता भी अवश्य देना चाहिए।

[फाइल सं. एफ. 1(1)/93-जेड.पी.]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

नई दिल्ली
दिनांक 11-1-97

DELHI DEVELOPMEMT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 3rd January, 1997

S.O. 58 :—Notice under section 10 (1) of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) read with rule 5 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan-Rules 1959) of the preparation and publication of the draft of the Zonal Development Plan for the National Capital Territory of Delhi.

Notice is hereby given that:

(a) A draft of a Zonal Development Plan for Zone 'H' (North Delhi) in the National Capital Territory of Delhi has been prepared.

(b) A copy thereof will be available for inspection in the office of the Delhi Development Authority, on Ground Floor Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi between hours of 11.00 A.M. to 5 P.M. on all working days till the date mentioned in para '3' hereinafter.

2. Objections and suggestions are hereby invited with respect to this draft plan.

3. The objections or suggestions may be sent in writing to the Commissioner-Cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi-110023 before the 11th day of April, 1997.

Any person making the objections or suggestions should also given his name and address.

[No. F.1(1) 93-ZP]

V.M. BANSAL, Commissioner-Cum-Secy.

New Delhi
Dated 11-1-97

REGISTERED NO. D. (S)-330 01/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

P.O-550
H.M. 15
G.P.B. 335

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 25, 1997/माघ 5, 1918
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 25, 1997/MAGHA 5, 1918

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

COMPLETE

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)
(न्यायिक अनुभाग)
सूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1996

का.आ. 133 नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री प्रवीण गर्ग, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(229)/96-न्यायिक]

एन.सी. जैन सक्षम प्राधिकारी एवं अपर विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Legal Affairs)
(Judicial Section)
NOTICE

New Delhi, th. 31st December, 1996

S.O. 133.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Parveen Garg, Advocate for appointment as a Notary to practise in N.C.T. of Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(229)/96-Judl.]

N. C. JAIN, Competent Authority & Addl. Legal Adviser.

83 GI/97—1

Attested
(245)
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Assistant Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publications
Civil Lines, Delhi-54

Diploma De Docteurean Medicine. Algeria.
M.D. (University of Kabul), Afghanistan.
M.D. (University of Medicine and Dentistry of New Sersy), U.S.A.
M.B.B.S. (University of Papua, New Guinea), Boroka.
M.D. (University of Pecs), Hungary.
M.D. (Medicine and Surgery), (University of Catania), Italy.
Doctor of Medicine, M.D. (St. Georoe's University School of Medicine, Grenada, West Indies.

Physician, Warsaw Medical Academy, Poland.
Diploma of Physician, Medical Academy in Gdansk, Ptland.
Physician, M.B. (Bachelor of Medicine), Medical Academy, Sofia (Higher Medical Institute), Pleven, Bulgaria.
M.D. (Albert Szent Gyorgyi Medical University), Hungary.

Note :—These shall be recognised medical qualification when granted upto 16th September, 2001.

[No. V-11015/25/94-ME(UG)]
S. K. MISHRA, Desk Officer

Footnote:—Part II of the Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) was published as a part of the Indian Medical Council Act, 1956 in Part II, Section I of the Gazette of India (Extraordinary) vide issue No. 33, dated the 31st December, 1956.

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1997

का.आ. 143—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग); नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में, नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पश्चिमी क्षेत्र स्थित इंडियन एयरलाइन्स के जामनगर स्टेशन को, जिन के कर्मचारिवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

[संख्या ई-11011/8/95-हिन्दी]
रघुनाथ सहाय, निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 8th January, 1997

S. O. 143.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for the Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies Indian Airlines Ltd., Jam Nagar Station, Western Region under the administrative control of Ministry of Civil Aviation, the staff of which have acquired the working knowledge of Hindi:

[No. E-11011/8/95-Hindi]
RAGHUNATH SAHAI, Director (O.L.)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1997

का० आ० 144.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव लिखित रूप में इस सूचना के जारी होने के 30 दिन की अवधि के अन्दर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लॉक, आई०एन० ए०, नई दिल्ली को भेज दें। आपत्ति करने/सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी देना चाहिये।

संशोधन:—

(1) भारत के राजपत्र, भाग–2 खण्ड-3, उपखण्ड (2) दिनांक 1-8-90 के पृष्ठ 164 में दायीं ओर "सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधायें" शीर्षक के अंतर्गत नियंत्रण (2) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाता है :— "जोन "डी" (नई दिल्ली) में "सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधायें शीर्षक के अंतर्गत आने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन, आई० पी० एस्टेट उपयोग परिसर के अंतर्गत भवन के लिए विकास नियंत्रणों में अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात को एक-चार आबाद के रूप में 100 से बढ़ाकर 150 करने का प्रस्ताव है।

(2) भारत के राजपत्र, भाग–2 खण्ड-3, उपखण्ड (2) दिनांक 1-8-90 के पृष्ठ 163 में दायीं ओर प्राथमिक विद्यालय" (081)" शीर्षक के अंतर्गत

टिप्पणी:— विकलांगों के लिए विद्यालय के मानक वही होंगे जो प्राथमिक विद्यालय के मानक हैं, को निम्नलिखित प्रकार में बदला जाए:—

"विकलांगों के लिए विद्यालय"	(081-ए)
अधिकतम तल कवरेज	50%
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात	100
अधिकतम ऊंचाई	14 मीटर"

Attested
सहायक निदेशक (राजभाषा)
Assistant Director (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
पटियाला हाउस, दिल्ली-54
Patiala House, Delhi-54

(3) मदनपुर खादर, नई दिल्ली में जोन "ओ" में आने वाले 28 हेक्टेयर (70 एकड़) क्षेत्रफल, जो उत्तर में आगरा नहर/मार्जिनल बांध पूर्व में नदी, दक्षिण में मार्जिनल बांध रोड़ और पश्चिम में नदी/मेन पावर लाइन में घिरा हुआ है के भूमि उपयोग को एल० पी० जी० बाटलिंग प्लांट के लिये "कृषि और जल क्षेत्र" (ए-4) "में" व्यवसायिक (सी-2)" (भाण्डागार और भण्डारण में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है ।"

2. दिल्ली मुख्य योजना 2001 का पाठ/प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए, उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य दिवसों में संयुक्त निदेशक (मुख्य योजना), मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध है ।

सहायक नियन्त्रक (वाणिज्य)
Asstt Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

[सं० एफ० 20(11)/95-एम० पी०]
विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVEOLPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 17th January, 1997

S.O. 144.—The following modification which the Central Government proposes to make in the Master Plan|Zonal Development Plan for Delhi, are hereby published for public information. Any person having any objection|suggestion with respect to the proposed modifications may send the objections|suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The person making the objection|suggestion should also give his name and address.

MODIFICATIONS :

(i) At page 164 right hand side of the Gazette of India, Part II section 3 sub-section (ii) dated 1-8-90, under the heading 'Public and semi-Public facilities', the following is added after controls(ii);

"In the development controls for building within use premises of World Health Organisation, IP Estate, falling in zone 'D' (New Delhi), under 'Public and semi-Public Faciltiies', maximum FAR is proposed to be increased from 100 to 150 as one time exception".

(ii) At page 163 (RHS) of the Gazette of India, Part II, Section 3 Sub-section (ii) dated 1-8-90, under the heading 'Primary School' (081)", the Note : 'school for the Handicapped shall have the same norms of the Primary School' is to be substituted as under :—

"SCHOOL FOR HANDICAPPED' (081-A)
Maximum ground coverage 50 per cent
Maximum Floor Area Ratio 100
Maximum Height 14M."

(iii) "The land use of an area, measuring 28 ha. (70 acres) falling in Zone 'O' (River Yamuna) bounded by Agra Canal Marginal Bund in the North, River Bed in the East, Marginal Bund Road in the South and River bed|Main Power line in the West is proposed to be changed from 'agricultural and water body' (A-4) to 'Commercial' (C-2) (Warehousing and storage) for LPG bottling plant at Madanpur Khadar, New Delhi."

2. The text of MPD-2001|Plan indicating the proposed modifications are available for inspection at the office of the Joint Director (MP) Master Plan Section, 6th floor, Vikas Minar, IP Estate, New on all working days within the period referred above.

[No. F. 20(11)95-MP]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

New Delhi,

रजिस्ट्री सं० डीएल-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 346] नई दिल्ली, बुधवार, जून 11, 1997/ज्येष्ठ 21, 1919
No. 346] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 11, 1997/JYAISTHA 21, 1919

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 1997

का. आ. 441(अ).—दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्वाचित किए जाने पर, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(डी) के प्रावधानों के अनुसार श्री तिलक राज अग्रवाल, श्री दुष्यंत कुमार गौतम, श्री अजीत सिंह और श्रीमती लीला बिष्ट, निगम पार्षदों को उनके निर्वाचित होने की तिथि अर्थात् 15-4-97 से दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त करता है ।

[सं. एफ. 1(2)97-एसी/एम.सी./डी. डी. ए./72]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Commissioner Cum-Secretary's Office)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 1997

S. O. 441(E).—Pursuant to their election by the Municipal Corporation of Delhi, the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 5(2)(d) of the Delhi Development Act, 1957 hereby appoints Shri Tilak Raj Aggarwal, Shri Dushyant Kumar Gautam, Shri Ajit Singh and Smt. Leela Bisht, Councillors as members of the Advisory Council of Delhi Development Authority with effect from their date of election i.e. 15-04-1997.

[No. F. 1(2)97-AC/MC/DDA/72]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

1471 GI/97

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/97

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED NO. D.L.—33002/97

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129] दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 1997/आषाढ़ 6, 1919 [पी.आर.डी. सं. 195
No. 129] DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 1997/ASADHA 6, 1919 [P.R.D. No. 195

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि व भवन विभाग

दिल्ली, 27 जून, 1997

अधिसूचना सं. एफ. 7(45)/95/एल. एंड बी./एल. ए./6524.—दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अन्तर्गत, दिल्ली के उपराज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष "भर्ती नियम" जो की संलग्नक "ए" "बी" "सी" "डी" एवं "ई" पर निम्नलिखित दिल्ली विकास प्राधिकरण के पदों के संबंध में हैं को अपनी स्वीकृति देते हैं।

(1)	निदेशक	संलग्नक "ए"
(2)	उप निदेशक	संलग्नक "बी"
(3)	सहायक निदेशक	संलग्नक "सी"
(4)	निजी सचिव	संलग्नक "डी"
(5)	सहायक बन्दोबस्त अधिकारी	संलग्नक "ई"

आदेश से,
एवं उपराज्यपाल के नाम से,
एम. एन. मलहन, उप सचिव

संलग्नक-IV

दिल्ली विकास प्राधिकरण में निदेशक पद की भर्ती के नियम

1.	पदनाम	निदेशक
2.	पद संख्या	10 (कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय)
3.	वर्गीकरण	ग्रुप "ए"
4.	वेतनमान	रुपये 3700-5000/-
5.	चयनपद है अथवा गैर-चयनपद	चयन
6.	(अ) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
	(ब) क्या के. सि. से. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति उम्मीदवारों पर भी होंगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष
10.	सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की विधि और रिक्तियों को विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने का प्रतिशत :	(1) 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा यदि ऐसा नहीं हो तो प्रतिनियुक्ति द्वारा (2) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण की दशा में भर्ती के लिए वर्ग जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाये	(1) पदोन्नति : उपनिदेशक/संयुक्त निदेशक/उपसचिव एवं समकक्ष पद पर रुपये 3000-4500/- वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संवर्ग/ग्रेड में डिग्री या समकक्ष। (2) प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा: भारतीय प्रशासनिक अधिकारी (आगम केडर) और दानी सिविल सेवा (केवल) के अधिकारी के पद पर 8 वर्ष तक की नियमित सेवा जिसमें वरिष्ठ वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा हो (प्रतिनियुक्ति सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक न हो)।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका संगठन क्या है	पदोन्नति समिति है, जिसके अध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष है।
13.	बचत	ये विनियम अनुसूचित जाति, जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणियों या व्यक्तियों को केन्द्र सरकार/प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायत को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगे।
14.	अयोग्यताएं	कोई भी व्यक्ति : (अ) जिसने पहली पत्नी/पति के जीवित होते हुए दूसरा विवाह या दूसरे विवाह के लिए समझौता किया हो।

(ब) ऐसा व्यक्ति जिसने पहली पत्नी/पति के जीवित रहते हुए भी दूसरा विवाह किया है—यदि केन्द्र सरकार के नियमानुसार यह "पर्सनल-लॉ" के अंतर्गत आता है या वह व्यक्ति इस कृत्य की प्रासंगिकता सिद्ध कर देता है, तब वह इस नियम में छूट का अधिकारी होगा।

15. छूट का अधिकार

यदि उपराज्यपाल की राय हो तथा आवश्यक समझे तब वह आदेशानुसार, कारण सहित, लिखित रूप में किसी भी श्रेणी, व्यक्ति अथवा पद के लिये नियमों में छूट कर सकता है।

टिप्पणी :—कार्यभार के अनुरूप परिवर्तनीय।

LAND & BUILDING DEPTT.,

NOTIFICATION

Delhi, the 27th June, 1997

No. F.7 (45)/95/L&B/LA/6524.—Lt. Governor of NCT of Delhi, in exercise of powers conferred upon him under section 57 of Delhi Development Act, 1957, is pleased to approve the "Recruitment Rules" annexed at Annexure A,B,C, D & E of following posts of DDA:—

1. Director	Annexure 'A'
2. Dy. Director	Annexure 'B'
3. Asstt. Director	Annexure 'C'
4. Private Secretary	Annexure 'D'
5. Asstt. Settlement Officer	Annexure 'E'

By order and in the name of Lt. Governor,
M.N. MALHAN, Dy. Secy..

ANNEXURE-A

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF DIRECTOR IN THE DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY.

1.	Name of the Post	: DIRECTOR.
2.	No.of Posts.	: 10 (Subject to Variation dependent on work-load.)
3.	Classification.	: Group-A
4.	Scale of Pay.	: Rs. 3700—5000/- (Revised).
5.	Whether selection posts or non-selection post.	: Selection.
6.	Age limit for direct recruits.	: N.A.
	(a) Whether benefit of added years of service admissible. under Rules 30 of CCS (Pension) Rules, 1972.	: N.A.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	: N.A.
8.	Whether age & educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationsists.	: N.A.
9.	Period of Probation, if any	: 2 years.
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer or deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	: (i) 50% by Promotion failing which by deputation. (ii) 50% by transfer on deputation.
11.	In case of recruitment by promotion transfer/deputation grades from which promotion is to be made.	: (i) For Promotion : Dy. Director/Jt. Director/Dy. Secretary of equivalent posts in the scale of Rs. 3000—4500 with at least 5 years regular minimum service in that cadre grade & possessing a degree of recognised University or equivalent (ii) Transfer on deputation : Officers of IAS, (AGMU Cadre) and officer of DANI Civil Services only with 8 years service including 3 years service in the senior scale of DANICS (the period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).

12.	If a DPC exists, what is its composition.	:	DPC exists under the Chairmanship of V.C. DDA.
13.	Saving.	:	Nothing in these regulations shall effect reservations relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt. authority from time to time in this regard.
14.	Dis-qualification.	:	No persons. (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or. (b) who is having a spouse living has entered into or contracted marriage with any person shall be eligible for appointment to the said posts; provided that the Central Govt. may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.
15.	Power to relax.	:	Where the Lt. Governor is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations in r/o any class or category of persons and posts.

Note :—Subject to variation dependent on work load.

संलग्नक–बी

दिल्ली विकास प्राधिकरण में उप–निदेशक के पद के भर्ती नियम

1.	पदनाम	:	उपनिदेशक
2.	पदों की संख्या	:	41 (कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय)
3.	वर्गीकरण	:	ग्रुप ''ए''
4.	वेतनमान	:	रुपये 3000--100-3500--125--4500/-
5.	चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	चयन
6.	(अ) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
	(ब) क्या के. सि. से. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति उम्मीदवारों पर भी होंगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की विधि और रिक्तियों को विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने का प्रतिशत	:	(1) 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा यदि ऐसा नहीं हो तो प्रतिनियुक्ति द्वारा (2) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा

11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण की दशा में भर्ती के लिए वर्ग जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाये।	:	(1) पदोन्नति : 4:1 के अनुपात में सहायक निदेशक/सहायक बन्दोबस्त अधिकारी और निजी सचिव के कैडर से होगी । दूसरे शब्दों में पदोन्नति हेतु—उपनिदेशक के पांच पदों में से चार पद, सहायक निदेशक/सहायक बन्दोबस्त अधिकारी (संयुक्त रूप से) और एक निजी सचिव के लिए होगा । पदोन्नति के लिए फीडर कैडर में पांच वर्ष की नियमित सेवा आवश्यक है।
			(2) प्रतिनियुक्ति : दानी सिविल सेवा अधिकारियों में जो छः वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं ।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका संगठन क्या है	:	ग्रुप "ए" डी.पी.सी.
13.	बचत	:	ये विनियम अनुसूचित जाति, जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणियों या व्यक्तियों को केन्द्र सरकार/प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायत को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगे।
14.	अयोग्यताएं	:	कोई भी व्यक्ति जिसने पहली पत्नी/पति के जीवित होते हुए दूसरा विवाह या दूसरे विवाह के लिए समझौता किया हो ।
15.	छूट का अधिकार	:	जब दिल्ली विकास प्राधिकरण के चैयरमैन की राय हो तथा आवश्यक समझे तब वह आदेशानुसार, कारण सहित, लिखित रूप में किसी भी श्रेणी, व्यक्ति अथवा पद के लिये नियमों में छूट कर सकता है।

ANNEXURE-B

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF DY. DIRECTOR IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

1.	Name of the Post.	:	Dy. Director.
2.	No.of Posts.	:	41 (Subject to variation dependent on workload.)
3.	Classification.	:	Group-'A'.
4.	Scale of Pay.	:	Rs. 3000-100-3500-125-4500/-.
5.	Whether selection post or non-selection post.	:	Selection.
6.	(a) Age limit for direct recruitment.	:	N.A.
	(b) Whether benefit of any added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules.	:	N.A.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	:	N.A.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.	:	N.A.
9.	Period of promotion, if any.	:	2 years.
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	:	50% of the posts by Promotion failing which by deputation.
11.	In case of recruitment by promotion/transfer/ deputation, grades from which promotion/ transfer/deputation is to be made.	:	50% of the posts by deputation.
		:	Promotion :—Promotion will be made from the cadres of Asstt. Directors/Asstt. Settlement Officers and Private Secretaries in the ratio of 4:1. In other words out of 5 promotional posts

1611DS/97-2

			of D.D., four will be available to A.D's and A.S.O's taken together and one to Private Secretaries. A minimum of five years regular service in the feeder cadre would be necessary for promotion.
		:	Deputation : From DANI Civil Services Officers only with six years of service.
12.	If a DPC exists, what is the composition.	:	Group 'A' DPC.
13.	Saving.	:	Nothing in these regulations shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt. Delhi Development Authority from time to time in this regard.
14.	Disqualification.	:	No person who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive.
15.	Power to relax.	:	When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient to do, he may by order, for reasons to be provided in writing, relax any of the provisions of those regulations in r/o any class or category or pensions or posts.

संलग्नक—सी

दिल्ली विकास प्राधिकरण में सहायक निदेशक के पद की भर्ती के नियम

1.	पदनाम	:	सहायक निदेशक
2.	पद संख्या	:	कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय, 55 (1973)
3.	वर्गीकरण	:	ग्रुप "बी"
4.	वेतनमान	:	2000-60-2300-द.अ.-75-3200-100-3500/- रुपये
5.	चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	चयन
6.(अ)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	:	कोई आयु-सीमा नहीं
(ब)	क्या के. सि. से. (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	:	लागू नहीं
7.	पदोन्नति के लिए शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	:	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष
8.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी।	:	कोई आयु सीमा नहीं शैक्षिक योग्यता समान परन्तु केवल 25 प्रतिशत पदोन्नति हेतु
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	2 वर्ष
10.	सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की विधि और रिक्तियों को विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने का प्रतिशत	:	(1) 25 प्रतिशत उन स्नातकों के मध्य से विभागीय परीक्षा पद पर 5 वर्षों की संयुक्त सेवा कर चुके हों । (2) 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण की दशा में भर्ती के लिए वर्ग जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाये ।	:	पदोन्नति द्वारा अभीक्षक ग्रेड में 6 वर्षों की नियमित सेवा सहित 1640-2900/रुपये का वेतनमान
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका संगठन क्या है ?	:	ग्रुप "बी" विभागीय पदोन्नति समिति
13.	बचत	:	इन नियमों-विनियमों में आरक्षण/आयु सीमा में छूट और अन्य प्रकार की रियायतें जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति/भूतपूर्व सैनिकों और दूसरी श्रेणियों और व्यक्ति जो कि केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गमित आदेशों के अनुसार समय-समय पर इस संबंध में निकाले गये हैं ।
14.	अयोग्यताएं	:	कोई भी व्यक्ति दूसरे विवाह के लिए जबकि उसके पति/पत्नी जीवित है संविदा दावर नहीं कर सकता ।
15.	छूट का अधिकार	:	जब सेक्रेटरी की राय हो तथा वह आवश्यक समझे तब वह आदेशानुसार, कारण सहित लिखित रूप में किसी भी श्रेणी, व्यक्ति अथवा पद के लिये नियमों में छूट कर सकता है ।

ANNEXURE-C

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR IN DEVELOPMENT AUTHORITY

1.	Name of the Post	:	Assistant Director
2.	No.of Posts.	:	*55 (1993) *(Subject to variation dependent on work load.)
3.	Classification.	:	Group-'B'.
4.	Scale of Pay.	:	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500/-.
5.	Whether selection post or non-selection post.	:	Selection.
6.	(a) Age limit for direct recruitment.	:	No age limit
	(b) Whether benefit of any added years or service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules 1972.	:	Not applicable
7.	Educational and other qualifications required for promotions.	:	Degree or its equivalent from a recognised limited University.
8.	Whether age & Educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.	:	Age : No Educational Qualification :Yes, but only for 25% limited promotions.
9.	Period of Probation, if any.	:	2 years.
10.	Method of recruitments whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation percentage of the vacancies to be filled by	:	(i) 25% by promotion through limited departmental exams. from among graduates who have completed 5 years combined service in the cadre or Assistant or equivalent. (ii) 75% by promotion failing which by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/transfer/ deputation, grades from which promotion/transfer/ deputation is to be made.	:	Promotion from Superintendent who have put in 6 years of regular service in the grade of R/o Rs. 1640—2900/-.
12.	If a DPC exists, what is its composition.	:	Group 'B' DPC.
13.	Saving.	:	Nothing in these regulations shall affect reservations,relaxation or age limit and other concessions requiredto be provided for the Scheduled Castes, the ScheduledTribes, Ex-servicemen and otherspecial

			categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.
14.	Disqualification.	:	No person who has entered into or contract a second marriage when his/her spouse is alive.
15.	Power to relax.	:	When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or pensions or posts.

संलग्नक—डी

दिल्ली विकास प्राधिकरण में निजी सचिव पद के भर्ती के नियम

1.	पद नाम	:	निजी सचिव
2.	पद संख्या	:	30 *(1992) कार्यभार के अनुरूप परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	:	ग्रुप "बी"
4.	वेतनमान	:	2000-60-2300-द.अ.-75-3200-100-3500 रुपये
5.	चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	चयन पद
6.(अ)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	:	कोई आयु सीमा नहीं
(ब)	क्या के. सि. से. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है ?	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	2 वर्ष
10.	सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती का तरीका जहां से पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जाती है	:	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण की दशा में भर्ती के लिए जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाये	:	पदोन्नति : —रुपये 1640—2900/- के वेतनमान में निजी सहायक की 6 वर्षों की नियमित सेवा प्रतिनियुक्ति :— जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार में उपरोक्त के सदृश पद पर कार्यरत हों ।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका संगठन क्या है ?	:	ग्रुप "बी" विभागीय पदोन्नति समिति
13.	बचत	:	ये विनियम अनुसूचित जाति/जनजाति/भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार/विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायत को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगे ।

4.	अयोग्यताएं	: कोई भी व्यक्ति जिसने पहली पत्नी/पति के जीवित होते हुए दूसरा विवाह या दूसरे विवाह के लिए समझौता किया हो ।
5.	छूट का अधिकार	: जब दिल्ली विकास प्राधिकरण के चेयरमैन की राय हो तथा आवश्यक समझे तब वह आदेशानुसार कारण सहित, लिखित रूप में किसी भी श्रेणी, व्यक्ति अथवा पद के लिये नियमों में छूट कर सकता है ।

ANNEXURE-D

RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF PRIVATE SECRETARY IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY.

1.	Name of Post	: Private Secretary
2.	No. of Posts	: 30 (1992) Subject to variation/dependent on workload.
3.	Classification	: Group 'B'
4.	Scale of pay	: Rs 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500/-
5.	Whether Selection post or non-selection post	: Selection
6.	(a) Age limit for direct recruitment.	: Not applicable.
	(b) Whether benefit of any added years of service admissible under Rule-30 of CCS (Pension) Rules 1972.	: Not applicable
7.	Educational and other Qualifications required for direct recruits.	: Not applicable
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in case of promotees and deputationists.	: Not applicable
9.	Period of probation, if any	: 2 years
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	: By promotion failing which by deputation.
11.	In case of recruitment by promotion/transfer/ deputation grades from which promotion/transfer/ deputation is to be made.	: BY PROMOTION : From Personal Assistants with 6 years of regular service in the grade of Rs. 1640-2900/- : DEPUTATION: From such of the officers holding analogous post in the Central Govt./State Govt.
12.	If a D.P.C. exists what is its composition	: Group 'B' D.P.C.
13.	Saving	: Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation or age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Casts, the Scheduled Tribes, Ex. Serviceman and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.
14.	Disqualification	: No person who has entered into or contract a second marriage when his/her spouse is alive.

1611 DG/4)-3

15. Power to relax	:	When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writting relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category of persons or posts.

संलग्नक—ई

सहायक व्यवस्था अधिकारी के पद के भर्ती नियम

1. पदनाम	:	सहायक बन्दोबस्त अधिकारी
2. पद संख्या	:	7 कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3. वर्गीकरण	:	ग्रुप "बी"
4. वेतनमान	:	2000-60-2300-ई.बी.-75-3200-100-3500/- रुपये
5. चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	चयन
6. (अ) सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	:	लागू नहीं
(ब) क्या के.सि.से. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गए वर्षों का लाभ ग्राह्य है।	:	लागू नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं।
8. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	:	लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	2 वर्ष
10. सीधी अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती का तरीका जहां से पदोन्नति/स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति की जानी है	:	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
11. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण की दशा में भर्ती के लिए वर्ग जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जायेः	:	6 वर्षों की नियमित सेवा सहित 1640-2900/-रु. वेतनमान में सहायक विधि अधिकारी और योग्यता प्राप्त एवं प्रशिक्षित तहसीलदार प्रतिनियुक्तिः— सरकारी/स्थानीय निकाय के अधीन जो 1640-2900/-रु. के वेतनमान के पद पर हो।
12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका संगठन क्या है	:	ग्रुप "बी" डी. पी. सी.।
13. बचत		इन नियमों नियमों में आरक्षण/आयु सीमा में छूट और अन्य प्रकार की रियायतें जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति/भूतपूर्व सैनिकों और दूसरी श्रेणियों और व्यक्ति जो कि केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गमित आदेशों के अनुसार समय-समय पर इस संबंध में निकाले गये हैं।
14. अयोग्यताएं	:	कोई भी व्यक्ति दूसरे विवाह के लिए जबकि उसके पति/पत्नी जीवित है संविदा दायर नहीं कर सकता।
15. छूट का अधिकार	:	जब चेयरमैन की राय हो तथा वह आवश्यक समझे तब वह आदेशानुसार, कारण सहित लिखित रूप में किसी भी श्रेणी, व्यक्ति अथवा पद के लिये नियमों में छूट कर सकता है।

ANNEXURE 'E'

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF ASSISTANT SETTLEMENT OFFICER

1.	Name of post	: Assistant Settlement Officer
2.	No. of posts	: 7 (subject to variation/dependent on workload)
3.	Classification	: Group 'B'
4.	Scale of pay	: Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500/-
5.	Whether selection post or non-selection post	: Selection
6.	(a) Age limit for direct recruitment	: Not Applicable
	(b) Whether benefit of any added years of service admissible under Rule-30 of CCS (Pension) Rules, 1972	: Not Applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	: Not Applicable
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in case of promotees and deputationists.	: Not Applicable
9.	Period of probation, if any	: 2 years
10.	method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, or transfer or by deputation	: By promotion failing which by deputation.
	grades from which promotion traansfer/deputation is to be made.	
11.	In case of recruitment by promotion/transfer/ deputation grades from which promotions/transfer/ deputation is to be made	: By Promotion : From A.L.O., and qualified and trained Tehsildars with 6 years service in the grade of Rs. 1640-2900/-
		: Deputation :
		: Officers in the scale of Rs. 1640-2900 from Govt./Local bodies.
12.	If a D.P.C. exists what is its composition	: Group 'B' D.P.C.
13.	Saving	: Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation or age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Tribes, Scheduled Castes, Ex-servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.
14.	Disqualification	: No person who has entered into or contract a second marriage when his/her spouse is alive.
15.	Power to relax	: When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writting relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997

रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/97

Received from GOI Press..... on.....

REGISTERED NO. D. L.—33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 28, 1997/आषाढ़ 7, 1919

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 28, 1997/ASADHA 7, 1919

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1997

(मुख्यालय स्थापना)

का. आ. 1621.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कारबार संव्यवहार का विनियमन) नियमावली 1964 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के अधिकारी एवं वर्तमान में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्यरत श्री रविकान्त को दिनांक 16 अप्रैल, 1997 (पूर्वान्ह) से अगले आदेश तक केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[फा. सं. ए. 19011/5/96-प्रशा. I]

प्यारे लाल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 17th April, 1997

(HEADQUARTERS ESTABLISHMENT)

S.O. 1621.—In exercise of the powers conferred by the Rule 3 of the Central Board of Direct Taxes (Regulation of Transaction of Business) Rules, 1964, the Central Government hereby appoint Shri Ravi Kant, an officer of the Indian Revenue Service (Income-Tax) and presently posted as Member, Central Board of Direct Taxes, as Chairman, Central Board of Direct Taxes with effect from 16th April, 1997 (forenoon) and until further orders.

F. No. A. 19011/5/96-Ad.II

PYARE LAL, Under Secy.

भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

indicator or a Steel yard with moving poise. The instrument works on the principle of levers;

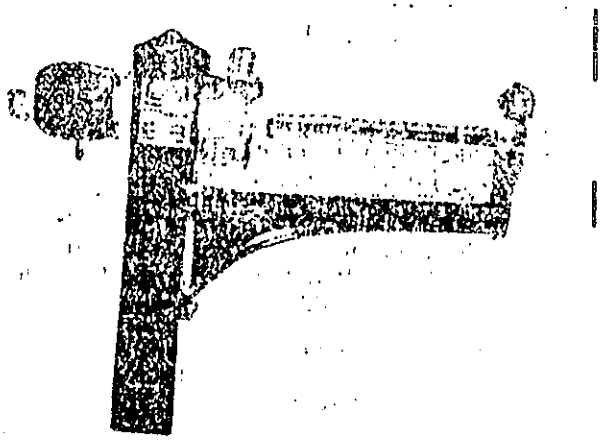

(figure)

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 500 kg/200 g, 1000 kg/200 g, 2000 kg/ 500 g and 5000 kg/1 kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[File No. WM 21(44)/94]
RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 1997

का. आ. 1624.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्तियां/सुझावों को इस सूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के अन्दर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लॉक, आई. एन. ए., नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज दें। आपत्ति/सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी देना चाहिए।

संशोधन

(1) "जोन सी" (सिविल लाइन एरिया) के अन्तर्गत आने वाले लगभग 2.0 हेक्टेयर क्षेत्र, जो सहायक नियंत्रक (वाणिज्य) एवं पश्चिम में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, Asstt. Controller (Business) मिशन साइट और दक्षिण में "मनोरंजनात्मक क्षेत्र" से घिरा हुआ है, के भूमि उपयोग को "मनोरंजनात्मक" से "सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं" (श्मशान भूमि)" में बदला जाना प्रस्तावित है।"

(2) जोन "ओ" (यमुना नदी) के अन्तर्गत आने लगभग 35 हेक्टेयर (86.5 एकड़) क्षेत्र, जो उत्तर में रेलवे लाइन/प्रस्तावित "मनोरंजनात्मक" (हरित पट्टी), दक्षिण में एन एच—24/प्रस्तावित मनोरंजनात्मक हरित पट्टी, पूर्व में नोएडा को जोड़ने वाले मार्जिनल बांध रोड एवं प्रस्तावित "मनोरंजनात्मक" (हरित पट्टी) और पश्चिम में यमुना नदी से घिरा हुआ है, के भूमि उपयोग को "कृषि एवं जल निकाय (ए-4) से "सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं" में बदला जाना प्रस्तावित है।

2. प्रस्तावित संशोधनों की सूचना वाले नक्शे उक्त अवधि के दौरान निरीक्षण हेतु संयुक्त निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली में सभी कार्य दिवसों को उपलब्ध रहेंगे।

[सं. एफ. 20 (11)/94—एम पी.]
बी. एम. बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 23rd June, 1997

S.O. 1624.—The following modifications which the Central Govt. proposes to make in the Master Plan/ Zonal Plan for Delhi, are hereby published for public information. Any person having any objections/suggestions with respect to the in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi with a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objections/suggestions should also give his name and address.

MODIFICATIONS

(i) "The land use of an area, measuring about 2.0 ha. falling in zone 'C' (Civil Line area), bounded by Sewerage Treatment Plant in the North and West, transmission site in the East and 'Recreational Area' in the South, is proposed to be changes from 'recreational' to 'Public and Semi Public facilities' (Cremation Ground)."

(ii) "The land use of an area, measuring about 35 ha. (86.5 Ac) falling in zone 'O' (River Yamuna) bounded by Railway line/proposed 'Recreational' (Green Belt) in the North, NH-24 proposed Recreational Green Belt, in the South, Noida Link Marginal Bund Road and proposed 'Recreational' (Green Belt) in the East and the River Yamuna in the West, is proposed to be

Attested
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

'Agricultural and Water body' (A-4) to 'Public and Semi Public facilities'.

2. The plans indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Joint Director, Master Plan Section, 6th floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred above.

[No. F. 20(11)94-MP]
V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 मई, 1997

का.आ. 1625.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबन्ध निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं. 1, मुम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 28-5-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल/31012/14/96-आई.आर. (विविध)]
बी०एम. डेविड डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 28th May, 1997

S.O. 1625.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, No. I Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Mumbai Port Trust and their workman, which was received by the Central Government on 28-5-1997.

[No. L-31012/14/96-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, MUMBAI

PRESENT :

Shri Justice R. S. Verma, Presiding Officer.

REFERENCE NO. CGIT-1 OF 1997

PARTIES :

Employers in relation to the management of Mumbai Port Trust

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Management : Shri M. B. Anchan, Advocate.

For the Workman : No appearance.

Mumbai, the 15th May, 1997.

AWARD

Mr. M. B. Anchan for Management.

The appropriate Government referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of Mumbai Port Trust in retiring Shri Suleman Abdulla Shemle prematurely w.e.f. 30-6-95 is justified ? If not, to what relief is the workman entitled."

The workman has not filed his claim till day even though the reference was made on 13-12-1996 and copy thereof was endorsed to the workman.

Notices were issued by this Tribunal to the workman at the addresses given in the letter of reference. The notice sent by Registered Post has been received unserved with the remark 'Left'. In these circumstances, it is not possible for the Tribunal to serve a notice on the workman. The workman has not taken any steps to file the claim and it appears he is not interested in persuing the matter. In these circumstances, a 'No dispute' award is passed. Copy of the award be sent to all concerned.

R. S. VERMA, Presiding Officer

नई दिल्ली 28 मई 1997

का.आ. 1626.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इन्टरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के प्रबंन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं. 1, मुम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 28-5-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल 11012/12/90-आई आर विविध)]
बी०एम. डेविड डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th May, 1997

S.O. 1626.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal No.-I, Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of International Airport Authority of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 28-5-1997.

[No. L-11012/12/90-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, MUMBAI

रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/97

Received from GOI Press on..... REGISTERED NO. D. L.—33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 23, 1997/ भाद्र 1, 1919

No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 23, 1997/BHADRA 1, 1919

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1997

का.आ. 2062.—सरकारी भवन (अनाधिकृत कब्जे की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे सारणी के कालम (1) में उल्लिखित अधिकारी को, भारत सरकार का राजपत्रित अधिकारी होने के कारण, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पदा अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है और एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि उपर्युक्त अधिकारी उक्त सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी भवनों की श्रेणियों के संबंध में उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिए गए कार्यों का निर्वहन करेगा:—

सारणी

नाम तथा रैंक	सरकारी भवनों की श्रेणियां
श्री बेल प्रसाद गुरुंग, उप कमांडेन्ट, महानिदेशालय, असम राइफल्स, शिलांग-793 011	भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 2507 दिनांक 20 अगस्त, 1996 द्वारा अधिसूचित किए जा चुके भवनों के अतिरिक्त त्रिपुरा राज्य में असम राइफल्स के नियंत्रणाधीन सभी सरकारी भवन।

[फा. सं. II/27013/32/96-पीएफ-V]

निर्मला देव, डेस्क अधिकारी (पी. एफ.-V)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th July, 1997

S.O. 2062.—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupation) Act-1971 (40 of 1971) the Central Government hereby appoints the officer mentioned in the Column (1) of the table below, being a gazetted Officer of the Government of India, to be Estate Officer for the purpose of the said Act and hereby directs that the said officer shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on Estate Officers under the said Act in respect of the Categories of Public Premises specified in column (2) of the said table:—

TABLE

Name and rank	Categories of public premises
Shri Bel Prasad Gurung Deputy Commandant Directorate General Assam Rifles Shillong-793011	All public premises held on charge of Assam Rifles in the State of Tripura in addition to premises already notified in Gazette of India Part-II Section 3 Sub Section (ii) S.O. 2507 dated 20 August, 1996.

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)

Assistant Controller (Business)

[F. No. II/27013/32/96 PF-V]

NIRMALA DEV, Desk Officer (PF-V)

2007 GI/97—1

भारत सरकार

Govt of India

(सचिव विभाग)

Department of Publication

सिविल लाईंस, दिल्ली-54

Civil Lines, Delhi-54

कोयला मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1997

का.आ. 2082:—भारत के राजपत्र तारीख 26 मार्च, 1997 के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में पृष्ठ क्रमांक 1870 से 1872 पर प्रकाशित भारत सरकार कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 899 तारीख 5 अप्रैल, 1997 में पृष्ठ क्रमांक 1871 पर—

अधिसूचना में अनुच्छेद दो में "ईस्टर्न" के स्थान पर "वैस्टर्न" पढ़िए।

अनुसूचि में तहसील स्तम्भ के नीचे "वनी" के स्थान पर "वणी" पढ़िए और जहां कहीं वनी शब्द प्रयुक्त हुआ हो उसी स्थान पर "वणी" पढ़िए और जिला स्तम्भ के नीचे "यावतमाल" के स्थान पर "यवतमाल" पढ़िए और जहां कहीं यावतमाल शब्द प्रयुक्त हुआ हो उसी स्थान पर "यवतमाल" पढ़िए।

3. ग्राम का नाम स्तम्भ के नीचे क्रम संख्या 4 में "येनाक" के स्थान पर "येनक" पढ़िए और जहां कहीं येनाक शब्द प्रयुक्त हुआ हो उसी स्थान पर "येनक" पढ़िए और क्रमसंख्या 5 में "साक्येरा" के स्थान पर "साक्सरा" पढ़िए और जहां कहीं साक्सरा शब्द प्रयुक्त हुआ हो उसी स्थान पर "साक्सरा" पढ़िए।

4. सीमा वर्णन में रेखा ध-ङ में "पेण गंगा" के स्थान पर "पैनगंगा" पढ़िए और "चिखाली" के स्थान पर "चिखली" पढ़िए और जहां कहीं चिखाली शब्द प्रयुक्त हुआ हो उसी स्थान पर "चिखली" पढ़िए।

[सं. 43015/13/96-एस.डब्लू.]

श्रीमति प्रेमलता सैनी, अवर सचिव

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1997

का.आ. 2083—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) की धारा 7 उपधारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र दिनांक 26 मई, 1997 के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) पृष्ठ संख्यांक 1 से 3 पर प्रकाशित भारत सरकार कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 411(अ) दिनांक 26 मई, 1997, द्वारा इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि का अधिग्रहण करने के अपने आशय की सूचना दी थी। और केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई कि राजपत्र में प्रकाशित उपरोक्त अधिसूचना में मुद्रण की कुछ गलतियां हैं।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सशक्त बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

पृष्ठ संख्यांक 2 में :—

1. ग्राम केरिया उमरी में अंकित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक में—

प्लॉट संख्यांक "191/18" के स्थान पर "191/18" पढ़िए।

सहायक नियंत्रक (वित्तीय),
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

ऐसी भूमि में जिसकी बाबत उपरोक्त संशोधन जारी किया गया है, हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के जारी किए जाने के तीस दिन के भीतर उक्त भूमि संपूर्ण या किसी भाग के उक्त ऐसी भूमि में या उस पर किसी अधिकारी के अर्जित किए जाने के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार आक्षेप कर सकेगा।

स्पष्टीकरण

केवल इस अधिसूचना के द्वारा संशोधित प्लॉट संख्यांकों की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 8(1) के निबंधनों के अनुसार तीस दिन की उक्त अवधि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रारम्भ होगी।

[सं. 43015/20/94-एस.डब्लू.]

श्रीमती प्रेमलता सैनी, अवर सचिव

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1997

का.आ. 2084:—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना क्षेत्रीय योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे एतद्द्वारा जनता की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में कोई आपत्ति हो या सुझाव देना चाहता हो तो वह अपनी आपत्ति/सुझावों को लिखित रूप में इस सूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के अन्दर, आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई.एन.ए., नई दिल्ली को भेज सकते हैं। आपत्ति करने/सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें।

संशोधन :—

(1) "लगभग 4.00 हैक्टे. (10 एकड़) क्षेत्र, जो योजना जोन "ओ" (यमुना नदी) में आता है और उत्तर में सड़क (पल्टून पुल की ओर जाने वाली) से, पूर्व एवं दक्षिण में, यमुना नदी तट तथा पश्चिम में उच्च वोल्टेज की लाइन से घिरा हुआ है, का भूमि उपयोग "कृषि एवं जलाशय" से "सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं" (श्मशान भूमि)" में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है

(2) "योजना जोन "एफ" (दक्षिण दिल्ली) में आने वाले लगभग 0.8 हैक्टे. (2 एकड़) क्षेत्र जो उत्तर में 24 मी. मार्ग-अधिकार (80 फुट चौड़ी सड़क), पूर्व और दक्षिण में ई.पी.आर कालोनी तथा पश्चिम में प्रेटर कैलाश पार्ट-I से घिरा हुआ है, का भूमि उपयोग "प्राथमिक विद्यालय" से "सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं" (थाने)" में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।"

(3) "मुकरबा गांव (पश्चिम दिल्ली) की राजस्व सम्पदा में आने वाले लगभग 37.5 हैक्टे. (92.62 एकड़) क्षेत्र जो उत्तर में रोहतक रोड (एन.एच.-10), पूर्व में गांव की सड़क/ग्रामीण क्षेत्र से तथा दक्षिण एवं पश्चिम में ग्रामीण क्षेत्र से घिरा हुआ है का भूमि उपयोग "ग्रामीण उपयोग जोन" से "उपयोगिताओं" (400/220 के.वी. सब-स्टेशन)" में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।"

(4) "गांव पिठवाला कलां की राजस्व सम्पदा में आने वाले लगभग 1.4 हैक्टे. (3.46 एकड़) क्षेत्र को पूर्व में घुमनहैड़ा नजफगढ़ रोड से, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में ग्रामीण क्षेत्र से घिरा हुआ है, का भूमि उपयोग "ग्रामीण उपयोग जोन" से "सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं" (अस्पताल)" में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।"

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण हेतु संयुक्त निदेशक, मुख्य निदेशक योजना अनुभाग, दि.वि.प्रा. छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य-दिवसों में उपलब्ध रहेगा।

[सं.एफ. 20(20)/93-एम.पी.]
विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 14th August, 1997

S.O. 2084.—The following modification which the Central Government proposes to make in the Master Plan/Zonal Plan for Delhi, are hereby published for public information. Any person having any objeections/suggestions with respect to the proposed modifications may send the objections/ suggeestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, I.N.A., New Delhi, within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objection(suggestion should also give his/her name and address.

MODIFICATIONS :—

(i) "The land use of an area, measuring about 4.00 ha (10 acres) falling in planning zone 'O' (River Yamuna), bounded by Road (leading to Pantoon Bridge) in the North, River Yamuna Bed in the East and South and High Tension Line in the West, is proposed to be changed from 'agricultural and water body' to 'public and semi-public facilities' (Cremation Ground)."

(ii) "The land use of an area, measuring about 0.8 ha (2 acres) falling in planning zone 'F' (South Delhi) bounded by 24 m R/W (80' wide road) in the North, EPR Colony in the East; and South and Greater Kailash Part-I in the West, is proposed to be changed from 'Primary School' to 'Public and semi-public facilities' (Police Station)".

(iii) "The land use of an area, measuring about 37.5 ha (92.62 acres) falling in the revenue estate of Mundka Village, (West Delhi), bounded by Rohtak Road (N.H. 10) in the North, village road, rural area in the East, and Rural Area in the South and West, is proposed to be changed from 'rural use zone' to 'utilities' (400/220 KV Sub-Station)."

(iv) "The land use of an area, measuring about 1.4 ha (3.46 acres) falling in the revenue estate of village Pindwalan Kalan bounded by Ghummanhera-Najafgarh Road in the East and Rural area in the North, West and South is preposed to be changed from 'rural use zone' to 'public and semi-public facilities' (Hospital)."

2. The Plans indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Joint Director, Master Plan Section, DDA, 6th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred above.

New Delhi :

Dated : 23-8-1997.

[No. F. 20(20)/93-MP]
V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1997

का.आ. 2085.—केन्द्रीय सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग, राजभाषा (संघ) के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग (नियम 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में एतद्द्वारा भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर का बंगलौर स्थित केन्द्र (भा.कृ.अ.प.) जिसके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है।

[संख्या 13-5/95-हिंदी]
आर.पी. सरोज, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

Department of Agri. Res. & Education

New Delhi, the 28th July, 1997

S.O. 2085.—In purusance of Sub-Rule 4 of Rule 10 of the Official Language (Use of Official purpose of Union) Rule 1976, the Central Government, Ministry of Agriculture, Department of Agricultural Research and Education hereby notifies the Bangalore Centre of Indian Veterinary Research Institute (IVRI) Izatnagar where more than 80 per cent staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. 13-5/95-HINDI]
R. P. SAROJ, Under Secy.

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication

12001
4-9-97

रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/97

Received from GOI Press
on.....

REGISTERED NO. D. L.—33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

P.O-350
K.M. 15
GPB-335

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 30, 1997/भाद्र 8, 1919
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 30, 1997/BHADRA 8, 1919

9-9-97

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1997

का.आ. 2121.—निष्क्रान्त संपत्ति प्रबंध अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, गृह मंत्रालय, पुनर्वास प्रभाग में संयुक्त सचिव, श्री सु.कु. चट्टोपाध्याय को उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन महानिरीक्षक को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के उद्देश्य से निष्क्रान्त संपत्ति का महानिरीक्षक नियुक्त करती है।

2. इसके द्वारा दिनांक 24-6-97 की अधिसूचना सं. 1(1)/94-बंदोबस्त (ख) का अधिक्रमण किया जाता है।

[सं. 1(1)94-बंदोबस्त (ख)]
सुरजीत सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Rehabilitation Division)

New Delhi, the 6th August, 1997

S.O. 2121.—In exercise of the power conferred by section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints Shri S. K. Chattopadhyay, Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs, Rehabilitation Division, as the Custodian General of Evacuee Property for the purpose of performing functions assigned to such Custodian General by or under the said Act.

Attested

2. This supersedes Notification No. 1(1)/94-Settlement(B), dated the 24th June, 1997.

सहायक नियंत्रक
Asstt. Controll
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department
सिविल लाईन
Civil Line

No. 1(1)/94-Settlement(B)]
SURJIT SINGH, Under Secy

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1997

(आयकर)

का.आ. 2124.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-छ की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अरियाकुडी पेरूमल ट्रस्ट, अरियाकुडी तमिलनाडु द्वारा संचालित "अरियाकुडी तिरूवेनगाडमुडयान टेम्पल" को समूचे तमिलनाडु राज्य और आस-पास के अन्य राज्यों में एक ख्याति प्राप्त सार्वजनिक पूजास्थल के रूप में उक्त धारा के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है।

यह अधिसूचना केवल 1.30 करोड़ रु० (एक करोड़ तीस लाख रु. मात्र) तक के मरम्मत/जीर्णोद्धार संबंधी कार्य के लिए ही वैध होगी।

[अधिसूचना सं. 10382/फा.सं. 176/27/97-आयकर नि-I]

एच. के. चौधरी, अवर सचिव

New Delhi, the 9th July, 1997

(Income Tax)

S.O. 2124.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies "Ariyakudi Thiruvengadamudayan Temple" managed by Ariyakudi Perumal Trust, Ariyakudi, Tamil Nadu, to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu and other nearby States for the purpose of the said Section.

This notification will be valid only for the repair/ renovation work to the extent of Rs. 1.30 crore (Rupees One Crore and Thirty lakhs only).

[Notification No. 10382/F. No. 176/27/97-ITA-I]

H. K. CHOUDHARY, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1997

का.आ. 2125.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 19 के खण्ड (ख) और धारा 20 की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा श्री ओ.पी. सेतिया, वर्तमान उप प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक को, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 31-10-98 तक की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. एफ 8/4/97-बी.ओ-I]

सुधीर श्रीवास्तव, निदेशक

Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publications
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 14th August, 1997

S.O. 2125.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 19 and sub-section (1) of section 20 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, after consultation with Reserve Bank of India, hereby appoints Shri O. P. Setia, presently Deputy Managing Director, State Bank of India, as the Managing Director, State Bank of India, for the period from the date of his taking charge and upto 31st October, 1998.

[F. No. 8/4/97-B.O. I]

SUDHIR SHRIVASTAVA, Director

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1997

का.आ. 2126.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 19 के खण्ड (ख) और धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा श्री एम.पी. राधाकृष्णन, वर्तमान उप प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक को, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 31-1-1999 तक की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. एफ. 8/5/97-बीओ-I]

सुधीर श्रीवास्तव, निदेशक

New Delhi, the 14th August, 1997

S.O. 2126.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 19 and sub-section (1) of section 20 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, after consultation with Reserve Bank of India, hereby appoints Shri M. P. Radhakrishnan, presently Deputy Managing Director, State Bank of India, as the Managing Director, State Bank of India, for the period from the date of his taking charge and upto 31st January, 1999.

[F. No. 8/5/97-B.O. I]

SUDHIR SHRIVASTAVA, Director

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1997

का.आ. 2127.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे एतद्द्वारा जनता की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई आपत्ति हो अथवा

कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में इस सूचना के जारी होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के अन्दर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई.एन.ए., नई दिल्ली को भेज सकते हैं। आपत्ति करने/सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें।

संशोधन

"उत्तर में रोहतक को जाने वाली उत्तर रेलवे लाईन से, पश्चिम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमा से, दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 10 (100 मीटर मार्गाधिकार) से और पूर्व में मौजूदा शहरी क्षेत्र (नांगलोई जे.जे. स्कीम) से घिरे हुए लगभग 556.5 हैक्टेयर (1381.25 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "ग्रामीण उपयोग" से "शहरी उपयोग"—जिसमें आवासीय 112.1 हैक्टेयर, मनोरंजनात्मक 105.8 हैक्टेयर, औद्योगिक (हल्के विनिर्माण)—264.8 हैक्टेयर, व्यावसायिक (थोक एवं भंडागार) 63.3 हैक्टेयर एवं परिचालन 10.5 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल है, में बदलने का प्रस्ताव है।"

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण हेतु संयुक्त निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, विकास मीनार, छठी मंजिल, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य-दिवसों में उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ. 20(9)/97-एम.पी.]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 27th August, 1997

S.O. 2127.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION

"The land use of an area measuring abou 556.5 ha. (1381.25 acres) bounded b Northern Railway line to Rohtak i the North, boundary of National Capi tal Territory in the West, Nationa Highway No. 10 (100 M R/W) in th South and existing urban area (Nanglo JJ Scheme) in the east, is proposed t be changed from 'rural use' to urba uses comprising of residential 112.1 ha., recreational—105.8 ha., industria (light manufacturing)—264.8 ha. Commercial (wholesale and warehous ing)—63.3 ha. and circulation 10.5 ha."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of Jt. Director, Master Plan section, Vikas Minar, 6th floor, I.P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred to above.

[No. F. 20(9)/97-MP]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1997

का.आ. 2128.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. बी.सी.सी.एल. के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 1) धनबाद, के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 30-7-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/355/94-आई आर(सी-I)]

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)

Asstt. Controller (Business)

भारत सरकार

Govt. of India

प्रकाशन विभाग

MINISTRY OF LABOUR

Department of Publicatio

सिविल लाईन्स, दिल्ली-5

Civil Lines, Delhi-5

New Delhi, the 31st July, 1997

S.O. 2728.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 1) Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their work-

15020

रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/97

Received REGISTERED NO. D. L.—33001/97
on..... 6.10.97

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

P.O. 350
KM - 15
GPR - 835

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6, 1997/भाद्र 15, 1919
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6, 1997/BHADRA 15, 1919

6.10.97

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1997

का. आ. 2149—केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री एस. के. सक्सेना, अधिवक्ता, निवासी मकान सं. एफ-263 (द्वितीय तल) विकासपुरी, नई दिल्ली, को सुशील कुमार की हत्या से संबंधित मामला आर. सी. 7 (एस.)/96-एस.आई.सी.-11 नई दिल्ली (मामला, प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.-111 दिनांक 22-4-96, थाना समालखा, जिला पानीपत) तथा इस विषय से जुड़े कोई अन्य मामले अथवा किसी अन्य मामले में चल रहे प्रासंगिक मामलों के संचालन के लिए सत्र न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है ।

[संख्या 225 28/97-ए.वी.डी.-II]

हरि सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 7th August, 1997

S.O. 2149.—In exercise of the pwers conferred under sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974, the Central Government hereby appoints Shri S. K. Saxena, Advocate r/o House No. F-263 (II Floor), Vikaspuri, New Delhi as Special Public Prosecutor for conducting RC 7(S)/96-SIU.V/SIC.II New Delhi (ease FIR No. 111 dt. 22-4-96 PS Smalkha, Distt. Panipat) relating to the murder of Sushil Kumar in the Session's Court and any other matter connected therewith or incidental thereto in any other courts

[No. 225/28/97/AVD.III]

HARI SINGH, Under Secy.

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt Controller (Business)
भारत सरकार
(4129)Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publications
सिविल लाईंस, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54.

2106 GI/97—1

(Shipping Wing)

New Delhi, the 19th August, 1997

S.O. 2161:—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), read with Rule 3 of the National Shipping Board Rules, 1960, the Government hereby makes the following amendments in the Government of India, Ministry of Surface Transport (Shipping Wing)'s notification No. SS-18011/2/96-SL dated 11th April, 1997 :—

(i) In the said notification, for the existing entry "2 to 5. Four Members of Parliament—To be elected by Lok Sabha", the following entries shall be substituted, namely :—

"2. Shri R. Gnanagurusamy,
M. P. (Lok Sabha).

3. Shri Gordhanbhai Javia,
M. P. (Lok Sabha).

4. Shri Shantilal Parsotamdas Patel,
M. P. (Lok Sabha).

5. Shri P. C. Thomas,
M. P. (Lok Sabha)".

[F. No. SS-18011/2/96-SL]
R. K. SHARMA, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1997

का.आ. 2162.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे आम जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव देने हों, तो वे अपनी आपत्तियों/सुझावों को इस सूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के अन्दर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई.एन.ए., नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज दें। आपत्ति/सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी देना चाहिए।

संशोधन

1. पृष्ठ 138 पर (बाईं तरफ) शीर्षक "आधारिक संरचना-सामाजिक" उपशीर्षक "स्वास्थ्य" के अन्तर्गत, पैरा के बाद निम्नलिखित सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है;

(i) पूर्व प्रस्तावित सामान्य अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में द्विस्तरीय प्रणाली ने स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की सभी जरूरतों को पूरा नहीं किया। अब निम्नलिखित प्रणाली की निम्नानुसार सिफारिश की गई है :—

(ii) मद (ग) मध्यवर्ती अस्पताल (श्रेणी-बी) : (च) पालतू पशुओं एवं पक्षियों के लिये अस्पताल के बाद निम्नलिखित सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है: लगभग 5 लाख जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जिला स्तर पर 2 अस्पताल जिनमें निम्नलिखित सुविधाएं होंगी : सर्जन-वेब, कार्यालय, आपरेशन थियेटर, जांच कक्ष, एक्स-रे रूम, वार्ड, स्वागत-कक्ष, किचन, स्टोर आदि।

क्षेत्रफल 0.20 हैक्टेयर

(3) मद सं. (घ), (ङ) एवं (च) को (ङ.), (च) एवं (छ) से बदला जाना प्रस्तावित है।

(4) मद सं. (छ) "डिस्पेंसरी" के बाद निम्नलिखित सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है :

"(ज) पालतू पशुओं एवं पक्षियों के लिये डिस्पेंसरी : लगभग 1 लाख जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये समुदाय स्तर पर 1 डिस्पेंसरी, जिसमें निम्नलिखित सुविधाएं होंगी —

सर्जन वेब, कार्यालय, आपरेशन थियेटर, जांच कक्ष, वार्ड, स्वागत-कक्ष, स्टोर किचन आदि।

क्षेत्रफल 0.05 हैक्टेयर

2. पृष्ठ 145 पर तालिका में मद सं. (4) "समुदाय" के अन्तर्गत उप मद सं. (2) "मध्यवर्ती अस्पताल" "बी" के बाद निम्नलिखित सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है :

(1) पालतू पशुओं एवं पक्षियों के लिये 3 डिस्पेंसरियां	1	500	500	0	0

(2) तालिका में उपमद सं. (3) से (23) को मद सं. (4) से (24) से बदला जाना प्रस्तावित है।

(3) क्षेत्रफल 39.73 हैक्टेयर को "क्षेत्रफल—51.37 हैक्टेयर" से बदला जाना प्रस्तावित है।

(4) मद सं. (5) "जिला" के अन्तर्गत उप मद सं. (1) सामान्य अस्पताल के बाद निम्नलिखित सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है :

पालतू पशुओं एवं पक्षियों के लिये 2 अस्पताल	2	2000	4000	0	0

(5) तालिका में उप मद सं. (2) से (11) को मद सं. (3) से (12) से बदला जाना प्रस्तावित है।

(6) संख्या के नीचे निम्नलिखित "क्षेत्रफल—68.28 हैक्टेयर" सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

3. (1) पृष्ठ 163 पर (दांई तरफ) शीर्षक अस्पताल (072)" को अस्पताल (072) (ए) के रूप में बदला जाना है।

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईंस, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

(2) "अस्पताल (072) (ए)", अन्त नियंत्रण के बाद निम्नलिखित श्रेणी को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

"अस्पताल (072) (बी)"
पालतू पशुओं एवं पक्षियों के लिये
प्लाट का अधिकतम आकार 2000 वर्ग मीटर
अधिकतम ग्राउन्ड कवरेज 25..
अधिकतम तल क्षेत्रफल अनुपात 50
तहखाना केवल सेवाओं के लिये।

(3) उप शीर्षक "नर्सिंग होम" के बाद निम्नलिखित श्रेणी को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है:

डिस्पेंसरी (075) (बी)
पालतू पशुओं एवं पक्षियों के लिये
प्लाट का अधिकतम आकार 500 वर्ग मीटर
अधिकतम ग्राउन्ड कवरेज 25%
अधिकतम तल क्षेत्रफल अनुपात 50%
तहखाना केवल सेवाओं के लिये।

4. (1) पृष्ठ 172 पर (बाई तरफ) "072 अस्पताल" को "072 (ए) अस्पताल" के रूप में बदला जाना प्रस्तावित है।

(2) पैरा 072(ए) अस्पताल के बाद निम्नलिखित सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है:

"072 (बी) पालतू पशुओं एवं पक्षियों के लिये अस्पताल"।

सार्वजनिक/निजी या धर्मार्थ संस्था द्वारा संचालित एक ऐसा परिसर, जिसमें आंतरंग और बहिरंग उपचार सुविधाओं सहित सामान्य या विशेष प्रकृति की चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं।

(3) शीर्षक "075 डिस्पेंसरी" के बाद निम्नलिखित सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है:

"075 (बी) पालतू पशुओं एवं पक्षियों के लिये डिस्पेंसरी"

सार्वजनिक/निजी या धर्मार्थ संस्था द्वारा संचालित एक ऐसा परिसर, जिसमें चिकित्सा संबंधी सलाह और दवाइयों की व्यवस्था की सुविधायें हैं।

2. दिल्ली मुख्य योजना–2001 की प्रति, जिसमें प्रस्तावित संशोधन समाविष्ट हैं, उक्त निर्दिष्ट अवधि के दौरान निरीक्षण हेतु संयुक्त निदेशक मास्टर प्लान, सहायक नियंत्रक (वाणिज्य) योजना अनुभाग, दि.वि.प्रा., छठी मंजिल, विनीत पैलेस, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली में सभी कार्य दिवसों को उपल रहेंगी।

नई दिल्ली [सं. एफ. 20 (1) 95-एफ.पं
दिनांक 6-7-97 वी. एम. बंसल, आयुक्त एवं सचि

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(MASTER PLAN SECTION)
PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st September, 1997

S. O. 2162.—The following modificatic which the Central Government proposes to ma in the Master Plan for Delhi, are hereby publish for public information. Any person having a objections/suggestions with respect to the pr posed modifications may send the objection suggestions in writing to the Commissioner-cur Secretary, Delhi Development Authority, Vik Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi, within period of 30 days from the date of issue of th notice. The person making the objection/sug gestion should also give his/her name an address.

MODIFICATIONS :

1. On page 138 (left hand side) under th heading 'Infrastructure-Social', Sub Heading 'Health', after the para, follow ing is proposed to be added :

(i) The two tier system in the form the general hospital and health centre proposed earlier did not satisfy the full requirement of health needs. Now the following system has been recommended as given below :

(ii) The following is proposed to be added after item (c) Intermediate Hospital (Category-B); (d) Hospital for pet animals and birds: 2 hospitals at District level to serve about 5 lakh population with following facilities : Surgeon's Labs Office, Operation Theatre, examination room, X-ray room, words, reception, kitchen, store etc.

(iii) The item nos. (d), (e) and (f) are proposed to be substituted by (e), (f) and (g).

Attested
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
नई दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

(iv) After item no. (g) 'Dispensary' the following is proposed to be added :

"(h) Dispensary for pet animals and birds : 1 Dispensary at Community level to serve about 1 lakh population with following facilities--Surgeon's lab, Office, Operation Theatre, examination room, wards reception, store, kitchen etc.
Area 0.05 ha.

2. On page 145 in the table, under item no. (4) 'Community' the following is proposed to be added after the sub-item no. (2) 'Intermediate Hospital' 'B'.

(i) 3 Dispensaries for pet animals and birds. 1 500 500 0 0

(ii) The sub-item nos. (3) to (23) in the table are proposed to be substituted by item nos. (4) to (24).

(iii) Area 39.73 ha. is proposed to be substituted as "Area---51.37 ha.".

(iv) Under the item no. (5) 'District' the following is proposed to be added after the sub-item no. (1) General Hospital :

2 Hospitals for pet animals and birds. 2 2000 4000 0 0

(v) The sub-item nos. (2) to (11) in the table are proposed to be substituted by item nos. (3) to (12).

(vi) Below the figure the following 'Area--- 68.28 ha.' is proposed to be added :

3. (i) On page 163 (RHS), the heading 'Hospital (072)' is to be substituted as 'Hospital (072)(a)'.

(ii) After the 'Hospital (072)(a), other controls, the following category is proposed to be added.

"HOSPITALS (072)(b)"

For pet animals and birds	
Maximum plot size	2000 sq. m.
Maximum ground coverage	25%
Maximum floor area ratio	50
Basement only for services.	

((iii) After sub-heading 'Nursing Home', the following category is proposed to be added '

DISPENSARY (072)(b) for pet animals and birds.

Maximum plot size	500 sq. m.
Maximum ground coverage	25%
Maximum floor area ratio	50
Basement only for services.	

4. (i) On page 172 (RHS), '072 Hospital' is proposed to be substituted as '072(a) Hospital'.

(ii) The following is proposed to be added after the para 072(a) Hospital.

'072(b) Hospital for pet animals and birds.' A premises providing medical facilities of general or specialised nature with indoor and outdoor treatment facilities, managed by public|private or charitable institution.

(iii) After the heading '075 Dispensary' the following is proposed to be added :

"075(b) Dispensary for pet animals and birds. A premises having facilities for medical advice and provision of medicines, managed by public|private or charitable institution.

2. A copy of MPD-2001 incorporating the proposed modifications will be available for inspection in the office of the Joint Director, Master Plan Section, DDA, 6th floor, Vikas Minar IP Estate New Delhi on all working days during the period referred above.

New Delhi,
Dated : 6-9-97.

[No. F. 20(15)95-MP]

M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

Attested
सहायक नियंत्रक (कारोबार)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33001/97 REGISTERED NO. D. L.—33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण भाग में प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 25, 1997/कार्तिक 3, 1919
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 25, 1997/KARTIKA 3, 1919

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1997

का०आ० 2718.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबंध, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2000 तक की अवधि के लिए दि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लि०, कालिमपोंग (पश्चिम बंगाल) पर लागू नहीं होंगे।

[सं० एफ० 1(19)/97-एसी]
एस. के. ठाकुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)

New Delhi, the 8th October, 1997

S.O. 2718.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India declares that the provisions of sub section 1 of Section 11 of the said Act shall not apply to the Darjeeling District Central Cooperative Bank Ltd., Kalimpong (West Bengal) from the date of publication of this notification in the Officinl Gazette to 31st March, 2000.

[No. 1(19)/97-AC]
S. K. THAKUR, Under Secy.

2573 GI/97—1

(5139) भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईंस, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

54. Rail Station, Mansi Jn.
55. Rail Station, Khagaria
56. Rail Station, Umesh Nagar
57. Rail Station, Sahabpur Kamal
58. Rail Station, Lakhminia
59. Rail Station, Lakho
60. Rail Station, Bagusarai
61. Rail Station, Tilrath
62. Rail Station, Lehra
63. Rail Station, Bachwara
64. Rail Station, Satha Jagat
65. Rail Station, Dalsingh Sarai
66. Rail Station, Nazirganj
67. Rail Station, Ujairpur
68. Rail Station, Kurthrogram
69. Rail Station, Pusa Road
70. Rail Station, Dubaha
71. Rail Station, Dauli
72. Rail Station, Siho
73. Rail Station, Silout
74. Rail Station, Nara Anant
75. Rail Station, Muzaffarpur
76. Rail Station, Ram Dayalu Nagar
77. Rail Station, Turki
78. Rail Station, Kudni
79. Rail Station, Goraul
80. Rail Station, Bhagwanpur
81. Rail Station, Sarai
82. Rail Station, Hajipur
83. Rail Station, Sonepur
84. Rail Station, Paramanandpur
85. Rail Station, Nayagaon
86. Rail Station, Sitalpur
87. Rail Station, Dighwara
88. Rail Station, Avtar Nagar
89. Rail Station, Bara-Gopal
90. Rail Station, Golden Ganj
91. Rail Station, Vidupur
92. Rail Station, Chak Sikandar
93. Rail Station, Desari
94. Rail Station, Sahadai Buzurg
95. Rail Station, Mahanar Road
96. Rail Station, Shahpur Patori
97. Rail Station, Mohiuddin Nagar
98. Rail Station, Vidyapati Nagar.

Eastern Railway (Dhanbad Division)

99. Asstt. Engineer-2/Gomoh
100. Asstt. Engineer-1/Gomoh.

Central Organisation for Railway Electrification, Allahabad

101. Chief Project Manager, Railway Electrification, Ambala
102. Chief Project Manager, Rly. Electrification, Ranchi.

[No. Hindi-97/O.L.-1/12/1]

D. P. TRIPATHI, Secy. Railway Board and Ex. Officio Addl. Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1997

का. आ. 2729.—केन्द्रीय सरकार का, दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजनाओं में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे एतद्द्वारा जनता की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है । प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव, इस सूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अन्दर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई. एन. ए., नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज सकते हैं । आपत्ति करने/सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें ।

संशोधन :

"(1) योजना खंड "एफ" (दक्षिण दिल्ली-1) में पड़ने वाले और उत्तर में आवासीय उपयोग से, पूर्व में मदर्स स्कूल से, दक्षिण में सांस्थानिक उपयोग से और पश्चिम में अरविन्द मार्ग (महरौली रोड) से घिरे लगभग 0.4 हेक्टेयर (1.00 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं" (शिक्षा एवं अनुसंधान) से "आवासीय उपयोग" (19आई) में बदलने का प्रस्ताव है ।"

(2) "ग्रामीण उपयोग जोन और योजना खंड" "जे" (नई दक्षिण दिल्ली) में पड़ने वाले और उत्तर, पूर्व और पश्चिम में जोनापुर गांव की राजस्व सम्पदा में खसरा नं. 81/21, 22,23, और 24, 90/5, 6; 15, 16,25, 107/5; 6, 15, 16, 25, 113/5, 6 और 15 तथा 91/5, 106/4, 5, 8, 13, 18, 23 और 114/13 तथा दक्षिण में डेरा मंडी गांव की सीमा से घिरे लगभग 26.3 हेक्टेयर (63.0 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "ग्रामीण उपयोग जोन" से "आवासीय" में बदलने का प्रस्ताव है ।"

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाले नक्शे निरीक्षण के लिये संयुक्त निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, विकास मीनार, छठी मंजिल, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उपलब्ध होंगे ।

[सं. एफ. 3(49)/95-एम. पी.]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

सहायक नियंत्रक (व्यापार)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 20th October, 1997

S.O. 2729.—The following modifications which the Central Government proposes to make in the Master Plan/Zonal Plan for Delhi, are hereby published for public information. Any person having any objections/suggestions with respect to the proposed notifications may send the objections/suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi, within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objections/suggestions should also give his name and address.

MODIFICATIONS :

(i) "The land use of an area, measuring about 0.4 ha. (1.00 acre) falling in Planning Division 'F' (South Delhi-1) bounded by Residential use in the North, Mother's School in the East, Institutional use in the South and Aurobindo Marg (Mehrauli Road) in the West, is proposed to be changed from 'Public & Semi Public facilities' (Education and Research) to 'Residential use' (19 DU's)".

(ii) "The land use of an area, measuring about 26.3 ha. (63.0 acres) falling in rural use zone and planning division 'J' (New South Delhi) and Bounded by, Khasra Nos. 81|21, 22 23 and 24, 90|5, 6. 15. 16, 25, 107|5, 6. 15, 16. 25. 113|5, 6 and 15 and 91|5, 106|4, 5, 8, 13, 18, 23 and 114|13 in the revenue estate of village Jaunapur, in the North, East and West and the boundary of village Dera Mandi in the South, is proposed to be changed from 'rural use zone' to 'residential'."

2. The plans indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of Joint Director, Master Plan Section, Vikas Minar, 6th Floor, I P Estate, New Delhi, on all working days within the period referred to above.

[No. F. 3(49)|95-PM]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1997

का. आ. 2730.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य में मंडपेटा-7 से मंडपेटा इ. पी. एस. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

यशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, के. जी. प्रोजेक्ट, राजामुंद्री-533103 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)

भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54.

रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/97

REGISTERED NO. D.L.—33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 13, 1997/अग्रहायण 22, 1919

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 13, 1997/AGRAHAYANA 22, 1919

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1997

का.आ. 3083.—केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री काली चरण मिश्रा, लोक अभियोजक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा संस्थित मामलों के विचारण तथा किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र जिस पर पूर्वोक्त धारा के उपबन्ध लागू होते हैं, में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में इन मामलों से उद्भूत अपीलों/पुनरीक्षणों अथवा अन्य विषयों का संचालन करने के लिये विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. 225/1/97-ए वी डी-III]
हरि सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 25th November, 1997

S.O. 3083.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973, (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints Sh. Kali Charan Mishra, Public Prosecuter of the Central Bureau of Investigation as Special Public Prosecutor for the conduct of cases instituted by Delhi Special Police Establishment in the trial courts and appeals/revisions or other matters arising out of these cases in revisional or appellate Courts established by Law in any State or Union Territory to which the provision of the aforesaid section apply.

[No. 225/1/97-AVD. III]
HARI SINGH, Under Secy.

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
(सूचना) प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

(शहरी विकास विभाग)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1997

का.आ. 3103.— राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 (1951 का 41) और केन्द्र सरकार के खंड 4 की धारा 3 के साथ पठित उप धारा (1) तथा (2) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संसद सदस्य (राज्य सभा) सुश्री निर्मला देशपांडे, को श्री सादिक अली के स्थान पर राजघाट समाधि समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है । श्री अली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है ।

[सं 25011/7/85-निर्माण 3/ई डब्ल्यू.)]

एस. के. भटनागर, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT

(Department of Urban Development)

New Delhi, the 12th September, 1997

S.O. 3103.—In exercise of the powers conferred by Section 3 read with sub-sections (1) and (2) of Section 4 of the Rajghat Samadhi Act, 1951 (41 of 1951), the Central Government hereby appoints Ms. Nirmala Deshpande, M.P. (Rajya Sabha) as Chairperson of the Rajghat Samadhi Committee in place of Shri Sadiq Ali whose resignation has been accepted.

[No. 25011/7/85-W.3/EW. II]

S. K. BHATNAGAR, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1997

का०आ० 3104.— केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली की मुख्य योजना क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव किया है जिसे आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव देने हों तो वे अपनी आपत्तियों/सुझावों को इस सूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के अन्दर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, बी ब्लाक आई० एन० ए०, नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज दें। आपत्ति/सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी देना चाहिए ।

संशोधन :

1. प्लानिंग डिवीजन "डी" (नई दिल्ली) 16 पंडित पंत मार्ग के अन्तर्गत आने वाले लगभग 0.97 हेक्टेयर (2.42 एकड़) क्षेत्र, जो उत्तर में 33.0 मीटर चौड़े मार्ग, पूर्व में अग्नि शमन केन्द्र, दक्षिण में गुरुद्वारा रोड (36.58 मीटर) मार्गाधिकार और पश्चिम में क्वीन मार्ग (पंडित पंत मार्ग) (36.58 मीटर मार्गाधिकार) से घिरा हुआ है का भूमि उपयोग "आवासीय" से "सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं" में बदला जाना प्रस्तावित है ।

2. भारत के राजपत्र के भाग-II खंड 3 के उपखंड (ii) दिनांक 1-8-90 में निम्नलिखित समाविष्ट किया जाना प्रस्तावित है ।

(1) पृष्ठ 155 पर (बाईं तरफ) बी (2) के बाद शीर्षक ए-3, ग्रामीण जोन (ए-2 सहित) के अन्तर्गत "कोम्प्रेसड् नेचुरल गैस (सी० एन० जी०) के उपयोग को सार्वजनिक उपयोगिता में शामिल किया जाता है और क्षेत्रीय पार्कों एवं विकसित जिला पार्कों को छोड़कर सभी उपयोग जोनों में इसकी अनुमति दी जाती है ।"

(2) पृष्ठ 160 पर (बाईं तरफ) अन्य नियंत्रण (3) के बाद "आवासीय समूह आवास" (002) शीर्षक के अन्तर्गत

"केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बसंत विहार, नई दिल्ली के समीप एक बार के अपवाद के रूप में जनरल पूल हाउसिंग का निर्माण करने के लिए सकल घनत्व में 250 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर से 300 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर की छूट प्रदान कर दी है ।"

(3) पृष्ठ 162 (दाईं तरफ) (4) के बाद "पेट्रोल पम्प" (030) शीर्षक के अन्तर्गत "कोम्प्रेसड् नेचुरल गैस (सी० एन० जी०) मदर स्टेशन"

(क) प्लाट का आकार	36 मीटर × 30 मीटर
(ख) अधिकतम ग्राउन्ड कवरेज	20%
(ग) अधिकतम ऊंचाई (एक मंजिल)	4.5 मीटर
(घ)	कंट्रोल रूम/कार्यालय, डिस्पेंसिंग यूनिट, रेस्ट रूम्स, टायलेट ब्लाक, स्टोर, स्पेयर पार्ट्स भण्डार और डब्ल्यू० सी० ।

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt Controller (Business,
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

(4) पृष्ठ 141 (दाईं तरफ) "खेलकूद कार्यकलाप" के ऊपर

मनोरंजनात्मक क्लब :

श्रेणी "क" 10000 वर्ग मीटर से अधिक

श्रेणी "ख" 5000 वर्ग मीटर से 10000 वर्ग मी० तक

श्रेणी "ग" 5000 वर्ग मीटर तक

(5) पृष्ठ 159 पर (बाईं तरफ) तालिका में ए (5) के बाद "पार्किंग स्टैण्डर्ड" शीर्षक के अन्तर्गत "(6) मनोरंजनात्मक क्लब"

(6) पृष्ठ 163 पर (बाईं तरफ) "बस टर्मिनल" (063) के ऊपर निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाए :—

"मनोरंजनात्मक क्लब (047)"

अधिकतम ग्राउन्ड कवरेज	20%
अधिकतम एफ० ए० आर०	50
अधिकतम ऊंचाई	12.5 मीटर

अन्य नियंत्रण :—

(1) इसके अतिरिक्त, आउटडोर खेलों के लिए ग्राउंड कवरेज (एक मंजिल) हेतु खुले क्षेत्र के 5% की अधिकतम सीमा तक अनुमति दी जाएगी ।

(2) बेसमेंट को भूतल के नीचे और ग्राउंड कवरेज की अधिकतम सीमा तक अनुमति दी जाएगी और यदि उसका उपयोग सेवाओं के लिए किया गया तो उसे एफ० ए० आर० में शामिल नहीं किया जाएगा ।

(3) कुल फर्श क्षेत्रफल के 15% क्षेत्र को आवासीय अवयव के रूप में गेस्ट रूम और मेंटिनेंस स्टाफ क्वार्टरों के लिए अनुमति दी जाएगी ।

(4) उपर्युक्त नियंत्रण श्रेणी "क" मनोरंजनात्मक क्लब (10000 वर्ग मीटर से अधिक) के क्षेत्रों के लिए सीमित होने चाहिए । 10000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र को केवल ओपन एयर कार्यकलापों पूर्वाभ्यास और पार्किंग के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए ।

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला दिल्ली मुख्य योजना-2001 का मूल पाठ और नक्शे उक्त निर्दिष्ट अवधि के अन्दर निरीक्षण हेतु संयुक्त निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली में सभी कार्य दिवसों को उपलब्ध रहेंगे ।

[सं० एफ. 3(44) 94-एम पी)]

वी० एम० बेंगन, आयुक्त एवं सचिव

नई दिल्ली

दिनांक 13-12-97

3041 GI/97—8

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 8th December, 1997

S.O. 3104.—The following modifications which the Central Government proposes to make in the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi are hereby published for public information. Any person having any objections/suggestions with respect to the proposed modifications may send the objections/suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi, within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objections/suggestions should also give his name and address.

MODIFICATIONS :

1. "The land use of an area, measuring about 0.97 ha. (2.42 acres) falling in Planning Division 'D' (New Delhi) 16 Pandit Pant Marg bounded by 381.0 wide road in the North, Fire Station in the East, Gurudwara Road (36.58 M R/W) in the South and Queen Marg (Pandit Pant Marg) (36.58M R/W) in the West, is proposed to be changed from 'residential' to 'public and semi-public' familities".

2. In Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1-8-1998 the following are proposed to be incorporated.

(i) On page 155 (LHS) under the heading A-3, Rural Zone (including A-2) after b(ii).

"Compressed Natural Gas (CNG) use included in Public Utility and permitted in all use zones except in Regional Parks and developed District Parks".

(ii) On page 160 (LHS) under the heading 'Residential Group Housing' (002) after other controls (iii).

"The Gross density relaxed from 250 pph to 300pph for construction of General Pool Housing by CPWD near Vasant Vihar, New Delhi, as one time exception".

(iii) On page 162 (RHS) under the heading 'Petrol Pumps' (030) after (iv).

"Compressed Natural Gas (CNG) Mother Station"

(a) Plot size—36 mX30 m.

(b) Maximum—20%. Ground coverage

(c) Maximum height—4.5 m. (single story).

(d) Building—Control room/office, dispensing unit, Component—Maintenance room, store, pantry and WC.

(iv) On page 141 (RHS) above 'Sports Activity'.

Recreational Clubs :

Category 'A'—above 10000 sqm.
Category 'B'—5000 sqm. to 10000 sqm.
Category 'C'—upto 5000 sqm.

(v) On page 159 (LHS) under the heading 'Parking Standard' in the table after A(v).

"(vi) Recreational Club".

(vi) On page 163 (LHS) Above 'Bus Terminal' (063), the following to be incorporated.

"Recreational club (047)."
Maximum Ground coverage—20%.
Maximum FAR—50.
Maximum Height—12.5 m.

Other controls :

(i) In addition ground coverage (single storey) to the maximum extent of 5% of the open area shall be allowed for outdoor sports.

Attested

(Asstt. Controller (Business)

भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाइंस, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

(ii) Basement below the ground floor and to the maximum extent of ground coverage shall be allowed and if used for services, should not be counted in FAR.

(iii) 15% of the total floor area shall be allowed as residential component, for guest room and maintenance staff quarters.

(iv) The above controls should be restricted to the areas for category 'A' Recreational Clubs (above 10000 sqm). Surplus area over 10000 sqm. should be used for open air activities, landscapping and parking only.

2. The MPD-2001 text as well as plan indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Joint Director, Master Plan Section, 6th floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi on all working days within the period referred above.

NEW DELHI :
Dated : 13-12-1997.

[No. F. 3(44)/94-MP]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1997

का.आ. 3105.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नेशनल इंश्यूरेन्स कं. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-11-97 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-17012/9/94-आई आर (बी-II)]

पी. जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 18th November, 1997

S.O. 3105.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of National Insurance Co. Ltd., and their workman, which was received by the Central Government on 13-11-97.

[No. L-17012/9/94 IR(B-II)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, DEOKI PALACE ROAD PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 51 of 1994

In the matter of Dispute between :

Manager
National Insurance Co. Ltd.,
Transport Nagar, Kanpur

AND

Ashok Kumar
C/o B. P. Saxena,
426, W-11 Basant Bihar,
Kanpur.

Appearance :

Shri Amreak Singh for the Management.

Shri B. P. Saxena for the Workman.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi vide its notification No. L-17012|09|94-I.R. (B-2) dated 6-5-97 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of National Insurance Co. Ltd., Kanpur in terminating the services of Shri Ashok Kumar, Sub-staff w.e.f. 5-11-91 is justified ? If not, what relief the said workman is entitled to?"

2. It is unnecessary to give the details of case as after exchange of pleading the Au. Rep of the concerned workman on 30-9-97 has stated that he has no instruction in the case. Hence reference is answered against the workman for want of prosecution and proof and he is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1997

का.आ. 3106.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-11-97 को प्राप्त हुआ था ।

[सं एल-17012/11/96-आई आर (बी-II)]

पी. जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 18th November, 1997

S.O. 3106.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of LIC of India and their workman, which was received by the Central Government on 13-11-97.

[No. L-17012/11/96-IR(B-II)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, DEOKI PALACE ROAD PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 87 of 1997

In the matter of dispute between :

Pyare Lal,
S/o Late Cheda Lal,
R.o 1841 (Kh)/3,
Mallahi Tola Mashak Ganj,
Lucknow.

सहायक नियंत्रक (व्यावसाय)
Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Dep ent of Publicatior
लाईन, दिल्ली-54
Gi ines, Delhi-54

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 94]
No. 94]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 26, 1998/चैत्र 5, 1920
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 1998/CHAITRA 5, 1920

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1998

सा०का०नि० 147(अ):—दिल्ली विकास (विविध) नियमावली, 1959 के नियम 3 के उपनियम (4) के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के खंड 57 (1957 का 61) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली विकास प्राधिकरण में उपनिदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

(1) **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ:**—(1) ये विनियमन दिल्ली विकास प्राधिकरण, उपनिदेशक भर्ती विनियम, 1998 कहलाएंगे।

(2) ये विनियमन सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान:**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं उनसे संबंधित वेतनमान इन विनियमों से अनुबंधित अनुसूची के कॉलम 2 से 6 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य योग्यताएं :** उक्त पद से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं और अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम सं. 2 से 15 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. **अयोग्यता**—कोई व्यक्ति—

(क) जिसने एक ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह का अनुबंध किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित हो, या

(ख) ऐसा व्यक्ति, जिसका पति/पत्नी जीवित हो किंतु उसने किसी व्यक्ति से विवाह का अनुबंध किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और अन्य पक्ष के विवाह के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं, तो वह उस व्यक्ति पर इस विनियम को लागू न करने की छूट दे सकती है।

5. **ढील देने की शक्ति :** जहां अध्यक्ष का विचार हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह ऐसा करने का लिखित रूप में कारण देते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में ढील दे सकता है।

6. **अपवाद :** इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में ढील और अन्य रियायतें प्रभावित नहीं होंगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में उप-निदेशक के पद हेतु भर्ती विनियम

1.	पद का नाम	: उप निदेशक
2.	पदों की संख्या	: 41* * (कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय)
3.	वर्गीकरण	: ग्रुप "ए"
4.	वेतनमान	: 3000-100-3500-125-4500/- रु. (पूर्व परिवर्तित)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	: चयन
6.	(क) सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	: लागू नहीं
	(ख) क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है ?	: लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	: लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति के उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी ?	: लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	: 2 वर्ष
10.	क्या भर्ती की विधि सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा है और विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत क्या है ?	: (1) 75% पद पदोन्नति द्वारा और यदि ऐसा नहीं है, तो प्रतिनियुक्ति द्वारा। (2) 25% पद प्रतिनियुक्ति द्वारा।
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में ग्रेड, जिससे पदोन्नति/स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति की जानी है/किया जाना है।	: पदोन्नति : 4 : 1 के अनुपात में, सहायक निदेशकों/सहायक बंदोबस्त अधिकारियों और निजी सचिवों के कैडरों से की जाएगी। दूसरे शब्दों में, उप-निदेशकों के 5 पदोन्नतीय पदों में से 4 पद सहायक निदेशकों और सहायक बन्दोबस्त अधिकारियों के लिए संयुक्त रूप से उपलब्ध रहेंगे और एक पद निजी सचिवों के लिए रहेगा। पदोन्नति के लिए फीडर कैडर में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा आवश्यक होगी। प्रतिनियुक्ति राज्य सिविल सेवा अधिकारियों में जो कम से कम छह वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं।

12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन कैसा है ?	:	ग्रुप "ए" डी.पी.सी.
13.	बचाव	:	ये विनियम अनुसूचित जाति, जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को, केन्द्र सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार दिए गए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगे ।
14.	अयोग्यताएं	:	कोई भी व्यक्ति, जिसने पहली पत्नी/पति के जीवित होते हुए दूसरा विवाह किया है या दूसरे विवाह के लिए समझौता किया हो ।
15.	छूट का अधिकार	:	जब अध्यक्ष (चेयरमैन) की राय हो तथा वे आवश्यक समझें तो वे आदेशानुसार, कारण सहित, लिखित रूप में किसी भी श्रेणी, व्यक्ति अथवा पद हेतु विनियमों में छूट दे सकते हैं ।

[सं०एफ-7(83)95/पी०बी० I]

विश्व मोहन बंसल,
आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 1998

G.S.R. 147(E).—In exercise of the the powers conferred by section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with sub-rule (4) of rule 3 of the Delhi Development (Miscellaneous) Rules, 1959, the Delhi Development Authority, hereby makes, with the previous approval of the Central Government, the following Regulations relating to the method of recruitment to the post of Dy. Director in the Delhi Development Authority namely :—

1. **Short title and commencement:**—(1) These Regulations may be called the Delhi Development Authority, Dy. Director Recruitment Regulations, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, Classification and scale of pay:**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto be as specified in Columns 2 to 6 of the Schedule annexed to these Regulations.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications:**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column Nos. 2 to 15 of the said Schedule.

4. **Disqualifications:**—No person—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.,

shall be eligible for the said post provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of these Regulations.

5. **Power to relax.**—Where the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these Regulations with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these Regulations shall effect reservations, relaxation of age limit or other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

1. Name of post	:	Deputy Director
2. No. of posts	:	*41 *subject to variation dependent on work load.
3. Classification	:	Group "A".
4. Scale of pay	:	Rs. 3000-100-3500-125-4500 (Pre-revised).
5. Whether selection post or non-selection post.	:	Selection.
6. (a) Age limit for direct recruitment	:	Not applicable.
(b)Whether benefit of any added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972.	:	Not applicable.
7. Educational and other qualifications required for direct recruits.	:	Not applicable.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.	:	Not applicable.
9. Period of probation, if any.	:	2 Years.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	:	(i) 75% of the posts by promotion failing which by deputation. (ii) 25% of the posts by deputation.
11. In case of recruitment by promotion/transfer/ deputation, grades from which promotion/transfer/ deputation is to be made.	:	Promotion will be made from the cadres of Asstt. Directors/ Asstt. settlement Officers and Private Secretaries in the ratio of 4:1. In other words out of 5 promotional posts of D.D., four will be available to A.D. 's and A.S.O.'s taken together and one to Private Secretaries. A minimum of five years regular service in the feeder cadre would be necessary for promotion. **Deputation** From State Civil Service Officers with at least six years of service.
12.If a DPC exists what is its composition.	:	Group 'A' DPC.
13. Saving.	:	Nothing in these regulations shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.
14. Disqualification.	:	No person who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive.

15. Power to relax.	:	When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts.

[No.F. 7 (83)95/PB-I]

V. M. BANSAL, Commr.-cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 404] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 1998/आषाढ़ 12, 1920

No. 404] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 1998/ASADHA 12, 1920

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1998

का. आ. 555 (अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2) (एच) के अंतर्गत शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. के-11011/27/92-डी.डी.आई.ए., दिनांक 11 जून, 1998 द्वारा सूचित किया है कि श्रीमती मीरा कुमार और श्री लाल बिहारी तिवारी, सांसद (लोकसभा) को विधिवत् रूप से प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[सं. एफ. 1(2) 93-95/एम. सी./डी.डी.ए./257]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 1998

S.O. 555 (E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Govt. of India Ministry of Urban Affairs & Employment have vide their letter No. K-11011/27/92-DDIA, dated 11th June, 1998 communicated that Smt. Meira Kumar and Sh. Lal Behari Tiwari M.P.'s (Lok-Sabha) have been duly elected to be members of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[No. F. 1(2) 93-95/MC/DDA/257]

V.M. BANSAL, Commr.-cum-Secy.

Attested

सहायक नियंत्रक (व्यापार)

Asstt. Controller (Business)

भारत सरकार

1829 GI/98

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1998

Department of Publication
सिविल लाईन, Delhi-54
Civil Lines, Delhi-54

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33001 98

REGeSTERED NO. D. L.—33pp1/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 11, 1998/आषाढ़ 20, 1920
No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 11, 1998/ASADHA 20, 1920

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 जून, 1998

का.आ. 1341.—संविधान के अनुच्छेद 239 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारत सरकार की दिनांक 16 मई, 1998 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली के प्रशासक, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन, 3 जुलाई, 1998 तक संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के प्रशासक की शक्तियों का प्रयोग करते रहेंगे और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

[सं. 14046/26/98-यू.टी.एस.]

जे. श्रीवास्तव, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 26th June, 1998

S.O. 1341.—In exercise of the powers conferred by article 239 of the Constitution, the President in partial modification of the Government of India Notification of even number dated the 16th May, 1998, hereby directs that the Administrator of the Union Territory of the Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli shall, subject to the control of the President, continue to exercise the powers and discharge the functions of Administrator Union Territory of Lakshadweep upto the 3rd July, 1998.

[No. 14046/26/98-U.T.S.]

J. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 19 जून, 1998

का.आ. 1342.—केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उपधारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निम्नलिखित अभियोजकों को विचारण न्यायालयों में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा संस्थित मामलों तथा किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र जिस पर पूर्वोक्त धारा के उपबंध लागू होते हैं, में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा

1583 GI/98 (2431)

प्रकाशन विभाग
Department of Publications
सिविल लाईन, दिल्ली-54

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1998

का. आ. 1362.—केन्द्रीय सरकार का, दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे एतद्द्वारा जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो तो वह व्यक्ति अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने से 30 दिनों की अवधि के अंदर आयुक्त-एवं-सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लॉक, आई. एन. ए., नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज सकता है। आपत्ति करने/सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता भी दे।

संशोधन :

"भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1-8-90 में पृष्ठ संख्या-80 पर दाईं तरफ "मिश्रित उपयोग विनियम" शीर्षक के अंतर्गत (3) में निम्नलिखित को हटाने का प्रस्ताव है :—

"(ध) नर्सिंग होम

(छ) गेस्ट हाउस, बोर्डिंग हाउस और लॉजिंग हाउस।

क्षेत्र का ले-आउट नक्शा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें (क) मानक के अनुसार पार्किंग, (ख) जन-सुविधाओं, (ग) निर्धारित सड़क कैरिजवे निर्दिष्ट किया जाएगा।"

2. "भारत के राजपत्र भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1-8-90 के पृष्ठ सं.-80 पर दाईं तरफ "मिश्रित उपयोग विनियम" शीर्षक के अंतर्गत "झ" कवाड़ी की दुकान के बाद निम्नलिखित जोड़ने का प्रस्ताव है :—

"कम-से-कम 18 मीटर (विशेष क्षेत्रों के 9 मीटर और पुनर्वास कालोनियों में R.W. मीटर) चौड़ी सड़क के सामने न्यूनतम 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवासीय प्लाटों में अनुमत तथा क्षेत्रफल के अधिकतम दो-तिहाई भाग पर नर्सिंग होम, गेस्ट हाउस, (सभी मध्यवर्ती विस्तर) एवं बैंकों को अनुमति होगी"।

3. "भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii), दिनांक 1-8-90 के पृष्ठ सं.-89 पर दाईं तरफ "सार्वजनिक उपयोगिता परिसर" शीर्षक के अंतर्गत (9) के बाद निम्नलिखित जोड़ने का प्रस्ताव है :— "टेलीफोन" (प्राधिकरण के संकल्प के अनुसार ट्रांसमीशन टॉवर")

4. "योजना जोन पी. (नरेला उप-नगर) में पड़ने वाले और उत्तर में मौजूदा डी. एस. आई. डी. सी. क्षेत्र और शाहपुर गंदी गांव आबादी से, पूर्व में गांव खामपुर में आकाशवाणी की भूमि से, दक्षिण में कृषि भूमि से और पश्चिम में रेलवे लाइन (दिल्ली-अम्बाला) से घिरे लगभग 360 हैक्टेयर (900 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "ग्रामीण उपयोग जोन" से "व्यावसायिक" (जिला-केन्द्र-45 हैक्टेयर) (थोक एवं भाण्डागार—145 हैक्टेयर) और-परिवहन" (ट्रक-टर्मिनल—45 हैक्टेयर) एवं (भाड़ा टर्मिनल—125 हैक्टेयर) में बदलने का प्रस्ताव है।"

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला दिल्ली मुख्य योजना-2001 का पाठ-नक्शा निरीक्षण के लिए उक्त उल्लिखित अवधि के अन्दर सभी कार्य-दिवसों में संयुक्त निदेशक (मुख्य योजना अनुभाग), छठी मंजिल, विकास मीनार, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ. 20 (17) 95—एम.पी.]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त-एवं-सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 3rd July, 1998

S.O. 1362.—The following modifications which the Central Government proposes to make in the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi, are hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modifications may send the objection/suggestion in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi within a period of 30 days from the date of issue

Attested
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Government of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

1783 GI/98—5

of this notice. The person making the objection/ suggestion should also give his name and address.

MODIFICATIONS :

1. "At page 166 (LHS) left hand side of the Gazette of India, Part II, Section 3 sub-section (ii) dated 1-8-90, under the heading "Mixed Use Regulations", the following is proposed to be deleted in (iii) :

"(d) Nursing Homes.

(e) Guest Houses, Boarding Houses and Lodging Houses

A layout plan of the area shall be prepared indicating (a) Parking per standard, (b) Public Convenience; (c) Road carriage of ways as prescribed for approval of the Competent Authority".

2. "At page 166 (LHS) of the Gazette of India, Part II Section 3, Sub-section (ii). dated 1-8-90 under the heading "Mixed Use Regulations", the following is proposed to be incorporated after '(h)' Junk Shop :—

"Nursing Home, Guest House (Max. 15 beds) and bank shall be allowed in residential plots of minimum size of 209 sq. m. facing a minimum of 18M wide road (9M in Special Area and 13.5M in rehabilitation colonies) to the extent of maximum two-third of permitted floor area."

3. "At page 172 (LHS) of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1-8-90, under the heading 'Public Utility Premises' the following is proposed to be incorporated after (ix) "tele-communication" (Transmission tower as per Authrity Resolution).

4. "The Land use of an area me about 360 ha (900 acres falling i ning zone 'P' (Narela sub-city) and ded by the existing DSIDC area Shahpur Garhi village Abadi in North, All India Radio land in v Khampur in the East, cultivated la the South and Railway Line (Delhi bala) in the West, is proposed to changed from 'rural use zone' to 'c mercial, (Distt. Centre-45 ha), (Wh sale and Warehousing-145 ha) 'Transportation' (Truck Terminal ha) and (Freight Terminal-125 ha).

2. The text of MPD-2001/plan indicating t proposed modifications are available for inspe tion of the office of the Jt. Director (Master Pl Section), 6th floor, Vikas Minar IP Estate, Ne Delhi on all working days within the period refe red above.

[No. F. 20(17)95-MP

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th June, 1998

S.O. 1363.—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 2839, dated 28th day of October, 1997, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 8th day of November, 1997,—

(i) for page 5449 read page 5450 :

(ii) for page 5450 read page 5449.

File No. R-31015/24/98-OR.II

K. C. KATOCH, Under Secy.

सहायक नियंत्रक (कारोबार)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाइंस, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 517] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 1998/ श्रावण 27, 1920
No. 517] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 1998/SHRAVANA 27, 1920

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1998

का. आ. 703 (अ).—पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 के अंतर्गत सहायक समाहर्ता ग्रेड-I की शक्तियां, एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल दी जाती है :

(1) श्री वी. डी. नन्दा	संयुक्त मुख्य लेखाधिकारी
(2) श्री बी. के. शर्मा	उप निदेशक
(3) श्री एस. आर. जैन	उप मुख्य लेखाधिकारी

2. श्री सुरेश भांडेगांवकर, संयुक्त मुख्य लेखाधिकारी को भारत के राजपत्र की अधिसूचना सं. 544 दिनांक 25-9-97 के द्वारा पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 के अंतर्गत सहायक समाहर्ता ग्रेड-I की पहले दी गई शक्तियां दिनांक 29-1-98 से अर्थात् जब से वे इन्स्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एण्ड एलाइड साइन्सिस में एफ.ए.एस. एवं मुख्य लेखाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर गए हैं, एतद्द्वारा वापस ली जाती हैं।

3. उपर्युक्त प्राप्त शक्तियां उपराज्यपाल, दिल्ली द्वारा अनुमोदित है।

[सं. एफ. 7(121) 95/पी बी-I/712]

विश्व मोहन बंसल, समाहर्ता और आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 1998

S. O. 703(E).—The powers of Asstt. Collector Grade-I under Punjab Land Revenue Act, 1887 are hereby delegated to the following officers with immediate effect :

(i)	Sh. V. D. Nanda	Jt. C.A.O.
(ii)	Sh. B. K. Sharma	Dy. Director
(iii)	Sh. S. R. Jain	Dy. C.A.O.

2. The powers of Asstt. Collector Grade-I, under Punjab Land Revenue Act, 1887, earlier delegated to Sh. Suresh Bhandegaonkar, Jt. C.A.O. vide Gazette Notification of India No. 544 dt. 25-9-97 are hereby withdrawn with effect from 29-1-98 i.e. the date when he went on deputation to the Institute of Human Behaviour & Allied Sciences as F.A.S. & C.A.O.

3. The above delegation has been approved by the Lt. Governor, Delhi.

[No. F. 7(121) 95/PB-I/712]

V. M. BANSAL, Collector & Commissioner-cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1998.

रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/98

REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3— उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3— Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 661] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 1998/आश्विन 17, 1920
No. 661] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 1998/ASHVINA 17, 1920

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1998

का. आ. 888 (अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की सं. 61) की धारा (52) की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 29(2) के साथ पठित धारा 14 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों को एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार शक्तियां प्रदान करता है :—

अनुसूची

क्रम सं.	शक्तियां	वैयक्तिक रूप में/पृथक रूप से या संयुक्त रूप से शक्तियों को उपयोग करने के लिए प्राधिकृत दि.वि.प्रा. के पदाधिकारी
1	2	3
1.	परिसरों का निरीक्षण करने की शक्तियां (दिल्ली विकास अधिनियम की धारा-28)	उपाध्यक्ष एवं सचिव, जिन्हें पहले से शक्तियाँ प्राप्त हैं, के अतिरिक्त आयुक्त (भूमि प्रबन्ध), अपर सचिव, अधिशासी अभियन्ता, उप-निदेशक/संयुक्त निदेशक, उप निदेशक (सर्वेक्षण)/संयुक्त निदेशक (सर्वेक्षण), सहायक निदेशक (सर्वेक्षण) सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभिन्ता, सर्वेक्षक या दि.वि.प्रा. का कोई अन्य अधिकारी/कर्मचारी, जिसे समय-समय पर उपाध्यक्ष द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत करें।
2.	कारण बताओ नोटिस जारी करने की शक्तियां	उप निदेशक/संयुक्त निदेशक, उप निदेशक (सर्वेक्षण)/संयुक्त निदेशक (सर्वेक्षण)।
3.	अभियोजन संस्थीकृत करने की शक्तियां (दिल्ली विकास अधिनियम की धारा-49(1)	सचिव जिन्हें पहले से शक्ति प्राप्त है, के अतिरिक्त आयुक्त (भूमि प्रबन्ध), अपर सचिव।
4.	अभियोजन वापस लेने की शक्तियां (दिल्ली विकास अधिनियम की धारा-49/38)	वर्तमान के अनुसार सचिव एवं आयुक्त (भूमि प्रबन्ध)

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

1	2	3
5.	अभियोजन के लिए संस्वीकृति प्राप्त करने के बाद न्यायालय में, (दिल्ली विकास अधिनियम की धारा-14/29 (2)के अन्तर्गत शिकायत दर्ज करने की शक्तियां	सचिव, जिन्हें पहले से शक्ति प्राप्त है, के अतिरिक्त :— 1. आयुक्त (भूमि प्रबन्ध) 2. अपर सचिव 3. अधिशासी अभियन्ता 4. उप निदेशक/संयुक्त निदेशक, उप निदेशक (सर्वेक्षण)/संयुक्त निदेशक (सर्वेक्षण) 5. सहायक अभियन्ता 6. सहायक निदेशक (सर्वेक्षण)
6.	समय-समय पर संशोधित/परिवर्द्धित/परिवर्तित दि.वि.प्रा. के संकल्प सं. 174, दिनांक 30.6.77 की रूप-रेखा के अनुसार विशेष अपील के अंतर्गत असंगत उपयोग के लिए अस्थायी अनुमति देने की शक्तियां (दिल्ली विकास अधिनियम की धारा-34)	उपाध्यक्ष, जिन्हें पहले से शक्ति प्राप्त है, के अतिरिक्त आयुक्त (भूमि प्रबन्ध)
7.	उक्त क्रम सं.-6 से भिन्न अन्य मामलों में असंगत उपयोगों के लिए अनुमति देना।	1. अध्यक्ष, दि.वि.प्रा., 2. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा.

[सं. एफ 1 (19)98/एनफो. ब्रांच]
बी. एम. बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 1998

S.O. 888 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section-52 of the Delhi, Development Act, 1957, (No. 61 of 1957) the Delhi Development Authority hereby delegate the powers under Section-14 read with Section 29 (2) of Delhi Development Act, 1957 to various functionaries in the Enforcement Department of Delhi Development Authority as per the schedule given below :-

SCHEDULE

Sl No.	Powers	Functionaries of the DDA authorised to exercise powers individually/severally or jointly
1	2	3
(1)	Powers to inspect premises (Section 28 of D.D. Act)	Besides the Vice-Chairman and Secretary, who are already empowered. Commissioner (IM), Addl. Secy., Ex. Engineer. Dy. Director/Joint Director, Dy. Director (Survey), Joint Director (Survey), Asstt. Director (Survey), Asstt. Engineer, Jr. Engineers, Surveyors or any other officers/ officials of DDA who may be authorised in this behalf by V. C. from time to time.
(2)	Powers to issue Show Cause Notice.	Dy. Director/Joint Director, Dy. Director (Survey)/Jt. Director (Survey)
(3)	Powers to sanction prosecution (Section 49 (i) of D.D. Act.)	Besides Secretary, who is already empowered, Commissioner (LM), Addl. Secretary.
(4)	Powers to withdraw prosecution (Section 49/38 of D.D. Act.)	Secretary, DDA as at present and Commissioner (LM),
(5)	Powers to file complaint U/S 14/29 (2) of D.D. Act in Court after obtaining a sanction for prosecution.	Besides Secretary, who is already empowered, the following (i) Commisssioner (LM) (ii) Addl. Secretary, Ex. Engineer, (iii) Dy. Director/ Jt. Director, Dy. Director (Survey)/Jt. Director (Survey)

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

1	2	3
(6)	Powers to grant temporary permission for non-confirming use under special appeal within the framework of the DDA's Resolution No. 174, dated 30.6.77 as amended/amplified/ modified from time to time (Section 34 of D.D. Act.)	(iv) Asstt. Engineer, (v) Asstt. Director (Survey) Beside, Vice Chairman, DDA who is already empowered Commissioner (LM)
(7)	Permission for non-confirming uses in cases other than at Sr. No 6 above.	(i) Chairman, DDA (ii) Vice-Chairman, DDA

[No. F. 1 (19)98/Enf. Branch]

V.M. BANSAL, Commr.-cum-Secy

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 471] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 3, 1998/अग्रहायण 12, 1920
No. 471] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3, 1998/AGRAHAYANA 12, 1920

17375
16-12-98
P.O. 355
K.M. 30
Delhi 5
C.P.B. 320

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा-I)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1998

सा०का०नि० 716 (अ).—दिल्ली विकास (विविध) नियम, 1959 के उप-नियम (4) के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली विकास प्राधिकरण में वरिष्ठ विधि अधिकारी पद के भर्ती विनियम बनाता है, जो निम्नानुसार हैं :—

दिल्ली विकास प्राधिकरण में वरिष्ठ विधि अधिकारी पद के भर्ती विनियम

1.	पद का नाम	: वरिष्ठ विधि अधिकारी
2.	पदों की संख्या	: 9 अथवा विभाग द्वारा कार्यभार के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित।
3.	वर्गीकरण	: समूह "क"
4.	वेतनमान	: 10,000-15,200/-
5.	चयन पद है अथवा अचयन	: चयन
6.	(क) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	: 40 वर्ष
	(ख) क्या केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ देय है।	: नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	: अनिवार्य : (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री अथवा समकक्ष। (ख) बार में 7 वर्षों का अनुभव। वांछनीय : भूमि राजस्व और सेवा मामलों आदि से संबंधित कार्य करने का अनुभव।

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईंस, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

		दिल्ली विकास प्राधिकरण कर्मचारियों के लिए (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री अथवा समकक्ष। (ख) पर्यवेक्षकीय क्षमता में विधिक मामलों संबंधी कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वाले और प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों के मामले मे भी लागू होंगी	: नहीं मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री आवश्यक है।
9.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	: 2(दो) वर्ष ।
10.	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा है अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत क्या है ?	: (क) 50% पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ख) 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा, ऐसा न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।
11.	यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाती है, तो ग्रेड जिससे पदोन्नति/स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति की जानी है।	: पदोन्नति : ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित कनिष्ठ विधि अधिकारियों में से । प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त सांविधिक संस्थाओं के अधीन विधिक कार्य करने वाले अधिकारी : (क) समान पदधारी अथवा 6500-10500/- रु० के वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा सहित अथवा समकक्ष। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मे विधि में डिग्रीधारी अथवा समकक्ष तथा भूमि, राजस्व, सेवा आदि मामलों में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति (डी०पी०सी०) है, तो उसकी क्या संरचना है ?	: वरिष्ठ स्तर की विभागीय पदोन्नति समिति (ग्रुप-क अधिकारी)
13.	बचाव	: इस सम्बन्ध में समय-समय पर भारत सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनु०सू०जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए किए गए प्रावधान जैसे—आरक्षण, आयु सीमा में छूट अथवा अन्य छूटों को इन विनियमों का कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा।
14.	अयोग्यता	: कोई भी व्यक्ति जिसने दूसरी शादी कर ली है, जबकि उसका पति/पत्नी जीवित है ।
15.	छूट देने की शक्तियां	: जब अध्यक्ष की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित हो, तो वे लिखित में कारणों को रिकार्ड करके, आदेश द्वारा किसी खंड अथवा श्रेणी अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के सम्बन्ध में इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकते हैं।

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

[सं० एफ० 7(127)/93/सी०सी०-I]

विश्वमोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Personnel Branch-I)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 1998

G.S.R. 716(E). – In exercise of the powers conferred by section 57 of the D.D. Act, 1957 (61 of 1957) read with sub-rule (4) of the Delhi Development (Miscellaneous) Rules, 1959, the Delhi Development Authority hereby makes, with the previous approval of the Central Govt. the Recruitment Regulations to the post of Sr. Law Officers in DDA which may be read as under :—

Recruitment Regulations for the post of Senior Law Officer in DDA

1.	Name of the Post	:	Senior Law Officer
2.	Number of Posts	:	9 or as sanctioned from time to time by the Department on workload basis.
3.	Classification	:	Group 'A'
4.	Scale of pay	:	10,000—15,200/-
5.	Whether selection or non-selection post	:	Selection
6.	(a) Age limit for direct recruits.	:	40 years
	(b) Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS Pension Rules, 1972.	:	No
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	:	Essential (a) Degree of Law from recognised University or equivalent. (b) 7 years experience at Bar. Desirable Experience of dealing in Land Revenue & Service matters etc. For DDA Employee (a) Degree in Law from a recognised University or equivalent. (b) 5 years experience in dealing with legal matters etc. in supervisory capacity.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees & deputationists.	:	No Degree in Law from recognised University is essential.
9.	Period of probation, if any	:	2 (Two) years.
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer on deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	:	(a) 50% by promotion, failing which by deputation. (b) 50% by deputation, failing which by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/ transfer/deputation grade from which promotion/transfer/deputation is to be made.	:	PROMOTION : From Junior Law Officer with 5 years' regular service in the grade. DEPUTATION : Officers dealing with legal affairs under the Central Govt./Public Undertaking/Semi-Govt. Autonomous Statutory Organisations :— (a) Holding analogous posts; or with 5 years' service in the scale of Rs. 6500-10500/- or equivalent. (b) Possessing Degree in Law from a recognised University or equivalent and preference will be given for having experience in dealing with Land, Revenue, Service matters etc.
12.	If a DPC exists what is its composition	:	Senior Level DPC (Group-A Officers).

Attested
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Government of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाइंस, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

13.	Saving.	:	Nothing in these regulations shall effect reservations, relaxation of age limit or other concessions required to be provided for the scheduled castes and scheduled tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./DDA from time to time in this regard.
14.	Disqualification.	:	No person who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive.
15.	Power to relax.	:	When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations in respect of any clause or category or persons or posts.

[No. F. 7(127)/93-PB-I]

V.M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

Attested

सहायक नियंत्रक (व्यापार)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publicatior
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 817] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 17, 1998/अग्रहायण 26, 1920
No. 817] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 17, 1998/AGRAHAYANA 26, 1920

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(भवन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1998

का. आ. 1082(अ).— माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, आवास विभाग में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत सम्पदा अधिकारी नियुक्त करते हैं। ये अधिकारी, इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत सम्पदा अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और दिए गए कार्य करेंगे।

2. मोटे तौर पर ये सम्पदा अधिकारी, सभी श्रेणियों के डी. डी. ए. फ्लैटों (i) फ्लैटों में दिए गए अनधिकृत निर्माण, परिवर्धन/परिवर्तन, (ii) डी. डी. ए. फ्लैटों का आवासीय उपयोग से भिन्न अन्य रूप में दुरूपयोग और (iii) आबंटितियों द्वारा गलत विवरण देने या छलपूर्ण साधनों के कारण आबंटन रद्द कर दिए गए हैं, के अनधिकृत अधिभोगियों के विरुद्ध इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई कर सकेंगे :—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	मामलों की श्रेणी
1	2	3
1.	सर्वश्री एन. पी. सोनी, उपनिदेशक (प्रवर्तन)/आवास	डी. डी. ए. के सभी श्रेणियों के फ्लैटों में उक्त (i) एवं (ii) में उल्लिखित अनधिकृत निर्माण, परिवर्धन/परिवर्तन/दुरूपयोग;
2.	एस. डी. अरोड़ा, संयुक्त निदेशक (मध्यम आय वर्ग)	उक्त (iii) में दिए गए अनुसार मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के रद्द आबंटन;
3.	जे. आर. कक्कड़, उपनिदेशक (निम्न आय वर्ग)	उक्त (iii) में दिए गए अनुसार निम्न आय वर्ग के फ्लैटों के रद्द आबंटन;

1	2	3
4.	आर. पी. सागर, उपनिदेशक (जनता)	उक्त (iii) में दिए गए अनुसार जनता वर्ग के फ्लैटों के रद्द आवंटन;
5.	बी. डी. सुनेजा, उपनिदेशक (विस्तारणीय आवास योजना)	उक्त (iii) में दिए गए अनुसार विस्तारणीय आवास योजना के फ्लैटों के रद्द आवंटन;
6.	एम. एस. शर्मा, उपनिदेशक (स्व-वित्त योजना)	उक्त (iii) में दिए गए अनुसार स्व-वित्त योजना के फ्लैटों के रद्द आवंटन;

3. उक्त आदेश 13 अक्टूबर, 1998 से प्रभावी होंगे।

[सं. एफ 1(एविक्शन केसैज)/यू. सी.मिसयूज/97-98-एल ए बी(एच)]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(Housing Department)
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 1998

S. O. 1082 (E).— The Hon'ble Lt. Governor of Delhi/Chairman, Delhi Development Authority is pleased to appoint the following officers working in the Housing Department as Estate Officers under Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971. These officers shall exercise the powers, and perform the duties imposed, on Estate Officers by or under this Act.

2. Broadly, these Estate Officers shall take action, as per provisions, in this Act, against the unauthorised occupants of all categories of DDA flats of which allotments have been cancelled on account of, (i) unauthorised construction, additions/alterations carried out in the flat; (ii) misuse of DDA flats other than residential; and (iii) misrepresentation by the allottees involving fraudulent means, as follows :—

Sl. No.	Name and Designation of the Officer	Gategory of Cases
	S/Shri	
1.	N. P. Soni Dy. Director (Enft.)/H	Unauthorised Construction, additions/alterations/Misuse in all categories of DDA flats as at (i) and (ii) above.
2.	S. D. Arora Jt. Director (MIG)	Cancelled allotments of MIG category flats as at (iii) above;
3.	J. R. Kakar Dy. Director (LIG)	Cancelled allotments of LIG category flats as at (iii) above;
4.	R. P. Sagar Dy. Director (Janta)	Cancelled allotments of Janta category flats as at (iii) above;
5.	B. D. Suneja Dy. Director (EHS)	Cancelled allotments of EHS category flats as at (iii) above;
6.	M. S. Sharma Dy. Director (SFS)	Cancelled allotments of SFS category flats as at (iii) above;

3. The above orders will come into force with effect from 13th October, 1998

[No. F. 1 (Eviction Cases) U/c—Misuse/97-98—LAB (H)]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/98 REGISTERED NO. D. L.-33001/98

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 20, 1999/फाल्गुन 29, 1920
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 20, 1999/PHALGUNA 29, 1920

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

COMPLETE पूरा कर दिया गया

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministry of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1999

का. आ. 779.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह (जी.आर.वी.) विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 14 (2) गृह/जी.आर.वी./98 तारीख 18 दिसम्बर, 1998 द्वारा राजस्थान राज्य सरकार की सहमति से, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302, 201, 120ख, 466, 218, 109 के अधीन दंडनीय अपराधों के और राजस्थान के पुलिस थाना कोतवाली डूंगरपुर के केस एफ.आई.आर. सं. 6/98 के, जो श्री गोपाल नारायण मीणा, आर.पी.एस. अधिकारी की अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित है, तथ्यों से उद्भूत होने वाले का वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अन्य अपराध या अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्य को शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य पर करती है।

[सं. 228/42/98-ए.वी.डी.-II]

हरि सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 3rd March, 1999

S.O. 779.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act. No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Rajasthan vide Home (G.R.V.) Department Notification No. F. 14(2) Home/G.R.V./98 dated 18th December, 1998 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Rajasthan for investigation of offences punishable under sections 302, 201, 120-B 466, 218, 109 of The Indian Penal Code, 1860 and any other offence or offences committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts of case FIR No. 6/98 of Police Station Kotwali Dungarpur, Rajasthan relating to the unnatural death of Shri Gopal Narayan Meena, RPS Officer.

[No. 228/42/98-AVD. II]

HARI SINGH, Under Secy.

713 GI/99—1

भारत सरकार
प्रकाशन विभाग
Government of India
Department of Publication
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1999

स्टाम्प

का. आ. 780.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली को मात्र तीन करोड़ निन्नानवें लाख छियासी हजार और चार सौ रुपए का समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति देती है जो उक्त बैंक द्वारा दिनांक 9-1-1999 को आवंटित किए गए मात्र तीन सौ निन्नानवे करोड़ छियासी लाख और चालीस हजार रुपए के समग्र मूल्य के 389909 से 789772 तक की विशिष्ट संख्या वाले दस-दस हजार रुपए प्रत्येक मूल्य के 3,99,864 अप्रतिभूत गौण विमोच्य बन्धपत्रों पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है ।

[सं. 12/99-स्टाम्प फा. सं. 33/10/99-वि.क.]

अपर्णा शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

Neew Delhi, the 24th February, 1999

STAMPS

S.O. 780.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits Punjab National Bank, New Delhi to pay consolidated stamp duty of rupees three crore ninety nine lakhs eighty six thousands and four hundred only chargeable on account of the stamp duty on 3,99,864 Unsecured Subordinated Redeemable Bonds of rupees ten thousand each bearing distinctive numbers from 389909 to 789772 aggregating to rupees three hundred ninety nine crores eighty six lakhs and forty thousands only allotted on 09-01-1999 by the said Bank.

[No. 12/99-STAMPS F. No. 33/10/99-ST]

APARNA SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1999

(आयकर)

का. आ. 781.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "एरो क्लब ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली" को 1996-97 से 1998-99 तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(1) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन इस प्रकार के संचयन हेतु उक्त खण्ड (23) द्वारा यथा-संशोधित धारा 11 की उपधारा (2) तथा (3) के उपबंधों के अनुरूप पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(2) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु, जिसे उपर्युक्त खण्ड (23) के तीसरे परन्तुक के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(3) कर निर्धारिती अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भाग का संवितरण अपने से संबद्ध किसी एसोसिएशन अथवा संस्था को अनुदान के अलावा नहीं करेगा; और

(4) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ।

[अधिसूचना सं. 10824 फा. सं. 196/19/98—आ. कर नि. I]

समर भद्र, अवर सचिव

New Delhi, the 11th March, 1999

(INCOME TAX)

S.O. 781.—In exercise of the powers conferred by clause (23) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Aero Club of India, New Delhi" for the purpose of the said clause for assessment

12. मंडल अभियन्ता (ओ. एफ. सी), आगरा
13. मंडल अभियन्ता (माइक्रोवेव), झांसी
14. मंडल अभियन्ता (दूरस्थ), इलाहाबाद
15. मंडल अभियन्ता (माइक्रोवेव), वाराणसी

[सं. ई-11016/1/99-रा.भा.]

आर. डी. मासीवाल, निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 9th March, 1999

S.O. 792.—In pursuance of rule 10(4) of the official Language (use for official purposes of the Union), rules, 1976 the Central Government hereby notifies following offices under the administrative control of Ministry of Communications, Department of Telecommunications where of more than 80 per cent staff have acquired working knowledge of Hindi.

Chief General Manager Telecom. Trivandrum.
1. Telecom Centre Minicoy.

Chief General Manager (Maintenance) Northern Telecom Region, Kidwai Bhawan, New Delhi.
1. General Manager Telecom. (Maintenance), Lucknow
2. Divisional Engineer (Remote), Lucknow
3. Divisional Engineer (Satellite), Lucknow
4. Divisional Engineer (O.F.C.), Lucknow
5. Divisional Engineer (Microwave), Bareli
6. Divisional Engineer (Coaxial), Bareli
7. Divisional Engineer (Microwave), Gorakhpur
8. Director Telecom (Maintenance), Kanpur
9. Divisional Engineer (Microwave), Kanpur
10. Divisional Engineer (Coaxial), Kanpur
11. Divisional Engineer (Microwave), Agra
12. Divisional Engineer (O.F.C.), Agra
13. Divisional Engineer (Microwave), Jhansi
14. Divisional Engineer (Remote), Allahabad
15. Divisional Engineer (Microwave), Varanasi

[No. E-11016/1/99-O.L.]

R. D. MASIWAL, Director (O.L.)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1999

का.आ. 793.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे एतद्द्वारा जनता की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो तो वह व्यक्ति अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अन्दर लिखित रूप में आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई.एन.ए.; नई दिल्ली को भेज सकता है। आपत्ति करने/सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें।

संशोधन :

"ग्रामीण उपयोग क्षेत्र और जोन "जी" (पश्चिम दिल्ली-I) की क्षेत्रीय विकास योजना में पड़ने वाले और उत्तर पश्चिम में अम्बेडकर कालोनी से, उत्तर में उच्च ताप लाइन से, उत्तर-पूर्व में मौजूदा ग्रामीण सड़क से, दक्षिण-पूर्व में बिजवासन गांव मार्ग से और पश्चिम में बिजवासन गांव से घिरे बिजवासन गांव की राजस्व सम्पदा में खसरा नं. 31/13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 32/11, 18, 19, 20, 21 और 22 [उप सचिव (एल.ए.) भूमि एवं भवन विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. एफ 7(35)/93 एल. एण्ड बी./एल.ए./7195 दिनांक 13-7-98 के अनुसार खसरा नं. 50/4, 5, 6, एवं 49/1, 2 मूल चार दिवारी में से निकाल दिए गए है] वाले लगभग 5.74 हेक्टयर) (14.20 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "ग्रामीण उपयोग जोन" से "व्यावसायिक" (भांडागार एवं भंडारण) में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिये उक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य दिवसों को संयुक्त निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग विकास मीनार, छठी मंजिल, आई.पी. स्टेट नई दिल्ली में उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ-20(12) 97-एम.पी.]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 16th March, 1999

S.O. 793.—The following modification which the Central Government to make in the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi, within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objection/suggestion should also give his name and address.

MODIFICATIONS

"The land use of an area, measuring about 5.74 ha. 14.20 acres comprising the khasra nos. 31/13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 32/11, 18, 19, 20, 21 and 22 in the revenue estate of village Bijwasan [The khasra nos. 50/4, 5, 6 & 49/1, 2 have been excluded from the original boundary as per the notification no. F. 7(35)/93/L&B/LA/7195 dated 18-8-1998 issued by the Dy. Secy. (LA) Land & Bldg. Deptt. GNCTD] falling in rural use zone and Zonal Development Plan of Zone 'G' (West Delhi-I) and bounded by Ambedkar Colony in the North-West, High Tension Line in the North, existing village road in the North-East, Bijwasan village road in the South-East and Bijwasan Village in the West, is proposed to be changed from 'rural use zone' to 'commercial' (warehousing and storage)".

2. The plan indicating the proposed modification shall be available for inspection at the office of the Joint Director, Master Plan Section Vikas Minar, 6th floor, IP Estate, New Delhi on all working days within the period of reeferred to above.

[No. F. 20(12)97-MP]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/99

REGISTERED NO. D. L.—33001/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 24, 1999/श्रावण 2, 1921
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 24, 1999/SRAVANA 2, 1921

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

नई दिल्ली, 28 जून, 1999

का.आ. 2060.—आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (2) तथा (8) तथा स्वापक औषध और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36ग में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषध तथा मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के कारण उत्पन्न हुए मामलों के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अधिवक्ताओं को विशेष लोक अभियोजक अतिरिक्त विशेष लोक अभियोजक वरिष्ठ विशेष अभियोजक के रूप में उनके नामों के सामने वर्णित न्यायालयों में उनकी नियुक्ति की अवधि 7-11-98 से तीन वर्षों तक पिछले नियमों एवं शर्तों पर और आगे बढ़ाती है।

अधिवक्ता (ओं) का नाम	वे न्यायालय जिनके सम्मुख उपस्थित होने के लिये प्राधिकृत किया गया है।
सर्वश्री	
1. हीरा लाल भट्टाचार्जी	अतिरिक्त विशेष लोक अभियोजक (क) सी जे एम का न्यायालय, बारासत (ख) जिला एवं सत्र न्यायालय, उत्तरी 24 परगना।

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

1	2
2. सिसिर कुमार घोष	विशेष लोक अभियोजक (क) नगर सत्र न्यायालय, कलकत्ता (ख) सी एम एम, न्यायालय, कलकत्ता (बांकशल न्यायालय)
3. अमितावा गांगुली	अतिरिक्त विशेष लोक अभियोजक (क) सी जे म, अलिपोर न्यायालय, दक्षिणी 24 परगना। (ख) जिला एवं सत्र न्यायालय, दक्षिणी 24 परगना।
4. कंचन लाल मुखर्जी	वरिष्ठ विशेष लोक अभियोजक जिला एवं सत्र न्यायालय, मुर्शिदाबाद, बरहामपुर, पश्चिम बंगाल।
5. चिनमाय चौधुरी	वरिष्ठ विशेष लोक अभियोजक (क) सी जे एम, हावड़ा न्यायालय (ख) जिला एवं सत्र न्यायालय, हावड़ा।

[फा.सं. IV/4/95-स्वा. नि. ब्यू. (विधि)]

एस. कुमार, उप विधि सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Narcotics Control Division)

New Delhi, the 28th June, 1999

S.O.2060.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and section 36C of the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby extends the appointment of the following advocates as Special Public Prosecutor/Additional Special Public Prosecutor/ Senior Special Public Prosecutor in the Courts mentioned against their names for conducting cases arising out of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, for a further period of three years with effect from 7-11-1998 on the terms and conditions as applicable to them earlier :—

Name of the Advocate(s)	Court(s) before which authorised to appear
1	2
1. S/Shri Hira Lal Bhattacharjee	Additional Special Public Prosecutor (a) Court of the CJM Barasat (b) District and Sessions Court, North 24 Parganas.
2. Sisir Kumar Ghosh	Special Public Prosecutor (a) City Sessions Court, Calcutta. (b) CMM, Court Calcutta (Bankshal Court).
3. Amitava Ganguly	Additional Special Public Prosecutor (a) CJM Alipor Court, South 24 Parganas. (b) District and Sessions Court, South 24 Parganas.
4. Kanchan Lal Mukherjee	Senior Special Public Prosecutor District and Sessions Court, Murshidabad, Berhampur, West Bengal.
5. Chinmoy Chaudhuri	Senior Special Public Prosecutor (a) CJM, Howrah Court. (b) District and Sessions Court, Howrah.

[F.No. IV/4/95-NCB(Legal)]

S. KUMAR Dy. Legal Adviser

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1999

का.आ. 2069.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली मुख्य योजना 2001 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव देना हो तो वे अपनी आपत्तियां/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के अन्दर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन "बी" ब्लाक, आई.एन. ए., नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज दें । आपत्ति/सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी देना चाहिए ।

संशोधन :—

1. "जोन "जी" के अन्तर्गत आने वाले 3.38 हेक्टेयर (8.37 एकड़) क्षेत्र, जो उत्तर में हस्तसाल गांव पूर्व में 30 मीटर मार्गाधिकार सड़क दक्षिण में विद्यमान जे. जे. कालोनी और 30 मीटर मार्गाधिकार सड़क और पश्चिम में हस्तसाल गांव से घिरा हुआ है, के भूमि उपयोग को "ग्रामीण उपयोग जोन" से "आवासीय (ट्रांसिट कैम्प)" में बदला जाना प्रस्तावित है" ।

(क) "जोन "एफ" (दक्षिण दिल्ली-1), कालकाजी एक्सटेंशन के अन्तर्गत आने वाले 3.206 हेक्टेयर (7.94 एकड़) (पाकेट "ए") क्षेत्र, जो उत्तर और दक्षिण में 30 मीटर चौड़ी सड़क, पूर्व में 45 मीटर चौड़ी सड़क और पश्चिम में औद्योगिक टेनेमेंटस से घिरा हुआ है, के भूमि उपयोग को "मनोरंजनात्मक" से "आवासीय" (ट्रांसिट कैम्प) में बदला जाना प्रस्तावित है" ।

(ख) जोन "एफ" (दक्षिण दिल्ली-1) कालकाजी एक्सटेंशन के अन्तर्गत आने वाले 8.772 हेक्टेयर (21.72 एकड़) (पाकेट बी) क्षेत्र, जो दक्षिण में 30 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर और पश्चिम में विद्यमान निर्मित क्षेत्र और पूर्व में 45 मीटर चौड़ी सड़क से घिरा हुआ है, के भूमि उपयोग को "मनोरंजनात्मक" से "आवासीय" (ट्रांसिट कैम्प) में बदला जाना प्रस्तावित है"।

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाले नक्शे उपर्युक्त अवधि के दौरान निरीक्षण हेतु संयुक्त निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली में सभी कार्य-दिवसों को उपलब्ध रहेंगे ।

[सं. : एफ. -20(7)/91-एम.पी.]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 19th July, 1999

S.O. 2069.—The following modifications which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi-2001, are hereby published for public information. Any person having any objections|suggestions with respect to the proposed modifications may send the objections|suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objections|suggestions should also give his name and address.

MODIFICATIONS :

1. "The land use of an area measuring 3.38 ha. (8.37 acres) falling in zone 'G' bounded by village Hasthal in the North, road 30 M R|W in the East, existing JJ Colony and 30 M road R|W in the South and village Hasthal in the West, is proposed to be changed from 'rural use Zone' to 'residential' (Transit Camp)".

(a) "The land use of an area (Pocket 'A') measuring 3.206 ha. (7.94 acres) falling in zone 'F' (South Delhi-I) bounded 30 M wide road in the North & South 45 M wide road in the East and Industrial Tenaments in the West is proposed to be changed from 'recreational' to 'residential' (Transit Camp) at Kalkaji Extn.".

(b) "The land use of an area (Pocket 'B') measuring 8.772 ha. (21.72 acres) falling in zone 'F' (South Delhi-I) bounded by 30 M wide road in the South, existing built up area in the North and West and 45 M wide road in the East, is proposed to be changed from 'recreational' to 'residential' (Transit Camp) at Kalkaji Extn.".

2. The plans indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Joint Director, Master Plan Section, 6th floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi on all working days during the period referred above.

[No. F-20(7)|91-MPI

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

सहायक नियंत्रक (व्यापार)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 402] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 1999/श्रावण 15, 1921

No. 402] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 1999/SRAVANA 15, 1921

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा-1)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1999

सा. का. नि. 579 (अ).—दिल्ली विकास (विविध) नियम, 1959 के नियम (4) के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण वरिष्ठ कल्याण निरीक्षक/वरिष्ठ समन्वयक/वरिष्ठ सूचना अधिकारी और कल्याण/कार्मिक निरीक्षक पद के भर्ती नियम बनाता है और निदेशक (जनसम्पर्क), उपनिदेशक (जनसम्पर्क) उपनिदेशक (प्रचार), सहायक निदेशक (प्रशा.), अधीक्षक पद के भर्ती नियमों में संशोधन करता है। उक्त पदों के भर्ती विनियमों और भर्ती नियमों में संशोधनों को निम्नानुसार पढ़ा जाए :—

दिल्ली विकास प्राधिकरण में कल्याण/कार्मिक निरीक्षक पद के भर्ती विनियम

1.	पद का नाम	: वरिष्ठ कल्याण निरीक्षक/वरिष्ठ समन्वयक/वरिष्ठ सूचना अधिकारी
2.	पदों की संख्या	: 5
3.	वर्गीकरण	: समूह "ख"
4.	वेतनमान	: 6500-200-10500/- रुपये
5.	चयन पद है अथवा अचयन	: चयन
6. (क)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	: लागू नहीं
6. (ख)	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ देय है।	: लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	: लागू नहीं

8. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वाले और प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों के मामले में भी लागू होंगी ? : लागू नहीं

9. परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो : दो वर्ष

10. भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा है अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत क्या है ? : पदोन्नति

11. यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाती है, तो की जाने वाली पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति का ग्रेड बताएं ? : ग्रेड में 5 वर्ग की नियमित सेवा के साथ कल्याण/कार्मिक निरीक्षक

12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) है, तो उसकी क्या संरचना है ? : समूह ''ख'' विभागीय पदोन्नति समिति

13. बचाव : इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, छूट, आयु सीमा और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

14. निरर्हता : कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो अथवा

(ख) जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो और उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो

बशर्ते केन्द्रीय सरकार/दि.वि.प्रा. यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि यह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं; तो वह उस व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।

15. शिथिल करने की शक्ति : जब केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों और पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

कल्याण/कार्मिक निरीक्षक पद के भर्ती विनियम

1. पद का नाम : कल्याण/कार्मिक निरीक्षक
2. पदों की संख्या : 15
3. वर्गीकरण : ''ग''
4. वेतनमान : 5500-175-9000/- रुपए
5. चयन पद है अथवा अचयन : चयन

6.(क)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	: लागू नहीं
6. (ख)	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ देय है।	: लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	: लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वाले और प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों के मामले में भी लागू होंगी ?	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	: दो वर्ष
10.	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा है अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत क्या है ?	: पदोन्नति द्वारा
11.	यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाती है, तो की जाने वाली पदोन्नति/स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति का ग्रेड बताएं ?	: सीमित विभागीय परीक्षा और उसके पश्चात् साक्षात्कार के द्वारा 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ 4000-100-6000/- रु. के वेतनमान में उच्च श्रेणी लिपिक/कानूनगो/आशुलिपिक और 4500-125-7000/- रुपए के वेतनमान में नायब तहसीलदार।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) है, तो उसकी क्या संरचना है ?	: समूह ''ग'' विभागीय पदोन्नति समिति
13.	बचाव	: इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, छूट, आयु-सीमा और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
14.	निरर्हता	: कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो अथवा (ख) जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो और उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो बशर्ते केन्द्रीय सरकार/दि.वि.प्रा. यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि यह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं; तो वह उस व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।
15.	शिथिल करने की शक्ति	जब केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों और पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

प्राधिकरण के अनुमोदन/सहमति से संबंधित विशिष्ट मामले/सिफारिशें

विशिष्ट मामले भर्ती-विनियमों में संशोधन से संबंधित हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :—

कॉलम सं.	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
निदेशक (जनसम्पर्क)		
कॉलम 11		
पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है।	**पदोन्नति** उपनिदेशक (जन सम्पर्क)/सम्पादक, जो 3000-4500/- रु. के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं। **प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण** (1) केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वशासी संगठनों के अधिकारी, जो (क) सदृश पदधारी हैं और 3000-4500/- रुपए के वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा रखते हैं। (2) सीधी भर्ती की शैक्षिक योग्यताएं रखते हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	**पदोन्नति** उपनिदेशक (जन सम्पर्क)/उपनिदेशक (प्रचार) जो ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।
उपनिदेशक (जन संपर्क)		
कालम 11		
पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड-जिससे पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है।	**पदोन्नति** ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले सूचना अधिकारी। **प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :—** (1) केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वशासी संगठन के अधिकारी। (क) सदृश पदधारी होने के साथ 700-1300/- रुपए के वेतनमान के पदों पर 5 वर्ष की सेवा रखते हैं। (2) सीधे भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	**पदोन्नति** प्रलेखन अधिकारी/पुस्तकालयाध्यक्ष/फोटोग्राफिक अधिकारी जो ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।
निदेशक (प्रचार)		
कॉलम-11		
पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है।	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा** (1) केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वशासी संगठन के अधिकारी, जो :— (क) सदृश पदधारी हैं या (ख) 700-1300/- रु. के वेतनमान के पद पर हैं और 5 वर्ष का अनुभव रखते हैं और (2) कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हैं।	**पदोन्नति** प्रलेखन अधिकारी/पुस्तकालयाध्यक्ष जो ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।

	(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	
सहायक निदेशक (मिनि.)		
कॉलम-11		पदोन्नति
पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है।	ऐसे अधीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है।	अधीक्षकों और वरिष्ठ कल्याण निरीक्षकों/ वरिष्ठ समन्वयकर्ताओं/वरिष्ठ सूचना अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है।
अधीक्षक		
कॉलम 2		
पदों की सं. :	86	139.
कॉलम 4		
वेतनमान	2000—3200/- रु.	6500-200-10500/- रु.
कॉलम 10		
भर्ती पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा और प्रतिशतता जो विभिन्न पद्धतियों द्वारा निश्चित की जानी है।	(1) 5 वर्ष की सेवा रखने वाले सहायकों में से पदोन्नति द्वारा 50% (2) 3 वर्ष की सेवा रखने वाले सहायकों में से विभागीय परीक्षा द्वारा 50%	पदोन्नति द्वारा 60% सहायकों में से सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा 40%

दिल्ली विकास प्राधिकरण में निदेशक (जन सम्पर्क) पद के भर्ती नियम

1. पद का नाम	: निदेशक (जनसम्पर्क)
2. पदों की संख्या	: 1
3. वर्गीकरण	: समूह "क"
4. वेतनमान	: 3700-125-4700-150-5000/- रु. (पूर्व संशोधित), 12000-375-16500/- रु. (संशोधित)
5. चयन पद है अथवा अचयन पद	: चयन
6. (क) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	: 45 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों और दि.वि.प्रा. कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय)
(ख) क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ देय है।	:
7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	: **अनिवार्य :** 1. विषय के रूप में अंग्रेजी और हिन्दी/उर्दू सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पत्रकारिता/जन संचार/जन सम्पर्क में डिप्लोमा अथवा समकक्ष। 3. किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र/समाचार अभिकरण में जिम्मेदारी के पद पर 12 वर्षों का पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभव अथवा सरकारी विभाग अथवा प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रचार संगठन में प्रचार और जन सम्पर्क कार्यों का समान अनुभव। **वांछनीय :** पत्रकारिता/जन-सम्पर्क/जन संचार में डिग्री।

8. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वाले और प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों के मामले में भी लागू होंगी ?	: आयु : लागू नहीं शैक्षणिक अर्हताएं : हां
9. परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	: दो वर्ष
10. भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा है अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा, अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत क्या है ?	: पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर, दोनों स्थितियों में न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11. यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाती है, तो की जाने वाली पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति का ग्रेड बताएं ?	: पदोन्नति :— ग्रेड में 5 वर्ष की निरंतर सेवा के साथ उप निदेशक (जनसम्पर्क) और उपनिदेशक (प्रचार)। **स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति** 1. केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र/उपक्रम/स्वायत्तशासी संगठन :— (क) समान पदधारी अथवा (ख) 10,000/—15,200/- रु. के वेतनमान में पद पर 5 वर्ष की सेवा सहित। 2. सीधी भर्ती की शैक्षणिक अर्हता रखने वाले व्यक्ति। (सामान्य तौर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।
12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी क्या संरचना है ?	: वरिष्ठ स्तर की विभागीय पदोन्नति समिति का गठन निम्नानुसार है :— 1. उपाध्यक्ष—अध्यक्ष 2. वित्त सदस्य—सदस्य 3. सचिव, दि.वि.प्रा.—सदस्य 4. आयुक्त (कार्मिक)/निदेशक (कार्मिक)—सदस्य सचिव 5. विभागाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा लिया गया कोई अन्य विशेषज्ञ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में उप निदेशक (प्रचार) के पद हेतु भर्ती विनियम

1. पद का नाम	: उप निदेशक (प्रचार)
2. पदों की संख्या	: 1
3. वर्गीकरण	: ग्रुप "क"
4. वेतनमान	: 3000-100-3500-125-4500/- रुपये (पूर्व संशोधित), 10,000-325-15200/- रुपये (संशोधित)
5. चयन पद है अथवा अचयन पद	: लागू नहीं.
6. (क) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	: 40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों और दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छूट)।
(ख) क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ देय है।	: नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	: **अनिवार्य :** (1) विषय के रूप में हिन्दी/अंग्रेजी, उर्दू सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष।

(2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से जन संचार/विज्ञापन/पत्रकारिता·जन सम्पर्क में डिप्लोमा अथवा समकक्ष।

(3) प्रतिष्ठित पत्रिका या समाचार पत्र के उप संपादक के रूप में 7 वर्ष का अनुभव या सहायक संपादक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव

: वांछनीय:

(1) विभिन्न प्रचार साधनों की आवश्यकता की जानकारी होना।

8. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगी। : लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : 2 वर्ष

10. भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा है अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा पर स्थानांतरण द्वारा, अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत क्या है ? : पदोन्नति द्वारा, जिसके न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा अथवा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

11. पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनसे पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है। : **प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण**

(1) केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो निम्नलिखित पद पर कार्य कर रहे हैं :—

(क) समान पद या

(ख) 8000—13,500 रुपये के वेतनमान में 5 वर्ष के अनुभव सहित पद और।

(2) जिसके पास कालम-7 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव हो।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य रूप से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

ख. विभागीय उम्मीदवार

प्रलेखन अधिकारी/पुस्तकालयाध्यक्ष जिनकी ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो।

12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन क्या है ? : ग्रुप ''क'' विभागीय पदोन्नति समिति।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में सहायक निदेशक (लिपिक वर्गीय) के पद हेतु भर्ती विनियम संकल्प सं. 133/93 दिनांक 21-9-93 द्वारा अनुमोदित और संकल्प सं. 28/95 दिनांक 17-4-95 द्वारा संशोधित।

[फाइल सं. एफ 7(258)/88-पी. बी.-1/वोल्यू. 2]

1. पद का नाम : सहायक निदेशक
2. पदों की संख्या : 55*(1993)
   *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय
3. वर्गीकरण : समूह ''ख''
4. वेतनमान : 2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500/- रुपये (पूर्व संशोधित) एवं 6500-200-10500/- रु. (संशोधित)
5. प्रवरण पद है अथवा अचयन अप्रवरण-पद : प्रवरण
6. (क) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा : कोई आयु सीमा नहीं है
   (ख) क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा में जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ स्वीकार्य है। : लागू नहीं
7. शैक्षिक और अन्य अर्हताएं, जो सीधी भर्ती/सीमित पदोन्नति के लिए अपेक्षित है : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष

8. क्या पदोन्नत कर्मचारियों और प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी।	: आयु : नहीं : शैक्षिक अर्हताएं—हाँ, परन्तु केवल 25% सीमित पदोन्नति के लिए।
9. परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो तो	: 2 वर्ष
10. भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	: (1) सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा 25% पदोन्नति उन स्नातकों में से की जाएगी, जिन्होंने सहायक या उसके समकक्ष केडर में 5 वर्षों की संयुक्त सेवा पूर्ण की हो। (2) 75% पदोन्नति उन अधीक्षकों और वरिष्ठ कल्याण निरीक्षकों/ वरिष्ठ समन्वयकों/वरिष्ठ सूचना अधिकारियों में से की जाएगी, जिन्होंने ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो।
11. पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड, जिनसे पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है।	:
12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका क्या गठन है?	: समूह "ख" विभागीय पदोन्नति समिति।
13. बचाव	: इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों और व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, छूट, आयु सीमा और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
14. निरर्हता	: कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी पत्नी/ पति जीवित हो अथवा जिसका : (ख) जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो और उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार/दि.वि.प्रा. यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि यह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं; तो वह उस व्यक्ति को इस विनिमय के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।
15. शिथिल करने की शक्ति	: जब केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों और पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

[सं. एफ 7(18)/99-पी.बी. I]

वी. एम. बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Personnel Branch-I)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 1999

G.S.R. 579(E).—In exercise of powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (57 of 1957) read with rule (4) of the Delhi Development (Misc.) Rules, 1959, the Delhi Development Authority hereby makes Recruitment Regulations with the previous approval of the Central Government to the post of Sr. Welfare Inspector/Sr. Coordinator/Sr. Information Officer and Welfare/Personnel Inspector and amendments in RR's for the posts of Director (PR) Dy. Director (PR) Dy. Dir. (Publicity, Asstt. Director (Min), Supdt., Recruitment Regulations for the said posts and amendments in RR's may be read as under:—

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF SENIOR WELFARE INSPECTOR/SR. COORDINATOR/SR. INFORMATION OFFICER IN DDA

1.	Name of the post	Sr. Welfare Inspector/Sr. Coordinator/Sr. Information Officer
2.	No. of posts	5
3.	Classification	Group 'B'
4.	Scale of pay	Rs. 6500-200-10500/-
5.	Whether selection post or non-selection	Selection
6.	(a) Age limit for recruits	
	(b) Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972.	NA
7.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Not applicable
8.	Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.	Not applicable
9.	Period of probation, if any	Two years
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	Promotion
11.	In case of recruitment by promotion/transfer/ deputation, grades from which promotion/ transfer/deputation is to be made.	Welfare/Personal Inspector with 5 years regular service in the grade.
12.	If a DPC exists what is its composition.	Group 'B' DPC.
13.	Saving	Nothing in these regulations shall effect reservations, relaxation in age limit and other concessions required to be provided for the SC/ST Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.
14.	Disqualification	No person, (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or (b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post. Provided that the Central Govt./Delhi Development Authority may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such

person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

15. Power to Relax : Where the Central Govt./Delhi Development Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category of persons or posts.

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF WELFARE/PERSONNEL INSPECTOR

1.	Name of the post	Welfare/Personnel Inspector
2.	No. of posts	15
3.	Classification	'C'
4.	Scale of pay	Rs. 5500-175-9000/-
5.	Whethor selection post or non-selection	Selection
6.	(a) Age limit for direct recruitment	Not applicable
	(b) Whether benefit of any added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972.	Not applicable
7.	Educational and other qualification required for direct recruitment.	Not applicable
8.	Whether the age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.	Not applicable
9.	Period of probation, if any	Two years
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By Promotion
11.	In case of recruitment by promotion/transfer/ deputation, grades from which promotion/ transfer/deputation is to be made.	UDCs/Kanoongos/Stenos in the scale of Rs. 4000-100-6000/- & Naib-Tch. in the scale of Rs. 4500-125-7000/- with 5 years regular service in the grade through limited Deptt. Test and interview thereof.
12.	If a DPC exists, what is its composition.	Group 'C' DPC.
13.	Saving	Nothing in those regulations shall effect reservations, relaxation in age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste,/the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the O.M. issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.
14.	Disqualification	No. person.
		(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or
		(b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.
		Provided that the Central Govt./Delhi Development Authority may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

15. Power to Relax

Where the Central Govt./Delhi Development Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category of persons or posts.

SPECIFIC ISSUES/RECOMMENDATIONS REGARDING AUTHORITY'S APPROVAL/CONCURRENCE:

The specific issues are the amendments in RRs as detailed below :—

Col. No. DIRECTOR (PR)	Existing provision	Proposed amendment
Col. 11	**Promotion**	**Promotion**
In case of recruitment by promotion/ transfer/deputation, grades from which promotion/transfer/deputation is to be made.	Deputy Director (PR)/Editor with 5 years regular service in the pay scale of Rs. 3000-4500/- **Transfer on deputation** (i) Officers of the Central/State Govt./Public Sector Undertaking/Autonomous organisations:— (a) Holding analogous post with 5 years service in the pay scale of Rs. 3000-4500/-. (ii) Possessing the educational qualification of direct recruits. (Period of deputation shall not ordinarily exceed 3 years).	Dy. Director (PR)/Dy. Director (Publicity) with 5 years regular service in the grade.
DY. DIRECTOR (PR)		
Col. 11	**Promotion**	**Promotion**
In case of recruitment by promotion/ transfer/deputation, grades from which promotion/transfer/deputation is to be made.	Information Officer with 5 years regular service in the grade. **Transfer on deputation** (i) Officers Under the Central/State Govt./Public Sector Undertaking/Autonomous organisation:— (a) Holding analogous post with 5 years service in the post in the scale of Rs. 700-1300/-. (ii) Possessing the educational qualification prescribed for direct recruits. (Period of deputation shall ordinarily not exceed three years).	Documentation Officer/ Librarian/Photographic Officer with 5 years regular service in the grade.
DY. DIRECTOR (PUBLICITY)		
Col. 11	**By transfer on deputation**	**Promotion**
In case of recruitment by promotion/ transfer/deputation, grades from which promotion/transfer/deputation is to be made.	(i) Officers under the Central/State Govt./Public Sector Undertaking/Autonomous Organisation holding:— (a) analogous post; or (b) post in the pay scale of Rs. 700-1300/- with 5 years experience; and (ii) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under col. 7). (Period of deputation shall not ordinarily exceed 3 years).	Documentation Officer/Librarian with 5 years regular service in the grade.
ASSTT. DIRECTOR (MIN.)		
Col. 11		**Promotion**
In case of recruitment by promotion/ transfer/deputation, grades from which promotion/transfer/deputation is to be made..	Promotion from Superintendents who have put in 6 years of regular service in the grade.	Promotion from Supdts. and Sr. Welfare Inspector/Sr. Coordinator/Sr. Information Officer who have put in 6 years regular service in the grade.

SUPERINTENDENT		
Col. 2		
No. of posts.:	86	139
Col. 4		
Scale of Pay	Rs. 2000-3200/-	Rs. 6500-200-10500/-
Col. 10		
Method of recruitment: Whether direct recruitment or by promotion or by transfer on deputation and percentage to be fixed by various methods.	(i) 50% by way of promotion from Assistants with 5 years service. (ii) 50% through departmental examination from Assistants with 3 years of service.	60% by way of promotion. 40% through limited departmental test from Assistants.

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF DIRECTOR (P.R.) IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

1.	Name of the post	:	Director (P.R.)
2.	Number of post		1
3.	Classification	:	Group 'A'
4.	Scale of pay	:	Rs. 3700-125-4700-150-5000 (PR) Rs. 12000-375-16500 (Revised)
5.	Whether Selection or non-selection post	:	Selection
6.	(a) Age limit for direct recruits.	:	Not exceeding 45 years (relaxable upto 5 years for Govt. Servants and employees of the DDA in accordance with the instructions issued by Central Govt.)
	(b) Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972.	:	
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	:	**Essential** (1) Degree of a recognised University or equivalent with English and Hindi/Urdu as a subject. (2) Diploma in Journalism/Mass Communication/Public Relation from a recognised University/Institution or equivalent. (3) 12 years Journalistic experience in a responsible capacity in a newspaper/news agency of repute or equivalent experience of publicity and public relations work in a Govt. Deptt. or Commercial Publicity Organisation of repute. **Desirable** Degree in Journalism/Public Relation/Mass Communication.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotions and deputationists.	:	Age : N.A. Educational Qualification—Yes.
9.	Period of probation, if any	:	2 years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitments or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	:	Promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment.

11.	In case of recruitment by promotion/ transfer/deputation, grades from which promotion/transfer/deputation is to be made.	:	**Promotion** Dy. Director (PR) and Dy. Director (Publicity) with 5 years regular service in the grade. **Transfer or Deputation** (i) Officers of the Central/State Govt./Public Sector./ Undertakings/Autonomous Organisations :— (a) Holding analogous post or (b) with 5 years service in the post in the pay scale of Rs.10,000-15,200. (ii) Possessing the educational qualification of direct recruits. (Period of deputation shall not ordinarily exceed 3 years)
12.	If a DPC exists what is its composition.	:	Senior Level DPC comprising of the following:— (i) Vice-Chairman—Chairman. (ii) Finance Member—Member. (iii) Secretary, DDA—Member. (iv) Commissioner (Personnel)/Director(P)—Member Secretary (v) Departmental Head or any expert to be co-opted by the Chairman.

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF DY. DIRECTOR (PUBLICITY) IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

1.	Name of the post	:	Dy. Director (Publicity)
2.	Number of posts	:	1
3.	Classification	:	Group 'A'
4.	Scale of pay	:	Rs. 3000-100-3500-125-4500 (PR) Rs. 10,000-325-15,200 (Revised)
5.	Whether Selection or non-selection post	:	N.A.
6.	(a) Age limit for direct recruits.	:	Not exceeding 40 years (Relaxable for Govt. employees and employees of DDA by 5 years in accordance with the instructions issued by the Central Govt.)
	(b) Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972.	:	No
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	:	**Essential** (1) Degree of a recognised University or equivalent with Hindi/English/Urdu as a subject. (2) Diploma in Mass Communication/Advertisement/ Journalism/Public Relations from a recognised University/ Institutions or equivalent. (3) 7 years experience as sub-Editor or 5 years experience as Asstt. Editor of a reputed magazine or newspapers. **Desirable** Familiarity with the requirement of various publicity media.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotions and deputationists.	:	N.A.

9.	Period of probation, if any	:	2 years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	:	Promotion failing which by transfer on deputation or failing both by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/ transer/deputation, grades from which promotion/transfer/deputation is to be made.	:	**Transfer on deputation** (i) Officers under the Central/State Govt./Public Sector Undertakings, Autonomous Organisation holding:— (a) Analogous post or (b) Post in the scale of Rs. 8000-13,500 with 5 years experience and (ii) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column 7. (Period of deputation shall ordinarily not exceed three years) **(B) Departmental Candidates** Documentation officer/librarian with 5 yrs. regular service in the grade.
12.	If a DPC exists what is its composition.	:	Group 'A' DPC.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR (MINISTERIAL) IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Approved vide Resolution No 133/93 dated 21-9-93 and amended vide Resolution No. 28/95 dated 17-4-95

File No. F.7(258)/88-PB-I/Vol.II

1.	Name of post	:	Assistant Director
2.	Number of posts	:	55*(1993) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	:	Group 'B'
4.	Scale of pay	:	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500 (P.R.) and Rs. 6500-200-10,500 (Revised)
5.	Whether Selection post or non-selection post	:	Selection
6.	(a) Age limit for direct recruits.	:	No age limit.
	(b) Whether benefit of any added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972.	:	Not applicable.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits/limited promotions.	:	Degree of its equivalent from a recognised University.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.	:	Age : No Educational qualification : Yes, but only for 25% limited promotion.
9.	Period of probation, if any	:	2 years
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	:	(i) 25% by promotion through limited departmental exams from among graduates who have completed 5 years combined service in the cadre of Assistant or equivalent.

			(ii) 75% by promotion from Supdtt. and Sr. Welfare Inspector/Sr. Coordinators/Senior Information Officer who have put in 5 years regular service in the grade.
11.	In case of recruitment by promotion/ transfer/deputation grades from which promotion/transfer/deputation is to be made.		
12.	If a DPC exists what is its composition.	:	Group 'B' DPC.
13.	Saving	:	Nothing in these regulations shall effect reservation, relaxation or age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex- servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.
14.	Disqualification	:	No Person— (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or (b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post. Provided that the Central Govt./Delhi Development Authority may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.
15.	Power to relax	:	Where the Central Govt./Delhi Development Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category of persons or posts.

RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF SUPERINTENDENT IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

1.	Name of post	:	Superintendent
2.	Number of posts	:	139
3.	Classification	:	Group 'B'
4.	Scale of pay	:	Rs. 6500-200-10,500
5.	Whether Selection or non-selection post	:	Non-selection
6.	(a) Age limit for direct recruits.	:	Not applicable.
	(b) Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972.	:	Not applicable.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	:	Not applicable.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.	:	Not applicable.

9.	Period of probation, if any	:	Two years
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	:	(i) 60% by promotion (ii) 40% through limited departmental test of Assistants
11.	In case of recruitment by promotion/ transfer/deputation grades from which promotion/transfer/deputation is to be made.	:	Assistants who have put in five years of regular service in the grade.
12.	If a DPC exists what is its composition.	:	Group 'B' DPC.
13.	Saving	:	Nothing in these regulations shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.
14.	Disqualification	:	No Person— (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or. (b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any peson, shall be eligible for appointment to the said post: Provided that the Central Govt./Delhi Development Authority may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.
15.	Power to relax	:	Where the Central Govt./Delhi Development Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category of persons or posts.

[No. F. 7(18)/99-PB-I]

V. M. BANSAL, Commr.-cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

भारत सरकार मुद्रणालय.....
से दिनांक.....को प्राप्त ।
0907-7
20-8-99

रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/99

REGISTERED NO. D. L.—33001/99

प्रभारी
अपद्य वितरण एकक

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

P.O. 350
K.M. 15
GPO 335

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 7, 1999/श्रावण 16, 1921
No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 7, 1999/SRAVANA 16, 1921

पृष्ठ
पूरा किया

प्रभारी
रा० वि० एकक

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1999

का.आ. 2209.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा हरियाणा सरकार के पुनर्वास विभाग में संयुक्त सचिव, श्री समीर माथुर को, उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन एक बंदोबस्त आयुक्त को सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करने के उद्देश्य से, हरियाणा राज्य में बंदोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

2. इसके द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं. 1(7)/विशेष सेल/88-एस.एस. II एस. (ए) का अधिक्रमण किया जाता है।

[सं. 1(1)/99-बंदोबस्त]

फूल सिंह, निदेशक (पुनर्वास)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Rehabilitation Division)

New Delhi, the 14th July, 1999

S.O. 2209.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri Samir Muthur, Joint Secretary in the Rehabilitation Department of Government of Haryana, as Settlement Commissioner in the State of Haryana for the purpose of performing the functions assigned to a Settlement Commissioner by or under the said Act.

2. This supersedes Notification No. 1(7)/Spl. Cell/88-SS II/S(A), dated the 2nd February, 1999.

[No. 1(1)/99-Settlement]

PHOOL SINGH, Director (Rehab.)

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)

2203-GI/99—1

(491)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54.

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1999

का.आ. 2242.—यतः इसके नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली/आंचलिक विकास योजना के लिए मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार ने जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया था उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 23-4-97 के नोटिस सं. एफ. 20(9)95-एम पी में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से 30 दिन के भीतर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उपखण्ड (3) में यथा अपेक्षित आपत्तियों/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में 2 आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए और यतः मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात केन्द्र सरकार ने मास्टर प्लान को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

3. अब, अतैव, उक्त अधिनियम के खंड 11-ए के उप खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, दिल्ली के लिए उक्त मास्टर प्लान में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन

"अंचल 'एच' (उत्तरी पश्चिमी दिल्ली-1) के तहत सैक्टर-V रोहिणी में अवस्थित और जो उत्तर में 45 मीटर मार्गाधिकार सड़क, पूर्व में 30 मीटर मार्गाधिकार सड़क, दक्षिण और पश्चिम में मनोरंजन/सुरक्षित हरित क्षेत्र से घिरी 0.80 हैक्टेयर (2 एकड़) माप वाले क्षेत्र का भूमि उपयोग "रिहायशी" से बदलकर 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (शमशान घाट/कब्रस्तान) (पीएम-7)" करना प्रस्तावित है।

[सं. के.-13011/14/95-डी डी आई बी]

आर.एस. गुसाई, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

New Delhi, the 29th July, 1999

S.O. 2242.—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan regarding the area mentioned hereunder were published with Notice No. F. 20(9)/95-MP dated 23-4-97 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice;

2. Whereas 2 objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION :

"The land use of an area, measuring 0.80 hac. (2 acres) located in Sector-V, Rohini falling in Zone 'H' (North West Delhi-1) and bounded by 45 mtr. R/W road in the North, 30 mtr. R/W road in the East, recreation/green buffer in the South and West, is changed from 'Residential' to 'Public and semi-public facilities' (Cremation ground/Burial ground) (PS-7)."

[No. K-13011/14/95-DDIB]

R. S. GUSAIN, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1999

का.आ. 2243.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली मुख्य योजना-2001 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव देना हो तो वे अपनी आपत्तियां/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के अन्दर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन 'बी' ब्लाक, आई.एन.ए., नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज दें। आपत्ति/सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी देना चाहिए।

संशोधन :—

"गांव तेहखण्ड में जोन एफ (दक्षिण दिल्ली-1) की क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत आने वाले 9596.8 वर्ग मीटर क्षेत्र, जो उत्तर में विद्यमान नजफ, दक्षिण में दूरभाष केन्द्र/[illegible] रेलवे लाइन को पश्चिम में 24 मीटर चौड़ी सड़क (एफ.सी.आई गोदाम) से घिरा हुआ है, के भूमि उपयोग [illegible] "औद्योगिक उपयोग (भेषजकार्यशाला)" और [illegible]

Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

सार्वजनिक सुविधाओं" (उच्चतम माध्यमिक विद्यालय-8996.87 वर्गमीटर और बारात घर के लिए 600 वर्ग मीटर, में बदला जाना प्रस्तावित है।"

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला नक्शा उपर्युक्त अवधि के दौरान निरीक्षण हेतु संयुक्त निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली में सभी कार्य-दिवसों को उपलब्ध रहेंगे।

[सं. एफ-9(7)/97/एम.पी.]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 2nd August, 1999

S.O. 2243.—The following modification, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi-2001, is hereby published for public information. Any person having any objections|suggestions with respect to the proposed modification may send the objections|suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi, within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objections|suggestions should also give his name and address.

MODIFICATION :

"The land use of an area, measuring 9596.87 sqm. falling in Zonal Plan of Zone 'F' (South Delhi-I) and bounded by existing Nallah in the North; Telephone Exchange| store in the South, Railway Line in the East and 24 M. wide road (FCI Godowns) in the West, is proposed to be changed from 'Industrial use' to 'Public and semi-public facilities' (Sr. Sec. School-8996.87 sqm. and 600 sqm. for Barat Ghar) in village Tehkhand."

2. The plan indicating the proposed modification shall be available for inspection at the office of the Joint Director, Master Plan Section, 6th floor, Vikas Minar, I. P. Estate, New Delhi, on all working days during the period referred above.

[No. F. 9(7)|97|MP]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1999

का. आ. 2244.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली मुख्य योजना/जोनल विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्तियां/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के अन्दर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, 'बी' ब्लाक, आई.एन.ए., नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज दें। आपत्ति/सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी देना चाहिए।

संशोधन :—

"प्लानिंग डिवीजन 'एफ' (दक्षिणी दिल्ली-I) के अंतर्गत आने वाले लगभग 12.4 हैक्टेयर (30.6 एकड़) क्षेत्र, जो उत्तर में विद्यमान रोड, पूर्व एवं दक्षिण में जिला पार्क और पश्चिम में विद्यमान हॉट मिक्स प्लांट एवं जिला पार्क से घिरा हुआ है, के भूमि उपयोग को 'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'आवासीय' में बदला जाना प्रस्तावित है।"

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य दिवसों में निरीक्षण हेतु संयुक्त निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, विकास मीनार, छठी मंजिल, आई पी. एस्टेट, नई दिल्ली में उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ 20(19)/95/एम.पी.]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 2nd August, 1999

S.O. 2244.—The following modification, which the Central Government proposes to make in the Master Plan|Zonal Development Plan for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objections|suggestions with respect to the proposed modification may send the objections suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi, within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objections|suggestions should also give his name and address.

MODIFICATION :

"The land use of an area, measuring about 12.4 ha. (30.6 acres) falling in Planning Division 'F' (South Delhi-I) and bounded by existing road in the North, District Park in the East and South and existing Hot Mix Plant and Distt. Park in the West, is proposed to be changed from 'recreational' (District Park) to 'residential'.".

सहायक नियंत्रक (व्यवसाय)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

2. The plan indicating the proposed modification shall be available for inspection at the office of Joint Director, Master Plan Section, Vikas Minar, 6th floor, I. P. Estate, New Delhi, on all working days within the period referred to above.

[No. F.20(19)95|MP]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1999

का.आ. 2245.— केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक और प्रशासन) बैरा सियूल जल विद्युत परियोजना, सुरंगानी जो नैशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी है और जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य पंक्ति के हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेंगे और उक्त प्रयोजन के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का. 3513, तारीख 19 सितम्बर, 1986 में, जो कि भारत के राजपत्र, भाग-2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 11 अक्तूबर, 1986 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में क्रम संख्यांक 1 के सामने "जेष्ठ प्रबन्धक (कार्मिक और प्रशासन), बैरा सियूल जल विद्युत परियोजना, सुरंगानी, जिला - चम्बा (हिमाचल प्रदेश)" प्रविष्टि के स्थान पर "प्रबन्धक (सिविल), बैरा सियूल परियोजना, सुरंगानी, जिला चम्बा (हिमाचल प्रदेश)" प्रविष्टि रखी जायेगी ।

[सं.एस. 16/16/97-डी ओ (एन एच पी सी)]

शैलेश, निदेशक

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 26th July, 1999

S.O. 2245.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Senior Manager (Personnel and Administration), Baira Siul Hydro-electric Project, Surangani, an officer of the National Hydro electric Power Corporation Limited, being an officer equivalent to the rank of Gazetted Officer of the Government, to be an estate officer for the purposes of the said Act who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officers by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction and for the said purpose makes the following amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Power, number S.O. 3513 dated the 19th September, 1986, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 11th October, 1986, namely :—

In the table below the said notification, in column 1, against serial number 1, for the entry "Senior Manager (Personnel and Administration), Baira Siul HE Project, Surangani, District Chamba (Himachal Pradesh)", the entry "Manager (Civil), Baira Siul Project, Surangani, District Chamba (Himachal Pradesh)" shall be substituteled.

[N. F. 16/16/97-DO (NHPC)]

SAILESH, Director

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1999

का.आ. 2246.— केन्द्रीय सरकार , सरकारी स्थान (प्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का. 1846 तारीख 9 जुलाई, 1997 को अधिक्रांत करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ 1 में उल्लिखित प्रबंधक (सिविल) सलाल जल विद्युत परियोजना, ज्योतिपुरम, जम्मू-काश्मीर को जो नैशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी है, और जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य पंक्ति का है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थान की बाबत अपनी स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेगा—

सारणी

अधिकारी का पदनाम	अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं और सरकारी स्थानों के प्रवर्ग
1	2
प्रबन्धक (सिविल) सलाल जल विद्युत परियोजना, ज्योतिपुरम (जम्मू-कश्मीर)	: जम्मू-कश्मीर राज्य में ध्यानगढ़, विड्डा : तलवाडा, ज्योतिपुरम रिआसी स्थित : सलाल परियोजना क्षेत्र और उससे संबंधित : सभी परियोजना क्षेत्र जिसका आवासिक/ गैर-आवासिक आवास सुविधा/भवन, जिसमें दूकान/ सड़कें/संरचनाएं आदि भी आती है, अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर में सलाल परियोजना, उधमपुर जिला की या उसके द्वारा या उसके निमित्त पट्टे पर ली गई हो ।

[सं. एफ. 16/16/97-डी ओ (एन एच पी सी)]

सैलेश, निदेशक

Attested
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 8, 1999/भाद्र 17, 1921
No. 442] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 8, 1999/BHADRA 17, 1921

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1999

सा. का. नि. 624(अ).—दिल्ली विकास (विविध) नियम, 1959 के नियम (4) के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण आचरण, अनुशासन एवं अपील विनियम-99 को निम्नानुसार पढ़ा जाए :—

विनियम-1

संक्षिप्त नाम और प्रारूप

(i) इन विनियमों को दि.वि.प्रा. आचरण, अनुशासन एवं अपील विनियम, 1999 कहा जाएगा ।

(ii) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित तिथि से लागू होंगे ।

विनियम-2

ये विनियम, आकस्मिक रोज़गार के वर्क-चार्ज पदों को धारण करने वाले या आकस्मिक राशि से भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर, दि.वि.प्रा. के प्रत्येक कर्मचारी पर लागू होंगे ।

(ii) ये विनियम के. सि.से. (आचरण नियम), 1964 और के.सि.से. (सी.सी.ए.) नियम, 1965 के आधार पर बनाए गए हैं । दि.वि.प्रा. के.सि..से. आचरण नियमों तथा अनुशासन अपील नियमों का, उनमें आवश्यक संशोधनों के साथ अनुसरण कर रहा है । तथापि, संदर्भ की सुविधा के लिये पृथक आचरण एवं अनुशासन तथा अपील विनियम कोडीकृत किए जा रहे हैं । इसलिये जब भी सिविल पक्ष में आचरण/अनुशासनात्मक अपील नियमों में परिवर्तन होगा, दि.वि.प्रा. उनका अनुपालन करेगा । हर बार जब कभी भी के.सि. सेवा (आचरण) नियम, 1964 तथा के.सि. से. (सी.सी.ए.) नियम, 1965 में संशोधन/परिवर्तन किया जाएगा यह आवश्यक नहीं होगा कि दि.वि.प्रा. आचरण/अनुशासनात्मक एवं अपील विनियमों में औपचारिक संशोधन किया जाए और सिविल पक्ष द्वारा किए गए संशोधन, दि.वि.प्रा. द्वारा उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के अनुमोदन से, आवश्यक संशोधन सहित लागू किए जाएं।

विनियम-3

परिभाषाएं—

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "कर्मचारी" का अर्थ, नैमित्तिक, वर्क-चार्ज या आकस्मिक स्टाफ या उद्योग विवाद अधिनियम, 1947 में कामगार के रूप में यथा परिभाषित व्यक्ति को छोड़कर, किन्तु इसमें प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति शामिल हैं, दिल्ली विकास प्राधिकरण में सेवारत व्यक्ति से है ।

(ख) "अध्यक्ष/उपाध्यक्ष" का अर्थ प्राधिकरण के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष से है ।

(ग) "अनुशासनात्मक प्राधिकारी" का अर्थ इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट तथा विनियम-23 में निर्दिष्ट कोई शास्ति लगाने के लिए सक्षम प्रधिकारी से है ।

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ नियम या आदेश में निर्दिष्ट कार्य करने या शक्तियों का प्रयोग करने के लिये किसी सामान्य या विशेष नियम या आदेश द्वारा प्राधिकारी द्वारा शक्ति प्राप्त प्राधिकारी से है ।

(ङ) "अपील प्राधिकारी" का अर्थ इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट प्राधिकारी से है ।

(च) किसी के संबंध में "परिवार" में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) कर्मचारी की पत्नी या पति—जैसी भी स्थिति हो, चाहे वह कर्मचारी के साथ रहती/रहता हो अथवा नहीं, किन्तु इसमें किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री या आदेश द्वारा कर्मचारी पृथक की गई पत्नी या पति—जैसी भी स्थिति हो, शामिल नहीं है ।

(ii) कर्मचारी के पुत्र या पुत्रियां अथवा सौतेले पुत्र या सौतेली पुत्रियां तथा उस पर पूर्णत: आश्रित, इसमें ऐसा बच्चा या सौतेला बच्चा शामिल नहीं है, जो किसी भी रूप में कर्मचारी पर आश्रित नहीं है या जिसकी अभिरक्षा, किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत कर्मचारी से वंचित रखी गई है ।

(iii) कोई अन्य संबंधित व्यक्ति, चाहे कर्मचारी से अथवा ऐसे कर्मचारी की पत्नी या पति से उसका संबंध रक्त अथवा विवाह द्वारा हो तथा ऐसे कर्मचारी पर पूर्णत: आश्रित हो ।

(छ) "सरकारी कर्मचारी" का अर्थ समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में उल्लिखित व्यक्ति से होगा और वह उसमें शामिल होगा ।

विनियम-4

सामान्य आचरण

(i)

1. प्राधिकरण का प्रत्येक कर्मचारी हमेशा :

ख. ड्यूटी के प्रति पूर्ण निष्ठा बनाए रखेगा ।

(ii) पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखेगा ।

(iii) ऐसा कोई कर्म नहीं करेगा जिससे वह सरकारी कर्मचारी न बना रह सके ।

(2) पर्यवेक्षीय पद धारण करने वाला प्राधिकरण का प्रत्येक कर्मचारी अपने तथा प्राधिकरण के अधीन सभी कर्मचारियों में ड्यूटी के प्रति सत्यनिष्ठा एवं निष्ठा सुनिश्चित करने की सभी संभव कार्रवाई करेगा ।

(3) कोई भी कर्मचारी अपनी सरकारी ड्यूटी के निष्पादन में अथवा उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, अपने कार्यालय के उच्च अधिकारियों के निदेश के अधीन उसके द्वारा किए जा रहे कार्य को छोड़कर, अपने श्रेष्ठ निर्णय से भिन्न अन्य कार्य नहीं करेगा ।

(4) उसके कार्यालय के उच्च अधिकारियों के निदेश सामान्यत: लिखित में होंगे । अधीनस्थ कर्मचारियों को मौखिक निदेश जहां तक संभव हो नहीं दिए जाएंगे । जहां मौखिक निदेश देना अपरिहार्य हो जाए, उच्च अधिकारी उसके तत्काल बाद उसकी पुष्टि लिखित में करेंगे ।

(5) जिस कर्मचारी को अपने उच्च अधिकारी से मौखिक निदेश मिले हैं वह यथा संभव शीघ्र इसकी पुष्टि लिखित में लेगा और निदेश की पुष्टि लिखित में करना उच्च अधिकारी की ड्यूटी होगी ।

विनियम 4क-तत्परता एवं शिष्टाचार—

कोई भी कर्मचारी—

(क) अपनी सरकारी ड्यूटी के निष्पादन में किसी अभद्र रूप में कार्य नहीं करेगा ।

(ख) आम जनता से या अन्यथा अपने कार्यालय कार्य में कोई विलम्बकारी चाल-बाजी नहीं करेगा अथवा उसे सौंपे गए कार्य के निपटान में जानबूझकर विलंब नहीं करेगा ।

4(ख) प्राधिकरण की नीतियों का अनुपालन—

प्राधिकरण का प्रत्येक कर्मचारी हमेशा :

(i) विवाह की आयु, पर्यावरण के परिरक्षा, वन्यजीवन एवं सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के संबंध में प्राधिकरण की नीतियों के अनुसार कार्य करेगा ।

(ii) महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम के संबंध में सरकारी नीतियों का पालन ।

विनियम-5

दुराचरण

"दुराचरण" शब्द की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना अनाचरण एवं आचरण के निम्नलिखित कार्य "दुराचरण" माने जाएंगे ।

1. प्राधिकरण के व्यवसाय या सम्पत्ति के संबंध में अथवा अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति/प्राधिकरण के परिसर में चोरी, धोखाधडी अथवा बेइमानी ।

2. रिश्वत लेना या देना अथवा कोई गैर कानूनी इनाम लेना या देना ।

3. कर्मचारी द्वारा अथवा उसकी नतफ से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक आर्थिक संसाधन या सम्पत्ति रखना, जिसका कर्मचारी के पास संतोषजनक हिसाब न हो ।

4. रोज़गार के समय या रोजगार की अवधि के दौरान नाम, आयु, पिता के नाम, योग्यता, क्षमता या पिछली सेवा अथवा रोजगार से संबंधित किसी अन्य मामले के संबंध में असत्य सूचना देना ।

5. प्राधिकरण के हित के प्रतिकूल किसी रूप में कार्य करना ।

6. अपने उच्च अधिकारी के किसी विधिसम्मत एवं युक्तिसंगत आदेश की, जानबूझकर अवज्ञा करना अथवा उल्लंघन करना चाहे वह अन्य व्यक्तियों के साथ मिल कर किया गया हो या नहीं ।

7. अवकाश के बिना अनुपस्थित रहना या पर्याप्त आधार अथवा उपयुक्त या संतोषजनक स्पष्टीकरण के बिना, संस्वीकृति अवकाश से चार लगातार दिनों से अधिक अवधि तक अवकाश पर रहना ।

8. आदतन विलंब या अनियमित उपस्थिति ।

9. कार्य को रोके रखने या धीमी गति से करने सहित कार्य की अवहेलना करना अथवा ड्यूटी के निष्पादन में लापरवाही बरतना ।

10. प्राधिकरण की किसी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना।

11. प्राधिकरण के परिसर में या उसके आसपास लगाए गए सुरक्षा उपकरणों में हस्तक्षेप करना अथवा उन्हें खराब करना ।

12. प्राधिकरण के परिसर में मद्यपान, या उपद्रव अथवा अव्यवस्थित या अभद्र व्यवहार करना अथवा ऐसे परिसर से बाहर जहां ऐसा व्यवहार करना जो रोज़गार से संबंधित हो या उससे जुड़ा हो ।

13. प्रतिष्ठान के परिसर में जुआ खेलना ।

14. प्रतिष्ठान के परिसर में धूम्रपान, जहां यह वर्जित है ।

15. तत्समय लागू देश के कानून द्वारा संस्वीकृत या प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कानून को छोड़कर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना प्राधिकारी के परिसर में किसी प्रकार की राशि एकत्रित करना ।

16. ड्यूटी के दौरान सोना ।

17. नैतिक चरित्रहीनता सहित कोई ऐसा कार्य करना, जो दण्डनीय अपराध हो ।

18. अनुमति अथवा पर्याप्त कारणों के बिना कर्मचारी द्वारा अपने निर्धारित कार्यस्थान से अनुपस्थिति ।

19. सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति लिए बिना प्राधिकरण से सम्पत्ति, मशीनरी, सामान आदि खरीदना अथवा प्राधिकरण को सम्पत्ति, मशीनरी, सामान आदि बेचना ।

20. कोई ऐसा कार्य करना जो अनुशासन अथवा अच्छे व्यवहार के प्रतिकूल हो ।

21. उकसाना या उकसाने का प्रयास करना, जो दुराचरण लगता हो ।

टिप्पणी —

दुराचरण के उक्त विवरण केवल उदाहरण हैं, सम्पूर्ण नहीं ।

विनियम-6

प्राधिकरण के संरक्षण की किसी कंपनी अथवा फर्म में कर्मचारियों के निकट संबंधियों को रोजगार

1. कोई भी कर्मचारी किसी व्यक्ति को, उसका संबंध चाहे रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, रोज़गार सुर्रा अप्रत्यक्ष रूप में अपने पद का प्रयोग नहीं करेगा अथवा कर्मचारी या कर्मचारी की पत्नी या पति पर कोई दबाव नहीं डा आश्रित है अथवा नहीं ।

2. कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति को छोड़कर, अपने पुत्र, पुत्री अथवा अपने ऐसी कंपनी अथवा फर्म में रोज़गार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा, जिससे उसके कार्यालय संबंध हैं अ संबंध हैं ।

बशर्ते कि यदि रोजगार स्वीकार करने के लिये सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती तो रोजगार इस शर्त पर अनंतिम रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि सक्षम प्राधिकारी, जिसे मामले की रिपोर्ट तुरंत दी जाएगी, की अनुमति ले ली जाएगी ।

3. कोई भी कर्मचारी अपनी कार्यालय ड्यूटी करने में किसी ऐसी कंपनी या फर्म अथवा किसी व्यक्ति से कोई कार्य संबंध नहीं रखेगा या कोई कार्य नहीं देगा अथवा संस्वीकृत नहीं करेगा, जिस कंपनी अथवा फर्म में या उस व्यक्ति के अधीन उसके परिवार का कोई सदस्य कार्यरत है अथवा उसकी या उसके परिवार के किसी सदस्य की ऐसे किसी मामले अथवा ठेके में अन्य किसी रूप में कोई रुचि हो, कर्मचारी ऐसा प्रत्येक मामला अथवा ठेका अपने उच्च प्राधिकारी को भेजेगा और उसके बाद वह मामला अथवा ठेका उस प्राधिकारी के अनुदेश के अनुसार निपटाया जाएगा, जिसे वह भेजा गया है ।

विनियम 6(क) राजनीति अथवा चुनाव में भाग लेना —

I. कोई भी कर्मचारी, किसी राजनीतिक दल अथवा किसी संगठन—जो राजनीति में भाग लेता है, का सदस्य नहीं होगा अथवा उससे अन्यथा नहीं जुड़ेगा अथवा किसी राजनीतिक आन्दोलन या गतिविधि में भाग नहीं लेगा, चंदे में अंशदान नहीं करेगा अथवा किसी अन्य रूप में सहायता नहीं करेगा ।

II. प्रत्येक कर्मचारी की यह ड्यूटी होगी कि वह अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन अथवा गतिविधि में सहायता या समर्थन करने अथवा किसी अन्य रूप में सहायता देने से रोकेगा, जो स्थापित उप-विधि के रूप में सरकार/प्राधिकरण के विरुद्ध है अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें प्रवृत्त है और यदि कोई कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसे आंदोलन या गतिविधि में भाग लेने या समर्थन करने अथवा किसी रूप में सहायता देने से रोकने में अक्षम है तो वह उस आशय की रिपोर्ट प्राधिकरण को देगा ।

III. यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या कोई दल (पार्टी) राजनीतिक दल है अथवा क्या कोई संगठन राजनीति में भाग लेता है या क्या कोई आंदोलन या गतिविधि उप-नियम-1 की सीमा में आती है तो उस पर केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

IV. कोई भी कर्मचारी किसी विधायिका या स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में प्रचार नहीं करेगा अथवा अन्यथा हस्तक्षेप नहीं करेगा अथवा अपना प्रभाव नहीं डालेगा अथवा उसमें भाग नहीं लेगा ।

बशर्ते कि :—

(1) ऐसे चुनावों में अपना मत देने के लिए अर्हताप्राप्त कोई कर्मचारी, मत देने के अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है, किंतु जहां वह ऐसा करता है, वह उस तरीके का संकेत नहीं करेगा, जिस तरीके से उसका मत देने का प्रस्ताव है या उसने मत दिया है ।

(2) कोई भी कर्मचारी केवल इस कारण द्वारा इस उप-नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला नहीं मान लिया जाएगा कि उसने, उस पर लगाई गई ड्यूटी के उपयुक्त निष्पादन में अथवा कुछ समय के लिए लागू किसी विधि के अधीन चुनावों के संचालन में सहायता की है ।

स्पष्टीकरण :

किसी कर्मचारी द्वारा अपने निजी वाहन अथवा निवास पर कोई चुनाव चिह्न लगाना, इस उप नियम के अभिप्राय में किसी चुनाव के संबंध में अपने प्रभाव का उपयोग करना समझा जाएगा ।

6(ख) प्राधिकरण के कर्मचारी द्वारा एसोसिएशन में शामिल होना—

कोई भी कर्मचारी, किसी ऐसी एसोसिएशन में शामिल नहीं होगा या इसका सदस्य नहीं बनेगा जिसका उद्देश्य अथवा गतिविधि भारत की सत्ता अथवा अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था अथवा नैतिकता के हितों के प्रतिकूल हैं ।

विनियम-7 प्रदर्शन एवं हड़ताल—

कोई भी कर्मचारी—

(i) किसी ऐसे प्रदर्शन से स्वयं को नहीं जोड़ेगा या उसमें भाग नहीं लेगा, जो भारत की सत्ता या अखंडता के हितों, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, या नैतिकता के प्रतिकूल है, अथवा जिसमें किसी अपराध पर न्यायालय की अवज्ञा, मानहानि या उत्तेजना हो ।

(ii) उसकी सेवा या किसी अन्य कर्मचारी की सेवा से संबंधित किसी मामले के संबंध में किसी भी तरह की हड़ताल का सहारा नहीं लेगा या किसी भी तरह की हड़ताल के लिए भड़काएगा नहीं, अथवा बल प्रयोग नहीं करेगा या शारीरिक बल प्रयोग नहीं करेगा ।

विनियम-8 प्रेस एवं रेडियो से संबंध —

(1) प्राधिकरण का कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व संस्वीकृति को छोड़कर, किसी समाचार पत्र या अन्य आवधिक प्रकाशनों अथवा इलैक्ट्रानिक मीडिया का पूर्णत: अथवा अंशत: स्वामित्व नहीं लेगा या उसके सम्पादन या प्रबंध का संचालन नहीं करेगा अथवा उसमें भाग नहीं लेगा ।

(2) प्राधिकरण का कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी (निर्धारित प्राधिकारी) की पूर्व संस्वीकृति को छोड़कर, अथवा अपनी ड्यूटी को वास्तविक रूप से करने में, किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा अथवा स्वयं अपने नाम से या अज्ञात नाम से अथवा मिथ्या नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से किसी समाचार पत्र या किसी आवधिक पत्र-पत्रिका को कोई लेखा नहीं देगा अथवा कोई नाम नहीं लिखेगा,

बशर्ते कि यदि ऐसा कोई प्रसारण अथवा ऐसा कोई योगदान पूर्णतः साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति का है तो ऐसी संस्वीकृति अपेक्षित नहीं होगी ।

(3) किसी पुस्तक को प्रकाशित करने वाला अथवा सार्वजनिक समाचार माध्यम (मीडिया) में भाग लेने वाला कोई कर्मचारी हमेशा यह स्पष्ट करेगा कि उसके द्वारा व्यक्त विचार उसके अपने हैं और सरकार/प्राधिकरण के नहीं ।

विनियम-9

कोई भी कर्मचारी किसी इलैक्ट्रॉनिक समाचार माध्यम से किसी रेडियो प्रसारण/दूरदर्शन प्रसारण में अथवा अपने नाम से या अज्ञात नाम से अथवा मिथ्या नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी दस्तावेज में अथवा समाचार संस्था को प्रेषित किसी दस्तावेज में अथवा किसी सार्वजनिक अभिव्यक्ति में तथ्य तथा विचार नहीं देगा, जिसका

(क) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार या प्राधिकरण की किसी नीति या कार्रवाई पर प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव पड़े, अथवा

(ख) प्राधिकरण एवं केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या किसी विदेशी राज्य के बीच संबंधों में बाधा डाले।

परन्तु यह कि इन नियमों में ऐसा कुछ नहीं है जो कर्मचारी द्वारा दिए गए पूर्णतः तथ्यात्मक प्रकृति के किसी ऐसे बयान अथवा उसके द्वारा अभिव्यक्त किसी ऐसे विचार पर लागू हो, जो उसके कार्यालयी क्षमता में अथवा उसे सौंपे गये कार्य के समुचित निष्पादन में गोपनीय प्रकृति का नहीं माना गया हो।

यह भी व्यवस्था है कि इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ निहित नहीं है जो ऐसे कर्मचारियों की सेवा-शर्तों की रक्षा के उद्देश्य के लिए अथवा या उसमें सुधार बनाये रखने के लिए किसी मान्यताप्राप्त मजदूर-संघ (ट्रेड यूनियन) के किसी पदाधिकारी के रूप में, उसके द्वारा अभिव्यक्त वास्तविक विचारों पर लागू होंगे।

विनियम-10

समिति अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य,

(1) उप नियम (3) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर प्राधिकरण को कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के अतिरिक्त, किसी भी व्यक्ति समिति अथवा प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी जांच के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं देगा।

(2) जहाँ उपनियम (1) के अन्तर्गत कोई संस्वीकृति प्रदान की गई है, ऐसे मामलों में ऐसा साक्ष्य देने वाला कोई भी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा प्राधिकरण की किसी भी नीति अथवा कार्रवाई की आलोचना नहीं करेगा।

(3) इन नियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जो निम्नलिखित पर लागू होगा :—

(क) सरकार, संसद अथवा किसी राज्य सरकार/विधान मंडल द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के समक्ष किसी जांच में दिया गया साक्ष्य,

(ख) किसी न्यायिक जांच में दिया गया साक्ष्य, अथवा

(ग) सरकार के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार किसी विभागीय जांच में दिया गया साक्ष्य।

विनियम-11

सूचना का अनधिकृत सम्प्रेषण

कोई भी कर्मचारी, प्राधिकरण के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश अथवा उसको सौंपे गए दायित्व के विश्वास के निष्पादन के अतिरिक्त, किसी शासकीय दस्तावेज अथवा उसके किसी भाग को, किसी भी अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष जिसको वह इस प्रकार के दस्तावेज अथवा सूचना सम्प्रेषित करने का अधिकार नहीं रखता, को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्प्रेषित नहीं करेगा।

विनियम 11-क

कोई भी कर्मचारी प्राधिकरण अथवा निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व संस्वीकृति को छोड़कर अंशदान की मांग नहीं करेगा अथवा स्वीकार नहीं करेगा अथवा किसी भी निधि को प्राप्त करने अथवा किसी अन्य संकलन-राशि को नकद रूप में अथवा अन्य किसी वस्तु के रूप में पाने के लिए स्वयं को सम्बद्ध नहीं करेगा।

विनियम 11-ख

उपहार

(1) इन नियमों में दिए गए अन्य प्रावधानों को छोड़कर प्राधिकरण का कोई भी कर्मचारी कोई भी उपहार स्वीकार नहीं करेगा अथवा वह अपने परिवार के किसी सदस्य को अथवा अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से उपहार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा।

व्याख्या

"उपहार" शब्द में निशुल्क परिवहन, बोर्डिंग, लोजिंग अथवा अन्य सेवा अथवा अन्य कोई आर्थिक लाभ और यह निकट सम्बन्धी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तिगत मित्र जिसका कर्मचारी से सरकारी लेन-देन न हो के द्वारा दिया जाए।

टिप्पणी :

(1) प्राधिकारण के कर्मचारी को किसी व्यक्ति अथवा फर्म इत्यादि, जिसका उससे सरकारी लेन-देन हो, से अत्यधिक अथवा लगातार आतिथ्य-सत्कार प्राप्त नहीं करना चाहिए।

(2) विवाह, वार्षिकी, अन्त्येष्टि अथवा धार्मिक उत्सवों इत्यादि के अवसरों पर जब उपहार देना मौजूदा धार्मिक अथवा समाजिक प्रथाओं से संबंधित हो, प्राधिकरण का कर्मचारी अपने निकट सम्बन्धी अथवा व्यक्तिगत मित्र जिसका उससे सरकारी लेन-देन न हो , से उपहार स्वीकार कर सकता है परन्तु उसे सक्षम प्राधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी, यदि उपहार का मूल्य निम्नलिखित सीमाओं से अधिक हो :—

(1) समूह ''क'' पद के किसी अधिकारी के मामले में 5000 रु.।

(2) समूह ''ख'' पद के किसी अधिकारी के मामले में 3000 रु.।

(3) समूह ''ग'' पद के किसी अधिकारी के मामले में 1000 रु.।

(4) समूह ''घ'' पद के किसी अधिकारी के मामले में 500 रु.।

(3) यदि उपहार का मूल्य सीमा से बढ़ जाता है तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी अन्य मामले में प्राधिकरण का कर्मचारी कोई भी उपहार प्राप्त नहीं करेगा या वह अपने परिवार के किसी सदस्य को अथवा अन्य व्यक्ति को उसकी ओर से उपहार स्वीकार करने की आज्ञा नहीं देगा।

(1) समूह ''क'' अथवा ''ख'' पद के अधिकारी के मामले में एक हजार रु.।

(2) समूह ''ग'' अथवा ''घ'' पद के कर्मचारी के मामले में दो सौ पचास रु.।

बशर्ते कि 12 महीनों की अवधि के अन्तर्गत एक ही व्यक्ति/फर्म से प्राप्त एक से अधिक उपहार की राशि उपर्युक्त उल्लिखित 1000 रु. अथवा 250 रु. के कुल मूल्य से अधिक हो जाती है, तो मामले की सूचना सक्षम प्राधिकारी को देनी होगी।

विनियम 12

दहेज

प्राधिकरण का कोई भी कर्मचारी :

(1) दहेज नहीं देगा और नहीं लेगा, वह किसी को दहेज देने अथवा लेने के लिए उकसाएगा भी नहीं।

(2) वह दूल्हे अथवा दुल्हन के माता-पिता अथवा अभिभावक जैसी भी स्थिति में हो, से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी दहेज की मांग नहीं करेगा।

व्याख्या

इस नियम के उद्देश्य के लिए दहेज का अभिप्राय वही होगा जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (1961 के 28) में दिया गया है।

विनियम 12-क : कर्मचारियों के सम्मान मे सार्वजनिक प्रदर्शन :—प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी कर्मचारी किसी अभिनन्दन अथवा विदाई भाषण को स्वीकार नहीं करेगा अथवा किसी शंसापत्र को स्वीकार नहीं करेगा अथवा अपने अथवा अन्य के कर्मचारी के सम्मान में आयोजित बैठक अथवा आतिथ्य-सत्कार में भाग नहीं लेगा। बशर्ते कि इस नियम में ऐसा कुछ नहीं है जो—

(1) किसी कर्मचारी अथवा किसी अन्य कर्मचारी के सम्मान में, उसके सेवा-निवृत्ति अथवा उसके स्थानान्तरण के अवसर पर अथवा किसी ऐसे व्यक्ति, जिसने हाल ही में सेवा छोड़ी है, के सम्मान में किसी पूर्णतः प्राइवेट या अनौपचारिक प्रकृति का विदाई अभिनन्दन, अथवा

(2) सार्वजनिक निकायों या संस्थाओं द्वारा प्रबंधित साधारण एवं कम खर्चीला सत्कार हो।

टिप्पणी :—किसी कर्मचारी द्वारा किसी विदाई अभिनन्दन के संबंध में अंशदान के लिए किसी कर्मचारी को उसमें प्रवृत्त करने के लिए किसी प्रकार का दबाव डालना अथवा प्रेषित करना, यदि यह पूर्णतः प्राइवेट अथवा अनौपचारिक प्रकृति का है और किसी कर्मचारी के अभिनन्दन के लिए किन्हीं परिस्थितियों में समूह ''ग'' एवं ''घ'' कर्मचारियों से अंशदान का संकलन समूह ''ग'' एवं ''घ'' से सम्बद्ध नहीं है, तो यह वर्जित है।

विनियम 13. निजी व्यापार अथवा रोजगार

1. उप नियम (2) के प्रावधानों के अनुसार सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता :—

(क) किसी व्यापार अथवा व्यवसाय में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में शामिल होना अथवा

(ख) अन्य किसी रोजगार के लिए वार्ता करना अथवा उसको हाथ में लेना अथवा

(ग) चयन कार्यालय रखना, उम्मीदवार के लिए प्रचार करना अथवा चयन कार्यालय के लिए उम्मीदवार का प्रचार किसी भी निकाय में करना, चाहे वह नियमित हो अथवा नहीं, अथवा

(घ) अपने परिवार के किसी सदस्य की अथवा प्रबंधित बीमा एजेंसी, कमीशन एजेंसी, इत्यादि के किसी व्यवसाय के समर्थन में प्रचार करना अथवा

(ङ) अपने कार्यालयी दायित्व निभाने के अतिरिक्त पंजीकरण, किसी बैंक को बढ़ावा देने अथवा प्रबंध करने अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी अथवा पंजीकृत की जाने वाली कम्पनी अथवा कुछ समय के लिए लागू अन्य कानून, अथवा व्यवसायिक उद्देश्य के लिए किसी सहकारी समिति के कार्यों में हिस्सा लेना।

(च) निम्नलिखित में भाग लेना अथवा सम्बद्ध होना :

(1) प्रायोजित मीडिया (रेडियो अथवा टेलिविजन) कार्यक्रम अथवा

(2) सरकारी मीडिया परन्तु निजी एजेंसी द्वारा कमीशन पर बनाया गया मीडिया कार्यक्रम अथवा

(3) निजी तौर पर बनाया गया मीडिया कार्यक्रम जिसमें वीडियो मैगजीन शामिल है

बशर्ते कि उस मामले में पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं है, जहां कर्मचारी अपनी आधिकारिक स्थिति में सरकारी मीडिया द्वारा निर्मित अथवा कमीशन्ड कार्यक्रम में भाग ले।

2. प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना कर्मचारी निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:—

(क) सामाजिक अथवा धर्मार्थ प्रकृति का अवैतनिक कार्य करना अथवा

(ख) साहित्य, कला अथवा वैज्ञानिक प्रकृति का कभी-कभी किया जाने वाला कार्य अथवा

(ग) नौसीखिये के रूप में खेल गतिविधियों में भाग लेना, अथवा

(घ) साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा धर्मार्थ सोसाइटी अथवा क्लब अथवा इसी प्रकार के संगठन के पंजीकरण, बढ़ावा देने अथवा प्रबन्धन (चयन कार्यालय रखने को शामिल न करना) में भाग लेना, जिसका लक्ष्य अथवा उद्देश्य, खेलकूद, सांस्कृतिक अथवा मनोरंजनात्मक गतिविधियों से संबंधित है और जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) अथवा समय-समय पर लागू अन्य किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत हैं।

(ङ) सरकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) अथवा फिलहाल लागू किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कर्मचारियों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण रूप से पंजीकृत सहकारी सोसाइटी के पंजीकरण, बढ़ावा देने अथवा प्रबंधन (चयन कार्यालय रखने को शामिल न करना) में भाग लेना।

बशर्ते कि :—

(1) यदि प्राधिकरण द्वारा निर्देश दिया जाए जो कर्मचारी इस प्रकार की गतिविधियों को रोक देगा और

(2) इस उप-नियम के खण्ड (घ) अथवा खण्ड (ङ) के अन्तर्गत आने वाले मामले में, कर्मचारी की कार्यालयी ड्यूटी उससे प्रभावित नहीं हो और वह इस प्रकार की गतिविधि में भाग लेने के एक माह की अवधि के अन्दर प्राधिकरण को उसके भाग लेने की प्रकृति का ब्यौरा देगा।

3. यदि सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य व्यापार अथवा व्यवसाय अथवा बीमा एजेंसी अथवा कमीशन एजेंसी का मालिक है अथवा प्रबंधकर्ता है तो उसे इसकी सूचना प्राधिकरण को देनी होगी।

4. जब तब प्राधिकरण के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अन्यथा प्रावधान न हो, कोई भी कर्मचारी निर्धारित प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी अन्य निजी अथवा सार्वजनिक निकाय अथवा अन्य निजी व्यक्ति के लिए किए गए कार्य के लिए कोई फीस स्वीकार नहीं करेगा।

व्याख्या:—यहां प्रयुक्त फीस शब्द का अर्थ मूलभूत नियम 9 (6-क) में दिए अर्थ के अनुसार होगा।

विनियम 13क : प्राधिकरण के आवास को आगे किराए पर देना और खाली करना ।

1. अस्थायी रूप से लागू किसी अन्य विधि में अन्यथा की गई व्यवस्था को छोड़कर कोई भी कर्मचारी प्राधिकरण के आवास, जो उसे आबंटित हुआ है, को आगे किराए पर, पट्टे पर अथवा किसी और प्रकार से किसी को नहीं देगा।

2. आवास के आबंटन के रद्दकरण के बाद, कर्मचारी उसे आबंटनकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा के अन्तर्गत खाली कर देगा।

विनियम 14. निवेश ऋण देना और लेना

1. कोई भी कर्मचारी किसी स्टाक, शेयर अथवा अन्य निवेश में सट्टेबाजी नहीं करेगा :

बशर्ते कि स्टाक ब्रोकर अथवा अन्य व्यक्तियों जो विधिवत प्राधिकृत और लाइसेंस शुदा हैं के माध्यम से अथवा जिन्होंने सम्बंधित कानून के अन्तर्गत पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है, उनके माध्यम से कभी-कभी निवेश करने पर, यह उप-नियम लागू नहीं होगा।

व्याख्या : शेयर प्रतिभूतियों अथवा अन्य निवेश की लगातार खरीद अथवा बिक्री अथवा दोनों को इस उप-नियम के अर्थ के अन्तर्गत सट्टेबाजी कहा जाएगा।

2. कोई भी कर्मचारी स्वयं अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा उसकी ओर से कार्य कर रहे किस व्यक्ति को निवेश करने की आज्ञा नहीं देगा, जो उसकी कार्यालयी ड्यूटी करने में बाधा डाले अथवा उसे प्रभावित करे। इस उद्देश्य के लिए कम्पनियों के निदेशकों अथवा उनके मित्र और सहयोगियों के लिए आरक्षित कोटे में से शेयरों की खरीद को निवेश माना जाएगा, जो कर्मचारी के लिए बाधा डालेगी।

3. यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई लेन-देन उपनियम (1) अथवा उपनियम (2) में संदर्भित प्रकृति का है अथवा नहीं तो प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम माना जाएगा।

4(1) कोई भी कर्मचारी बैंक अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के साथ स्वयं अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति जो उसकी ओर से कार्य कर रहा हो सामान्यतः व्यवसाय नहीं करेगा।

(क) अपने प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में किसी व्यक्ति अथवा फर्म अथवा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से, जिससे उसके कार्यालयी कार्य के निपटान में संबंध होने की सम्भावना हो, से मूलधन अथवा उसकी किसी राशि के रूप में राशि देना या लेना अथवा जमा कराना अथवा अन्यथा स्वयं को किसी व्यक्ति या फर्म अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अर्धिक बाध्यता में लाना।

अथवा

(ख) किसी व्यक्ति को धनराशि ब्याज पर अथवा इस रूप में देना जिसके द्वारा धनराशि की वापसी वसूल की जाए अथवा उसका भुगतान किया जाए, बशर्ते कि कोई कर्मचारी अपने किसी संबंधी अथवा अपने निजी मित्र से बिना ब्याज के छोटी धनराशि का पूर्णतः अस्थायी ऋण दे सकता है अथवा स्वीकार कर सकता है अथवा किसी वास्तविक व्यापारी के साथ उधार खाता चला सकता है अथवा अपने निजी कर्मचारी को अग्रिम वेतन दे सकता है। परन्तु यह और भी कि इस उपनियम में ऐसा कुछ भी नही है जो प्राधिकरण की पूर्व संस्वीकृति से कर्मचारी द्वारा किए गए किसी लेन-देन के संबंध में लागू न हो।

(2) जब कोई कर्मचारी इस प्रकृति के पद पर नियुक्त अथवा स्थानान्तरित कर दिया जाए जो उसे उप नियम (II) अथवा उप नियम (IV) के किसी प्रावधान के उल्लंघन में शामिल करे तो वह निर्धारित प्राधिकारी को तत्काल इस परिस्थितियों की रिपोर्ट करेगा और उसके बाद ऐसे प्राधिकारी द्वारा किए गए ऐसे आदेश के अनुसार कार्य करेगा।

विनियम 15 : दिवालियापन एवं आदतन ऋण लेना :

(1) प्राधिकरण का कोई भी कर्मचारी जब तक यह प्रमाणित नहीं कर देता कि ऋण लेना अथवा दिवालिया होना उसके नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों का परिणाम है और ये परिस्थितियां फिजूल खर्ची अथवा अपव्यय का परिणाम नहीं है, तब तक आदत ऋण लेने से बचेगा।

(2) प्राधिकरण का कोई कर्मचारी जिसे दिवालिया होना लगता हो, माना गया हो अथवा घोषित किया गया हो, को इस तरह की सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करनी होगी।

विनियम 16

चल, अचल और बहुमूल्य सम्पत्ति

1. प्राधिकरण का कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के पूर्व ज्ञान के अपने अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई भी अचल सम्पत्ति का पट्टे पर, बंधक, बिक्री, खरीद, उपहार अथवा अन्य तरीके से अधिग्रहण अथवा निपटान नहीं करेगा। प्राधिकरण का कोई भी कर्मचारी स्टॉक, शेयर अथवा अन्य निवेश में सट्टेबाजी नहीं करेगा। शेयरों की बार-बार खरीद अथवा बिक्री अथवा दोनों, ऋण-पत्र अथवा अन्य निवेश को इस उपनियम के अर्थ के अन्तर्गत सट्टेबाजी माना जाएगा।

2. सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना प्राधिकरण का कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म जिसका उससे अथवा उसके अधिनस्थ से कार्यालयी लेन-देन हो, से किसी अचल अथवा अचल सम्पत्ति से संबंधित लेन-देन नहीं करेगा।

3. प्रधिकरण के प्रत्येक कर्मचारी को स्वयं अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से चल संपत्ति प्राप्त करने या रखे जाने पर इस प्रकार के प्रत्येक लेन-देन की सूचना सक्षम प्राधिकारी को एक माह के अंदर देनी होगी, यदि इस प्रकार की संपत्ति का मूल्य समूह ''ग'' एवं ''घ'' के कर्मचारियों के मामले में 10,000 रु. और ''क'' एवं ''ख'' समूह के कर्मचारियों के मामले में 15,000 रु. से अधिक हो उन मामलों में भी सूचना (प्रपत्र में) देनी होगी जहां एक वर्ष के अन्दर समूह ''ग'' एवं ''घ'' के कर्मचारियों के मामले में 25,000 रु. और समूह ''क'' एवं ''ख'' के कर्मचारियों के मामले में 50,000 रु. के, संचित लेन-देन अर्थात शेयरों की बिक्री, खरीद अथवा दोनों ऋण-पत्रों अथवा म्यूचल फण्ड इत्यादि से बढ़ जाते हैं।

व्याख्या-I : ''प्राप्त की गई अथवा उसके द्वारा धारित की गई चल संपत्ति से संबंधित प्रत्येक लेन-देन के शब्द में बिक्री अथवा खरीद के सभी लेन-देन शामिल हैं। इस उपनियम के उद्देश्य के लिए, चल संपत्ति की परिभाषा में शामिल हैं:

(क) आभूषण, बीमा पोलिसी, जिसका वार्षिक प्रीमियम 10,000 रु. से अधिक हो/अथवा प्राधिकरण से प्राप्त कुल वार्षिक परिलब्धियों का 1/6 हिस्सा; जो भी कम हो।

(ख) शेयर, प्रतिभूतियाँ और ऋणपत्र :

(ग) इस प्रकार के कर्मचारी द्वारा लिया गया अथवा दिया गया ऋण अग्रिम, चाहे सूचित हो अथवा नहीं।

(घ) मोटरकार, मोटर साइकिल घोड़े अथवा यात्रा का कोई अन्य साधन, और

(ङ) रेफ्रिजेरेटर, रेडियो (रेडियोग्राम और टेलिविजन सेट)।

व्याख्या सं. II

प्राधिकरण के कर्मचारी की पत्नी/पति अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य के अपने फण्ड (स्त्रीधन, उपहार, विरासत इत्यादि) प्राधिकरण के कर्मचारी के फण्ड से भिन्न रूप में, उसके स्वयं के नाम में और उसका स्वयं का अधिकार उपर्युक्त उप विनियम के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा।

2. प्राधिकरण में प्रथम नियुक्ति के समय प्रत्येक कर्मचारी को निम्नलिखित विवरणों का ब्यौरा देते हुए निर्धारित प्रपत्र में अपनी परिसम्पत्तियों और देयताओं का विवरण देना होगा।

(क) उसको विरासत में मिली अचल संपत्ति अथवा उसके द्वारा ली गई अथवा अधिहीत की गई संपत्ति, उसके स्वयं के नाम अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में लीज अथवा बंधक पर ली गई संपत्ति।

(ख) शेयर, ऋणपत्र, और नकद राशि, जिसमें विरासत में अथवा इसी तरह से अधिग्रहीत अथवा ली गई राशि शामिल है।

(ग) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त अन्य चल संपत्ति अथवा इसी प्रकार से प्राप्त अधिग्रहीत अथवा उसके द्वारा ली गई संपत्ति, यदि इस प्रकार की संपत्ति का मूल्य समूह ''ग'' और ''घ'' कर्मचारियों के मामले में 5,000 रु. और समूह ''क'' और ''ख'' अधिकारियों के मामले में 10,000 रु. से अधिक हो।

(घ) उसके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वहन किए गए ऋण और अन्य देयताएं।

(ङ) प्रत्येक कर्मचारी को 1 जनवरी के प्रारम्भ में वर्ष के दौरान उसके द्वारा विरासत में प्राप्त की गई, ग्रहण की गई अधिग्रहीत अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण भरना होगा।

3. सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय एक सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा कर्मचारी को आदेश में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर कर्मचारी द्वारा ग्रहण अथवा उसके द्वारा अधिग्रहीत अथवा उसकी ओर से अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा ली गई इस प्रकार की चल अथवा अचल संपत्ति का ब्यौरा देने को कह सकता है, जैसा भी आदेश में निर्दिष्ट हो। यदि सक्षम प्राधिकरी द्वारा इस प्रकार का ब्यौरा देने को कहा जाए तो इसमें यह भी शामिल होगा कि इस प्रकार की संपत्ति को लेने के लिए उसका स्रोत क्या है ?

विनियम 16क : भारत के बाहर अचल संपत्ति के अधिग्रहण और निपटान और विदेशियों इत्यादि से लेन-देन से संबंधित प्रतिबंध।

विनियम 16(1) और 16(2) में कुछ भी निहित होते हुए भी कोई भी कर्मचारी निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व संस्वीकृति के बिना—

(क) भारत के बाहर स्थित कोई भी अचल संपत्ति अपने नाम से अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से खरीद कर, बंधक पट्टा, उपहार अथवा अन्य तरीके से अधिग्रहीत नहीं करेगा।

(ख) भारत से बाहर स्थित किसी भी अचल संपत्ति का निपटान बिक्री, बंधक, उपहार अथवा अन्य तरीके से नहीं करेगा अथवा लीज पर नहीं देगा जो उसके द्वारा उसके नाम से अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से है।

ग. किसी विदेशी, विदेशी सरकार, विदेशी संगठन अथवा प्रतिष्ठान के साथ लेन-देन करना—

(I) खरीद, बन्धक, पट्टा, उपहार अथवा अन्य प्रकर के अधिग्रहण हेतु या तो उसके अपने नाम में अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई अचल सम्पत्ति।

(II) बिक्री, बन्धक, उपहार अथवा अन्य प्रकार से निपटान हेतु अथवा कोई अचल सम्पत्ति जो कि उसके द्वारा अपने नाम में अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम में अधिग्रहीत की गई थी अथवा ली गई है, उसके संबंध में किसी पट्टे की अनुमति।

स्पष्टीकरण—

इस विनियम में निर्धारित प्राधिकारी का अर्थ वही है, जो कि विनियम 16 में है।

16-ख. कार्यों को न्यायसंगत सिद्ध करना और कर्मचारियों का चरित्र।

1. प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति को छोड़कर कोई भी कर्मचारी, किसी भी सरकारी कार्य जो कि विपरीत आलोचना का विषय अथवा किसी निन्दात्मक चरित्र के आक्षेप का विषय है, को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए किसी न्यायालय अथवा प्रेस का सहारा नहीं लेगा।

बशर्ते कि सरकार द्वारा उसका अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर कर्मचारी को यदि यह स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है तो वह यह मानने के लिए स्वतंत्र होगा कि उन्हें अनुमति प्रदान कर दी गई है।

2. इस नियम में ऐसा कुछ नहीं माना जाएगा जो एक कर्मचारी को उसके निजी चरित्र अथवा उसकी निजी हैसियत से उसके द्वारा किये गए किसी कार्य को न्यायसंगत सिद्ध करने से कर्मचारी को रोके और जब भी उसके निजी चरित्र अथवा निजी हैसियत से उसके द्वारा किये गए किसी कार्य को न्यायसंगत सिद्ध करने हेतु कोई कार्यवाही की जाती है तो उस कार्यवाही के संबंध में कर्मचारी निर्धारित प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

विनियम-17

गैर सरकारी अनुयापन अथवा अन्य बाह्य प्रभाव

प्राधिकरण में अपनी सेवाओं से संबंधित मामलों के संबंध में कोई भी कर्मचारी अपने हितों की वृद्धि के लिए किसी वरिष्ठ प्राधिकारी पर बाह्य प्रभाव नहीं डालेगा अथवा बाह्य प्रभाव डालने की कोशिश नहीं करेगा।

विनियम-18

द्विविवाह

1. कोई भी कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा विवाह करने का अनुबंध नहीं करेगा, जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो; और

2. कोई भी कर्मचारी अपनी पत्नी/अपने पति के जीवित रहते किसी दूसरे व्यक्ति/स्त्री से विवाह अथवा विवाह करने का अनुबंध नहीं करेगा।

बशर्ते कि प्राधिकरण किसी कर्मचारी को इस तरह का अनुबंध करने, इस प्रकार की शादी करने, जैसा कि अनुच्छेद (1) अथवा अनुच्छेद (2) में दिया है, की अनुमति दे सकता है, यदि वह इससे संतुष्ट हो कि :

(I) ऐसे कर्मचारी और अन्य पार्टी पर शादी के लिए लागू होने वाली स्वीय विधि के अन्तर्गत ऐसी शादी की अनुमति है; और

(II) ऐसा करने के लिए कुछ आधार हैं।

3. यदि किसी कर्मचारी ने भारतीय नागरिक के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से शादी कर ली है अथवा कर रहा है तो वह इस तथ्य की सूचना तत्काल प्राधिकरण को देगा।

विनियम-19

मादक द्रव्य एवं औषधियों का उपभोग

(I) प्रत्येक कर्मचारी को मादक-द्रव्यों अथवा औषधियों से संबंधित उस क्षेत्र के मौजूद कानून का पालन सख्ती से करना होगा, जिस क्षेत्र में वे लागू हैं।

(II) अपनी ड्यूटी के दौरान किसी मादक द्रव्य अथवा औषधि के प्रभाव में नहीं होगा और यह भी समुचित ध्यान रखेगा कि ऐसे द्रव्य अथवा औषध के प्रभाव से किसी प्रकार से भी किसी समय उसकी ड्यूटी करनी प्रभावित न हो।

(III) सार्वजनिक स्थान पर मादक द्रव्य अथवा औषध का उपभोग न करना।

(IV) नशे की स्थिति में सार्वजनिक स्थान में न रहना।

(V) अधिक मात्रा में मादक द्रव्य अथवा औषध का उपयोग न करना।

स्पष्टीकरण—

इस नियम के उद्देश्य हेतु "सार्वजनिक स्थल" का अर्थ किसी भी स्थान अथवा परिसरों जिसमें क्लब, जो कि उन सदस्यों हेतु है, जहां पर सदस्यों को यह अनुमति है कि वे गैर सदस्यों को अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं, बार और रेस्टोरेन्ट, वाहन जो कि सार्वजनिक हैं अथवा जिसे भुगतान अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त करने की अनुमति दी गई है, शामिल है से है।

विनियम-20

निलम्बन

1. नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी अथवा कोई प्राधिकारी जिसके वह अधीनस्थ है अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा प्राधिकरण की ओर से सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा शक्ति प्राप्त प्राधिकारी, किसी कर्मचारी को निलंबित कर सकता है :—

क. जब उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन अथवा लंबित हो अथवा

ख. जब उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला, जांच अथवा मुकदमा विचाराधीन हो। बशर्ते कि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी से निचले स्तर के प्राधिकारी द्वारा निलंबन आदेश दिये जाने पर वह प्राधिकारी नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को तत्काल रिपोर्ट करें कि किन परिस्थितियों में आदेश जारी किया गया।

2. कोई भी कर्मचारी जो कि आपराधिक आरोप अथवा अन्य कारण से 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए हिरासत में रहता है तो हवालात में रहने की तिथि से उसे नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा निलंबित माना जाएगा और अगले आदेशों तक निलंबित ही रहेगा।

क. यदि 48 घंटे से अधिक हवालात में रहने की सजा पाता है और वह तुरंत निलंबित नहीं किया जाता अथवा हटाया नहीं जाता अथवा अनुवर्ती कार्रवाई में उस दोष सिद्धि के लिए अनिवार्य सेवा निवृत्ति नहीं दी जाती तो अपराध हेतु दोष सिद्धि की स्थिति में उसकी दोष सिद्धि की तिथि से प्रभावी होता है।

3. जहां किसी कर्मचारी को सेवा से बरखास्त करने, हटाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया जाता है तो इन नियमों के अन्तर्गत निलंबन, अपील अथवा पुनरीक्षण पर रद्द कर दिया जाता है और मामला आगे जांच अथवा कार्रवाई और अन्य निदेशों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, उसके निलंबन का मामला बरखास्त करने अथवा हटाने के मूल आदेश की तिथि से निलम्बन निरन्तर लागू माना जाएगा और अगले आदेश होने तक लागू रहेगा।

4. जहां न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में किसी कर्मचारी को बरखास्त करने अथवा हटाने अथवा सेवा से अनिवार्य सेवा निवृत्ति देने का दण्ड रद्द किया जाता है अथवा घोषित किया जाता है अथवा अकृत किया जाता है और मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए अनुशासनात्मक प्राधिकारी, उसके विरुद्ध इन आरोपों की आगे जांच का निर्णय लेता है, जिनकी वजह से बरखास्त करने, हटाने अथवा आवश्यक सेवा-निवृत्ति का दंड मूल रूप से लगाया गया, कर्मचारी को बरखास्त अथवा हटाने अथवा अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मूल आदेशों की तिथि से नियुक्ति-कर्ता प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को निलंबनाधीन माना जाएगा और अगले आदेश होने तक निलंबित ही रहेगा।

5क. इस नियम के अन्तर्गत किया गया अथवा किया गया माने जाने वाला निलंबन आदेश प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है जो कि किसी ऐसे आदेश अथवा ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया गया है अथवा किया हुआ माना गया है, जिसके वह प्राधिकारी अधीनस्थ है।

5ख. जहां कोई कर्मचारी निलंबित किया जाता है अथवा निलंबित समझा जाता है (किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा अन्य कारण से) और उस निलंबन अवधि के दौरान उसके विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ की जाती है तो लिखित में दर्ज कराए गए कारणों से उसे निलंबित करने वाला सक्षम प्राधिकारी कर्मचारी को निदेश दे कि ऐसी सभी अथवा किसी कार्यवाही के रद्द होने तक कर्मचारी निलंबित ही रहेगा।

विनियम-21

निर्वाह भत्ता

1. यदि अनुशासन अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि कर्मचारी किसी अन्य रोजगार अथवा व्यवसाय अथवा पेशे अथवा कार्य में नहीं लगा है तो निलंबनाधीन कर्मचारी निलंबन के बाद पहले तीन महीनों तक की अवधि में अपने मूल वेतन के 50% के बराबर निर्वाह भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त यदि निलंबित करने वाला अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि जिस व्यय के लिए भत्ता प्रदान किया गया था वह कर्मचारी को मिलता रहना चाहिए, तो वह इस निर्वाह भत्ते पर देय महंगाई भत्ता और अन्य प्रतिपूरक भत्ता जिसे वह निलंबन की तिथि को प्राप्त कर रहा था, पाने का हकदार होगा।

2. जब निलंबन तीन महीनों से अधिक अवधि तक हो तो निलंबितकर्ता अथवा निलंबितकर्ता समझा जाने वाला प्राधिकारी पहले तीन महीनों की अवधि के बाद की अवधि के लिए निर्वाह भत्ते की राशि को परिवर्तित कर सकता है।

(I) यदि उक्त प्राधिकारी की राय में लिखित में दर्ज किये जाने वाले कारणों हेतु निलंबनाधीन कर्मचारी पर सीधे आरोपित न होने वाले कारणों से निलंबन अवधि बढ़ा दी गई है तो मूल वेतन और उस पर मिलने वाला भत्ते का 75% तक निर्वाह भत्ते के रूप में बढ़ाया जा सकता है।

(II) यदि उक्त प्राधिकारी की राय में निलंबनाधीन कर्मचारी पर सीधे आरोपित होने वाले लिखित में दर्ज कारणों से निलंबन की अवधि बढ़ाई गई है तो मूल वेतन और उस पर मिलने वाले भत्ते का 25% तक निर्वाह भत्ते के रूप में घटाया जा सकता है।

3. यदि कर्मचारी को आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और जमानत नहीं मिलती तो कोई निर्वाह भत्ता देय नहीं है। जमानत मिलने के बाद यदि सक्षम प्राधिकारी निलंबन जारी रखने का निर्णय लेता है तो कर्मचारी जमानत पाने की तिथि से निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा।

विनियम-22

निलंबन अवधि का विवेचन—

1. जब निलंबनाधीन कर्मचारी बहाल कर दिया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी निलंबन की अवधि हेतु उसे निम्नलिखित वेतन एवं भत्ते प्रदान कर सकता है :

क. यदि कर्मचारी दोषमुक्त कर दिया जाता है और विनियम-23 में दिया गया कोई दण्ड नहीं दिया जाए तो उसे पहले भुगतान किये गए निर्वाह भत्ते को घटाकर, निलंबन से पूर्व जिनका वह हकदार था उसे वह पूरा वेतन और भत्ते प्रदान किये जाएंगे।

ख. अन्य मामले में सक्षम प्राधिकारी वेतन और भत्तों का जैसा अनुपात निर्धारित करे।

2. उप-खण्ड (क) के अंतर्गत आने वाले मामले में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की अवधि ड्यूटी पर रहने की अवधि मानी जाएगी। उप खण्ड (ख) के अंतर्गत आने वाले मामले में जब तक सक्षम प्राधिकारी निदेश न दे, इसे ड्यूटी पर रहने की अवधि नहीं माना जाएगा।

विनियम-23

दण्ड

किसी कर्मचारी द्वारा किये गए दुर्व्यवहार अथवा अन्य ऐसे ही सही और पर्याप्त कारणों से उसको निम्नलिखित दण्ड दिया जा सकता है—

मामूली दण्ड

क. निन्दा

ख. वेतन वृद्धि रोकना

ग. पदोन्नति रोकना

घ. लापरवाही अथवा आदेशों का उल्लंघन करने से प्राधिकरण को हुए आर्थिक नुकसान के कारण उसकी पूर्ण अथवा आंशिक रूप से इसके वेतन अथवा ऐसी अन्य राशि की उसे देय राशि से वसूली।

ङ बिना संचयी प्रभाव और उसकी पेंशन पर बिना प्रतिकूल प्रभाव के 3 वर्षों तक की अवधि हेतु वेतन के समयमान में निचले स्तर पर कटौती।

भारी दण्ड

च. खण्ड (ड़) की व्यवस्था को छोड़कर एक विशिष्ट अवधि हेतु वेतन के समयमान में कटौती अगले निदेशों सहित कि क्या इस कटौती की अवधि के दौरान कर्मचारी वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा अथवा नहीं और क्या ऐसी अवधि समाप्त होने पर इस कटौती से उसकी भविष्य की वेतन वृद्धियां स्थगित करना प्रभावित होगा कि नहीं।

छ. वेतन के निचले समय-मान, ग्रेड, पद अथवा सेवा में कटौती, जो सामान्य रूप से समय वेतन-मान, ग्रेड, पद या सेवा के लिए कर्मचारी की पदोन्नति के लिए बाधा नहीं होगी, जिससे उसकी कटौती की गई थी तथा इस निदेश के साथ या निदेश के बिना कि उस ग्रेड या पद या सेवा में बहाली की शर्तें क्या होंगी, कर्मचारी की कटौती की गई थी और उसे ग्रेड, पद या सेवा में ऐसी बहाली पर उसकी वरिष्ठता तथा वेतन क्या होगा।

ज. **अनिवार्य सेवा निवृत्ति—**

(I) सेवा से हटाना, जो कि आगे रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी।

(II) सेवा से बरखास्त करना जो कि फिर से सरकारी रोजगार हेतु अयोग्यता होगी। बशर्ते कि ऐसे प्रत्येक मामले, जिसमें यदि किसी व्यक्ति से विधि सम्मत परिश्रमिक से भिन्न, किसी कार्यालय कार्य को करने अथवा उससे बचने के लिए प्रोत्साहन अथवा लाभ के रूप में किसी तरह की रिश्वत लेने का आरोप स्थापित होता है। तो खण्ड (झ) अथवा खण्ड (ञ) में उल्लिखित दंड दिया जाएगा।

परन्तु यह और भी कि किसी अपवादिक मामले में और लिखित में दर्ज कराए गए कारणों से विशेष मामलों में कोई अन्य दण्ड भी दिया जा सकता है

स्पष्टीकरण

इस नियम के आशय हेतु निम्नलिखित दंड नहीं होंगे :—

(I) किसी कर्मचारी का कार्य संतोषजनक न पाये जाने अथवा अपेक्षित स्तर का न होने पर अथवा निर्धारित टेस्ट अथवा परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने पर वेतनवृद्धि रोकना।

(II) दक्षता-रोध पार करने के लिए कर्मचारी उपयुक्त न होने के आधार पर उसके समय वेतनमान में उसके दक्षता रोध को रोकना।

(III) स्थानापन्न रूप में अथवा अन्य प्रकार से किसी कर्मचारी को उच्च पद जिस पर वह विचार किये जाने का पात्र है किन्तु उसके मामले पर विचार करने के बाद उसे उपयुक्त नहीं पाया जाता, उसकी पदोन्नति न करना।

(IV) इस आधार पर कि जांच के बाद उस पर विचार किया गया है कि ऐसे उच्च ग्रेड अथवा पद हेतु वह उपयुक्त नहीं है अथवा प्रशासनिक आधार जो उसके आचरण से संबंध नहीं रखते, उच्च ग्रेड अथवा पद पर किसी स्थानापन्न कर्मचारी को निम्न ग्रेड अथवा पद पर वापस करना।

(V) नियुक्ति की शर्तों के अनुसार परिवीक्षा अवधि के दौरान अथवा अन्त में किसी कर्मचारी की अन्य ग्रेड अथवा पद पर परिवीक्षा नियुक्ति को उसके पहले ग्रेड अथवा पद पर वापस करना।

(VI) सेवा समाप्ति—

क. कर्मचारी की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार परिवीक्षा अवधि के दौरान अथवा अंत में उसकी परिवीक्षा नियुक्ति की सेवा समाप्ति।

ख. ठेके अथवा करार के अंतर्गत अन्य प्रकार से अस्थायी रूप में नियुक्त कर्मचारी की वह अवधि समाप्त होने पर जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था अथवा उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उसकी सेवा समाप्ति।

ग. ठेके अथवा करार की शर्तों के अनुसार नियुक्त कर्मचारी की ऐसे ठेके अथवा करार के अंतर्गत कर्मचारी की सेवा समाप्ति।

घ. संस्थापना में कटौती पर कर्मचारी की सेवा समाप्ति।

(VII) राज्य सरकार अथवा प्राधिकरण, जिससे उस सरकारी कर्मचारी की सेवा मांगी गई थी, कार्य पूरा होने पर राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन प्राधिकरण के उस कर्मचारी, जिसकी सेवा ली गई उसकी सेवा की वापसी।

(VIII) किसी कर्मचारी की वृद्धावस्था पूरी होने अथवा सेवा निवृत्ति से संबंधित प्रावधानों के अनुसार उसकी अनिवार्य सेवा-निवृत्ति।

विनियम-24

अनुशासनिक अधिकारी-

अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुशासनिक अधिकारी अथवा उससे उच्च कोई अधिकारी किसी कर्मचारी पर विनियम-23 में विनिर्दिष्ट कोई दंड लागू कर सकता है।

विनियम-24 क

कार्यवाही प्रारंभ करने वाले प्राधिकारी—

1. अध्यक्ष अथवा उनके सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा शक्ति प्राप्त अन्य प्राधिकारी अथवा इन विनियमों की अनुसूची में वर्णित अनुशासनिक अधिकारी, किसी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ कर सकता है।

2. विनियम-23 की श्रेणी ''क'' से ''ड़'' में विनिर्दिष्ट कोई भी दंड लगाने के लिए इन नियमों के अंतर्गत सक्षम अनुशासनिक अधिकारी विनियम-23 के खण्ड ''च'' से ''ञ'' में दिये गये दण्ड में से कोई भी दण्ड किसी कर्मचारी पर लगाने की कार्यवाही आरंभ कर सकता है, जिसका यह विरोध नहीं किया जा सकता है कि इन नियमों के अन्तर्गत पहले लगाए गए किसी जुर्माने के लिए वह अनुशासनिक अधिकारी सक्षम नहीं है।

विनियम-25

भारी दंड लगाने की प्रक्रिया—

1. इस विनियम और विनियम-26 में दिये तरीके अथवा सार्वजनिक सेवा (जांच) अधिनियम-1850 (1850 का 37) जहां उस अधिनियम के अंतर्गत जांच की गई है, जहां तक हो सके, जांच हुए बिना विनियम 23 के खण्ड ''च'' से ''ञ'' तक में विनिर्दिष्ट कोई दंड लगाने वाला कोई आदेश निकाला नहीं जाएगा।

2. जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की राय में कर्मचारी के विरुद्ध दुराचरण अथवा दुर्व्यवहार के अरोप की सच्चाई की जांच करने के लिए काफी आधार मिलता है तो वह सरकारी कर्मचारी (जांच) अधिनियम-1850 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वयं पूछताछ कर सकता हैं अथवा इस नियम के अन्तर्गत किसी को नियुक्त कर सकता है।

स्पष्टीकरण—

जहां पर अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है तो जांच प्राधिकारी के उप विनियम (20) और (22) के उप विनियम (7) के संदर्भ में वह अनुशासनिक प्राधिकारी के संदर्भ में लिया जाएगा।

3. जहां पर इस विनियम और विनियम-26 के अंतर्गत किसी कर्मचारी के विरुद्ध जांच करना प्रस्तावित होता है तो अनुशासनिक प्राधिकारी निम्नलिखित दस्तावेज तैयार करेगा अथवा तैयार करवाएगा :—

(I) निश्चित और भिन्न-भिन्न आरोपों की मदों में दुराचरण व दुर्व्यवहार के आरोपों का सार।

(II) प्रत्येक आरोप की मद की पुष्टि में दुराचरण अथवा दुर्व्यवहार के आरोपों का विवरण, जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल होंगी :—

क. सभी संबंधित तथ्यों का विवरण, जिसमें कर्मचारी द्वारा स्वीकार किए गए या कबूल किए गए तथ्य शामिल हैं।

ख. उन दस्तावेजों की सूची और उन साथियों की सूची, जिनके द्वारा आरोपों की पुष्टि की जानी प्रस्तावित की गई है।

4. अनुशासनिक प्राधिकारी कर्मचारी को आरोप-पत्र, दुराचार अथवा दुर्व्यवहार के आरोप का विवरण और दस्तावेजों तथा साक्षियों की सूची, जिनके द्वारा प्रत्येक आरोप की पुष्टि करने का प्रस्ताव किया गया है, की प्रति देगा अथवा देने के लिए कहेगा और कर्मचारी से अपेक्षा करेगा कि वह निर्धारित समयावधि के अन्दर अपने बचाव में लिखित बयान दे और बताये कि क्या वह सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहता है।

5क. बचाव के लिए बयान प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं ऐसे आरोपों की जाँच कर सकता है जो स्वीकार नहीं किये गये हैं अथवा यदि वे समझें कि ऐसा करना आवश्यक है तो इस कार्य के लिए उप विनियम (2) के अंतर्गत जाँच प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है और जिन मामलों में कर्मचारी ने अपने बचाव के लिखित बयान में सभी आरोप स्वीकार कर लिए हैं उन मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी सभी सबूतों को देखने के बाद यदि वे उचित समझें तो प्रत्येक आरोप पर अपना जाँच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं और विनिमय 26 में निर्धारित तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं।

ख. यदि कर्मचारी द्वारा अपने बचाव में कोई लिखित बयान प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह अनुशासनिक प्राधिकारी आरोपों की स्वयं जाँच कर सकते हैं अथवा यदि वे आवश्यक समझें तो इस कार्य के लिए उप विनियम (2) के अंतर्गत जांच प्राधिकारी नियुक्त कर सकते हैं।

ग. जिन मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी किसी आरोप की स्वयं जांच करते हैं अथवा ऐसे आरोप की जांच करने के लिए किसी जांच प्राधिकारी को नियुक्त करते हैं तो वे आदेश द्वारा एक कर्मचारी अथवा वकील, जो उनकी तरफ से आरोप के समर्थन में मामले को प्रस्तुत करेगा को नियुक्त कर सकते हैं और उसे ''प्रस्तुतकर्ता अधिकारी'' के नाम से जाना जाएगा।

6. जिन मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी नहीं है उन मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेज भेजेगा :—

(1) आरोप-पत्र और दुराचार अथवा दुर्व्यवहार के आरोप के विवरण की प्रति।

(2) कर्मचारी द्वारा बचाव के लिए प्रस्तुत किये गये लिखित बयान की प्रति।

(3) साक्षियों के बयान की प्रति, यदि कोई हो, कर्मचारियों के लिए उप विनियम (3) के संदर्भ में।

(4) दस्तावेजों को सुपुर्द करने को सिद्ध करने वाला सबूत, कर्मचारियों के लिए उप विनियम (3) के संदर्भ में, और

(5) ''प्रस्तुतकर्ता अधिकारी'' को नियुक्त करने वाले आदेश की प्रति।

7. कर्मचारी, जांच करने वाले प्राधिकारी को आरोप-पत्र और दुराचार अथवा दुर्व्यवहार का विवरण प्राप्त होने के दस कार्यशील दिवसों के अन्दर ऐसे दिन और ऐसे समय पर, जो इस संबंध में जांच करने वाले प्राधिकारी लिखित में सूचित करें अथवा ऐसे समय के अन्दर जो 10 दिनों से अधिक न हो और जांच करने वाले प्राधिकारी जिसकी अनुमति दें, जांच करने वाले प्राधिकारी के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।

8क. कर्मचारी अपने मुख्यालय में अथवा जिस स्थान पर जांच चल रही है, वहां पर किसी भी कार्यालय में कार्यरत किसी अन्य कर्मचारी की अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने में सहायता ले सकता है, परन्तु इस कार्य के लिए किसी वकील को नियुक्त नहीं कर सकता, जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी वकील न हो अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उसकी अनुमति न दे दें।

कर्मचारी किसी अन्य स्थान पर तैनात किसी अन्य कर्मचारी की सहायता ले सकता है बशर्ते कि जांच प्राधिकारी मामले की परिस्थितियां और लिखित में रिकार्ड किए गए कारण ऐसा करने की अनुमति दे दें।

नोट :— कर्मचारी ऐसे किसी कर्मचारी की सहायता नहीं लेगा जिसके पास सहायता देने के लिए पहले से तीन मामले अनिर्णीत हों।

ख. प्राधिकरण द्वारा सामान्य तौर पर समय-समय पर निर्दिष्ट शर्तों अथवा इस संबंध में विशेष आदेश के अधीन कर्मचारी अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिए किसी सेवा-निवृत्त कर्मचारी की भी सहायता ले सकता है।

9. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जांच प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत होता है जिसने अपने बचाव के लिखित बयान में आरोप-पत्र के किसी आरोप को स्वीकार नहीं किया है अथवा उसने अपने बचाव का लिखित बयान प्रस्तुत नहीं किया है, तो वह प्राधिकारी उस कर्मचारी से पूछ सकता है कि क्या दोषी है अथवा उसे अपने बचाव में कुछ कहना है और यदि वह आरोप के किसी दोष को स्वीकार करता है तो जांच प्राधिकारी उसको रिकार्ड करेगा, रिकार्ड पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर कर्मचारी के हस्ताक्षर करवा लेगा।

10. जांच प्राधिकारी उस आरोप के संबंध में अपना जांच परिणाम देंगे, जिसे कर्मचारी ने स्वीकार किया है।

11. यदि कर्मचारी निर्धारित अवधि के अन्दर उपस्थित नहीं होता है अथवा सफाई में कहने से इंकार करता है अथवा सफाई में कहने में चूक करता है तो जांच प्राधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से वह सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहेगा, जिसके द्वारा उनका आरोप को सिद्ध करने का प्रस्ताव है और सह आदेश रिकार्ड करने के बाद कि कर्मचारी को अपने बचाव में तैयारी करने के लिए समय देने के लिए मामले को बाद की किसी तारीख तक जो तीस दिन की अवधि से अधिक नहीं होगी आस्थगित कर दिया जाएगा और कर्मचारी अपने बचाव के लिए निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है :—

(1) वह आदेश के पांच दिनों के अन्दर अथवा और अधिक अवधि जो पांच दिनों से अधिक नहीं होगी और जिसके लिए जांच प्राधिकारी अनुमति दे, के अन्दर उप विनियम में संदर्भित सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है।

(2) उन साक्षियों की सूची प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनसे उनकी ओर से पूछताछ की जानी है।

टिप्पणी :— यदि कर्मचारी ने उप विनियम (3) में संदर्भित सूची में वर्णित साक्षियों के बयान की प्रति लेने के लिए मौखिक अथवा लिखित में आवेदन किया है तो जांच प्राधिकारी उसे ऐसी प्रतियां यथाशीघ्र उपलब्ध करायेगा और हर हालत में अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से साक्षियों की जांच शुरू करने से तीन दिन तक उपलब्ध करा देंगे।

(3) वह आदेश के दस दिनों के अन्दर अथवा और अधिक अवधि जो दस दिनों से अधिक नहीं होगी और जिसकी अनुमति जांच प्राधिकारी देंगे, के अन्दर प्राधिकरण के कब्जे में हों के किसी दस्तावेज़, जिसका उल्लेख उप-विनियम (3) में संदर्भित सूची में नहीं है, का पता लगाने और प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दे सकते हैं।

टिप्पणी :— कर्मचारी को अपने द्वारा अपेक्षित प्राधिकरण द्वारा पता लगाए जाने वाले अथवा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की प्रासंगिकता निर्दिष्ट करनी होगी।

12. जांच करने वाले प्राधिकारी दस्तावेज को प्राप्त करने अथवा प्रस्तुत करने का नोटिस प्राप्त होने पर उसे (नोटिस को) अथवा उसकी प्रतियां उस प्राधिकारी को भेजेंगे जिसके कब्जे में दस्तावेज हैं और वे संबंधित अधिकारी को दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग करेंगे। प्रस्तुत करने की तिथि मांग-पत्र में निर्दिष्ट की जाएगी। लेकिन, जांच प्राधिकारी लिखित में कारण रिकार्ड करके उन दस्तावेजों की मांग करने से मना कर सकते हैं जो उनकी राय में मामले से संबंधित नहीं है।

13. उप-विनियम (12) में संदर्भित मांग के प्राप्त होने पर प्रत्येक प्राधिकारी, जिसके पास अथवा जिसके कब्जे में मांगे गये दस्तावेज हैं, दस्तावेजों को जांच प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

बशर्ते कि यदि वह प्राधिकारी जिसके पास अथवा कब्जे में अपेक्षित दस्तावेज हैं, लिखित में कारण रिकार्ड करके उन कारणों से संतुष्ट है कि उन सभी दस्तावेजों अथवा उनमें से किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करना जनहित अथवा देश की सुरक्षा के विरुद्ध होगा तो वह जांच प्राधिकारी को तदनुसार सूचित करेगा और जांच प्राधिकारी यह सूचना प्राप्त होने पर कर्मचारी को सूचित करेगा और दस्तावेज प्राप्त करने अथवा प्रस्तुत करने के लिए की गयी मांग को वापिस ले लेगा।

14. जाँच के लिए निर्धारित तिथि को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अथवा उनकी ओर से मौखिक अथवा दस्तावेजी सबूत, जिनके द्वारा आरोप सिद्ध करने का प्रस्ताव है, प्रस्तुत किए जाएंगे। साक्षी से प्रश्न प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अथवा उनकी ओर से किए जाएंगे ओर साक्षी से प्रति-प्रश्न कर्मचारी द्वारा अथवा उनकी ओर से किए जाएंगे। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को किसी भी ऐसे मुद्दे पर साक्षी से पुन: प्रश्न करने का अधिकार होगा, जिन पर पहले ही प्रति-प्रश्न किया जा चुका है परन्तु जाँच अधिकारी की अनुमति के बिना नये मुद्दे पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होगा। जाँच अधिकारी भी यदि उचित समझें तो साक्षी से प्रश्न पूछ सकते हैं।

15. यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामले को समाप्त करने से पहले आवश्यक होगा तो जाँच प्राधिकारी उपने विवेक से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को ऐसे साक्षी प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है जो कर्मचारी को दी गयी सूची में शामिल नहीं है अन्यथा स्वयं साक्ष्य जुटाने के लिए कह सकता है अथवा किसी साक्षी को पुन: बुला सकता है और उनसे पुन: प्रश्न पूछ सकता है तथा ऐसे मामले में कर्मचारी यदि मांग करें तो उन्हें प्रस्तुत किए जाने वाले साक्षियों की सूची और ऐसे नये साक्षी प्रस्तुत करने से पहले तीन पूर्ण दिनों तक, (आस्थगित करने वाले दिन, और आस्थगन की कार्रवाई वाले दिन को छोड़कर) जांच को आस्थगित कराने का हक है। जाँच प्राधिकारी ऐसे दस्तावेजों को रिकार्ड करने से पहले कर्मचारी को ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अवसर देगा। जाँच प्राधिकारी कर्मचारी को नये साक्ष्य प्रस्तुत करने की भी अनुमति दे सकते हैं, यदि उनकी राय में वह साक्ष्य न्याय हित में हो।

टिप्पणी :— किसी साक्ष्य में किसी गैप को भरने के लिए नये साक्षी की अनुमति नहीं होगी अथवा उन्हें नहीं बुलाया जाएगा अथवा किसी साक्षी को पुन: नहीं बुलाया जाएगा। ऐसे साक्ष्य को केवल तभी बुलाया जाएगा, जब साक्ष्य में कोई अन्तर्निहित कमी हो अथवा दोष हो।

16. जब अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए मामला समाप्त हो तो कर्मचारी द्वारा अपने बचाव में मौखिक अथवा लिखित में बयान देना अपेक्षित है। जैसा वे उचित समझें यदि बचाव में बयान मौखिक रूप से दिया जाता है तो उसे रिकार्ड किया जाएगा और कर्मचारी को रिकार्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे। दोनों में से किसी भी मामले में बचाव के विवरण की प्रति प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, यदि कोई नियुक्त किया गया है, को दी जाएगी।

17. तब कर्मचारी की ओर से साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाएगा। कर्मचारी यदि उचित समझें तो वे अपनी तरफ से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षी से प्रश्न पूछे जाएंगे और अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए साक्षियों पर लागू उपबंधों के अनुसार जाँच-प्राधिकारी द्वारा साक्षी से पुन: प्रश्न पूछे जाएंगे।

18. कर्मचारी द्वारा मामला समाप्त करने के बाद जाँच अधिकारी, यदि कर्मचारी ने स्वयं प्रश्न नहीं पूछा है, समान्यत: उन परिस्थितियों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं अथवा पूछेंगे, जो साक्ष्य में उनके विरुद्ध हुए ताकि कर्मचारी अपने विरुद्ध साक्ष्य में आई किसी परिस्थिति को सपष्ट कर सकें।

19. जाँच अधिकारी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, यदि कोई हो, और कर्मचारी की सुनवाई कर सकते हैं अथवा यदि वे चाहें तो अपने संबंधित मामले पर लिखित सार फाइल करने की अनुमति दे सकते हैं।

20. यदि कर्मचारी, जिसे आरोप-पत्र की प्रति दी गयी है, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित तिथि अथवा इससे पूर्व अपने बचाव में लिखित बयान प्रस्तुत नहीं करता है अथवा जाँच अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता है अथवा अन्य कारणें से इस नियम के उपबंधों का पालन करने में असमर्थ रहता है अथवा पालन करने से इंकार करता है तो जांच प्राधिकारी जांच पर एक तरफा निर्णय दे सकते हैं।

21क. जहां अनुशासनिक प्राधिकारी विनियम 23 के खण्ड (ए) से (ई) में निर्दिष्ट किसी भी दण्ड को लगाने में सक्ष्म है (परंतु विनियम 23 के खंड (एफ) से (जे) में निर्दिष्ट किसी भी दण्ड को लगाने में सक्षम नहीं है) उन मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी ने स्वयं जाँच की हो और

किसी भी आरोप की जाँच करवाई हो और प्राधिकारी अपने निष्कर्ष के आधार पर अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी जाँच प्राधिकारी द्वारा लिए गए निष्कर्ष के आधार पर राय हो कि कर्मचारी पर नियम 33 के खण्ड (एफ) से (जे) में निर्दिष्ट दण्ड लगाया जाए और प्राधिकारी, जो अन्त मे वर्णित दण्ड लगाने के लिए सक्षम है, को जाँच का रिकार्ड भेजेगा।

ख. अनुशासनिक प्राधिकारी जिन्हें रिकार्ड भेजा गया है, रिकार्ड के साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं अथवा यदि उनकी राय में न्यायहित में किसी साक्षी से और पूछताछ करनी जरूरी है तो वह साक्षी को पुन: बुलाकर प्रश्न, प्रति-प्रश्न और पुन: प्रश्न कर सकते हैं और कर्मचारी पर ऐसा दण्ड लगा सकते हैं जो वे इन विनियमों के अनुसार उपयुक्त समझें।

22. जब भी कोई जाँच प्राधिकारी किसी जाँच में सुनवाई करने के बाद और पूर्ण अथवा साक्ष्य के किसी भाग को रिकार्ड करने के बाद अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग बन्द कर देता है और उनके बाद किसी अन्य जाँच प्राधिकारी द्वारा जाँच की जाती है तो उत्तरवर्ती जाँच प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड किए गए साक्ष्य पर, अथवा आंशिक रूप से उनके पूर्ववर्ती प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड किए गए अथवा उनके स्वयं के द्वारा आंशिक रूप से किए गए रिकार्ड के आधार पर कार्रवाई कर सकता है।

बशर्ते कि यदि उत्तरवर्ती जाँच प्राधिकारी की यह राय है कि न्याय हित में ऐसे किसी भी साक्षी जिसका साक्ष्य पहले ही रिकार्ड किया जा चुका है, से पुन: प्रश्न पूछे जाएं तो ऐसे, किसी भी साक्षी को पुन: बुलाया जा सकता है, उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रति-प्रश्न पूछे जा सकते हैं जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है।

23. 1. जाँच समाप्ति के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

क. आरोप-पत्र और दुराचार अथवा दुर्व्यवहार के आरोप का विवरण।

ख. प्रत्येक आरोप के संबंध में कर्मचारी का बचाव।

ग. प्रत्येक आरोप के संबंध में साक्षी का आकलन।

घ. प्रत्येक आरोप का जाँच परिणाम और उसके कारण।

व्याख्या—

यदि जाँच-प्राधिकारी की राय में जाँच की रिपोर्ट की कार्रवाई से मूल आरोप-पत्र से भिन्न आरोप सिद्ध होते हैं तो वे ऐसे आरोप पर अपना निष्कर्ष रिकार्ड कर सकते हैं।

लेकिन ऐसे आरोप-पत्र को तब तक रिकार्ड नहीं किया जाएगा, जब तक कि या तो कर्मचारी ने वे तथ्य स्वीकार न कर लिए हों जिस आधार पर आरोप आधारित हैं अथवा उसे ऐसे आरोप-पत्र के विरुद्ध बचाव के लिए समुचित समय न दिया गया हो।

2. जिन मामलों में जाँच प्राधिकारी स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है, उन मामलों में जाँच अधिकारी जाँच का रिकार्ड अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

क. खंड (1) के अंतर्गत तैयार की गयी रिपोर्ट।

ख. कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया गया बचाव का लिखित बयान, यदि कोई हो।

ग. जाँच के दौरान प्रस्तुत किए गए मौखिक और दस्तावेजी सबूत।

घ. जाँच के दौरान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अथवा कर्मचारी अथवा दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया गया लिखित सार, यदि कोई हो।

च. जाँच के संबंध में अनुशासनिक प्रधिकारी और जाँच प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश, यदि कोई हो।

विनियम 26. जाँच रिपोर्ट पर कार्रवाई

1. अनुशासनिक प्राधिकारी यदि स्वयं जाँच प्राधिकारी नहीं है तो वे लिखित में कारण रिकार्ड करके मामले को आगे की जाँच के लिए जाँच प्राधिकारी को भेज देंगे और इसके बाद जाँच प्राधिकारी जहाँ तक हो सकता है, विनियम 25 के उपबंधों के अनुसार आगे जाँच करेंगे।

1 क, अनुशासनिक प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की गयी जाँच की रिपोर्ट, यदि कोई हो, की प्रति प्रेषित करेगा अथवा प्रेषित करने की व्यवस्था करेगा अथवा जिन मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी जाँच प्राधिकारी नहीं है उन मामलों में कर्मचारी को जाँच प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रति भेजी जाएगी जो यदि चाहे तो पन्द्रह दिनों के अन्दर अनुशासनिक प्राधिकारी को अपना लिखित अभ्यावेदन अथवा अनुरोध प्रेषित करेंगे चाहे रिपोर्ट कर्मचारी के पक्ष में हो अथवा पक्ष में न हो।

1 ख. अनुशासनिक प्राधिकारी उप-विनियम 2 से 4 में निर्दिष्ट तरीके से मामले पर और कार्रवाई करने से पहले कर्मचारी द्वारा दिए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

2. अनुशासनिक प्राधिकारी यदि आरोप-पत्र की किसी मद पर जाँच अधिकारी के निर्णय से असहमत हैं तो वे ऐसी असहमति के कारणों को रिकार्ड करेंगे और यदि इस उद्देश्य के लिए साक्ष्य पर्याप्त हैं तो ऐसे आरोप पर अपना निर्णय देंगे।

3. यदि अनुशासनिक प्राधिकारी ने आरोप-पत्र की सभी अथवा किसी मद पर अपने निर्णय में यह राय दी है कि विनियम 13 के खण्ड (ए) से (इ) में निर्दिष्ट कोई भी दण्ड कर्मचारी पर लगाया जाना चाहिए, तो वे विनियम 26 में किसी बात के होते हुए उक्त दण्ड को लागू करने का आदेश दे देंगे।

4. यदि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोप-पत्र की सभी अथवा किसी मद पर दिए अपने निर्णय और जाँच के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर यह राय है कि कर्मचारी पर विनियम-23 के खण्ड(एफ) से (जे) में निर्दिष्ट कोई दण्ड लगाया जाना चाहिए तो वे ऐसा दण्ड देने के लिए आदेश देंगे और लगाये जाने वाले प्रस्तावित दण्ड पर कर्मचारी को अपना अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाना जरूरी नहीं होगा।

विनियम-27 मामूली दण्ड लगाने की प्रक्रिया—

विनियम 26 के उप-विनियम (3) के उपबन्धों के अधीन निम्नलिखित कार्रवाई के बिना विनियम-23 के खण्ड (ए) से (ई) में निर्दिष्ट किसी दण्ड को कर्मचारी पर लगाने के आदेश नहीं है :—

क. कर्मचारी को उनके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई और दुराचार अथवा दुर्व्यवहार, जिसके लिए दण्ड प्रस्तावित किया गया है, के संबंध में लिखित रूप से सूचित किया जाए और उन्हें अभ्यावेदन, जो वे प्रस्ताव के विरुद्ध देना चाहे, के लिए समुचित अवसर दिया जाए।

ख. प्रत्येक ऐसे मामले में, जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी की राय है कि ऐसी जाँच आवश्यक है, विनियम 25 के उप विनियम (3) से (23) में निर्धारित तरीके से जाँच का आयोजन करना।

ग. कर्मचारी द्वारा खण्ड (क) के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन और खण्ड (बी) के अंतर्गत की गई जाँच का रिकार्ड, यदि कोई हो, पर विचार करना।

2. उप-विनियम (1) के खण्ड (बी) में ऐसा होने के बावजूद यदि किसी मामले में कर्मचारी द्वारा उस उप विनियम के खण्ड (क) के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो पर विचार करने के बाद वेतन वृद्धि रोकना प्रस्तावित किया जाता है और ऐसी वेतनवृद्धि रोकने से कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन राशि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है अथवा तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए वेतन-वृद्धि रोकी जानी है अथवा किसी भी अवधि के लिए संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि रोकी जाती है, तो कर्मचारी पर ऐसा दण्ड लगाने से पूर्व विनियम 25 के उप-विनियम (3) से (23) में निर्धारित तरीके से जाँच की जाएगी।

3. ऐसे मामलों में कार्रवाई के रिकार्ड में निम्नलिखित शामिल है :—

(i) कर्मचारी को उनके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई सूचना की प्रति।

(ii) दुराचरण अथवा दुर्व्यवहार के आरोप की प्रतिलिपि जो उन्हें सोंपी गई।

(iii) उनका अभिवेदन, यदि कोई हो।

(iv) जांच के दौरान प्रस्तुत किया गया साक्ष्य।

(v) दुराचरण अथवा दुर्व्यवहार के प्रत्येक आरोप के जांच-परिणाम।

(vi) मामले के आदेश उसके कारण सहित।

विनियम-28

आदेशों का प्रेषण :—

आदेशों 26 अथवा विनियम-27 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश संबंधित कर्मचारी को प्रेषित किए जाएंगे और उसे जांच-रिपोर्ट की एक प्रति भी, यदि कोई हो तो, तथा प्रत्येक आरोप के जांच-परिणाम, अथवा यदि अनुशासनिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी ही है तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी के जांच परिणामों का विवरण और जांच प्राधिकारी के परिणामों सहित, यदि कोई हों उसकी असहमति के संक्षिप्त कारण कर्मचारी को दिए जाएंगे।

विनियम-29

सामूहिक कार्यवाही—

जहाँ पर किसी मामले में दो या दों से अधिक कर्मचारी सम्मिलित हैं, वहाँ पर ऐसे सभी कर्मचारीयों पर भारी दंड लगाने वाले सक्षम प्राधिकारी एक सामूहिक कार्यवाही में उन सभी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निदेश देते हुए एक आदेश निकाल सकते हैं और निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी सामूहिक कार्यवाही के प्रयोजन से अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं।

विनियम-30

कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया—

विनियम 25 अथवा 26 अथवा 27, 28 और 29 में निहित किसी भी बात के होते हुए अनुशासनात्मक प्राधिकारी निम्नलिखित किसी भी परिस्थिति में विनियम-23 में निर्दिष्ट कोई भी दंड लगा सकते हैं:—

1. कर्मचारी को आपराधिक आरोप अथवा तथ्यों को छुपाने अथवा न्यायिक जांच द्वारा निष्कर्ष से दोषी ठहरा दिया गया है, अथवा

2. जहां पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी उनके द्वारा लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों से संतुष्ट हैं कि इन नियमों में प्रावधानित तरीके से जाँच कराना वास्तव में व्यवहार्य नहीं है, अथवा

3. जहाँ पर प्राधिकरण के अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हैं कि राज्य/प्राधिकरण की सुरक्षा के हित में, इन नियमों में प्रावधानित तरीके से कोई जाँच कराना आवश्यक नहीं है।

लेकिन दंड लगाने से पहले उपर्युक्त (1) में प्रस्तावित दंड पर कर्मचारी को अभिवेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

विनियम-30-(क)

किसी अन्य विनियम में विपरीत निहित किसी बात के बावजूद, किसी भी कर्मचारी की सेवा को प्राधिकरण द्वारा समाप्त किया जा सकता है,

क. यदि उसका पद समाप्त कर दिया गया हो।

ख. वह चिकित्सा-आधार पर प्राधिकरण में सेवा के अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, अथवा

ग. वह 60 दिन अथवा उससे अधिक समय के लिए अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है।

व्याख्या—

1. उपर्युक्त (क) और (ख) के मामलों में एक स्थाई कर्मचारी को तीन माह का नोटिस देकर और अस्थाई कर्मचारी को एक माह का नोटिस देकर अथवा दोनों मामलों में इस एवज में वेतन देकर सेवा से निकाला जा सकता है।

2. उपर्युक्त (ग) के मामले में किसी भी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं, यदि वे कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर अपने आचरण का सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देते हैं। मैनेजमेंट को आगे जांच किए बिना ही निर्णय लेने की शक्ति है।

3. (क) उपर्युक्त (ग) के मामले में सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से ही निर्णय लिया जाएगा।

(ख) निर्णय का कारण लिखित में रिकार्ड किया जाएगा।

विनियम-31

केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार आदि से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी

(1) जहां पर कर्मचारी केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्थानीय प्राधिकरण से दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर हो और उसे निलंबित कर दिया गया हो या उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई हो तो उनको निलंबित करने अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही करने (जैसा भी मामला हो) परिस्थितियों के बारे में उनकी सेवाएं देने वाले प्राधिकरण सूचित किया गया (जिसे यहां बाद में पारदायी प्राधिकरण कहा जाएगा) जाएगा।

(2) कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के जांच-परिणामों के प्रकाश में :—

क. यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी की राय है कि कर्मचारी पर कोई भी मामूली दण्ड लगाया जाना चाहिए, तो यह इस मामले में जैसा भी आवश्यक समझे, "परिदाय प्राधिकरण" से परामर्श करने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकता है, लेकिन, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी और परिदाय प्राधिकरण के बीच में इस बारे में मतभेद हो जाए तो कर्मचारी की सेवाएं परिदाय प्राधिकरण की स्वेच्छा/निर्णय पर छोड़ दी जाएंगी।

ख. यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी की राय हो कि कर्मचारी पर भारी दंड लगाया जाना चाहिए तो उसकी सेवाओं को परिदाय प्राधिकरण के निपटान पर दे देना चाहिए और जांच की कार्यवाही उन्हें दे देनी चाहिए और जो भी कार्रवाई वे (परिदाय प्राधिकरण) उचित समझें, ले सकते हैं।

(3) उप-विनियम (2) (क) के अन्तर्गत यदि कर्मचारी अपने ऊपर लगाए गए मामूली दंड के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करता है तो, यह परिदाय प्राधिकरण से परामर्श करने के बाद निपटाया जाना चाहिए। लेकिन, यदि अपीलेट प्राधिकारी और परिदाय प्राधिकरण के बीच इस बारे में मतभेद हो जाता है तो कर्मचारी की सेवाएं परिदाय प्राधिकरण को वापिस कर दी जाएंगी और मामले की कार्यवाही आवश्यक कार्रवाई के लिए प्राधिकरण को भेज दी जाएगी।

विनियम-32

वे आदेश जिनके लिए कोई अपील नहीं हो सकती

यदि (1) प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कोई आदेश हो।

(2) वादकालीन प्रकृति का कोई आदेश हो अथवा निलंबन आदेश के अतिरिक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तिम निर्णय के समर्थन की प्रकृति का कोई आदेश।

(3) विनियम 25 के अंतर्गत जांच के दौरान, जांच प्राधिकारी द्वारा पारित किय गया कोई आदेश।

विनियम-32 (क)

आदेश, जिनके विरुद्ध अपील की जा सकती है

विनियम-32 के प्रावधानों के अधीन कोई भी कर्मचारी निम्नलिखित सभी आदेशों अथवा किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है :—

(1) विनियम-20 के अंतर्गत किया गया अथवा किया गया माने जाने वाला निलंबन आदेश।

(2) विनियम-23 में निर्दिष्ट दंडों में से किसी भी दंड का आदेश, चाहे वह अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा किसी अपील अथवा संशोधन-कर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

(3) विनियम-23 के अंतर्गत लगाए गए किसी दंड को बढ़ाने का आदेश हो।

(4) कोई आदेश जो :—

क. उसे वेतन, भत्तों, पेंशन अथवा सेवा की अन्य शर्तों, जो कि नियमों अथवा करार द्वारा विनियमित हैं, से वंचित करता हो अथवा कोई हानि पहुंचाता हो अथवा

ख. ऐसे किसी नियम या करार के प्रावधानों से हानि पहुंचने की व्यवस्था बनती हो।

(5) कोई आदेश जो :—

क. दक्षता-रोध को पार करने में कर्मचारी की अयोग्यता के आधार पर समय वेतनमान में दक्षता-रोध पर उसे रोकता हो।

ख. उच्च सेवा, ग्रेड अथवा पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करते समय उसे किसी निम्न सेवा, ग्रेड अथवा पद पर वापिस करता हो। (दण्ड के रूप से अन्यथा)

ग. पेंशन को कम करता हो अथवा रोकता हो अथवा नियमों के अंतर्गत उसको स्वीकार्य/देय अधिकतम पेंशन को अस्वीकार करता हो।

घ. निलम्बन अवधि वह अवधि जिसके दौरान कर्मचारी का निलम्बन मान लिया जाता है अथवा उसके किसी भाग के लिए भुगतान किया जाने वाला निर्वाह भत्ता और अन्य भत्तों को निर्धारित करता हो।

ङ. उनके वेतन और भत्तों को निर्धारित करना।

1. निलंबन-अवधि के लिए, अन्यथा
2. नौकरी से उसको बरखास्त करने अथवा निकालने अथवा अनिवार्य सेवा-निवृत्त होने की तिथि से की अवधि के लिए अथवा निम्न सेवा ग्रेड, पद, समय-वेतनमान अथवा समय वेतनमान में स्टेज कम करने की तिथि से उनकी बहाली अथवा सेवा, ग्रेड या पद वापिसी की तिथि तक की अवधि के लिए अथवा

च. यह निर्धारित करना कि क्या उनके सेवा-निलम्बन की तिथि से अथवा उनको बर्खास्त करने, नौकरी से हटाने, अनिवार्य सेवा-निवृत्ति अथवा निम्न सेवा, ग्रेड, पद, समय वेतनमान, वेतन के वेतनमान में स्टेज को कम करने की तिथि से इस सेवा, ग्रेड अथवा पद पर बहाली अथवा पुर्नस्थापन की तिथि तक की अवधि किसी प्रयोजन हेतु ड्यूटी पर बिताई गई अवधि के रूप में मानी जाएगी।

व्याख्या इस विनियम में

(1) अभिव्यक्ति "कर्मचारी" में वह व्यक्ति भी शामिल है जिसकी सरकारी-सेवा समाप्त हो गई है।

(2) अभिव्यक्ति "पेंशन" में अतिरिक्त पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ शामिल हैं।

विनियम-32 बी

अपीलें—

1. कोई भी कर्मचारी विनियम 23 में निर्धारित उस पर लगाए गए किसी भी दंड के आदेश के विरुद्ध अथवा विनियम-20 में उल्लिखित निलम्बन आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। यह अपील अनुसूची में निर्दिष्ट प्राधिकारी को की जाएगी।
2. ऊपर उप-नियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए विनियम-29 के अन्तर्गत की गई सामूहिक कार्यवाही में किसी आदेश के विरुद्ध अपील, उस प्राधिकारी को की जाएगी जो अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने वाले प्राधिकारी से उस कार्यवाही के प्रयोजन से ठीक अधीनस्थ हो।
3. जहां पर वह व्यक्ति, जिसने आदेश जारी किए हों, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, अपनी बाद की नियुक्ति अथवा अन्य तरीके से, ऐसे आदेश के संबंध में अपीलेट प्राधिकारी हो जाता है, तो ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को की जाएगी, जिसका ऐसा व्यक्ति ठीक अधीनस्थ होगा।

विनियम-32-सी

अपील-सीमा की अवधि

विनियम-32 (बी) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी भी अपील पर तब तक कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी अपील आदेश के विरुद्ध अपील करने वाले व्यक्ति को दी गई प्रतिलिपि की तिथि से पैंतालीस दिन की अवधि के अन्दर नहीं की जाती।

लेकिन, अपील प्राधिकारी उक्त अवधि के समाप्त होने के बाद अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह इस बात से सन्तुष्ट है कि अपीलकर्त्ता के पास समय पर न करने का पर्याप्त कारण है।

विनियम-32 (डी)

अपील की फार्म और विषय वस्तु :—

(1) अपील करने वाला हर व्यक्ति अलग से एवं अपने नाम से ऐसा करेगा।

(2) अपील उसी प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी, जिसके यहां अपील की जानी है। अपीलकर्त्ता द्वारा एक प्रति उस प्राधिकारी को भेजी जाएगी, जिसने अपील के विरुद्ध आदेश किए हैं। इसमें वे सभी मुख्य बयान और तर्क निहित होंगे, जिनपर अपीलकर्त्ता विश्वास करता है। इसमें कोई अपमान सूचक भाषा अथवा अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए तथा वह अपने में पूर्ण होनी चाहिए ।

(3) वह प्राधिकारी जिसने आदेश किए हैं, जिसके विरुद्ध अपील की जाएगी अपील की प्रति प्राप्त होने पर उस पर अपनी टिप्पणी लिखकर सम्बन्धित रिकार्ड सहित बिना किसी विलम्ब के अपील प्राधिकारी से किसी निदेश की प्रतीक्षा किए बिना उसे अपील प्राधिकारी के पास भेजेगा।

विनियम 32 (ई)

अपील पर विचार करना :—

(1) यदि अपील, निलम्बन-आदेश के विरुद्ध की गई है, तो अपील प्राधिकारी यह विचार करेगा कि क्या विनियम 20 के प्रावधानों के संदर्भ

में और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निलम्बन के आदेश औचित्यपूर्ण हैं अथवा नहीं और तदनुसार वह उसकी पुष्टि करेगा अथवा उसे रद्द कर देगा।

(2) विनियम 23 में विनिर्दिष्ट किसी भी दंड को लगाने अथवा उक्त विनियम के अन्तर्गत लगाए गए किसी भी दंड के बढ़ाने के आदेश के विरुद्ध किसी अपील के मामले में अपील प्राधिकारी निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करेगा :—

(क) क्या इन विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है और यदि नहीं तो क्या अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं हुआ है अथवा न्याय नहीं हुआ है।

(ख) क्या अनुशासनिक प्राधिकारी का निष्कर्ष रिकार्ड के साक्ष्य के आधार पर उचित है; और

(ग) क्या लगाया गया दंड अथवा बढ़ाया गया दंड पर्याप्त है अथवा अपर्याप्त अथवा कठोर और आदेश पारित कर दें।

जिसमें (1) दण्ड की पुष्टि कर दी जाए, उसे बढ़ा दिया जाए, उसे कम कर दिया जाए अथवा उसको समाप्त कर दिया जाए।

(2) उस प्राधिकारी को मामला भेजा जाए, जिसने दंड लगाया है अथवा दंड बढ़ाया है अथवा मामले की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे निदेश के साथ जो वे ठीक समझें, मामले को किसी अन्य प्राधिकारी को भेजा जाए।

बशर्ते कि :—

(1) यदि ऐसा बढ़ाया गया दंड, जिसे अपील प्राधिकारी लगाना चाहता है, विनियम 23 के खण्ड (एफ) से (जे) में निर्धारित दंडों में से है और विनियम 25 के अन्तर्गत मामले में जांच नहीं की गई है, तो अपील प्राधिकारी, विनियम 30 के प्रावधानों के अधीन स्वयं जांच कर सकता है अथवा निदेश दे सकता है कि ऐसी जांच विनियम 25 के प्रावधानों के अनुसार की जाए और उसके बाद ऐसी जांच की कार्यवाही पर विचार करते हुए, जैसा वे उचित समझें, आदेश कर सकते हैं।

(2) यदि बढ़ाया गया दंड, जिसे अपील प्राधिकारी लगाना प्रस्तावित करता है और यह दंड विनियम 23 की धारा (एफ) से (जे) में निर्धारित दंडों, में से एक है और विनियम 25 के अन्तर्गत मामले की जांच की जा चुकी है, तो अपील प्राधिकारी, प्रस्तावित दंड के विरुद्ध अपीलकर्त्ता को अभ्यावेदन देने का उचित अवसर दे दिए जाने के बाद आदेश जारी करेंगे, जो वे उचित समझें।

(3) बढ़ा हुआ दंड लगाने का कोई भी आदेश किसी अन्य मामले में तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि अपीलकर्त्ता को, जहां तक सम्भव हो, विनियम 27 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे बढ़े हुए दंड के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उचित अवसर न दे दिया जाए।

3. विनियम 32 (ए) में निर्दिष्ट किसी अन्य आदेश के विरुद्ध अपील पर अपील प्राधिकारी मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करेंगे और जैसा वे उचित एवं उपयुक्त समझें, आदेश जारी करेंगे।

विनियम 32 (एफ)

अपील के आदेश लागू करना

जिस प्राधिकारी ने अपील के विरुद्ध आदेश किए हैं, वे अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेशों को लागू करेंगे।

विनियम 32 (जी)

संशोधन

1. इन नियमों में निहित किसी बात के होने के बावजूद

(1) प्राधिकरण

(2) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

अथवा

(3) अपील प्राधिकारी संशोधित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश की तिथि 6 माह के अन्दर अथवा प्राधिकरण द्वारा

(4) किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी और उतनी समयावधि के अन्दर जो उस सामान्य अथवा विशेष आदेश में निर्धारित की जाए, किसी भी समय या तो अपने प्रस्ताव से अथवा अन्यथा किसी जांच के रिकार्ड को मंगवा सकते हैं और इन विनियमों के अन्तर्गत किसी किए गए आदेश में संशोधन कर सकते हैं और वे :—

(क) आदेश की पुष्टि, उसमें संशोधन अथवा उसे रद्द कर सकते हैं, अथवा

(ख) आदेश द्वारा लगाए गए दंड की पुष्टि, उसे कम या बढ़ा सकते हैं अथवा रद्द कर सकते हैं अथवा जहां कोई दण्ड नहीं लगाया गया हो, वहां पर कोई भी दंड लगा सकते हैं अथवा

(ग) आदेश निकालने वाले प्राधिकारी को मामला भेज सकते हैं अथवा मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जैसा वे उचित समझें, किसी अन्य प्राधिकारी को निदेश देकर आगे जांच करा सकते हैं, अथवा

(घ) जैसा वे उचित समझें, अन्य आदेश पारित कर सकते हैं।

बशर्ते कि किसी संशोधन प्राधिकारी द्वारा किसी दंड को लगाने अथवा दंड बढ़ाने का कोई आदेश तब तक नहीं निकाला जाएगा, जब तक कि संबंधित कर्मचारी को प्रस्तावित दंड के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है और जहां पर विनियम 23 के खण्ड (एफ) से (जे) तक में निर्धारित किए गए किसी भी दंड को लगाने अथवा उन आदेशों द्वारा लगाए गए दंड को बढ़ाने का प्रस्ताव है जिन्हें इन खण्डों में निर्दिष्ट किसी भी दंड के लिए संशोधित किया जाना हो और यदि विनियम 25 के अन्तर्गत इस मामले में कोई जांच नहीं की गई है तो विनियम 30 के प्रावधानों के अधीन विनियम 25 में यथा निर्धारित तरीके से जांच कराने से पहले ऐसा कोई भी दंड नहीं लगाया जाएगा।

लेकिन इसके साथ शर्त है कि विभागाध्यक्ष द्वारा संशोधन की शक्ति का इस्तेमाल तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि—

(1) अपील में आदेश करने वाले प्राधिकारी, अथवा

(2) वे प्राधिकारी, जिनको अपील की जानी है, जहां पर कोई अपील नहीं की गई है, उस प्राधिकारी का अधीनस्थ प्राधिकारी है।

2. संशोधन हेतु कोई भी कार्यवाही तब तक आरंभ नहीं की जाएगी, जब तक

(1) अपील के लिए सीमा की अवधि समाप्त न हो गयी हो, अथवा

(2) जहां पर अपील कर दी गई है, वहां पर अपील का निपटान न हो गया हो।

3. संशोधन हेतु किसी आवेदन पर उसी प्रकार से विचार किया जाएगा, मानो कि यह इन नियमों के अन्तर्गत एक अपील ही हो।

विनियम—33

पुनरीक्षण

प्राधिकारी, किसी भी समय या तो अपने स्वयं के विवेक से अथवा किसी अन्य प्रकार से, इन नियमों के अन्तर्गत पारित किए गए किसी भी आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है, यदि कोई नई विषय—सामग्री अथवा साक्ष्य जो प्रस्तुत नहीं किया जा सका अथवा पुनरीक्षण के अन्तर्गत आदेश पारित करते समय यह उपलब्ध नहीं था और जो मामले की प्रकृति को परिवर्तित करने में प्रभाव डाल सकता है, वह उनकी जानकारी में आ गया है अथवा जानकारी में लाया गया है।

बशर्ते कि प्राधिकारी द्वारा कोई भी दंड लगाने अथवा बढ़ाने का कोई आदेश तब तक नहीं निकाला जाएगा, जब तक कि सम्बन्धित कर्मचारी को प्रस्तावित दंड के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर प्रदान न कर दिया जाए अथवा जहां पर विनियम 23 में निर्धारित किसी भी भारी दंड को लगाने अथवा लगाए गए मामूली दंड को भारी दंड में बढ़ाने के लिए उसके आदेश पर पुन: विचार करने का प्रस्ताव हो और यदि इस मामले में विनियम 25 के अन्तर्गत कोई जांच नहीं की गई है, तो ऐसा कोई भी दंड तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक विनियम 25 में निर्धारित तरीके से विनियम 30 के अधीन जांच नहीं कर ली जाएगी।

विनियम 34

आदेश नोटिस आदि जारी करना

इन नियमों के अन्तर्गत किया गया अथवा जारी किया गया प्रत्येक आदेश, नोटिस और अन्य कोई कार्यवाही सम्बन्धित कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप में दिए जाएंगे अथवा उनके अन्तिम ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक से उन्हें भेजे जाएंगे।

विनियम 35

समय—सीमा को बढ़ाने ओर विलम्ब को माफ करने की शक्ति

इन नियमों में जब तक विशेष रूप से व्यवस्था न हो, इन नियमों के अंतर्गत किसी आदेश को देने जिसके लिए उचित एवं पर्याप्त कारण हों अथवा पर्याप्त कारण दर्शाया गया हो तो सक्षम प्राधिकारी इन नियमों के अंतर्गत किए जाने वाले किसी कार्य के लिए इन नियमो में निर्दिष्ट समयावधि को बढ़ा सकते हैं अथवा किसी देरी के लिए छूट दे सकते हैं।

विनियम—36

बचाव खण्ड

1. इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति, जिस पर यह विनियम लागू होते हैं, को नियमों, इन विनियमों द्वारा जिसका अतिक्रमण किया गया हो, के अंतर्गत मिले अपील करने के अधिकार से वंचित करता हो।

2. इन विनियमों के आरम्भ होने से पूर्व किए गए किसी आदेश के विरुद्ध इन विनियमों के लागू होने के समय लंबित अपील पर विचार किया जाएगा और इन विनियमों के अनुसार उस पर आदेश दिए जाएंगे।

3. इन विनियमों के लागू होने के समय लंबित कार्रवाई को इन विनियमों के उपबधों के अनुसार, जहां तक हो, चालू रखा जाएगा और निपटाया जाएगा बशर्ते कि ऐसी कार्रवाई इन विनियमों के अंतर्गत की जा रही हो।

4. इन विनियमों के जारी होने से पूर्व किया गया कोई ऐसा दुराचार आदि, जो इनसे पूर्व विनियमों के अंतर्गत दुराचार था, को इन विनियमों के अंतर्गत दुराचार माना जाएगा।

विनियम—37

संदेश दूर करना

जहां इन विनियमों में से किसी नियम का निर्वचन करने से कोई संदेह पैदा होता हो तो अंतिम निर्णय के लिए मामला सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा।

विनियम—38

संशोधन

सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर इन नियमों में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन कर सकता है और ऐसे सभी संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन इनमें दी गई तिथि से प्रभावी होगें।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (आचरण विनियम) के अन्तर्गत प्रत्यायोजन

क्र. सं.	विनियम की संख्या	रिपोर्ट/अनुज्ञप्त किए जाने वाले मामले	समूह ''क''	समूह ''ख''	समूह ''ग''	समूह ''घ''
1.	6(2)	किसी ऐसी कंपनी अथवा फर्म जिसके साथ कर्मचारी का कार्यालयी लेन-देन है अथवा जिसके साथ दि.वि.प्रा. का कार्यालयी लेन-देन है, में उसके पुत्र अथवा पुत्री अथवा अन्य आश्रित को रोजगार	सदस्य प्राधिकरण, प्रधान आयुक्त, मुख्य सतर्कता अधिकारी के संबंध में उपाध्यक्ष 2. मुख्य वास्तुकार, मुख्य अभियंता (सिविल), मुख्य अभियंता (विद्युत), आयुक्त (योजना), आयुक्त सचिव, निदेशक (जनसंपर्क), निदेशक (एल.सी), निदेशक (एल.एस.ए.), सी.एल.ए. के संबंध में सदस्य प्राधिकरण 3. समूह ''क'' के शेष अधिकारी-प्रधान आयुक्त।	आयुक्त (कार्मिक)	निदेशक (कार्मिक)	निदेशक (कार्मिक)
2.	6(3)	किसी ऐसी कंपनी/फर्म को ठेके की स्वीकृति देना जिसमें परिवार का सदस्य कार्य कर रहा है अथवा ठेके में हित रखता है।	—वही—	आयुक्त (कार्मिक)	निदेशक (कार्मिक)	निदेशक (कार्मिक)
3.	8(1) एवं 8(2)	समाचार पत्र अथवा अन्य आवधिक प्रकाशन अथवा इलैक्ट्रोनिक मीडिया और सम्पादन इत्यादि में भाग लेना	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—
4.	10(1)	किसी व्यक्ति/समिति अथवा प्राधिकरण द्वारा की गई जांच के समक्ष साक्ष्य।	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—
5.	5(15)	निधियों का अंशदान/संग्रहण	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—
6.	नियम 12 के नीचे टिप्पणी-2	विवाह इत्यादि के अवसर पर उपहार स्वीकार करना।	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—
7.	नियम 12 के नीचे टिप्पणी-4	अन्य मामलों में उपहार स्वीकार करना।	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—
8.	13(1) एवं 13(2)	निजी व्यापार अथवा रोजगार इत्यादि।	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—
9.	13(3)	धर्मार्थ सोसाइटी इत्यादि अथवा सहकारी समिति के पंजीकरण संवर्द्धन अथवा प्रबंध में भाग लेना जो पर्याप्त रूप में सरकारी कर्मचारी के लाभ के लिए हो।	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—
10.	15(3)	किसी प्राइवेट अथवा प्राइवेट निकाय अथवा अन्य प्राइवेट व्यक्ति के लिए किसी अन्य कार्य के लिए फीस लेना।	—वही—	—वही—	—वही—	फीस की मात्रा वित्त एवं लेखा से परामर्श के बाद तय की जाएगी।
11.	नियम-14	उधार देना और लेना	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—
12.	15(2)	सरकारी कर्मचारी से ऋण की वसूली अथवा उसको दिवालिया करार करने के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के पूरे तथ्य।	1. अधिकतम वेतनमान अथवा वेतन का पद जो 22400/- रु. से कम न हो—अध्यक्ष 2. अधिकतम वेतनमान अथवा वेतन का पद जो 13500/- रु. से कम न हो परन्तु 22400/- रु. से कम हो—उपाध्यक्ष।	कोई भी पूर्णकालिक सदस्य, प्रधान आयुक्त	आयुक्त (कार्मिक)	निदेशक (कार्मिक) (सेवा से हटाने अथवा बरखास्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी)

क्र. सं.	विनियम की संख्या	रिपोर्ट/अनुज्ञप्त किए जाने वाले मामले	समूह ''क''	समूह ''ख''	समूह ''ग''	समूह ''घ''
13.	16(1) एवं (2)	कर्मचारी के नाम अथवा उसके परिवार के नाम में अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण अथवा निपटान।	सदस्य प्राधिकरण, प्रधान आयुक्त, मुख्य सतर्कता अधिकारी के संबंध में उपाध्यक्ष। 2. आयुक्त, सचिव, निदेशक (जन-सम्पर्क), निदेशक (भूमि लागत), निदेशक (एल.एस.ए.), मुख्य विधि सलाहकार के संबंध में मुख्य वास्तुकार, मुख्य अभियंता (सिविल), मुख्य अभियंता (विद्युत), आयुक्त (योजना), सदस्य प्राधिकरण।	आयुक्त (कार्मिक)	निदेशक (कार्मिक)	निदेशक (कार्मिक)
14.	16(3)	समूह ''क'' और ''ख'' कर्मचारियों के लिए 15,000/- रु. से अधिक और समूह ''ग'' और ''घ'' कर्मचारियों के लिए 10,000/- रु. से अधिक चल संपत्ति का लेन-देन।				

अनुशासनात्मक प्राधिकारियों की अनुसूची
दिल्ली विकास प्राधिकरण (आचरण, अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1998 का विनियम 3(घ)

क्र. सं.	सेवा अथवा पद का नाम	नियुक्तकर्ता प्राधिकारी	कर्मचारी पर दण्ड लगाने और उसे निलम्बित करने की शक्ति रखने वाले प्राधिकारी	दण्ड	अपील प्राधिकारी
समूह ''क''					
1.	भारत सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को छोड़कर उस वेतनमान अथवा वेतन वाले पद जो अधिकतम 22,400/-रु. के समकक्ष अथवा अधिक है।	अध्यक्ष	अध्यक्ष	सभी दण्ड	शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय
2.	भारत सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को छोड़कर उस वेतनमान अथवा वेतन वाले पद जो अधिकतम 22,400/-रु. से कम हो परन्तु 13,500/-रु. से कम न हो।	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सभी दण्ड	अध्यक्ष
समूह ''ख''					
3.	ऐसा वेतन अथवा वेतनमान वाला पद जो अधिकतम 9,000/-रु. से कम न हो परन्तु 13,500/-रु. से कम हो।	कोई भी पूर्ण-कालिक सदस्य	1. कोई भी पूर्णकालिक सदस्य 2. आयुक्त (कार्मिक)	सभी दण्ड मामूली दण्ड	उपाध्यक्ष दि.वि.प्रा. का कोई भी पूर्णकालिक सदस्य, प्रधान आयुक्त।
समूह ''ग''					
4.	ऐसा वेतन अथवा वेतनमान वाला पद जो अधिकतम 4,000/-रु. से अधिक हो परन्तु 9,000/-रु. से कम हो।	आयुक्त (कार्मिक)	1. आयुक्त (कार्मिक) 2. निदेशक (कार्मिक)	सभी दण्ड मामूली दण्ड	दि.वि.प्रा. का कोई भी पूर्णकालिक सदस्य, प्रधान आयुक्त। आयुक्त (कार्मिक)
समूह ''घ''					
5.	ऐसा वेतन अथवा वेतनमान वाला पद जिसका अधिकतम 4,000/-रु. अथवा कम हो।	निदेशक (कार्मिक)	1. निदेशक (कार्मिक) 2. संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/ उपनिदेशक (कार्मिक)	सभी दण्ड मामूली दण्ड	आयुक्त (कार्मिक) निदेशक (कार्मिक)

टिप्पणी :— (क) इस विनियम के उद्देश्य के लिए ''वेतन'' का अर्थ एफआर 9(21)(क)(1), में दिया गया अर्थ है।

(ख) पद के वेतन अथवा वेतनमान का अभिप्राय उस वेतन अथवा वेतनमान से है, जो प्राधिकरण में निर्धारित किया है। बशर्ते कि विद्यमान संवर्ग में 1-1-1986 के पश्चात् विशिष्ट रूप से जोड़े गए सृजित पदों का वर्गीकरण वही होगा जो उस संवर्ग के पदों का होगा, जहां से वे संबंधित हैं।

(ग) सामान्य वेतन संशोधन होने पर जब भी वेतनमान संशोधित होंगे, पदों के वेतनमान के साथ-साथ वर्गीकरण भी उसी के अनुसार रहेगा।

मानक फार्म

मानक फार्म के प्रयोग के लिए दिशानिर्देश

आदेश उस प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिएं, जिन्होंने आदेश दिए हैं।

फार्म का प्रयोग यंत्रवत रूप से नहीं किया जाना चाहिएं। जहां आवश्यक हो, किसी विशेष मामले की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक उपयुक्त संशोधन किए जाने चाहिए। (डी. पी. एण्ड ए. आर. ओ. एम./एन.ओ. 109/3/80-ए.वी.डी.-1, दिनांक 21 जुलाई, 1980)।

मानक प्रारूप

1. कर्मचारी को निलम्बित करने के आदेश।
2. मानित निलम्बन के आदेश।
3. निर्वाह भत्ते के भुगतान के लिए निलम्बित अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र।
4. निलम्बन रद्द करना।
5. मामूली दण्डात्मक कार्रवाई हेतु आरोपों की सूचना।
6. भारी दण्डात्मक कार्रवाई हेतु आरोप पत्र।
7. जांच प्राधिकारी की नियुक्ति।
8. प्रस्तुत कर्त्ता (प्रेजेंटिंग) अधिकारी की नियुक्ति।
9. जांच करने वाले प्राधिकारी को बदलना।
10. सामूहिक कार्यवाही शुरू करने के आदेश।
11. सामूहिक कार्यवाही में जांच प्राधिकारी की नियुक्ति।
12. सामूहिक कार्यवाही में प्रस्तुत कर्त्ता (प्रेजेंटिंग) अधिकारी की नियुक्ति।
13. जांच रिपोर्ट के संबंध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए आरोपित अधिकारी को अवसर देने हेतु नोटिस।
14. न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किये जाने के परिणाम स्वरूप कार्रवाई करने हेतु कारण बताओ नोटिस।
15. समय वेतनमान में निम्न स्तर पर पदावनत करने का दण्ड लगाने वाले आदेश के कार्यकारी भाग का मानक प्रारूप।
16. पद/ग्रेड/समय-वेतनमान/सेवा में पदावनति का दण्ड लगाने वाले आदेश के कार्यकारी भाग का मानक प्रारूप।
17. अपराधिक आरोप के मामले में दोषी सिद्ध किये जाने के परिणाम स्वरूप दण्ड लगाने हेतु मानक प्रारूप।
18. अपील करने पर अपराधिक मामले में कर्मचारी के दोष मुक्त हो जाने पर दण्ड के आदेश रद्द करने हेतु मानक प्रारूप।
19. ऐसे मामले में आगे की जांच करने के आदेश जिसमें तकनीकी आधार पर दोष रद्द कर दिया गया हो।
20. जिस मामले में जांच करना पर्याप्त रूप से व्यवहार्य नहीं था तथा जिसमें जांच छोड़ दी गई, उस मामले में अंतिम आदेश।

मानक प्रारूप

(1)

निलम्बन आदेश का मानक प्रारूप

जबकि श्री.....
(नाम एवं पदनाम) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित है।

जबकि श्री.....
(नाम एवं पदनाम) के विरुद्ध दण्डनीय अपराध के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही छानबीन/जांच/परीक्षण के अधीन है।

अब इसलिए.....(निलम्बित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी)(उस नियमावली जिसके अन्तर्गत निलम्बन का आदेश दिया गया है) के नियम.....के उपनियम..... द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा उक्त श्री.....को उस तिथि से तत्काल निलम्बनाधीन करते हैं, जिस तिथि को उन्हें यह आदेश भेजा गया है।

यह भी आदेश दिया जाता है कि उस अवधि के दौरान ये आदेश लागू रहेंगे। श्री..... का मुख्यालय.....(स्थान का नाम) होगा और उक्त श्री.....अधोहस्ताक्षरी की अनुमति प्राप्त किये बिना उक्त मुख्यालय छोड़कर नहीं जाएंगे।

हस्ताक्षर.....

निलम्बन प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम

सं..... दिनांक.....

प्रतिलिपि श्री.....(नाम एवं पदनाम) को प्रेषित। उनके निलम्बन की अवधि के दौरान उन्हें स्वीकार्य निर्वाह भत्ते के संबंध में आदेश अलग से जारी किये जाएंगे।

(प्रतियां वेतन एवं लेखा अधिकारी, जो उनके वेतन के आहरण के लिए प्राधिकृत हैं, विभाग के रोकड़ एवं लेखा अनुभाग, सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि करने के लिए संस्थापना अनुभाग, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि आदेश किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किये गए हों, और प्रदाता प्राधिकारी) लिए गए अधिकारी के मामले में) को प्रेषित की जानी चाहिए। निलम्बन के कारणों की सूचना नियुक्त प्राधिकारी और प्रदाता प्राधिकारी को गोपनीय पत्र के माध्यम से पृथक रूप से भेजी जानी चाहिए।

कर्मचारी के हिरासत में होने के मामले में निलंबित समझे जाने के आदेश हेतु मानक कार्य

जबकि श्री.....(कर्मचारी का नाम एवं पदनाम) के विरूद्ध अपराधिक मामले के अंतर्गत जांच पड़ताल/पूछताछ/जांच की जा रही है।

और जब कि उक्त

श्री.....दिनांक.....को 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए पुलिस हिरासत में थे।

अत: अब, उक्त श्री.....को नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा नियम.....के उप-नियम.....के अनुसार (नियम जिसके अर्न्तगत निलंबन माना जाना प्रभावी हुआ) दिनांक.....से अग्रिम आदेश होने तक निलंबित समझा गया है।

हस्ताक्षर.....

नियोक्ता प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम।

निर्वाह भत्ता के भुगतान हेतु निलंबित अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र

मैं.....(निलम्बित कर्मचारी का नाम एवं पदनाम), जिसे आदेश संख्या.....दिनांक.....के, अनुसार निलंबित किया गया था.....पद पर होते हुए एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने दिनांक.....से.....तक की अवधि के दौरान लाभ/पारीश्रमिक/वेतन के लिए कोई कारोबार/ व्यवसाय अथवा रोजगार का कोई कार्य नहीं किया है।

हस्ताक्षर.....

निलम्बित कर्मचारी का नाम एवं पता

निलंबन आदेश को रद्द करने हेतु मानक फार्म ।

जबकि श्री.....(नाम एवं पदनाम) को.....द्वारा दिनांक.....को एक आदेश द्वारा निलंबित किया गया/निलंबित समझा गया।

अत:, अब, अध्यक्ष/अधोहस्ताक्षरीत, एतद्द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए.....नियम (यहां संबंधित नियम का उल्लेख करें) द्वारा निलंबन के उक्त आदेश को तत्काल रद्द करते हैं।

हस्ताक्षर.....

नियोक्ता प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम

जो निलंबन आदेश रद्द करने हेतु सक्षम है।

सं..... दिनांक.....

प्रतिलिपि :

श्री.....(निलंबित अधिकारी का नाम पदनाम एवं पता)

वेतन एवं लेखा अधिकारी, विभाग के रोकड़ एवं लेखा अनुभाग, सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि हेतु संस्थापना अनुभाग, नियोक्ता प्राधिकारी, यदि आदेश किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दिए गए हों तो और अन्य विभाग से लिए गए अधिकारी के मामले में भेजने वाले प्राधिकारी को भी प्रतियां अग्रेषित की जानी चाहिएं।

हल्का जुर्माना कार्रवाई हेतु आरोपों को सूचित करना

ज्ञापन

.....कार्यालय में कार्यरत श्री .....(नाम एवं पदनाम) को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दि.वि.प्रा. आचरण एवं प्रशासनिक अनुशासनात्मक नियम 1998 के नियम.....के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव है। दुर्व्यवहार अथवा दुराचार के आरोपित बयान जिसके आधार पर उपर्युक्त प्रस्तावित कार्रवाई की जानी है, संलग्न हैं।

2. श्री .....को एतद्द्वारा एक अवसर दिया जाता है कि उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध वे चाहें तो अभ्यावेदन दे सकते हैं।

3. यदि श्री .....इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से 10 दिन के अन्दर अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करते हैं तो ऐसा मान लिया जायेगा कि उन्हें इस संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं देना है और उनके विरुद्ध एक तरफा आदेश पारित किए जायेंगे।

4. इस ज्ञापन की पावती श्री. .....द्वारा भेजी जानी चाहिए।

हस्ताक्षर

सक्षम अनुशासनिक अधिकारी
का नाम एवं पदनाम

सेवा में,

श्री .....

.....

.....

[एम.एच.ए.ओ.एम. सं. 234/18/65-ए.वी.डी. (2), दिनांक 5 मार्च, 1996]

भारी जुर्माना कार्रवाई हेतु आरोप-पत्र

ज्ञापन

अध्यक्ष/अधोहस्ताक्षरी ने दि.वि.प्रा.केआचरण,अनुशासनिक एवं अपील नियम, 1999 के अन्तर्गत श्री..... के विरुद्ध जांच करवाने का प्रस्ताव रखा है। दुर्व्यवहार और दुराचार के आरोपों का सार जिसके बारे में जांच की जानी है, संलग्न आरोपों के विवरण में दिया गया है। दुर्व्यवहार अथवा दुराचार के आरोप के बयान के पक्ष में प्रत्येक आरोप की मद संलग्न है। (अनुबंध-2) दस्तावेजों की सूची और गवाहों की सूची भी जिनके द्वारा आरोप वैद्य ठहराए जाने प्रस्तावित हैं, संलग्न हैं (अनुबंध-3 एवं 4)।

2. श्री .....को निदेश दिया जाता है कि ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से 10 दिन के अन्दर अपने बचाव में लिखित रूप से अपना बयान प्रस्तुत करें और वे भी बताएं कि क्या वे चाहते हैं कि उनकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से की जाए।

3. उन्हें सूचित किया जाता है कि जिस आरोप की मद को वे स्वीकार नहीं करते हैं, केवल उन्हीं के संबंध में जांच जायेगी। अत: उन्हें आरोप की प्रत्येक मद को विशेष रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिए।

4. श्री .....को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वे ऊपर पैरा-2 में निर्दिष्ट तिथि का अथवा उससे पहले अपने बचाव में लिखित रूप से बयान प्रस्तुत नहीं करते, अथवा जांच प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते, अथवा दि.वि.प्रा. (आचरण, अनुशासन एवं अपील) के उपबंधों अथवा उक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेशों अथवा निदेशों का पालन नहीं करते अथवा पालन करने के लिए मना करते हैं, तो जांच प्राधिकारी उनके विरुद्ध एकतरफा जांच निर्णय दे सकते हैं।

5. श्री .....का ध्यान (नियम .....) की ओर दिलाया जाता है, जिसके अन्तर्गत कोई भी कर्मचारी प्राधिकरण के अंतर्गत अपनी सेवा से संबंधित किसी भी मामले में अपने हित में किसी वाह्य वारिष्ठ प्राधिकारी की सिफारिश अथवा किसी राजनीतिक सिफारिश लाने अथवा लाने की चेष्टा नहीं करेगा। यदि इन कार्यवाहियों से संबंधित किसी मामले को निपटाते समय किसी अन्य व्यक्ति से उनकी ओर से कोई प्रतिवेदन किया जाता है तो ऐसा मान लिया जायेगा कि श्री .....नियम का उल्लंघन करने हेतु उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

6. इस ज्ञापन की पावती भेजी जाए।

हस्ताक्षर.....

अनुशासनात्मक प्राधिकारी
का नाम एवं पदनाम

(यहां संबंधित नियम लिखें)

सेवा में,

श्री .....

.....

.....

अनुबंध-I

श्री ..... के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का विवरण ।

आरोप-I

कि उक्त श्री .....के रूप में ..... अवधि के दौरान कार्य करते समय ।

आरोप-II

कि उक्त श्री .....उक्त अवधि के दौरान और कार्यालय में कार्य करते समय ।

अनुबंध-III

श्री ..... के विरुद्ध लगाये गए आरोपों की मद के समर्थन में दुराचरण अथवा दुर्व्यवहार के आरापों का विवरण ।

आरोप-I

आरोप-II

अनुबन्ध-III

उन आरोपों की सूची, जिनके द्वारा श्री ..... के विरुद्ध लगाये गए आरोपों की पुष्टि करने का प्रस्ताव है ।

अनुबंध-IV

उन गवाहों की सूची, जिनके द्वारा श्री ..... के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने का प्रस्ताव है ।

[एम. एच. ए. ओ. एम. सं. 234/18/65-ए.वी.डी. (II), दिनांक 5 मार्च, 1966].

जांच प्राधिकारी की नियुक्ति

आदेश

जबकि आचरण एवं अनुशासनात्मक एवं अपील के नियम ..... के अन्तर्गत श्री ..... (आरोपित कर्मचारी का नाम और पदनाम) के विरुद्ध जांच की जा रही है ।

और जबकि अध्यक्ष/अद्योहस्ताक्षरी का विचार है कि उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच हेतु एक जांच बोर्ड/जांच अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए ।

अत:, अब अध्यक्ष/अद्योहस्ताक्षरी* (.....) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा एक जांच बोर्ड का गठन करते हैं, जिसमें श्री ..... शामिल होंगे (नाम एवं पदनाम) को जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं, जो श्री ..... के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करेंगे ।

*(.....) यहां संबंधित नियम बताएं ।

हस्ताक्षर .....

(अनुशासनात्मक प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम)

प्रतिलिपि :—

1. श्री ..... (आरोपित कर्मचारी का नाम एवं पदनाम)
2. श्री ..... (जांच अधिकारी का नाम एवं पदनाम)
3. श्री ..... (प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, यदि कोई नियुक्त किया गया हो।)
4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (जहां कहीं भी लागू होता हो ।)
5. बाहर से नियुक्त अधिकारी के मामले में उन्हें भेजने वाले को ।

8. प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी की नियुक्ति

आदेश

जबकि दि.वि.प्रा. आचरण, अनुशासनात्मक एवं अपील नियम के (16) के अन्तर्गत श्री ..... (आरोपित कर्मचारी का नाम एवं पदनाम) के विरुद्ध जांच की जा रही है ।

और जबकि अध्यक्ष/अद्योहस्ताक्षरी का विचार है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध आरोपों की मद के समर्थन में जांच प्राधिकारी के समक्ष मामले को प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी की नियुक्ति करना आवश्यक है ।

अत:, अब, अध्यक्ष/अद्योहस्ताक्षरी उक्त नियम (.....) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उक्त अधिकारी के विरुद्ध आरोपों की मद को समर्थन में जांच प्राधिकारी के समक्ष मामले को प्रस्तुत करने हेतु श्री ..... (नाम एवं पदनाम) को प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

(.....) यहां संबंधित नियम बताएं

हस्ताक्षर .....

(अनुशासनात्मक प्राधिकारी का नाम)

प्रतिलिपि :—

1. श्री ..... (आरोपित कर्मचारी का नाम एवं पदनाम)
2. श्री ..... (जांच अधिकारी का नाम एवं पदनाम)
3. श्री ..... (प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम)
4. सी.वी.सी./सी.बी.आई. (जहां कहीं भी लागू होता हो ।)

9. जांच प्राधिकारी को बदलने हेतु मानक फार्म

आदेश

जबकि श्री ..... (आरोपित कर्मचारी का नाम एवं पदनाम) के विरुद्ध दि.वि.प्रा. (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियम 1998 के नियम ..... के अन्तर्गत जांच की जा रही है ।

जबकि श्री ..... के विरुद्ध आदेश सं. ..... दिनांक ..... के अनुसार आरोपों की मदों की जांच करने हेतु श्री ..... (जांच प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम) को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था ।

और जबकि श्री ..... (पूर्व जांच अधिकारी का नाम) सुनवाई के पश्चात् और साक्ष्य का कुछ भाग रिकार्ड करने के बाद ..... कारण से उनके अधिकरण क्षेत्र का प्रयोग बन्द हो गया, और इसलिए श्री ..... के विरुद्ध आरोपों की जांच करने हेतु अन्य अधिकारी को जांच प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करना आवश्यक है ।

अतः, अब, अध्यक्ष/अद्योहस्ताक्षरी ..... (नियम का उल्लेख किया जाए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री ..... (आरोपित कर्मचारी का नाम एवं पदनाम) के आरोपों की जांच करने के लिए (पूर्व जांच अधिकारी का नाम) के स्थान पर श्री ..... (नए जांच अधिकारी का नाम एवं पदनाम) को जांच प्राधिकारी नियुक्त करते हैं ।

हस्ताक्षर .....

अनुशासनात्मक प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम ।

प्रतिलिपि :—

1. श्री ..... (आरोपित कर्मचारी का नाम एवं पदनाम)
2. श्री ..... (जांच अधिकारी का नाम एवं पदनाम)
3. श्री ..... (पूर्व जांच अधिकारी का नाम एवं पदनाम)
4. श्री ..... (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम यदि कोई नियुक्त किया गया हो ।)
5. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (जहां-कहीं भी लागू हो ।)
6. बाहर से नियुक्त अधिकारी, के मामले में भेजने वाले अधिकारी को।

10. सामूहिक कार्यवाही शुरू करने के आदेश

आदेश

जबकि नीचे निर्दिष्ट अधिकारी अनुशासनात्मक मामले में संयुक्त रूप से संबद्ध हैं।

अब इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियामावली, 1999 के नियम* ..... द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष/अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा निदेश देते हैं—

(i) कि सभी उक्त अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई सामूहिक कार्यवाही में की जाए।

(ii) कि श्री ..... (नाम एवं पदनाम) सामूहिक कार्यवाही के उद्देश्य के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और वे दंड अर्थात् ..... (दंड ..... निर्दिष्ट किये जाएं) लगाने के लिये सक्षम होंगे ।

(iii) कि उक्त कार्यवाही में ..... में निर्धारित कार्यविधि का पालन किया जाएगा ।

हस्ताक्षर .....

सक्षम प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम

*(यहां संगत नियम का उल्लेख करें)

प्रतिलिपि सभी संबंधित अधिकारियों को प्रेषित ।

सामूहिक कार्यवाही के लिए जांच प्राधिकारी की नियुक्ति

आदेश

जबकि नीचे निर्दिष्ट अधिकारी के विरुद्ध दिल्ली विकास प्राधिकरण (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अंतर्गत जांच की जा रही है :—

और जबकि उक्त अधिकारियों के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही करने के आदेश दिये गए हैं ।

और जबकि अध्यक्ष/अधोहस्ताक्षरी का विचार है कि उक्त अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिए जांच समिति/जांच अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

अब इसलिए अध्यक्ष/अधोहस्ताक्षरी उप नियम ..... द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिए जांच प्राधिकारी के रूप में जांच समिति की नियुक्ति करते हैं, जिसमें ..... श्री ..... (नाम एवं पदनाम) सम्मिलित हैं ।

हस्ताक्षर .....

सक्षम प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम

*(.....) यहां संगत नियम का उल्लेख करें

प्रतिलिपि प्रेषित :—

1. श्री ..... (आरोपित कर्मचारी का नाम एवं पदनाम)
2. श्री ..... (जांच अधिकारी का नाम एवं पदनाम)
3. श्री ..... (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम)

   यदि कोई नियुक्त किया गया हो ।
4. मुख्य सतर्कता आयोग (जहां-कहीं भी लागू होता हो ।)
5. बाहर से बुलाए गए अधिकारी के मामले में भेजने वाले प्राधिकारी को।

सामूहिक कार्यवाही के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति

आदेश

जबकि नीचे निर्दिष्ट अधिकारियों के विरुद्ध आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1998 के अंतर्गत जांच की जा रही है :—

———————— ———————— ————————

और जबकि उक्त अधिकारियों के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही करने के आदेश दिये गए हैं।

और जबकि अध्यक्ष/अधोहस्ताक्षरी का विचार है कि यदि आवश्यक हो तो उक्त अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के समर्थन में मामले को जांच प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की जाए।

अब इसलिए अध्यक्ष/अधोहस्ताक्षरी (नियम ————————) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के समर्थन में मामले को जांच प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में ———————— श्री ———————————————— (नाम एवं पदनाम) को नियुक्त करते हैं।

हस्ताक्षर ————————

*यहां संगत नियम का उल्लेख किया जाए।

अनुशासनात्मक प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. श्री ———————— (आरोपित कर्मचारी का नाम एवं पदनाम)
2. श्री ———————— (जांच अधिकारी का नाम एवं पदनाम)
3. श्री ———————— (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम)
4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (जो भी लागू हो)

जांच रिपोर्ट के संबंध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए आरोपित अधिकारी को अवसर देने हेतु नोटिस—

निम्नलिखित पृष्ठांकन सहित जांच रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित सरकारी कर्मचारी को भेज दी जाए।

''जांच अधिकारी की रिपोर्ट संलग्न है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उपयुक्त निर्णय लेंगे। यदि आप कोई अभ्यावेदन या निवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आप अपना अभ्यावेदन या निवेदन लिखित रूप में इस पत्र की प्राप्ति से 15 दिनों के अन्दर अनुशासनात्मक प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।''

(डी.ओ.पी.एण्ड टी. कार्यालय ज्ञापन सं.-11012/13/85-इस्टै. 1 ए, दिनांक 26-6-89)

न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किये जाने के परिणामस्वरूप कार्रवाई करने हेतु कारण बताओ नोटिस—

ज्ञापन

जबकि ———— न्यायालय ने ———— के आरोप पर भारतीय दण्ड संहिता ————/अधिनियम की ————धारा के अंतर्गत अपराधिक आरोप पर स्टेट बनाम ———— (संख्या ————) अपराधिक मामले में दिनांक ———— के अपने निर्णय द्वारा श्री ———— (नाम एवं पदनाम) को दोषी सिद्ध किया है और श्री ———— को ———— की सजी दी गई है।

और जबकि अधोहस्ताक्षरी ने श्री ———— के आचरण के उस आधार पर ध्यानपूर्वक विचार कर लिया है, जिसके कारण वे दोषी सिद्ध हुए हैं और उनकी यह राय है कि ———— (यहां विभागीय कार्रवाई करने के कारणों का उल्लेख संक्षेप में किया जाए) के कारण मामले की परिस्थितियां उन पर ———— दण्ड लगाया जाना न्यायसंगत सिद्ध करती हैं। अत: (नियम ————) के अनुसार उन पर उक्त दण्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।

अब इसलिए श्री ———— को एतद्द्वारा उक्त प्रस्तावित दण्ड के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। जो अभ्यावेदन के प्रस्तावित दण्ड के संबंध में प्रस्तुत करना चाहते हैं, उस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा विचार किया जाएगा। ऐसा अभ्यावेदन, यदि कोई हो, लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और यह श्री ———— द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए।

कृपया इस ज्ञापन की प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

हस्ताक्षर ————

अनुशासनात्मक प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम

*( ) यहां संगत नियम का उल्लेख किया जाए।

समय वेतनमान में निम्न स्तर पर पदावनत करने का दण्ड लगाने वाले आदेश के कार्यकारी भाग का मानक प्रारूप—

''अत: आदेश दिया जाता है कि श्री ———— का वेतन समय वेतनमान में ———— वर्ष/माह की अवधि के लिए दिनांक ———— से———— द्वारा———— रुपये से ———— रुपये तक कम कर दिया जाए।

यह भी निदेश दिया जाता है कि श्री ———— पदावनत अवधि के दौरान वेतनवृद्धि अर्जित करेंगे/नहीं करेंगे और यह कि इस अवधि के समाप्त हो जाने पर पदावनति का उनकी भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित करने के संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।''

(डी.ओ.पी.एण्ड टी. पत्र सं.-6/8/70-डिस्क. 1 दिनांक 16-12-1970)

पद/ग्रेड/समय वेतनमान/सेवा में पदावनति का दंड लगाने वाले आदेश के कार्यकारी भाग का मानक प्रारूप—

जिन मामलों में दंड अनिश्चित अवधि के लिए लगाया जाता है

''क'' को ———— के निम्न पद/ग्रेड/सेवा में उस समय तक पदावनत किया जाता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें ———— के उच्च पद/ग्रेड/सेवा में बहाल किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है।

जहां यह मान लिया जाता है कि मूल पद पर पुन: पदोन्नति या बहाली के लिए सरकारी कर्मचारी की उपयुक्तता पर केवल निर्धारित अवधि के बाद ही विचार किया जाएगा।

''क'' को ———— के निम्न/ग्रेड/सेवा में तब तक पदावनत किया जाता है, जब तक कि इस आदेश की तिथि से ———— वर्ष की अवधि के बाद उन्हें ———— के उच्च पद पर बहाली हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन सं.-9/13/62-इस्टै (डी) 10-10-1962 एवं सं.-9/30/63 इस्टै (डी) दिनांक 7-2-1964]

जहां आवश्यक समझा जाए, वहाँ निम्नलिखित शर्तों को भी शामिल कर लिया जाए।

''मूल पद पर उनकी बहाली होने पर पदावनति की अवधि का उनके मूल पद के समय वेतनमान में उनकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के संबंध में प्रभाव पड़ेगा/प्रभाव नहीं पड़ेगा''।

''उनके मूल पद पर उनकी पुनः पदोन्नति होने पर वे ———————— के उच्च पद, ग्रेड, सेवा में अपनी मूल वरिष्ठता पुनः प्राप्त करेंगे/नहीं करेंगे, जो उन्हें दण्ड लगाये जाने से पहले दी गई''।

अपराधिक आरोप के मामले में दोषी सिद्ध किये जाने के परिणामस्वरूप दंड लगाने हेतु मानक प्रारूप

आदेश

जबकि श्री ———————————— (कर्मचारी का नाम एवं पदनाम) को ———————— (संबंधित अधिनियम का नाम लिखें) की धारा ———————————— के अंतर्गत अपराधिक आरोप पर दोषी सिद्ध किया गया है।

और जबकि उक्त श्री ———————————— उस आचरण, जिसके कारण उन्हें यथा पूर्वोक्त दोषी सिद्ध किया गया है, पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा विचार किया गया था और अनन्तिम रूप से यह निर्णय किया गया था कि उन पर ———————— का दण्ड लगा दिया जाए।

और जबकि श्री ———————————— को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए जो भी अभ्यावेदन वे करना चाहें, दिनांक ———————— को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। श्री ———————— ने दिनांक ———— ———————— को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने ———————————— कहा है कि (यहां कर्मचारी के अभ्यावेदन की मुख्य बातों का उल्लेख करें।) इस अभ्यावेदन पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा ध्यानपूर्वक विचार किया गया और पाया गया कि ———— ———————— (यहां उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये मुद्दों पर अपना विश्लेषण दें और यह विशेष दण्ड लगाने के कारण भी बताएं।)

अब इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम ————————(नियम का उल्लेख करें) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से) अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा उक्त श्री ———— ———————————— पर ————————————का दण्ड लागते हैं।

इस आदेश की एक प्रति श्री ———————————— की गोपनीय फाइल में लगा दी जाए।

हस्ताक्षर ————————————

अनुशासनात्मक प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम

*( ) यहां संगत नियम का उल्लेख करें।

अपील करने पर अपराधिक मामले में कर्मचारी के दोषमुक्त हो जाने पर दण्ड के आदेश रद्द करने हेतु मानक प्रारूप

आदेश

जबकि श्री ———————————— पर उनके आचरण, जिसके कारण उन्हें अपराधिक आरोप के आधार पर दोषी सिद्ध किया गया है, के आधार पर इस कार्यालय/विभाग के आदेश सं. ———————— दिनांक ———————— द्वारा दिनांक ———————— से ————————————का दंड लगाया गया था।

और जबकि अपील सं. ———————— में ———————— न्यायालय द्वारा दिनांक ———————— को दिये गये निर्णय द्वारा उक्त दोष को रद्द कर दिया गया है और उक्त श्री ———————— को उक्त आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है।

अब, इसलिए अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा श्री ———————— पर ———————— का दण्ड लगाने वाले दिनांक ———————— के उक्त आदेश को रद्द करते हैं।

हस्ताक्षर ————————————

अनुशासनात्मक प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम

ऐसे मामले में आगे की जांच करने के आदेश जिसमें तकनीकी आधार पर दोष रद्द कर दिया गया हो—

आदेश

जबकि श्री ———————————— पर उनके आचरण, जिसके कारण उन्हें अपराधिक आरोप के आधार पर दोषी सिद्ध किया गया है, के आधार पर इस कार्यालय/विभाग के आदेश सं. ———————— दिनांक ———————— द्वारा दिनांक ———————— से ————————————का दंड लगाया गया था।

और जबकि अपील सं. ———— में ———— न्यायालय द्वारा दिनांक ———— को दिये गये निर्णय द्वारा उक्त दोष को रद्द कर दिया गया है और उक्त श्री ———— को उक्त आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है।

और जबकि इस दोषमोचन के परिणामस्वरूप अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय किया है कि श्री ———— पर ———— दण्ड लगाने वाले दिनांक ———— के उक्त आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

और जबकि अधोहस्ताक्षरी ने यह पाया है कि श्री ———— को तकनीकी आधार पर आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह निर्णय किया है कि श्री ———— के विरुद्ध दिल्ली विकास प्राधिकरण (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 99 के नियम ———— के अंतर्गत उस आचरण, जिसके आधार पर मूल रूप से दण्ड दिया गया था, के आधार पर आगे की जांच की जानी चाहिए।

अब इसलिए अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा—

1. श्री ———— पर ———— का दण्ड लगाने वाले दिनांक ———— के उक्त आदेश को रद्द करते हैं और
2. निदेश देते हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 99 के नियम* के अंतर्गत श्री ————के विरुद्ध उन्हीं आरोपों के आधार पर आगे की जांच की जानी चाहिए जिनके आधार पर श्री ———— पर मूल रूप से ———— का दण्ड लगाया गया था।
3. श्री ———— को नियम ———— के अंतर्गत निलम्बनाधीन समझा जाएगा।

*( ) यहां संगत नियम का उल्लेख करें।

हस्ताक्षर ————
अनुशासनात्मक प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम

जिस मामले में जांच करना पर्याप्त रूप से व्यवहार्य नहीं था तथा जिसमें जांच छोड़ दी गई, उस मामले में अंतिम आदेश—

आदेश

जबकि श्री ———— (कर्मचारी का नाम एवं पदनाम) पर ———— के कार्यालय में ———— है। (यहां कर्मचारी के विरुद्ध आरोपों का संक्षेप में उल्लेख करें।)

और जबकि अधोहस्ताक्षरी, जिनके पास उन्हें नौकारी से बर्खास्त करने या हटाने की शक्तियां हैं, पूर्ण रूप से संतुष्ट है कि लिखित रूप में रिकार्ड किये गये कारणों की वजह से दिल्ली विकास प्राधिकरण (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जांच की जानी पर्याप्त रूप से व्यवहार्य नहीं है।

और जबकि मामले के संबद्ध तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह समझा गया है कि श्री ———— का आचरण ऐसा है कि ———— (यहां कारणों का संक्षेप में उल्लेख करें) के कारण उन पर ———— का दण्ड लगाया जाना चाहिए।

अब इसलिए संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के द्वितीय प्रावधान के खण्ड (ख) के साथ पठित दिल्ली विकास प्राधिकरण (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम* द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उन पर ———— का दण्ड लगाने का निर्णय किया है तदनुसार एतद्द्वारा श्री ———— पर ———— का दण्ड लगाया जाता है।

*( ) यहां संगत नियम का उल्लेख करें।

हस्ताक्षर ————
अनुशासनात्मक प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम

[सं. एफ 7(11)/96/का. शा.-I/नि. व. सा./का./365]

वी. एम. बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 1999

G.S.R. 624 (E).—In exercise of powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with Sub-rule (4) of the Delhi Development (Misc.) Rule-1959, the Delhi Development Authority hereby makes with the previous approval of the Central Govt., DDA Conduct, Disciplinary & Appeal Regulations 1999 which may be read as under :—

REGULATION 1

SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

i) These regulations may be called the D.D.A. Conduct, Disciplinary and Appeal Regulations, 1999.

ii) They shall come into force from the date of publication in the Gazette of India.

REGULATION 2

These regulations shall apply to every employee of the DDA except .

Those in casual employment holding work-charged posts or paid from contigencies;

ii) These regulations have been framed based on the C.C.S. (Conduct Rules) 1964 and CCS (CCA) Rules 1965. DDA is following the CCS Conduct Rules and Disciplinary Appeal Rules with necessary changes. However, for facility of reference separate Conduct and Disciplinary and Appeal Regulations are being codified. Therefore, whenever change takes place in the Conduct/Disciplinary Appeal Rules on the Civil Side, the same will be followed by the DDA. Each time whenever an amendment/addition is carried out to CCS(Conduct) Rules 1964 and CCS(CCA) Rules, 1965, it may not be necessary to carry out formal amendments in the DDA Conduct/Disciplinary and Appeal Regulations and the amendment carried out by the Civil Side may be adopted mutatis mutandis by the DDA with the approval of Vice-Chairman, DDA.

REGULATION 3

DEFINITIONS

In these regulations , unless the context otherwise requires.

a) "Employee" means a person in the employment of the Delhi Development Authority other than casual,

work charged or contingent staff or workman as defined in the Industrial Disputes Act, 1947 but includes a person on deputation to the authority.

b) Chairman/Vice Chairman means the Chairman/Vice-chairman of the authority.

c) "Disciplinary Authority" means the authority specified in the schedule appended to these rules and competent to impose any of the penalties specified in Regulations 23.

d) "Competent Authority" means the authority empowered by Authority by any general or special rule or order to discharge the function or use the powers specified in the rule or order.

e) "Appellate Authority" means the authority specified in the Schedule appended to these regulations.

f) "Family" in relation to an employee includes:

i) the wife or husband, as the case may be, of the employee, whether residing with him or not but does not include a wife or husband, as the case may be, separated from the employee by a decree or order of a competent court.

ii) Sons or daughters or step sons or step daughters of the employee and wholly dependent on him, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent on the employee or of whose custody the employee has been deprived of by or under any law.

(iii) Any other person related, whether by blood or marriage to the employee or to such employee's wife or husband and wholly dependent on such employee.

g) "Public Servant" shall mean and include a person as mentioned in Section 21 of Indian Penal Code as amended from time to time.

REGULATION -4

GENERAL CONDUCT

1).
i) Every employee of the Authority shall at all times:
b) Maintain absolute devotion to duty
ii) maintain absolute integrity

iii) do nothing which is unbecoming of a public servant.

2) Every employee of the Authority holding a supervisory post shall take all possible steps to ensure integrity and devotion to duty of all employees for the time being under his control and authority.

3) No employee in the performance of his official duties or in the exercise of powers conferred on him, act otherwise than in his best judgement except when he is acting under the direction of his official superior.

4) : The direction of the official superior shall ordinarily be in writing. Oral direction to subordinates shall be avoided as far as possible. Where the issue of oral directions becomes unavoidable, the official superior shall confirm it in writing immediately thereafter.

5) An employee who has received oral directions from his official superior shall seek confirmation of the same in writing as early as possible, whereupon it shall be the duty of the official superior to confirm the direction in writing.

REGULATION 4A Promptness and Courtesy:

No employee shall:

a) In the performance of his official duties act in a discourteous manner.

b) In his official dealings with the public or otherwise adopt dilatory tactics or willfully cause delays in the disposal of the work assigned to him.

4B. Obsesrvance of Authority's Policies.
Evey employee of the Authority shall at all times:

i) Act in accordance with Authority's policies regarding age of marriage, preservation of Enviornment, protection of wild life and cultural heritage.

ii) OBSERVE GOVT. POLICIES REG. PREVENTION OF CRIME AGAINST WOMEN.

REGULATIONS 5

MISCONDUCT

Without prejudice to the generality of the term "misconduct" the following acts of omission and commission shall be treated as "Misconduct".

1. theft, fraud or dishonesty in connection with the business or property of the Authority or property of another person/within the premises of the Authority.

2. taking or giving bribes or any illegal gratification.

3. possesion of pecuniary resources or property disproportionate to the known sources of income by the employee or on his behalf by another person, which the employee can not satisfactorily account for:

4. furnishing false information regarding name, age, father's name , qualification, ability or previous service or any other matter germane to the employment at the time of employment or during the course of employment.

5. action in a manner prejudicial to the interest of the Authority.

6. wilful insubordination or disobedience, whether or not in combination with others,of any lawful and reasonable order of his superior.

7. absence without leave or overstaying the sanctioned leave for more than four consecutive days without sufficient grounds of proper or satsifactory explanation:

8. habitual late or irregular attendance:

9. neglect of work or negligence in the performance of duty including lingering or slowing down of work.

10. damage to any property of the Authority:

11. interference or tampering with any safety devices installed in or around the premises of the Authority.

12. drunkenness or riotous or disorderly or indecent behaviour in the premises of the Authority or outside such premises where such behaviour is related to or connected with the employment.

13. gambling within the premises of the establishment.

14. smoking within the premises of the establishment where it is prohibited.

15. collection, without the permission of the competent authority of any money within the premises of the Authority except as sanctioned by any law of the land for the time being in force or rules of the Authority.

16. sleeping while on duty.

17. commission of any act which amounts to a criminal offence involving moral turpitude;

18. absence from the employee's appointed place of work without permission or sufficient cause .

19. purchasing properties, machinery , stores, etc. from or selling properties, machinery, stores etc. to the Authority without express permission in writing from the competent authority

20 commission of any act subversive of discipline or of good behaviour.

21. abetment of or attempt of abetment of any act which amounts to misconduct.

Note: The above instances of misconduct are illustrative only and not exhaustive.

REGULATIONS 6

EMPLOYMENT OF NEAR RELATIVES OF THE EMPLOYEES IN ANY COMPANY OR FIRM ENJOYING PATRONAGE OF THE AUTHORITY.

1. No employee shall use his position or influence directly or indirectly to secure employment for any person related whether by blood or marriage, to the employee or to the employee's wife or husband, whether such a person is dependent on the employee or not.

2. No employee shall, except with the previous sanction of the competent authority, permit his son, daughter or any member of the family to accept employment with any company or firm with which he has official dealings, or with any company or firm, having official dealing with the Authority.

Provided that where the acceptance of the employment can not await the prior permission of the competent authority the employment may be accepted provisionally subject to the permission of the competent authority, to whom the matter shall be reported forthwith.

3. No employee shall in the discharge of his official duties deal with any matter or give or sanction any contract to any company or firm or any other person if any member of his family is employed in that company or firm or under that person or if he or any member of his family is interested in such matter or contract in any other manner the employee shall refer every such matter or contract to his superior official and the matter or the contract shall thereafter be disposed of according to the instructions of the authority to whom the reference is made.

REGULATIONS 6(A) TAKING PART IN POLITICS AND ELECTIONS

I. No employee shall be a member or be otherwise associated with any political party or any organisation, which takes part in politics nor shall take part in, subscribe in aid of or assist in any other manner in political movement or activity.

II. It shall be duty of every employee to endeavour to prevent any member of his family from taking part in subscribing in aid of or assisting in any other manner any movement or activity which is or tends directly or indirectly to be subversive of government /authority as by-law established and where an employee is unable to prevent a member of his family fram taking part in or subscribing in aid of or asisting in any manner , in any such movement or activity, he shall make a report to that effect to the Authority.

III.If any question arises whether the party is a political party or whether any organisation takes part in politics or whether any movement or activity falls within the scope of sub-rule 1, the decision of the Central Government thereon shall be final.

IV. No employee shall convass or otherwise interfere with or use his influence in connection with or take part in any election to any lagislature or local authority.

Provided that:

i) An employee qualified to vote at such elections may exercise his right to vote, but where he does so, he shall give no indication of the manner in which he proposes to vote or has voted.

ii) An employee shall not be deemed to have contravened the provisions of this sub-rule by reason only that he assists in the conduct of election, in the due performance of duty imposed on him or under any law for the time being in force.

EXPLANATION

The display by an employee on his personal vehicle or residence of any electoral symbol amounts to using his influence in connection with an election within the meaning of this sub-rule.

6(B) JOINING OF ASSOICATION BY EMPLOYEES OF THE AUTHORITY.

No employee shall join or continue to be a member of an association, the object or activities of which are prejudicial to the interest of the sovereignity and integrity of India or public order or morality.

REGULATIONS 7 DEMONSTRATION AND STRIKES.

No employee shall

i) engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interest of the sovereignity and integrity of India, , the security of the state., friendly relations with foreign states, public decency or morality or which involves contempt of court, defamation or incitement to an offence.

ii) resort to or in any way abet any form of strike or coercion or physical duress in connection with any matter pertaining to his service or the service of any other employee.

REGULATION 8 Connection with Press or Radio.

1) No employee of the Authority shall, except with the previous sanction of the competent authority, own wholly or in part, or conduct or participate in the editing or management of any newspapers or other periodical publication or electronic media.

2) No employee of the Authority , shall except with the previous sanction of the competent authority (the prescribed authority), or in the bonafide discharge of his duties, participate in a Radio broadcast or contribute any article or write any letter either in his own name or anonymously, pseudonymously, or in the name of any other person, to any newspaper or periodical, provided that no such sanction shall be required if such boradcast or such contribution is of a purely litrerary , artistic or scientific character.

3) An employee publishing a book or participating in a public media shall at all times make it clear that the views expressed by him are his own and not that of the Govt./Authority.

REGULATIONS 9

No employee shall, in any radio broadcast/telecast through any electronic media or any document published in his own name or anonymously pseudonymously or in the name of any other person or in any communication to the press, or in any public utterances, make any statement of fact or opinion.

a) which has the effect of adverse criticism of any policy or action of the Central or State Govt. or of the Authority. or

b) which is capable of embarrassing the relations between the Authority and the Central Govt./State Govt or any foreign State.

Provided that nothing in these rules shall apply to any statement made or views expresed by an employee, of purely factual nature which are not considered to be of a confidential nature, in his official capacity or in due performance of the duties assigned to him.

Provided futher that nothing contained in this clause shall apply to bonafide expression of views by him as an office bearer of a recognised trade union for the purpose of safeguarding the conditions of service of such employees or for securing an improvement thereof.

REGULATION 10

Evidence before Committee or any other Authority.

1) Save as provided in sub rule (3) , no employee of the Authority shall except with the previous sanction of the competent authority, give evidence in connection with any enquiry conducted by any person, committee or authority.

2) Where any sanction has been accorded under subrule (1) no employee giving such evidence shall criticise the policy or any action of the Central Govt. or a State Govt. or of the Authority.

3) Nothing in this rule shall apply to :-

a) evidence given at any enquiry before an authority appointed by the Govt., Parliament or a State Govt./Legislature.

b) evidence given in any judicial enquiry; or

c) evidence given at any departmental enquiry ordered by authorities subordinate to the Govt.

REGULATION 11

UNAUTHORISED COMMUNICATION OF INFORMATION

No employee shall, except in accordance with any general or special order of the Authority or in the performance in good faith of the duties assigned to him, communicate, directly or indirectly, any official document or any part thereof to any officer or other employee, or any other person to whom he is not authorised to communicate such document or information.

REGULATION 11A

No employee shal, except with previous sanction of the Authority or prescribed Authority, ask for or accept contribution to or otherwise associate himself with the raising or any funds or other collections in cash or in kind in pursuance of any object whatsoever.

REGULATION 11-B

GIFTS

1) Save as otherwise provided in these rules, no employee of the Authority shall accept or permit any member of his family or any other person acting on his behalf, to accept any gift.

EXPLANATION

The expression "Gift" shall include free transport, board, lodging or other service or any other pecuniary advantage when

provided by any person other than a near relative or a personal friend having no official dealings with the employee.

NOTE

1) An employee of the Authority shall avoid acceptance of lavish or frequent hospitality from any individual or firm etc. having official dealings with him.

2) On occasions such as weddings, anniversaries, funerals or religious functions, when the making of gifts is in conformity with the prevailing religious or social practices, any employee of the Authority may accept gifts from his near relatives or personal friends having no official dealing with him but he shall make a report to the competent authority if the value of the gift exceeds

i) Rupees five thousands in the case of an officer holding any group "A" posts

ii) Rupees three thousands in the case of an officer holding any group "B" posts

iii) Rupees one thousands in the case of an officer holding any group "C" posts

iv) Rupees five hundred in the case of an officer holding any group "D" post.

3) In any other case, an employee of the Authority shall not accept or permit any other member of his family or any other person acting on his behalf to acept any gifts without the sanction of the competent authority if the value thereof exceeds

i) Rupees one thousands in the case of an officer holding any group A or B post.

ii) Rupees two fifty in the case of an employee holding any Gr. C or Gr. D posts.

Provided that when more than one gift has been received from the same person/firm within a period of 12 months the matter shall be reported to the competent authority if the aggregate value of the gift exceeds Rs.1000 or Rs. 250/ as mentioned above.

REGULATION 12

DOWRY

No employee of the Authority shall:

i) give or take or abet the giving or taking of dowry; or

ii demand, directly or indirectly, from the parents or guardian of a briode or bridegroom, as the case may be., any dowry.

EXPLANATION

For the purpose of this rule Dowry has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961)

REGULATION 12 A: Public Demonstration in honour of employees of the DDA

No employee shall except with the previous sanction of the Authority, receive any complimentary or valedictory address or accept any testimonial or attend any meeting or entertainment held in his honour, or in the honour of any other employee.

Provided that nothing in this rule shall apply to

i) A farewel entertainment of a substantially private and informal character held in honour of an employee or any other

employee on the occasion of his retirement or transfer or any person who has recently quitted the service or:

ii) The acceptance of simple and inexpensive entertainment arranged by public bodies or institutions.

Note: Exercise of pressure or influence of any sort on any employee to induce him to subscribe towards any farewell entertainment , if it is of substantially private or informal character and the collection of subscription from Group C and D employees under any circumstances for the entertainment of any employee not belonging to Group C and D, is forbidden.

REGULATIONS 13. Private trade or employment

1. Subject to the provisions of sub-rule (2) , no Govt. Servant shall, except with the previous sanction of the Govt. —

a) Engage directly or indirectly in any trade or business, or

b) negotiate for, or undertake, any other employment, or

c) hold an elective office, or convass for a candidate or candidate for an elective office, in any body, whether incorporated or not, or.

d) Canvass in support of any business of insurance agency, commission agency, etc. owned or managed by any member of his family, or.

e) take part except in the discharge of his official duties, in the registration , promotion or management of any bank or other company registered or required to be registered under the companies Act, 1956 (1 of 1956) or any other law for the time being in force, or of any cooperative society for commerical purposes.

f) participate in or associate himself in any manner in the making of:

i) a sponsored media (radio or television) programme; or

ii) A media programme commissioned by Govt. media but produced by a private agency; or

iii) a privately produced media programme including video magazine:

Provided that no previous permission shall be necessary in the case where the employee participates in a programme produced or commissioned by Govt. media in his official capacity.

2. An employee may, without the previous sancation of the authority

a) undertake honorary work of a social or charitable nature or

b) undertake occasional work of a literary, artistic or scientific character, or

c) participate in sports activities as an amateur, or

d) take part in the registeration, promotion or management (not involving the holding of an elective office) of a literary, scientific or charitable society or of a club or similar organisation, the aims or objects of which relate to promotion of sports, cultural or recreational activities, registered under the Societies Registeration Act, 1860(21 of 1860) or any other law for the time being in force.

e)take part in the registration, promotion or management (not involving the holding of elective office) of a cooperative society substantially for the benefit of the employee registered under the Co-op. Societies Act, 1912(2 of 1912) or any other law for the time being in force:

PROVIDED THAT:

i) he shall discontinue taking part in such activities, if so directed by the Authority and

ii) in a case falling under clausse (d) or clause (e) of this sub-rule , his official duties shall not suffer thereby and he shall, within a period of one month of his taking part in such activity, report to the authority giving details of the nature of his participation.

3. Every Govt. servant shall report to the Authority if any member of his family is engaged in a trade or business or owns or manages an insurance agency or commission agency.

4. Unless otherwise provided by general or special orders of the authority, no employee may accept any fee for any work done by him for any private or public body or any private person without the sanction of the prescribed authority.

EXPLANATION: The term "fee" used here shall have the meaning assigned to it in Fundamental Rule 9(6-A).

REGULATION 13 A: Subletting and vacation of Authority Accommodation:

1. Save as otherwise provided in any other law for the time being in force, no employee shall sublet, lease or otherwise allow occupation by any other person of Authority accommodation which has been allotted to him.

2. An employe shall, after the cancellation of allotment of accommodation vacate the same within the time limit prescribed by the allotting authority.

REGULATION 14. INVESTMENT LENDING AND BORROWING

1. No employee shall speculate in any stock, share or other investment:

Provided that nothing in this sub-rule shall apply to occasional investments made throuh stock brokers or other persons duly authorised and licenced or who have obtained a certificate of registration under the relevant law:

Explanation : Frequent purchaase or sale or both of share, securities or other investments shall be deemed to be speculation within the meaning of this sub-rule:

2. No employee shall make, or permit any member of his family or any person acting on his behalf to make, any investment which is likely to embarrass or influence him in the discharge of his official duties. For this purpose, any purchase of shares out of the quotas reserved for Directors of Companies or their friends and associates shall be deemed to be an investment which is likely to embarrass the employee.

3. If any question arises whether any transaction is of the nature refered to in sub-rule (1) or sub rule (2), the decision of the Authority thereon shall be final.

4(i) No employee shall have in the ordinary/course of business with a bank or a public limited company, either himself or through any member of his family or any other person acting on his behalf,

a) Lend or borrow or deposit money, as principal or an agent to, or from or with, any person or firm or private limited company within the local limits of his authority or with whom he is likely to have official dealings or otherwise place himself under

any pecuniary obligation to such person or firm or private limited company or.

b) Lend money to any person at interest or in a manner whereby return in money or in kind is charged or paid, provided that an employee may give to, or accept from a relative or a personal friend a purely temporary loan of a small amount free of interest, or operate credit account with a bonafide tradesman or make an advance of pay to his private employee.

Provided further that nothing in this sub-rule shall apply in respect of any transaction entered by an employee with the previous sanction of the Authority.

ii) When an employee is appointed or transferred to a post of such nature as would involve him in breach of any of the provisions of sub-rule (2) or sub rule(4) , he shall forthwith report the circumstances to the prescribed authority and shall thereafter act in accordance with such order as may be made by such authority.

REGULATION 15. INSOLVENCY AND HABITUAL INDEBTEDNESS

1. An employee of the Authority shall avoid habitual indebtedness unless he proves that such indebtedness or insolvency is the result of circumstances beyond his control and does not proceed from extravagance or dissipation.

2. An employee of the Authority who applies to be, or is adjudged or declared insolvent shall forthwith report the fact to the competent authority.

REGULATION 16
MOVABLE , IMMOVABLE AND VALUABLE PROPERTY

1. No employee of the Authority shall except with the previous knowledge of the competent authority, acquire or dispose of any

immovable property by lease, mortgage, purchase , sale, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family. No employee of the authority shall speculate in any stock, share or other investment. Frequent pruchase or sale or both of shares, debentures or other investment shall be deemed to be speculation within the meaning of this sub-rule.

2. No employee of the authority shall except with the previous sanction of the competent authority, enter into any transaction concerning any immovable or movable property with a person or a firm having official dealings with the employee, or his subordinate.

3. Every employee of the Authority shall report within one month, to the competent authority every transaction concerning movable property owned or held by him in his own name or in the name of a member of his family, if the value of such property exceeds Rs. 10000/- in case of Group C & D employees and Rs. 15,000/- in case of Group A &B officers. An intimation shall also be made (on the proforma) where cumulative transaction i.e. sale, purchase or both in share, debentures or mutual funds etc. in a year exceeds Rs. 25,000/- in case of Group C and D employees Rs. 50,000/- in case of Group A and B officers.

EXPLANATION 1

The term "every transaction concerning movable property owned or held by him" includes all transactions of sale or purchase.

For purposes of this sub-regulation , the definition of movable property would include:

a) jewellery, insurance policies the annual premia of which exceeds Rs. 10,000 /or one sixth of the total annual emoluments received from the Authority whichever is less.

b) shares, securities and debentures;

c) loans advanced or taken by such employee whether secured or not

d) motor cars, motor cycles, horses or any other means of conveyance ; and

d) refrigerators, radios(radiogram and television sets).

EXPLANATION NO. II

Transaction entered into by the spouse or any other member of family of an employee of the Authority out of his or her own funds'(including stridhan, gifts, inheritance etc.) as distinct from the funds of the employee of the Authority himself, in his or her own name and in his or her own right would not attract the provisions of the above sub regulation.

2. Every employee shall, on first appointment in the Authority submit a return of assets and liabilities in the prescribed form giving the particulars regarding,

a) the immovable property inherited by him or owned or acquired by him, held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person.

b) Shares, debentures, and cash including bank deposits inherited by him or similarly owned acquired , or held by him.

c) Other movable property inherited by him or similarly owned/acquired or held by him if the value of such property exceeds Rs. 5000/- in case of Group C and D employees and Rs. 10,000/- in cases of Group A and B officers.

d) Debts and other liabilities incurred by him directly or indirectly.

e) Every employee shall, beginning Ist Jan, submit an annual return of immovable property inherited,owned/acquired by him during the year.

3. The competent authority may at any time by general or special order require an employee to submit, within a period specified in the order,a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by him or on his behalf or by any member of his family as may be specified in the order. Such statement shall,if so, required by the competent authority, include details of the means by which or the source from which such property was acquired.

REGULATION 16A. Restrictions in relation to acquisition and disposal of immovable property outside India and transactions with foreigners etc.

Not withstanding anything contained in Regulation 16(1) and 16(2) no employee shall, except with the previous sanction of prescribed authority a) acquire by purchase, mortgage, lease, gift or otherwise., either in his own name or in the name of any member of his family, any immovable property situated outside India.

b) Dispose of, by sale, mortgage, gift or otherwise or grant any lease in respect of any immovable property situated outside India which was acquired or is held by him either in his our name or in the name of any member of his family.

c) Enter into any transaction with any foreigner, foreign Govt, foreign organisation or concern:

i) for the acquisition, by purchase, mortgage, lease, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family, of any immovable property.

ii) For the disposal of, by sale , mortgage, gift or otherwise , or the grant of any lease in respect of any immovable property which was acquired or is held by him either in his own name or in the name of any member of his family.

Explanation : In this regulation , prescribed authority has the same meaning as in regulation 16.

16-B Vindication of acts and character of employees.

1. No employee shall, except with the previous sanction of the Authority have recourse to any Court or to the press for the vindication of any official act which has been the subject matter of adverse criticism or any attack of a defamatory character.

Provided that if no such sanction is received by the employee within a period of three months from the date of receipt of his request by the Govt. , he shall be free to assume that the permission sought for, has been granted to him.

2. Nothing in this rule shall be deemded to prohibit an employee from vindicating his private character or any act done by him in his private capacity; and where any action for vindicating his private character or any act done by him in private capacity is taken, the employee shall submit a report to the prescribed authority regarding such action.

REGULATION 17

CANVASSING OF NON-OFFICIAL OR OTHER OUTSIDE INFLUENCE

No employee shall bring or attempt to bring any outside influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service in the Authority.

REGULATION 18 .

BIGAMOUS MARRIAGES.

1. No employee shall enter into, or contract marriage with a person having a spouse living ; and

2. No employee, having a spouse living , shall enter into or contract, a marriage with any person.

Provided that the Authority may permit an employee to enter into a contract , any such marraige as is ref. to in clause (1) or clause (2), if it is satisfied that:

i) such marraige is permissible under the Personal Law applicable to such employee and other party to the marriage and

(ii) There are grounds for so doing.

(3) If an employee who has married or marries a person other than of Indian Nationality he shall forthwith intimate the fact to the Authority.

REGULATION 19

CONSUMPTION OF INTOXICATING DRINK &DRUGS.

i) Every employee shall strictly abide by any law relating to intoxicating drinks or drugs in force in any area in which he may happen to be for the time being.

ii) not be under the influence of any intoxicating drink or drug during the course of his duty and shall also take due care that the performance of his duties at any time is not affected in any way by the influence of such drink or drug.

iii) refrain from consuming any intoxicating drink or drug in a public place.

iv) not appear in a public place in a state of intoxication.

v) not use any intoxicating drink or drug in excess.

EXPLANATION

For the purpose of this rule "Public place" means any place or premises (including clubs, even exclusively meant for members where it is permissible for the members to invite non-members as guests, bars and restaurants, conveyance to which the public have or are permitted to have access, whether on payment or otherwise.

REGULATION 20.

SUSPENSION

1. The appointing authority or any authority to which it is subordinate or the disciplinary authority or any authority empowered in that behalf by the Authority by general or special order may place an employee under suspension:-

a) Where disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending or.

b) Where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation ,inquiry or trial.

Provided that where an order of suspension is made by an Authority, lower than the Appointing Authority , such authority shall forthwith report to the Appointing Authority the circumstances in which the order was made.

2. An employee who is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding 48 hours shall be deemed to have been suspended with effect from the date of detention , by an order of the appointing authority, and shall remain under suspension until further orders.

2A. W.e.f. the date of his conviction, if in the event of conviction for an offence, he is sentenced to a term of

imprisonment exceeding 48 hrs and he is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

3. Where a penalty of dismissal or removal or compulsoirly retirement from service imposed upon an employee under suspension is set aside on appeal or on review under these rules and the case is remitted for further enquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal or removal and shall remain in force until further orders.

4. Where a penalty of dismissal or removal or compulsory retirement from service imposed upon an employee is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the disciplinary authority in consideration of the circumstances of the case, decides to hold further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal or removal or compulsory retirement was originally imposed, the employee shall be deemed to have been placed under suspension by the appointing authority from the date of the original orders of dismissal or removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders.

5(a). An order of suspension made or deemed to have been made under this rule may at any time be revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate.

5 (b) Where an employee is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceedings or otherwise) and any other disciplinary proceedings

is commenced against him during the continuation of that suspension, the authority competent to place him under suspension, may , for reasons to be recorded by him in writing , direct that the employee shall continue to be under suspension until the termination of all or any of such proceedings.

REGULATION 21.

SUBSISTENCE ALLOWANCE

1. An employee under suspension shall be entitled to draw subsistence allowance upto first three months of the period of suspension equal to 50% of his basic pay provided the disciplinary authority is satisfied that the employee is not engaged in any other employment or business or profession or vacation. In addition, he shall be entitled to Dearness Allowance admissible on such subsistence allowance and any other compensatory allowance of which he was in receipt on the date of suspension provided the suspending authority is satisfied that employee continued to meet the expenditure for which the allowance was granted.

2. When the period of suspension exceeds three months, the authority which made or is deemed to have made the order of suspension shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first three months as follows.

i) the amount of subsistence allowance may be increased to 75% of basic pay and allowance thereon if, in the opinion of said authority , the period of suspension has been prolonged for reasons to be recorded in writing not directly attributable to the employee under suspension.

ii) the amount of subsistence allowance may be reduced to 25% of basic pay and allowance thereon if in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged due to the reasons to be recorded in writing, direcly attributable to the employee under suspension.

3. If any employee is arrested by the police on a criminal charge and bail is not granted , no subsistence allowance.is payable. On grant of bail if the competent athority decides to continue the suspension, the employee shall be entitled to subsistence allowance from the date he is granted bail.

REGULATION 22
TREATMENT OF THE PERIOD OF SUSPENSION

1. When the employee under susoension .. is reinstated the competent authority may grant him the following pay and allowances for the period of suspension.

a) If the employee is exonerated and not awarded any of the penalties mentioned in Regulation 23, the full pay and allowances which he would have been entitled to if he had not been suspended , less the subsistence allowance already paid to him; and

b) if otherwise, such proportion of pay and allowances as the competent autnority may prescribe.

2. In a case falling under sub-clause (a) the period of absence from duty will be treated as a period spent on duty. In cases falling under sub-clause(b) it will not treated as period spent on duty unless the competent authority so directs.

REGULATION 23
PENALTIES

The following penalties may be imposed on an employee, as hereinafter provided for misconduct committed by him or for any other good and sufficient reasons.

MINOR PENALTIES
a) Censure

b) With-holding of increments of pay.

c) With-holding of promotion.

d) Recovery from pay or such other amount as may be due to him of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Authority by negligence or breach of orders.

e)Reductions to a lower stage in the time scale of pay for period not ~~exceeding~~ 3 years without cumulative effect and not adversely effecting his pension.

MAJOR PENALTIES

f) save as provided for in clause (e), reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay.

g) reduction to lower time-scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the employee to the time scale of pay, grade , post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service.

h) Compulsory retirement.

i) removal from service which shall not be a disqualification for further employment.

j) Dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for further employment under the Govt.

Provided that , in every case in which the charge of acceptance from any person of any gratification, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act is established , the penalty mentioned in clauses (i) or clause (j) shall be imposed.

Provided further that in any exceptional case and for special reasons recorded in writing, any other penalty may be imposed.

EXPLANATION

The following shall not amount to a penalty within the meaning of this rule.

i) with-holding of increment of any employee on account of his work being found unsatisfactory or not being of the required standard, or for failure to pass a prescribed test or examination.

ii) stoppage of an employee at the efficiency bar in a time scale, on the ground of his unfitness to cross the bar.

iii) Non-promotion, whether in an officiating capacity or otherwise, of an employee , to a higher post for which he may be eligible for consideration but for which he is found unsuitable after consideration of his case.

iv) Reversion to a lower grade or post, of an employee officiating in a higher grade or post on the ground that he is considered , after trial , to be unsuitable for such higher grade or post, or on administrative grounds unconnected with his conduct.

v) Reversion to his previous grade or post of an employee appointed on probation to another grade or post, during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of appointment.

vi) termination of service. :
a) of an employee appointed on probation, during or at the end of the period of probation, in accordance with the terms of his appointment.

b) of an employee appointed in a temporeary capacity otherwise than under a contract or agreement on the expiration of the period for which he was appointed , or earlier in accordance with the terms of his appointment.

c) of an employee appointed under a contract or agreement in accordance with the terms of such contract or agreement, and

d) of any employee on reduction of establishment.

(vii)
Replacement of the service of an employee whose services have been borrowed from the State Govt. or any Authority under the control of State Govt, at the disposal of the State Govt. or the Authority from which the service of such Govt. servant have been borrowed.

(viii)
Compulsory retirement of an employee in accordance with the provisions relating to his superannuation or retirement.

RREGULATION 24
DISCIPLINARY AUTHORITY.

The Disciplinary authority, as specified in the schedule or any authority higher than it, may impose any of the penalties specified in Regulation 23 on any employee.

Regulation 24 A

AUTHORITY TO INSTITUTE PROCEEDINGS.

1)The Chairman or any other Authority empowered by him by general or special order or Disciplinary Authorities mentioned in the Schedule to these regulations may institute disciplinary proceedings against any employee.

2. A disciplinary authority competent under these rules to impose any of the penalties specified in classes (a) to (e)of regulations 23may institute disciplinary proceedings against any employeefor the imposition of any of the penalties specified in clauses (f) to(j) of Regulation 23 notwithstanding that such disciplinary authority is not competent under these rules to impose any of the latter penalties.

REGULATION 25

PROCEDURE FOR IMPOSING MAJOR PENALTIES

1.No order imposing any of the penalties specified in clauses to j of regulation 23 shall be made except after an inquiry held , as far as may be, in the manner provided in this Requaltion and Regulation 26 or in the manner provided by the Public Servant (Inquiries) Act 1850 (37 of 1850) where such inquiry is held under that Act.

2. Whenever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against an employee, it may itself inquire into, or appoint under this rule or under the provisions of the Public Servant (Inquiries) Act, 1850, as the case may be, an authority to inquire into the truth thereof.

EXPLANATION : Where the disciplinary authority itself holds the inquiry, any reference in sub regulation (7) to sub-regulation (20) and insub-regulation (22) to the inquiring

authority shall be construed as a reference to the disciplinary authority.

3. Where it is proposed to hold an inquiry against an employee under this regulation and Regulation 26 the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up.

i) the substance of the imputations of misconduct or misbehaviour into definite and distinct articles of charge

ii) a statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge, which shall contain:

a) a statement of all relevant facts including any admission or confession made by the employee.

b) a list of documents by which, and a list of witnesses by whom the articles of charge are proposed to be sustained.

4. The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the employee a copy of the articles of charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charge is proposed to be sustained and shall require the employee to submit, within such time as may be specified, a written statement of his defence and state whether he desires to be heard in person.

5. (a) On receipt of the written statement of defence, the disciplinary authority may itself inquire into such of the articles of charge as are not admitted, or if it considers it necessary to do so, appoint under sub regulation (2), an inquiring authority for the purpose, and where all the articles of charge have been admitted by the employee in his written statement of

defence, the disciplinary authority shall record its findings on each charge after taking such evidence as it may think fit and shall act in the manner laid down in regulation 26.

b) If no written statement of defence is submitted by the employee the disciplinary authority may itself inquire into the articles of charge, or may, if it considers it necessary to do so, appoint , under sub regulaltion (2) , an inquiring authority for the purpose.

c) Where the disciplinary authority itself inquires into any article of charge or appoints an inquiring authority for holding any inquiry into such charge, it may, by an order, appoint an employee or a legal practitioner, to be known as the "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of the articles of charge.

6. The disciplinary authority shall, where it is not the inquiring authority, forward to the inquiring authority.

i) a copy of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour.

ii) a copy of the written statement of the defence, if any,, submitted by the employee.

iii) a copy of the statements of witnesses, if any, ref. to in sub regulation (3) to the employee and

iv) evidence proving the delivery of the documents ref. to in sub regulation (3) to the employee and

v) a copy of the order appointing the "Presenting Officer"

7.The employee shall appear in person before the inquiring authority on such day and at such time within ten working days from the date of receipt by the inquiring authority of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour, as the inquiring authority may, by notice in writing, specify, in this behalf, or within such further time, not exceeding 10 days, as the inquiring authority may allow.

8) (a) The employee may take the assistance of any other employee posted in any office either at his headquarter's or at the place where the inquiry is held, to present the case on his behalf, but may not engage a legal practitioner for the purpose, unless the Presenting Officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner, or the disciplinary authority, having regard to the circumstances of the case, so permits:

Provided that the employee may take the assistance of any other employee posted at any other station,if the inquiring authority having regard to the circumstances of the case, and for reasons to be recorded in writing so permits.

Note: THE EMPLOYEE SHALL NOT TAKE THE ASSISTANCE OF ANY OTHER EMPLOYEE WHO HAS 3 PENDING DISCIPLINARY CASES ON HAND IN WHICH HE HAS TO GIVE ASSISTANCE.

b) The employee may also take the assistance of a retired employee to present the case on his behalf, subject to such conditions as may be specified by the ~~President~~ Authority from time to time by general or special order in this behalf.

9. If the employee who has not admitted any of the articles of charge in his written statement of defence or has not submitted

any written statement of defence, appears before the inquiring authority, such authority shall ask him whether he is guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the inquiring authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the employee thereon.

10. The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the employee pleads guilty.

11. The inquiring authority shall, if the employee fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead, require the Presenting Officer to produce the evidence by which he proposes to prove the articles of charge, and shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days, after recording an order that the employee may, for the purpose of preparing his defence:.

i) Inspect within five days of the order or within such further time not exceeding five days as the inquiring authority may allow, the documents specified in the list ref. to in sub regulation.

(3).

ii) submit a list of witness to be examined on his behalf.

NOTE; IF THE EMPLOYEE APPLIES ORALLY OR IN WRITING FOR THE SUPPLY OF COPIES OF THE STATEMENTS OF WITNESSES MENTIONED IN THE LIST REF. TO IN SUB REGULATION (3), THE INQUIRING AUTHORITY SHALL FURNISH HIM WITH SUCH COPIES AS EARLY AS POSSIBLE AND IN ANY CASE NOT LATER THAN THREE DAYS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE EXAMINATION OF THE WITNESS ON BEHALF OF THE DISCIPLINARY AUTHORITY.

iii) give a notice within ten days of the order or within such further time not exceeding ten days as the inquiring authority may allow, for the discovery or production of any documents which are in the possession of the Authority , but not mentioned in the list ref. to in sub regulation (3).

NOTE: THE EMPLOYEE SHALL INDICATE THE RELEVANCE OF THE DOCUMENTS REQ. BY HIM TO BE DISCOVERED OR PRODUCED BY THE AUTHORITY .

12. The inquiring authority shall, on receipt of the notice for the discovery or production of documents, forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the documents by such date as may be specified in such requisition.:

Provided that the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, refused to requisition such of the documents as are, in its opinion, not relevant to the case.

13. On receipt of the requisition ref. to in sub-regulation (12) , every authority having the custody or possession of the requisitioned documents shall produce the same before the inquiring authoroity.

Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that the production of all or any of such documents would be against the public interest or security of the State, it shall inform the inquirity authority accordingly and the inquiring authority shall, on being so informed, communicate the information to the employee and

withdraw the requisition made by it for the production or discovery of documents.

14. On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are prosposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority. The witness shall be examined by or on behalf of the Presenting Officer and may be cross-examined by or on behalf of the employee. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witness on any points on which they have been cross examined, but not on any new matter, without the leave of the inquiring authority. The inquiring authority may also put such questions to the witness as it thinks fit.

15. If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the disciplinary authority, the inquiring authority may, in its discretion, allow the Presenting officer to produce evidence not included in the list given to the employee or may itself call for new evidence or recall and re-examinw any witness and in such case the employee shall be entitled to have, if he demands it, a copy of the list of further evidence proposed to be produced and on adjournment of the inquiry for three clear days before production of such new evidence, exclusive of the day of adjournment and the day to which the inquiry is adjourned. The inquiring authority shall give the employee an opportunity of inspecting such documents before they are taken on the record. The inquiring authority may also allow the employee to produce new evidence, if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary, in the interest of justice.

NOTE: NEW EVIDENCE SHALL NOT BE PERMITED OR CALLED FOR OR ANY WITNESS SHALL NOT BE RECALLED TO FILL UP ANY GAP IN THE

EVIDENCE. SUCH EVIDENCE MAY BE CALLED FOR ONLY WHEN THERE IS AN INHERENT LACUNA OR DEFECT IN THE EVIDENCE WHICH HAS BEEN PRODUCED ORIGINALLY.

16. When the case for the disciplinary authority is closed, the employee shall be required to state his defence orally or in writing,as he may prefer. If the defence is made orally, it shall be recorded, and the employee shall be required to sign the record. In either case, a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any, appointed.

17. The evidence on behalf of the employee shall then be produced. The employee may eamine himself in his own behalf if he so prefers. The witness produced by the employee shall then be examined and shall be liable to cross examination , re -examination and examination by the inquiring authority according to the provisions applicable to the witnesses for the disciplinary authority.

18. The inquiring authority may, after the employee closes his case, and shall, if the employee has not examined himself, generallly question him on the circumstance appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the employee to explain any circumsteance appearing in the evidence against him.

19. The inquiring authority may, after the completion of the production of evidence, hear the Presenting Officer , if any, appointed and the employee, or permit them to file written briefs of their respective case, if they so desire.

20. If the employee to whom a copy of the articles of charge has been delivered, does not submit the written statement of defence on or before the date specified for the purpose or does

not appear in person before the inquiring authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this rule, the inquiring authority mayhold the inquiry ex-parte.

21.a Where a disciplinary authority competent to impose any of the penalties specified in clauses a to e. of Regulations 23 (but not competent to impose any of the penalties specified in clause(f) to ~~to~~ (j) of Regulation 23 , has itself inquired into or caused to be inquired into the articles of any charge and that authority having regard to its own findings or having regard, to its decision on day of the findings of any inquiring authority appointed by it, is of the opinion that the penalties specified in clauses f to j of Rule 33 should be imposed on the employee, that authority shall forward the records of the inquiry to such disciplinary authority as is competent to impose the last mentioned penalties.

b. The disciplinary authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on the record or may,if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interest of justice, recall the witnesses and examine, cross-examine and re-examine the witnesses and may impose on the employee such penalty as it may deem fit in accordance with these regulations.

22. Whenever any inquiring authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another inquiring authority which has, and which exercises, such jurisdiction, the inquiring authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself.:

Provided that if the succeeding inquiry authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice, it may recall, examine, cross-examine and re-examine any such witnesses as hereinbefore provided.

23. i. After the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall contain

a) The articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;

b) The defence of the employee in respect of each article of charge;

c) An assessment of the evidence in respect of each article of charge;

d) The findings on each article of charge and reasons therefor.

EXPLANATION: If in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry establish any article of charge different from the original articles of the charge, it may record its findings on such article of charge:

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the employee has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

ii) The inquiring authority where it is not itself the disciplinary authority shall forward to the disciplinary authority the records of inquiry which shall include.

a) the report prepared by it under clause (i)

b) the written statement of defence, if any, submitted by the employee.

c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry.

d) written briefs, if any, filed by the Presenting Officer or the employee or both during the course of the inquiry and

e) the orders , if any, made by the disciplinary authority and the inquiring authority in regard to the inquiry.

REGULATION 26. ACTION ON THE INQUIRY REPORT.

1. The disciplinary authority, if it is not itself the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing , remit the case to the inquiring authority for further inquiry and report and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of Regulation 25 as far as may be.

1A. The disciplinary authority shall forward or cause to be forwarded a copy of the report of the inquiry, if any, held by the disciplinary authority or where disciplinary authority is not the inquiring authority, a copy of the report of the inquiring authority to the employee who shall be required to submit, if he so desires, his written representation or submission to the disciplinary authority within fifteen days irrespective of whether the report is favourable or not to the employee.

1B. The disciplinary authority shall consider the representation if any, submitted by the employee before proceeding further in the manner specified in sub-regulation (2) to (4).

2. The disciplinary authority shall , if it disagrees with the findings of the inquiring authority on any article of charge, records its reasons for such disagreement and record its own

findings on such charge if the evidence is sufficient for the purpose.

3. If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (a) to (e) of Regulation 23 should be imposed on the employee it shall, notwithstanding anything contained in Regulation 26 make an order imposing such penalty.

4. If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of the evidence adduced during the inquiry is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (f) to (j) of Regulation 23 should be imposed on the employee, it shall make order imposing such penalty and it shall not be necessry to give employee any opportunity of making represesntation on the penalty proposed to be imposed.

REGULATION 27

PROCEDURE FOR IMPOSING MINOR PENALTIES.

1. Subject to the provisions of sub-regulation (3) of Regulation 26, no order imposing on an employee any of the penalties specified in clause (a) to (e) of Regulation 23 shall be made except after:

a) Informing the employee in writing of the proposal to take action against him and of the imputation of misconduct or misbehaviour on which it is proposed to be taken, and giving him reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal.

b) holding an inquiry in the manner laid down in sub-regulation (3)to (23) of Regulation 25 in every case in which the disciplinary authority is of the opinion that such inquiry is necessary.

c) taking the representation, if any, submitted by employee under clausse (a) and the record of inquiry, if any held under clause (b) into consideration.

2. Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-regulation (1) if in a case it is proposed after considering the representation, if any, made by the employee under clause (a) of that sub-regulation to with-hold increments of pay and such with-holding of increments is likely to adversely effect the amount of pension payable to the employee or to with-hold increments of pay for a period exceeding three years or to with-hold increments of pay with cumulative effect for any period, an inquiry shall be held in the manner laid down in sub-regulation (3) to (23)of Regulation 25 before making any order imposing on the employee such penalty.

3. The record of the proceedings in such cases shall include,

i) a copy of the intimation to the employee of the proposal to take action against him.

ii) a copy of the statement of imputation of misconduct or misbehaviour delivered to him.

iii) his representation, if any.

iv) the evidence produced during the inquiry.

v) the findings on each imputation of misconduct or misbehaviour; and

vi) the orders on the case together with the reason therefor.

REGULATION 28
COMMUNICATION OF ORDERS.

Order made by the Disciplinary Authority under Regulation 26 or Regulation 27 shall be communicated to the employee concerned who shall also be supplied with a copy of the report of inquiry, if any, its findings on each article of charge or where disciplinary authority is the Inquiring Authority, a statement of findings of the disciplinary authority together with the brief reasons for its disagreement, if any with the findings of the inquiry authority.

REGULATION 29

COMMON PROCEEDINGS.

Where two or more employees are concerned in a case, the authority competent to impose a major penalty on all such employees may make an order directing the disciplinary proceedings against all of them be taken in a common proceedings and the specified authority may function as the disciplinary authority for the purpose of such common proceedings.

REGULATION 30
SPECIAL PROCEDURE IN CERTAIN CASES.

Notwithstanding anything contained in Regulation 25 or 26 or 27, 28 and 29 , the disciplinary authority may impose any of the penalties specified in Regulation 23 in any of the following circumstances.

1. The employee has been convicted on a criminal charge or on the strength of facts or conclusions arrived at by a judicial trial, or

2. Where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably

practicable to hold an inquiry in the manner provided in these rules ; or.

3. Where the Chairman of the Authority is satisfied that in the interest of the security of the State/ authority, it is not expedient to hold any inquiry in the manner provided in these rules.

Provided the employee may be given an opportunity of making representation on the penalty proposed in (1) above before the penalty is imposed.

REGULATION 30-(A).

Notwithstanding anything contained to the contrary in any other regulation the service of any employee may be terminated by the Authority if:

a) his post is abolished.

b) he is declared on medical grounds to be unfit for service in the Authority , or.

c) he remains on unauthorised absence for sixty days or more.

EXPLANATION

1. In the cases of (a) and (b) above, the service shall be terminated after giving three months notice to a permanent employee and one month notice to a temporary employee or pay in lieu thereof in both the cases.

2. In the case of (c) above, services of an employee shall be terminated if he fails to explain his conduct satisfactorly within 15 days from the date of receipt of the Show Cause Notice by him. The management shall be empowered to take decision without resorting to further inquiries.

3(a) The decision in case of (c) above would be taken only with the prior approval of the competent authority.

b The reason for the decision would be recorded in writing.

REGULATION 31
EMPLOYEES ON DEPUTATION FROM THE CENTRAL GOVERNMENT OR THE STATE GOVERNMENT ETC.

i) Where an order of suspension is made or disciplinary proceedings is taken against an employee, who is on deputation to the Authority from the Central or State Govt, or another public undertaking or a local authority, the authority lending his srvices(hereinafter ref. to as the 'Lending Authority') shall forthwith be informed of the circumstances leading to the order of his suspension, or the commencement of the disciplinary proceedings, as the case may be.

ii) In the light of the findings in the disciplinary proceeding taken against the employee:-.

a) If the Disciplinary Authority is of the opinion that any of the minor penalties should be imposed on him, it may pass such order on the case as it deems necessary after consultation with the Lending Authority; provided that in the event of a difference of opinion between the Disciplinary and the Lending Authority, the services of the employee shall be placed at the disposal of the Lending Authority.

b) If the Disciplinary Authority is of the opinion that any of the major penalties should be imposed on him, it should replace his services at the disposal of the Lending Authority and transmit to it the proceedings of inquiry for such action as it deems necessary.

iii) If the employee submits an appeal against an order imposing a minor penalty on him under sub-regulation (ii) (a), it will be

disposed of after consultation with the Lending Authority: Provided that if there is a difference of opinion between the Appellate Authority, and the Lending Authority, the services of the employee shall be placed at the disposal of the Lending Authority and the proceedings of the case shall be transmitted to the authority for such action it deems necessary.

REGULATION 32: ORDERS AGAINST WHICH NO APPEAL LIES.

i) any order made by the Authority.

ii) any order of an interlocutory nature or of the nature of a step in aid of the final disposal of a disciplinary proceeding, other than an order of suspension;

iii) any order passed by an inquiring authority in the course of an inquiry under regulation 25.

REGULATION 32 (A) ORDERS AGAINST WHICH APPEAL LIES.

Subject to the provisions of Regulation 32 an employee may prefer an appeal against all or any of the following orders, namely :-

i) an order of suspension made or deemed to have been made under Regulation 20.

ii) an order imposing any of the penalties specified in Regulation 23 whether made by the disciplinary authority or by any appellate or revising authority.

iii) an order enhancing any penalty, imposed under Regulation 23

iv) an order which-

a) denies or varies to his disadvantage his pay, allowances,pension or other conditions of service as regulated by rules or by agreement; or

b) interprets to his disadvantage the provisions of any such rule or agreement.

v) an order—

a) stopping him at the efficiency bar in the time scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar.

b) reverting him while officiating in a higher service, grade or post, to a lower service, grade or post, otherwise than as a penalty.

c) reducing or with-holding the pension or denying the maximum pension admissible to him under the rules.

d) determining the subsistence and other allowances to be paid to him for the period of suspension or for the period during which he is deedmed to be under suspension or for any portion thereof.;

e) determining his pay and allowances:

i) for the period of suspension, or

ii) for the period from the date of his dismissal, removal, or compulsory retirement from service, or from the date of his reduction to a lower service, grade, post, time scale or stage in a time scale of pay, to the date of his reinstatement or restoration to his service, grade or post ; or.

f) determining whether or not the period from the date of his suspension or from the date of his dismissal, removal compulsory retirement or reduction to a lower service, grade, post , time scale of pay or stage in a time scale of pay to the date of his reinstatement or restoration to this service, grade or post, shall

be treated as a period spent on duty for any purpose.

EXPLANATION; IN THIS REGULATION

i) the expression "empoloyee"includes a person who has ceased to be in Govt. service.

ii) the expression pension; includes additional pension, gratuity and any other retirement benefit.

REGULATION 32B

APPEALS

i. An employee may appeal against an order imposing upon him any of the penalties specified in regulation 23 or against the order of suspension ref. to in Regulation 20. The appeal shall lie to the Authority specified in the Schedule.

ii) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) above an appeal against an order in a common proceeding held under Regulation 29shall lie to the authority to which the authority functioning as the disciplinary authority for the purpose of that proceeding is immediately subordinate;

iii) Where the person who made the order appealed against becomes, by virtue of his subsequent appointment or otherwise, the appellate authority in respect of such order, an apeal against such order shall lie to the authority to which such person is immediately subordinate.

REGULATION 32 C.
PERIOD OF LIMITATION OF APPEALS.

No appeal preferred under Regulation 32(B) shall be entertained unless such appeal is preferred within a period of forty five days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant.

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

Regulation
~~Rule~~ 32 D

FORM AND CONTENTS OF APPEAL.

1) Every person preferrring an appeal shall do so separately and in his own name.

2) The appeal shall be presented to the authority to whom the appeal lies, a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statement and arguments on which the appellant relies, shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself.

3) The authority which made the order appealed against shall, on receipt of a copy of the appeal, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the appellate authority without any avoidable delay, and without waiting for any direction from the appellate authority.

REGULATION 32 E.

CONSIDERATION OF APPEAL

1. In the case of an appeal against an order of suspension, the appellate authority shall consider whether in the light of the provisions of Regulation 20 and having regard to the circumstances of the case, the order of suspension is justified

and not and confirm or revoke the order accordingly.

2. In the case of an appeal against an order imposing any of the penalties specified in Regulation 23 or enhancing any penalt imposed under the said regulation , the appellate authority shall consider,

a) whether the procedure laid down in these regulation has been complied with and if not, whether such non-compliance has resulted in the violation of any provisions of the Constitution of India or in the failure of justice,

b) Whether the findings of the disciplinary authority are warranted by the evidence o n the record ; and

c) Whether the penalty or the enhanced penalty imposed is adequate or inadequate or severe and pass orders,

i) confirming, enhancing, reducing, or setting aside the penalty;

ii) remitting the case to the authority which imposed or enhanced the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of these cases.

Provided that :

i) if such enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specfified in clauses (f) to(j) of regulation 23 and inquiry under Regulation 25 has not already been held in the case, the appellate authority shall, subject to the provisions of Regulation 30 , itself hold such inquiry or direct that such inquiry be held in accordance with

the provisions of Regulation 25 and thereafter, on a consideration of the proceedings of such inquiry, make such orders as it may deem fit.;

iii) if the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (f) to(G j) of Regulation 23 and an enquiry under Regulation 25 has been held in the case, the appellate authority shall make such orders as it may deem fit after the appellant has been given a reasonable opportunity of making a representation against the proposed penalty ; and

iv) no order imposing an enhanced penalty shall be made in any other case unless the appellant has been given a reasonable opportunity , as far as may be, in accordance with the provisions of Regulation 27 of making a representation against such enhance penalty.

3. In an appeal against any other order specified in Regulation 32 A appelate authority shall consider all the cirumstances of the case and make such orders as it may deem just and equitable.

REGULATION 32 F.

IMPLEMENTATION OF ORDERS IN APPEAL.

The authority which made the order appealed against shall give effect to the orders passed by the appellate authority.

REGULATION 32 G

REVISION

1. NOTWITHSTANDING ANYTHING CONTAINED IN THESE RULES.

i) The Authority

ii Chairman/ Vice-Chairman.

or

iii) the appellate authority, within six months of the date of the order proposed to be revised or.

iv) any other authority specified inthis behalf by the Authority by a general or special order, and within such time as may be prescribed in such general or special order.

may at any time, either on his or its own motion or otherwise call for the records of any inquiry and revise any order made under these regulation and may.

a) confirm, modify or set aside the order ; or

b) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order or impose any penalty where no penalty has been imposed ; or.

c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such authority to make such further enquiry as it may consider proper in the circumstances of the case; or.

d) pass such other orders as it may deem fit.

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by any revising authority unless the employee concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed and where it is proposed to impose any of the penalties specified in clauses(f) to(j) of Regulation 23 or to enhance the penalty imposed by the ordere sought to be revised to any of the penalties specified in these clauses and if an enquiry under Regulation 25 has not already been held in the

case no such penalty shall be imposed except after an inquiry in the manner laid down in Regulation 25 subject to the provisions of Regulation 30.

Provided further that no power of revision shall be excecised by the Head of the Deptt. unless

i) the authority which made the order in appeal,or

ii) the authority to which an appeal would lie, where no appeal has been preferred , is subordinate to him.

2) No proceeding for revison shall be commenced until after

i) the expirty of the period of limitation for an appeal , or

ii) the disposal of the appeal, where any such appeal has been preferred.

3. An application for revison shall be dealt with in the same manner as if it were an appeal under these rules.

REGULATION 33

REVIEW

The Authority may, at any time, either on his own motion or otherwise review any order passed under these rules, when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under reiview and which has the effect of changing the nature of the case, has come, or has been brought , to his notice.

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by the Authority unless the employee concerned has been given a reasonable opportunityof making a representation against the penalty proposed or where it is proposed to impose any of the major penalties specified in Regulation 23 or to enhance the minor penalty imposed by the order sought to be reviewed to any

of the major penalties and if an enquiry under Regulation 25 has not already been held in the case, no such penalty shall be imposed except after inquiring in the manner laid down in Regulation 25,subject to the provisions of Regulation 30.

REGULATION 34

SERVICE OF ORDER NOTICES ETC.

Every order, notice and other process made or issued under these rules shall be served in person on the employee concerned or communicated to him by registered post at his last known address.

REGULATION 35
POWER TO RELAX TIME LIMIT AND TO CONDONE DELAY.

Save as otherwise expressly provided in these rules, the authority competent under these rules to make any order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time specified in these rules for anything required to be done under these rules or condone any delay.

REGULATION 36
SAVINGS.

1. Nothing in these regulation shall be construed as depriving any person to whom these regulation apply, of any right of appeal which had occured to him under the rules, which have been superseded by these rules.

2. An appeal pending at the commencement of these regulation against an order made before the commencement of these regulation shall be considered and orders thereon shall be made, in accordance with these regulations.

3. The proceedings pending at the commencement of these regulations

shall be continued and disposed of as far as may be, in accordance with the provisions of these regulations , as if such proceedings were proceedings under these regulations .

4. Any misconduct etc., committed prior to the issue of these regulations which was a misconduct under the superseded regulations shall be deemed to be misconduct under these regulations .

REGULATION 37
REMOVAL OF DOUBTS.

Where a doubt arises as to the interpretation of any of these rules, the matter shall be ref. to the competent authority for final decision.

REGULATION 38

AMENDMENTS.

The competent authority may amend, modify or add to these rules, from time to time, and all such amendments, modifications or additions shall take effect from the date stated therein.

DELEGATIONS UNDER D.D.A. (CONDUCT REGULATIONS)

S.No.	No. of Regulation	Matters to be reported/permitted	Group 'A'	Group 'B'	Group 'C'	Group 'D'
1.	6 (2)	Employment in any company or a firm of a son or daughter or other dependent of an employee with whom he has official dealings or with which DDA has official dealings.	VC in r/o Member of DDA, Pr.Commr., CVO (ii) Member, DDA in r/o Chief Architect, CE(C),CE(E), Commr.(Plg.) Commr., Secy. Dir(PR), Dir(LC), Dir(LSA), CLA (iii) Rest of Group 'A' officers-Pr.Commr	Comm(P)	Director(P)	Director(P)
2.	6(3)	Giving or sanction of contract to company/firm in which family member employed or has interest in the contract.	- do -	Commr.(P)	Director(P)	Director(P)
3.	8(1) & 8(II)	Owning a newspaper or other periodical publication or electronic media and participation in editing etc.	- do -	- do -	- do -	- do -
4.	10(1)	Evidence before an enquiry conducted by any person/ committee or authority.	- do -	- do -	- do -	- do -
5.	5(15)	Subscription/collection of funds	- do -	- do -	- do -	- do -
6.	Note(2) below Rule 12	Acceptance of gifts on the occassion of wedding etc.	- do -	- do -	- do -	- do -
7.	Note(4) below Rule 12	Acceptance of gifts in other cases.	- do -	- do -	- do -	- do -

8.	13(i) & 13(ii)	Private trade or employment etc.	- do -	- do -	- do -	- do -	
9.	13(3)	Taking part in registration, promotion or management of a charitable society etc. or a cooperative society substantially for the benefit of a Govt. servant.	- do -	- do -	- do -	- do -	
10.	15(3)	Accepting any fee for any work done by him for any private or public body or any private person.	- do -	- do -	- do -	- do -	Quantium of fees will be decided in consultation with Finance and Accounts.
11.	Rule 14	Landing and borrowing.	- do -	- do -	- do -	- do -	
12.	15(2)	Full facts of legal proceedings against Govt. servant for recovery of any debts or for adjudging him, as insolvent.	(i)Posts carrying a pay or scale of pay max. which is not less than Rs. 22400/- Chairman (ii)Posts carrying a pay or scale of pay max. of which is not less than Rs. 13500/- but less than Rs. 22400/- Vice Chairman	Any full time member Principal Commr.	Commr.(P)	Director(P) (Authority competent to remove or dismiss him from service.	
13.	16(1) & (2)	Acquisition or disposing immovable property either employee's name or in the name of his family.	VC in r/o Member of DDA, Pr.Commr., CVO (ii)Chief Architect,CE(C) C.E.(E),Commr.(Plg.) Member, DDA in r/o Commr., Secy., Dir(PR), Dir(LC), Dir(LSA), CLA.	Commr.(P)	Director(P)	Director(P)	
14.	16(3)	Transaction of movable property more than Rs. 15,000/- for Group 'A' & 'B' employees and more than Rs. 10,000/- for Group 'C' & 'D' employees.	- do -	- do -	- do -	- do -	

SCHEDULE OF DISCIPLINARY AUTHORITIES - SCHEDULE TO REGULATION 3(d) OF DDA (CONDUCT, DISCIPLINE & APPEAL) REGULATIONS , 1998 -

S.No.	Title of service or post	Appointing Authority	Authority empowered to impose penalty and place the employees under suspension.	Penalties	Appellate Authority
Group 'A'					
1.	Carrying a pay or a scale of pay the max. of which is equivalent to or over Rs. 22,400/- except those appointed by Govt. of India.	Chairman	Chairman	All penalties	M/o Urban Affairs & Employment
2.	Carrying a pay or a scale of pay the max. of which is less than Rs. 22,400/- but not less than Rs. 13,500/- except those appointed by the Govt. of India.	Vice-Chairman	Vice-Chairman	All penalties	Chairman
GROUP 'B'					
3.	A post carrying a pay or scale of pay with a max. of not less than Rs. 9000/- but less than Rs. 13,500/-.	Any full time member	(i) Any full time member	All penalties	Vice-Chairman
			(II) Commissioner(Pers.)	Minor penalties	Any full time member of DDA, Pr.Commissioner.
GROUP 'C'					
4.	A post carrying a pay or a scale of pay with a max. of over Rs. 4000/- but less than Rs.9000/-.	Commissioner(Pers.)	(i) Commissioner(Pers.)	All penalties	Any full time member of DDA, Pr.Commissioner.
			(ii) Director(Pers.)	Minor penalties	Commissioner(P).

GROUP 'D'

5.	A post carrying a pay or a scale of pay with max. of which is Rs.4000/- or less.	Director(Pers.)	Director(Pers.)	All penalties	Commissioner(P)
			Jt.Dir(P)/Dy:Dir(P)	Minor penalties	Director(Pers.)

Note: (a) For the purpose of this regulation 'pay' has the meaning assigned to it in F.R. 9(21) (a) (i);

(b) The pay or scale of pay of a post means the pay or scale of pay prescribed by the Authority. Provided that the posts created after 1.1.1986 as specific additions to existing cadres shall have the same classification as posts in the cadre to which they are attached.

(c) As and when pay scales are revised consequent on general pay revision, the scale of pay viz-a-vis classification of posts remain the same as above.

STANDARD FORMS

Guidelines for the use of standard Forms

The orders should be signed by the authority which passed the order:-

The form should not be used mechanically. Where necessary suitable modifications should be made to meet the requirements of a particular case (DP&AROM/NO.109/3/80-AVD-I dated 21st July, 1980).

STANDARD FORMS

1. Order placing an employee under Suspension
2. Order of Deemed Suspension
3. Certificate by the suspended officer for payment of Subsistance Allowance
4. Revocation of Suspension
5. Communication of allegations for Minor Penalty Action
6. Charge sheet for Major Penalty action.
7. Appointment of the Inquiring Authority
8. Appointment of the Presenting officer.
9. Change of the Inquiring Authority
10. Order for Instituting Common Proceedings
11. Appointment of Inquiring Authority in Common proceedings
12. Appointment of Presenting Officer in Common proceedings.
13. Notice giving opportunity to the charged officer for making submission on report of Inquiry.
14. Show cause Notice for action consequent upon conviction by a Court of Law.
15. Operative part of an Order imposing Penalty of Reduction to a lower stage in a Time Scale.

16. Operative part of an Order imposing Penalty of Reduction to a Lower Post/Grade Time Scale of Pay/service.

17. Order of penalty consequent upon Conviction on Criminal charge.

18. Setting aside the Order of Penalty on Acquittal of the employee in the Criminal Case.

19. Order to hold further inquiry where Conviction has been set aside on technical grounds.

20. Final Order where inquiry was dispensed with as it was not reasonably practicable to hold it.

STANDARD FORMS

(1)

STANDARD FORM ORDER OF SUSPENSION ORDER

Whereas a disciplinary proceedings against Sh._____ (Name & designation) is contemplated/pending.

Whereas a disciplinary proceedings against Sh._____ (Name & designation) in r/o a criminal offence is under investigation/inquiry/trial.

Now, therefore, the _____ (Authority competent to place under suspension), in exercise of powers conferred by sub-rule _____ of rule _____ of the (the rules in terms of which suspension is ordered), hereby places the said Sh._____ under suspension with immediate effect w.e.f the date on which this order is communicated to him.

It is further ordered that during the period that this order shall remain in force, the Headquarters of Shri _____ shall be _____ (name of place) and the said Shri _____

shall not leave the said headquarters without obtaining the permission of the undersigned.

Signature _____

Name & Designation of the suspending Authority

No. _____ Dated, the _____

Copy to Shri _____ (name and designation). Order regarding subsistence allowance admissible to him during the period of his suspension will issue separately.

(Copies should also be endorsed to the Pay and Accounts Officer who authorises the drawal of his salary; the Cash and Accounts Section of the Department; Establishment Section for making an entry in the Service Book; the Appointing Authority, if the order is made by some other authority; and the Lending authority (in the case of borrowed officer). The reasons for suspension should be communicated to the Appointing Authority and the Lending Authority, separately, through confidential letters.

STANDARD FORM FOR ORDER OF DEEMED SUSPENSION IN CASE OF DETENTION OF THE EMPLOYEE

WHEREAS a case against Shri _____ (name and designation of the employee in respect of a criminal offence is under investigation/inquiry/trial;

AND WHEREAS the said Shri _____ was detained in custody on _____ for period exceeding forty-eight hours;

NOW, THEREFORE, the said Shri _____ is deemed to have been placed under suspension by an order of the appointing

authority w.e.f. _____ in terms of sub-rule _____ of rule _____ of the (the Rules in terms of which the deemed suspension takes effect), until further orders.

Signature _____

Name and Designation of the Appointing Authority

CERTIFICATE BY THE SUSPENDED OFFICER FOR PAYMENT OF SUBSISTENCE ALLOWANCE

I, _____ (name and designation of the suspended employee) having being placed under suspension vide Order No. _____ dated the _____ while holding the post of _____ do hereby certify that I have not been employed in any business, profession or vacation for profit/ remuneration/salary during the period from _____ to _____.

Signature _____

Name and Address of the suspended employee

Amit Pls Fly. Documents

STANDARD FORM FOR REVOCATION OF ORDER OF SUSPENSION

WHEREAS an Order placing Shri _____ (name and designation), under suspension, was made/was deemed to have been made by _____ on _____;

NOW, therefore, the Chairman/undersigned, in exercise of the powers conferred by Rule _____ (here mention the relevant rule) hereby revokes the said order of suspension, with immediate effect.

Signature _____

Name and Designation of the Appointing Authority competent to revoke the order of suspension

No. _____ Dated, the _____

Copy to Shri _____ (name designation and address of the officer under suspension).

(Copies should also be endorsed to the Pay and Accounts Officer; the Cash & Accounts Section of the Department; Establishment section for making an entry in the Service Book; the Appointing Authority, if the order is made by some other authority; and the Lending authority in the case of borrowed officer).

COMMUNICATION OF ALLEGATIONS FOR MINOR PENALTY ACTION

M E M O R A N D U M

Sh. _____ (name and designation), in the office of _____ is hereby informed that it is proposed to take action against him under Rule .....of the D.D.A.(Conduct DxA

Rules) 1998. A statement of the imputations of misconduct or misbehaviour on which action is proposed to be taken as mentioned above, is enlcosed.

2. Shri_____is hereby given an opportunity to make such representation as he may wish to make against the proposal.

3. If Shri_____fails to submit his representation within 10 days of the receipt of this Memoreandum, it will be presumed that he has no representation to make and orders will be liable to be passed against him ex-parte.

4. The receipt of this memorandum should be acknowledged by Shri/_____.

Signature.

Name and designation of the competent disciplinary authority.

To

Shri_____

_____

(MHA O.M. No. 234/18/65-AVD.(II) , dated 5th March, 1966).

CHARGE SHEET FOR MAJOR PENALTY ACTION

MEMORANDUM

The Chairman/undersigned proposed to hold an inquiry against Shri._____under *(Rule of the D.D.A. Conduct and Disciplinary and Appeal Rule.1999. The substance of the imputationof misconduct or misbehaviour in respect of which

the inquiry is proposed to be held is set out in the enclosed statement of articles of charge (Annexure I). A statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge is enclosed (AnnexureII). A list of documents by which, and a list of witness by whom, the articles of charge are proposed to be sustained are also enclosd (Annexures III &IV).

2.Shri_____is directed to submit within 10 days of the receipt of this Memorandum a written statement of his defence and also to state whether he desires to be heard in person.

3. He is further informned that an inquiry will be held only in respect of those articles of charge as are not admitted. He should, therefore, specifically admit or deny each article of charge.

4. Shri_____is further informed that if he does not submit his written statement of defence on or before the date specified in para 2 above, or does not appear in person before the inquiring authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of *(the DA (Conduct and A &A) or the orders/directions issued in pursuance of the said Rule, the inquiring authority may hold the inquiry against him ex-parte.

5. Attentionn of Shri_____is invited to (Rule _____), under which no employee shall bring or attempt to bring any politcal or outside influence to bear upon any superior authority to further his interest in respect of matters pertaining to his service under the authority. If any repressentation is received on his behalf from another person in

respect of any matter dealt with in these proceedings, it will be presumed that Shri _____ is aware of such a representation and that it has been made at his instance and action may be taken against him for violation of *(Rule _____)

6. The receipt of the memorandum may be acknowledged.

Signature.....

Name and Designation of the disciplinary authority.

*(here quote the relevant rule)

To.

Sh. _____

_____.

ANNEXURE I

Statement of articles of charge framed against Shri _____.

Article I

That the said _____ while functioning as _____ during the period _____.

Article II.

That during the aforesaid period and while functioning in the office, said Shri _____.

ANNEXURE III

Statement of imputations of misconduct or misbehaviour in support of articles of charge framed against Shri _____.

Article I

Article II

ANNEXURE III

List of documents by which the articles of charge framed against Shri _____ are proposed to be sustained.

ANNEXURE IV

List of witnesses by which the articles of charge framed against Shri _____ are proposed to be substantiated.

(MHA O.M. No. 234/18/65-AVD.(II) , dated 5th March, 1966).

Appointment of the Inquiring Authority

ORDER

WHEREAS an inquiry under *Rule.....of conduct & D and designation of the charged employee).

AND WHEREAS the Chairman/undersigned considers that a Board of Inquiry/Inquiry Officer should be appointed to inquire into the charges framed against him.

NOW THEREFORE, the Chairman/undersigned in exercise of powers

conferred by *(_____) , hereby appoints the Board of Inquiry consisting of _____Shri _____(name and designation) as the Inquiring Authority to inquire into the charges framed against Shri _____.

*(.) here quote the relevant rule

Signature_____

Name and Designation of the Disciplinary authority.

Copy to:

1. Shri_____(name and designation of the charged employee).

2. Shri_____(name and designation of the inquiry officer).

3. Shri _____(Name and designation of the Presenting Officer, if any appointed.

4. The Central Vigilance Commission(wherever applicable)

5. The Lending authority, in case of a borrowed officer.

APPOINTMENT OF THE PRESENTING OFFICER

ORDER

WHEREAS an inquiry under *(Rule 16 of the DDA Conduct and D&A Rules) is being held against Shri.....(name and designation of the charged employee).

AND WHEREAS the Chairman/undersigned considers it necessary to appoint a Presenting Officer to present the case in support of articles of charge against the said officer before the Inquiring Authority.

NOW, THEREFORE, the Chairman/Undersigned, in exercise of the powers conferred by *( ) of the said rule, hereby appoints Shri.....(name and designation) as the Presenting Officer to present the case in support of the articles of charge against the said officer, before the inquiring authority.

Signature_____

*( ) here quote relevant rule Name and designation of the disciplinary authority

Copy to:

1. Shri _____(name and designation of the charged employee).

2. Shri_____(name and desingaztion of the inquiry officer.)

3. Shri_____(name and deisngation of presenting Officer)

4. The C.V.C./the C.B.I. (wherever applicable).

STANDARD FORM FOR CHANGE OF INQUIRING AUTHORITY

ORDER

WHEREAS an inquiry under (Rule_____ of the DDA Conduct and D&A Rules, 1998) is being held against Shri_____(name and designation of the charged employee).

WHEREAS Shri _____(name and designation

of the inquiry officer) was apointed as the inquiring authority to inquire into the articles of charge against Shri_____vide order no. _____dated the_____.

AND WHEREAS Shri_____(name of the previous inquiry officer) after having heard and recorded part of the evidence has ceasaed to exercise jurisdiction consequent upon his_____(here give reasons.) and it is necessary to appoint another officer as Inquiring authority to inquire into the charges against Shri_____.

NOW THEREFORE, THE Chairman/undersigned in exercise of the powers conferred of the powers conferred by (rule to be quoted)_____)hereby appoints Shri_____(name and designation of the new Inquiring Authority) as the Inquiring Authority to inquire into the charges against the said Shri_____(name and designation of the charged employee vice Sh._____(name of the previous Inquiry Officer).

Signatsure_____

Name and Designation of the disciplinary authority.

Copy to:

1. Shri._____(name and designation of the charged employee)

2. Shri_____(name and designation of the inquiry officer)

3. Shri_____(name and designation of the previous inquiry officer)

4. Shri _____(name and designation of

presenting officer, if any appointed.)

5. The Central Vigilance Commission(wherever applicable)

6. The Lending authority, in case of a borrowed officer.

ORDER FOR INSTITUTING COMMON PROCEEDINGS

ORDER

WHEREAS the officers specified below are jointly concerned in a disciplinary case.

NOW THEREFORE in exercise of powers conferred by Rule .....of DDA (Conduct and D&A Rules , 1999) the Chairman/undersigned hereby directs

i) that the disciplinary action against all the said officers be taken in a common proceeding.

ii) that Shri _____(name and designation) shall function as the Disciplinary Authority for the purpose of the common proceedings and shall be competent to impose the penalities, namely_____specify the penalties_____

iii) that the proceedure prescribed in (Rule_____) shall be followed in the said proceedings.

singnature_____

Name and designation of the competent authority

*(here quote the relevant rule)

copy to all officers concerned.

N-33

APPOINTMENT OF INQURING AUTHORITY IN COMMON PROCEEDINGS

ORDER

WHEREAS an inquiry under *Rule of Condct & D&A Rules, 1999 of the DDA is being held against the officer specified below:

:

AND WHEREAS common proceedings have ordered against the said officers>

AND WHEREAS the chairman/undersigned considers that a Board of Inquiry/Inquiry officers should be appointed to inquire into the charges framed against the said officers.

NOW THEREFORE, the Chairman /undersigned, in exercise of the powers conferred by (sub rule*_____) hereby appoints the Board of Inquiry consisting of _____Shri_____(name and designation) as the Inquiring Authority to inquire into the charges framed against the said officers.

signauture_____

*( ) here quote the relevant rule.

Name and deisngation of the competent authority.

Copy to:

1. Shri._____(name and designation of the charged employee)

2. Shri_____(name and designation of the inquiry officer)

3. Shri _____(name and designation of

presenting officer, if any appointed.)

4. The Central Vigilance Commission(wherever applicable)

5. The Lending authority, in case of a borrowed officer.

APPOINTMENT OF THE PRESESNTING OFFICER IN COMMON PROCEEDINGS.

ORDER

WHEREAS an inquiry under Rule Conduct D&A Rules, 1998 is being held against the officers specified below:

_____ _____ _____

AND WHEREAS common proceedings have been ordered against the said officers>

AND WHEREAS the chairman/undersigned considers if necessary to appoint a presenting officer to present the case in support of articles of charges framed against the said officers before the Inquiring Authority.

NOW THEREFORE, the Chairman /undersigned, in exercise of the powers conferered by (rule*_____) hereby appoints _____Shri_____(name and designation) as the Presenting officer to present the case in support of articles of charge framed against the said officers before the Inquiring Authority.

signautre_____

*( ) here quote the relevant rule.

Name and deisngation of the Disciplinary authority.

Copy to:

1. Shri._____(name and designation of the charged employee)

2. Shri_____ and designation of the inquiry officer)

3. Shri_____(name and designation of the Presenting officer.

4. The C.V.C./ the CBI (wherever appliable).

NOTICE GIVING OPPORTUNITY TO THE CHARGED OFFICER FOR MAKING HIS SUBMISSION ON THE REPORT OF INQUIRY

A copy of the report of inquiry to be forwarded to the Government Servant concerned with the following endorsement.

"The report of the Inquiry Officer is enclosed. The Discilplinary Authority will take a suiteable decision after considering the report. If you wish to make any representation or submission, you may do so in writing to the Disciplinary Authority within 15 days of receipt of this letter">

(DOP&T O.M . NO> 11012/13/85-ESTT.1A, dated 26.6.89.).

SHOW CAUSE NOTICE FOR ACTION CONSEQUENT UPON CONVICTION BY A COURT OF LAW

MEMORANDUM

WHEREAS, the Court of _____vide its judgement dated_____in the criminal case , State V/S.....(No. of_____) has convicted Shri_____(name and designation) on a criminal charge under section_____of the IPC._____/Act, on the charge of_____and Shri_____has been awarded the sentence of _____.

AND WHEREAS the undersigned has carefully considered the ground of the conduct of Shri_____which has lid to his conviction, as aforesaid, and is of the opinion that

because_____(here briefuly mention reasons for taking departmental action) the circumstanaces of the case warrant the impostion of the penalty of _____on him. It is, therefore, proposed to impose the said penalty on him, in terms of (Rule*_____.

NOW THEREFORE, Shri_____is hereby given an opportunity of making representation on the penalty proposed above. Any representation which he may wish to make on the penalty proposed will be considered by the undersigned. Such representation, if any, should be made in writing and submitted so as to reach the undersigned not later than fifteen days from the date of receipt of this Memorandum by Shri_____."

The receipt of this Memorandum may please be acknowledged.

Signature.

Name and deisngation of the disciplinary authority.

*( ) here qote the relevant rule.

STANDARD FORM FOR THE OPERATIVE PART OF AN ORDER IMPOSING THE PENALTY OF REDUCTION TO A LOWER STAGE IN A TIME SCALE OF PAY.

"It is , therefore, ordered that the pay of Shri_____be reduced by_____from Rs._____to Rs._____in the time scale of pay for a period of_____years/months with effect from_____.

It is further directed that Shri_____will/wil not earn increments of pay during the period of reduction, and that on the expiry of this period, the reduction wil/will not have the effect of postpoing his future increments of pay"

(DG P&T Letter No. 6/8/70-Disc.I dated 16.12.1970).

STANDARD FORM FOR THE OPERATIVE PART OF AN ORDER IMPOSING THE PENALTY OF REDUCTION TO A LOWER POST/GRADE /TIME SCALE/SERVICE.

Where the penalty is imposed for an indefinite period.

"A" is reduced to the lower post/grade/service of _____until he is found fit by the competent authority to be restored to the higher post/grade/service of_____.

Where it is intended that the fitness of the Government servant for repromotion or restoration to the original post will be considered only after a specified period.

"A" is reduced to the lower/grade/service of_____until he found fit., after a period of_____years from the date of this order, to be restored to the higher post of_____.

GI MHA O.M. NO. 9/13/62-Estt. (D) 10.10.1962 & No. 9/30/63-Estt. (D) dt. 7.2.1964.).

The following clauses may also be added wherever considered necessary.

"The period of reduction will also operate /will not operate to postpone his future increments in the time scale of his original post, on his restoration to that post.

"He shall /shall not on his re-promotion to his original post regain his original seniority in the higher post, grade, service of _____which had been assigned to him prior to the imposition of the penalty.

STANDARD FORM FOR IMPOSTING PENALTY CONSEQUENT UPON CONVICTION ON A CRIMINAL CHARGE

ORDER..

WHEREAS Shri _____(name and designation of the employee) has been convicted on a criminal charge, under section _____of the _____(enter the name of the statute concerned.)

AND WHEREAS the conduct of the said Shri_____which led to his conviction as aforesaid was considered by the undersigned and it was provisionally decided to impose the penalty of _____on him.

AND WHEREAS the said Shri_____was issued a show cause notice on _____giving him an opportunity to make a representation as he may wish to make against the proposed penalty. Shri _____submitted a representation on _____in which he stated _____(here bring out the salient points made by the employee). This representation has been carefully considered by the undersigned and it is found _____(here give your analysis of the points made by him and reasons for imposing the particular penalty)>

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by (rule to be quoted) of DDA conduct and Disciplinary and Appeal Rule 1999 (and in consultation with the C.V.C.) , the undersigned hereby imposes the penalty of _____on the said Shri_____.

A copy of this order may be added to the Confidential Rolls of Shri_____

Signature..

*( ) here quote the relevant rule. Name and designation of the disciplinary authority.

STANDARD FORM FOR SETTING ASIDE THE ORDER OF PENALTY ON ACQUITTAL OF THE EMPLOYEE IN THE CRIMINAL CASE, ON APPEAL

ORDER

WHEREAS the penalty of _____was imposed on Shri_____w.e.f. _____vide this office/Deptt. order no. _____dated the _____on the ground of conduct which led to his conviction on a criminal charge.

AND WHEREAS the said conviction has been set aside by the court of _____in appeal no._____by the judgement delivered on _____and the said Shri_____has been acquitted of the said charge.

NOW, THEREFORE, the undersigned hereby sets aside the said order dated imposisng the penalty of _____on Shri_____.

Signature._____

Name and designation of the disciplinary authority.

ORDER TO HOLD FURTHER INQUIRY WHERE CONVICTION HAS BEEN SET ASIDE ON TECHNICAL GROUNDS

ORDER

WHEREAS the penalty of _____was imposed on Shri_____w.e.f. _____vide this office/deptt. order no. _____dated on the ground of conduct which led to his conviction on a criminal charge.

AND WHEREAS the seaid conviction has been set aside by the Court of _____in Appeal no. _____by the judgement

delivered on _____and the said Sh. _____has been acquitted of the said charge.

AND WHEREAS in consequence on such acquittal, the undersigned has decided that the said order, dated the _____imposing the penalty of _____on Shri_____should be set aside.

AND WHEREAS in consequence on such acquittal, the undersigned has decided that the said order, dated the _____imposing the penalty of _____on Shri_____should be set aside .

AND WHEREAS the undersigned finds that Shri_____has been acquitted of chargs on technical grounds , and on a consideration of the circumstances of the case, has decided that a further inquiry should be held against , Shri_____in terms of Rule * of DDA Conduct and D&A Rule 99 on the ground of conduct on which the punishment was originally imposed.

NOW, THEFEORE, THE UNDERSIGNED HEREBY,

i) Sets aside the said order dated _____imposing the penalty of _____on Shri _____and

ii) directs that a further inquiry in terms of Rule * of DDA conduct and D&A Rules 1999.

be held against Shri _____on the allegation on which the penalty of _____was originaly imposed on Shri_____.

iii) Sh. _____shall be under deemed suspended in terms of rule_____.

Signature

*(here quote the relevant rule)

Name and deisngation of the disciplinary authority.

FINAL ORDER WHERE INQUIRY WAS DISPENSED WITH AS IT WAS NOT REASONABLY PRACTICABLE TO HOLD IT

ORDER

WHEREAS Shri _____(name and designation of the employee) in the office of the _____has a _____(here mention briefly allegations against the employee).

AND WHEREAS the undersigned, having the powers to dismiss or remove him from serevice, fully satisfied that for the reasons which have been recorded in writing, it is not reasaonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in the DDA(Conduct and D&A Rule 1999).

AND WHEREAS on the consideration of the relevant facts and circumstances of the case, it is considered that the conduct of Shri _____is such as to warrant the impostion of the penalty of _____on him as _____(here give reasons briefly).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Rule* ____of DDA (Conduct & DDA Rules, 1999) read with clauses (b) of sescond provision to Article 311(2) of the Constitution), the undersigned has decided to impose the penalty of _____on him. The penalty of _____is accordingly, hereby imposed on Shri_____.

Signature.

*( ) here quote the relevant rule.

Name and designation of the disciplinary authority.

[No. F. 7(ii)/96/PB-I/P&C/P/365]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1999

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 589] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 28, 1999/आश्विन 6, 1921
No. 589] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 28, 1999/ASVINA 6, 1921

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1999

का. आ. 791(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 का 61) की धारा 57 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

दिल्ली शहरी विरासत संस्था विनियम, 1999

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सभी संबंधितों के सहयोग से नगर को निर्मित और प्राकृतिक विरासत की रक्षा करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 5-क में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली शहरी विरासत संस्था की स्थापना की। इस संस्था का कार्य इन विनियमों के अधीन शासित होगा।

ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तत्काल लागू होंगे।

2. **परिभाषा :—**

जब तक प्रसंग अथवा अर्थ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में

(1) ''अधिनियम'' से अभिप्राय दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) से है।

(2) ''प्राधिकरण'' से अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण से है।

(3) ''दिल्ली शहरी विरासत संस्था'' से अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 5-क के अंतर्गत गठित समिति से है।

(4) ''सदस्य'' से अभिप्राय दिल्ली शहरी विरासत संस्था के सदस्यों से है।

3. **लक्ष्य और उद्देश्य :—**

क. राजधानी नगर (दिल्ली) की निर्मित और प्राकृतिक विरासत, जिसकी सुरक्षा, विकास और पोषण सभी नागरिकों द्वारा किए जाने की जरूरत है, के संरक्षण के लिए नीतियां तैयार करना और उनको कार्यान्वित करना और इसे भावी पीढ़ियों को सौंपना।

(ख) नगरीय और शहरी विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

2860 GI/99

(1) वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण और शिल्पकला कार्य।

(2) ऐतिहासिक महत्व के भवन

(3) नगरीय और शहरी विरासत के तकनीकी और वैज्ञानिक महत्व पर जोर देना।

(4) सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व के विद्यमान स्मारक और

(5) स्मारक और ऐतिहासिक उद्यान, आदि।

(ग) नदी तट, नगर चार दीवारी, गेट्स, पुल, छोटे मार्ग, सार्वजनिक स्थल, इडिक्टस एवं रोक्कट फारमेशन जैसी शहरी पर्यावरणात्मक परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और सुधार करना।

(घ) ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्ट्रीट एवं रुफ स्केप का संरक्षण और सुधार करना।

(ड़) समुचित उपयोग हेतु पुरानी इमारतों के पुनः उपयोग को बढ़ावा देना।

(च) नगर के शहरी विकास प्रक्रिया की प्रवृत्ति के रूप में संरक्षण को बढ़ावा देना।

(छ) शहरी विरासत के सभी या कुछ अवयवों की रक्षा करने के प्रयासों में व्यक्तियों, संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों को सहायता उपलब्ध कराना।

(ज) विरासत भवनों, विरासत जोन और महत्वपूर्ण क्षेत्रों का संरक्षण।

(झ) संस्था द्वारा यथा निर्दिष्ट विशेष क्षेत्रों के संबंध में मार्ग निर्देशों की सिफारिश करना।

(ञ) विरासत एवं विकास संस्था द्वारा यथा निर्दिष्ट क्षेत्रों की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना।

(ट) विरासत से संबंधित प्रस्तावों और नीतियों को तैयार करना, उनकी जांच करना और समीक्षा करना।

4. गठन

संस्था में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(1) उपराज्यपाल, दिल्ली	—अध्यक्ष
(2) उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा.	—उपाध्यक्ष
(3) मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	—सदस्य
(4) वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.	—सदस्य
(5) अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.	—सदस्य
(6) आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा.	—सदस्य
(7) मुख्य वास्तुकार, दि.वि.प्रा.	—सदस्य सचिव

इसके अतिरिकत इस संस्था के सहयोजित सदस्य प्रतिष्ठित इतिहासकार, पुरातत्वज्ञ/कलाकार, गैर सरकारी संगठन, दिल्ली के प्रसिद्ध नागरिक और डी.यू.ए.सी., आई.टी.डी.सी., डी.टी.टी.डी.सी., केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सरकार एवं अन्य सरकारों से होंगे। सहयोजित सदस्यों की संख्या दस से अधिक नहीं होगी।

सहयोजित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

कार्य/शक्तियां :—

यह संस्था शहरी विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित तरीके से कार्य करेगी:—

(1) किसी विरासत-भवन, विरासत-अहाते/परिवेश अथवा क्षेत्रों में एवं राजधानी शहर की प्राकृतिक सम्पदा जैसे नदी-मुहाने, रिज तथा पहाड़ों का निमार्ण होने आदि की रक्षा करने, संरक्षित/सुरक्षित रखने अथवा उनकी ऐतिहासिकता, सौन्दर्य, सांस्कृतिक और वास्तुविदीय कोटि को बनाए रखने के लिए, यदि आवश्यकता हो तो सरकार/प्राधिकरण के अनुमोदन से विद्यमान विनियमों के प्रावधानों को परिवर्तित करने, संशोधित करने अथवा उनमें छूट देने, के कार्य।

(2) केवल आपवादित मामलों में भवनों अथवा क्षेत्रों के मूलस्वरूप, वास्तुविदीय ऐतिहासिक विशेषताओं में परिवर्तन किए बिना, ए.एस.आई. के अधीन आने वालों को छोड़कर विरासत-भवनों/क्षेत्रों में विशेष परिवर्तनों की अनुमति देने के कार्य। इसके अतिरिक्त यह संस्था निम्नलिखित शक्तियों को भी इस्तेमाल करेगी।

(3) अकेले ही अथवा जिन्हें यह संस्था आवश्यक समझे, ऐसी अन्य संस्थाओं/व्यक्तियों के सहयोग से ऐसे अन्य कार्य करना जो उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हों।

(4) इस संस्था तथा इसकी नीतियों एवं प्रस्तावों से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण, सरकार, स्थानीय निकायों, संस्थानों तथा दिल्ली के विकास एवं विरासत से संबंधित गैर-सरकारी संगठनों के सदस्यों की एक सलाहकार समिति का गठन करना।

(5) प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित नियंत्रणों और प्रतिबंधों के अधीन आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के माध्यम से पुनर्नियुक्ति द्वारा यह संस्था उतनी संख्या में प्रशासनिक, तकनीकी, अनुसचिवीय और अन्य कार्मिक नियुक्त कर सकती है, जितने कि आवश्यक हों।

6. अध्यक्ष की शक्तियां :—

अध्यक्ष के पास इन विनियमों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करने जो वह उचित समझे, की शक्तियां होंगी। तथापि, इस संस्था की आगामी बैठक में उसकी पुष्टि की जाएगी।

7. बैठकें :—

(i) इस संस्था का कार्यालय विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली में मुख्य वास्तुकार के कार्यालय में स्थित होगा।

(ii) संस्था के सदस्य जब भी आवश्यक होगा आपस में मिलेंगे और उनको अधिकार होगा कि वे अपनी कार्यविधि को विनियमित करें।

(ii) इस संस्था की बैठकें राज निवास, दिल्ली में उपराज्यपाल के कार्यालय में होंगी।

(iv) प्राधिकरण के मुख्य वास्तुकार संस्था के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे और बैठकों और अनुवर्ती कार्रवाई का रिकार्ड रखेंगे।

(v) कोरम बनाने के लिए सात सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।

8. फीस और भत्तें :—

(i) संस्था के सदस्यों (प्राधिकरण के सदस्यों एवं कार्यालयी सदस्यों को छोड़कर) को संस्था की बैठकों में शामिल होने और इन सदस्यों द्वारा संस्था के अन्य कार्यों के लिए प्रतिदिन 400/- रु. जेब खर्च अदा किया जाएगा।

(ii) जब भी कोई सदस्य जो दिल्ली के निवासी नहीं हैं और जिन्हें दिल्ली के बाहर से विशेष रूप से संस्था की बैठक में उपस्थित होने के लिए आना पड़ता है, उनको यात्रा के लिए मील भत्ता दिया जायगा। यह मील भत्ता प्राधिकरण के प्रथम श्रेणी के अधिकारी के लिए स्वीकार्य दर के अनुसार दिया जाएगा।

बशर्ते कि संसद सदस्य जो संस्था के भी सदस्य हैं, को उक्त दैनिक और मील भत्ता तभी दिया जाएगा, जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो और सदस्य इस आशय का प्रमाण-पत्र दें कि उन्होंने इस यात्रा अथवा ठहराव के लिए इस प्रकार का कोई भत्ता, किसी भी सरकारी स्रोत से नहीं लिया है।

9. वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा :—

(i) संस्था और उसके प्रचालक कार्यकलापों के लिए खर्चा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी विकास निधि, केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/स्थानीय निकायों और दान इत्यादि से अन्य प्राप्तियों से किया जाएगा।

(ii) दिल्ली शहरी विरासत निधि खाते से संबंधित विभिन्न प्राप्तियों और भुगतान का रिकार्ड रखने के लिए अलग बैंक खाता खोला जाएगा। शहरी विरासत निधि से संबंधित प्राप्तियों और भुगतान को निम्नानुसार नजूल खाते-II के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

प्राप्ति शीर्ष :—

क. नजूल खाता-II

(vii)-ग जमा एवं अग्रिम

ख. अन्य उचन्त मदें

(ii) जमा

ग. अन्य अग्रिम, दि.वि.प्रा. शहरी विरासत निधि

1. केन्द्र और राज्य सरकार से प्राप्तियां

2. शहरी विकास निधि से प्राप्तियां

3. दि.वि.प्रा.-अन्य एजेंसियों से प्राप्तियां

4. अन्य प्राप्तियां/दान

भुगतान शीर्ष :

क. नजूल खाता-II

9ग जमा एवं अग्रिम

(IV) अग्रिम

I अन्य अग्रिम-दि.वि.प्रा. शहरी विरासत निधि

(1) पुरस्कार का भुगतान

(2) संस्थापना व्यय

(3) अन्य भुगतान

(iii) संस्था उचित खाते और अन्य संबंधित रिकार्डों का रखरखाव करेगी और तुलन-पत्र सहित खातों का वार्षिक विवरण इस प्रकार से तैयार करेगी, जैसा प्राधिकरण निर्धारित करेगा।

10. खातों का प्रचालन

संस्था के बैंक खातों का प्रचालन वित्त सदस्य द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

11. व्यय करने की शक्तियां

संस्था को अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को बढ़ावा देने और प्राप्त करने के लिए समय-समय पर किए जाने वाले खर्चों को स्वीकृत करने की शक्ति होगी। सदस्य सचिव को समय-समय पर संस्था द्वारा निर्धारित सीमा तक आकस्मिक व्यय करने की शक्तियां होंगी।

[सं. एच.यू.पी.डब्ल्यू/सी.ए./(336)डी.यू.एच.पी./99/80]

विश्व मोहन बंसल, सचिव एवं आयुक्त

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 1999

S. O. 791(E).—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority hereby makes, with the previous approval of the Central Government, the following regulations, namely:—

DELHI URBAN HERITAGE FOUNDATION REGULATIONS, 1999.

With a view to safeguard the built and natural heritage of the city through collaborative efforts of all concerned, the Delhi Urban Heritage Foundation is set up by Delhi Development Authority in exercise of its powers under Section 5-A of the Act. The business of the Foundation will be governed under these Regulations.

These Regulations shall come into force immediately from the date of their publication in the Official Gazette.

2. DEFINITIONS:

In these regulations, unless there is anything inconsistent with the context or meaning:—

(i) "Act" means the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957).

(ii) "Authority" means the Delhi Development Authority constituted under Section 3 of the Act.

(iii) "Delhi Urban Heritage Foundation" means the Committee constituted by the Authority under Section 5-A of the Act.

(iv) "Members" shall mean the members of the Delhi Urban Heritage Foundation.

3. AIMS AND OBJECTIVES:

(a) To frame and implement policies for conservation of Built and Natural heritage in the capital city (Delhi) which needs to be protected, nourished and nurtured by all citizens and pass it on to the coming generations.

(b) To promote conservation of the civic and urban heritage which includes:

(i) Architecturally significant and Artisanary works.

(ii) Historical landmarks.

(iii) Focus on technical & scientific significance of civic and Urban heritage.

(iv) Living monuments having socio-cultural value, and

(v) Memorials and Historical Gardens, etc.

(c) To protect and improve environmental assets of the city such as Riverfront, city wall, gates, bridges, vistas, public places, edicts and rockcut formation.

(d) To conserve and improve historically significant streets and roof scapes.

(e) To promote reuse of old buildings for appropriate utilisation.

(f) To promote conservations as an attitude to the City's urban development process.

(g) To provide assistance to individuals, institutions and NGOs in their efforts to save all or in parts components of ubran heritage.

(h) Conservation of heritage buildings, heritage zones and areas of significant value.

(i) To recommend guidelines related to special areas as designated by the Foundation.

(j) To review the policies and programmes of areas as designated by the Foundation of the Heritage and development.

(k) To prepare, examine and review the proposals and policies as related to the heritage.

4. CONSTITUTION

The Foundation shall comprise the following :—

(i)	Lt. Governor of Delhi	—	Chairman
(ii)	Vice-Chairman, DDA	—	Vice-Chairman
(iii)	Chief Secretary, National Capital Territory of Delhi	—	Member
(iv)	Finance Member, DDA	—	Member
(v)	Engineer Member, DDA	—	Member
(vi)	Commissioner (Plg.), DDA	—	Member
(vii)	Chief Architect, DDA	—	Member-Secretary.

In addition, the Foundation shall co-opt members from eminent Historians, archaeologists/Artists, NGOs, renowned citizents of Delhi and from DUAC, ITDC, DTTDC, Central Government, Government of N.C.T. of Delhi & others. The number of co-opted Members shall not exceed TEN.

The tenure of the co-opted members shall be two years.

5. FUNCTIONS/POWERS :

The foundation shall perform the functions with reference to the Urban Heritage in the following manner :—

(i) To alter, modify or relax provisions of existing regulations, with the approval of Govt./Authority if it is needed for protection, conservation, preservation or retention of historical, aesthetic, cultural, architectural quality of any heritage building, heritage precincts or zones as well as natural assets of the Capital City such as river Front, Ridge and Rock Formations, etc.

(ii) To permit major alterations to heritage buildings or areas excluding those which are under ASI, only in exceptional cases, without changing the character, architectural/historical features of the building or areas.

In addition, the Foundation shall also exercise the following powers :—

(iii) To do all such other acts and things either alone or in conjunction with other Organisations or persons as the Foundation may consider necessary incidental or conducive to the attainment of the objectives.

(iv) The form an Advisory Committee comprising members from DDA, Government and Local Bodies, Institutions and NGOs associated with heritage development of Delhi, to advice on matters related to the Foundation and its

policies and proposals.

(v) Subject to such control and restrictions as may be prescribed by the Authority, the Foundation may post such number of administrative, technical, ministerial and other personnel as is the minimum required through Commissioner (Personnel), DDA by means of redeployment alone.

6. POWERS OF THE CHAIRMAN :

The Chairman shall have the powers to take necessary steps as he may deem fit within the framework of these Regulations. However, they shall be subject to the confirmation of the Foundation in its next meeting.

7. MEETINGS:

(i) The office of the Foundation shall be located in the office of the Chief Architect in Vikas Minar, IP Estate, New Delhi.

(ii) The Foundation shall meet as and when necessary and shall have the power to regulate its own procedure.

(iii) The meetings of the foundation shall take place in the office of Lt. Governor of Delhi at Raj Niwas, Delhi.

(iv) The Chief Architect of the Authority shall act as the Member-Secretary of the Foundation and shall keep the record of the meetings and the follow up action.

(v) The presence of seven members shall be necessary to form a quorum.

8. FEES AND ALLOWANCES:

(i) The members of the Foundation (other than the members of the Authority & official members) shall be paid out of Pocket Expenses @ Rs. 400/- per day for attending the meetings of the Foundation and for any other works of the Foundation done by such members; and

(ii) Whenever a member, who is not a resident of Delhi, has to come from outstation to Delhi specially to attend a meeting of the Foundation, he shall be paid mileage allowance for the journey at such rate as is admissible to an officer of the Authority of the first grade:

PROVIDED: that in case of Member of Parliament, who is also a member of the Foundation, the said daily and mileage allowance will be admissible when the Parliament is not in Session and on production of certificate by the member that he has not drawn any such allowance for the same journey and halts from any other Government source.

9. FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT:

(i) The expenses for setting up the Foundation and its operational activities shall be met by the DDA from Urban Development Fund, other receipts from Central Government, G. N. C. T. D./Local Bodies and donations, etc.

(ii) Separate Bank Account shall be opened to record various receipts and payments relating to Delhi Urban Heritage Fund Account. The receipts and payments relating to urban heritage fund shall be classified under Nazul Account-II as below:

Receipt Head:

A. Nazul A/c II

VII- C - Deposits and Advances.

(b) Other suspense items.

(ii) Deposits

(c) Other advances - DDA Urban Heritage Fund

(1) Receipts from Central and State Govt.

(2) Receipts from Urban Development Fund.

(3) Receipts from DDA - other agencies.

(4) Other receipts/donations.

Payment Head

A- Nazul A/c II

9-C - Deposits & Advances.

(iv) Advances.

(1) Other Advances - DDA Urban Heritage Fund.

(1) Payment of Awards.

(2) Est. Expenses.

(3) Other payments.

(iii) The foundation shall maintain proper Accounts and other relevant records and prepare annual statement of accounts including the balance sheet in such form as the authority may prescribe.

10. OPERATION OF ACCOUNTS:

The Bank Account of the Foundation will be operated by an Officer so authorised by Finance Member.

11. POWERS TO INCUR EXPENSES:

The Foundation shall have the power to sanction such expenses from time to time as it considers necessary for the promotion and achieving of the aims and objectives of the Foundation. The Member - Secretary shall have the powers to incur contingent expenses upto the limit from time to time as fixed by the Foundation.

[No. HUPW/CA/(336) DUHP/99/80]

V.M. BANSAL, Commr. cum- Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/99

भारत सरकार मुद्रण च 09634

से दिनांक.....REGISTERED NO. D. L.—33001/99

16-11-99

प्रभारी

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 350
K.M. 15
C.F.B. 335

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 16, 1999/आश्विन 24, 1921

No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 16, 1999/ASVINA 24, 1921

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

पूरा किया

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

प्रभारी
रा० वि० एकक

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1999

का. आ. 2932.—केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना उच्च न्यायालय की रांची न्यायपीठ में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के रिटेनर काउंसिल श्री पी. पी. एन. राय, अधिवक्ता, रांची को पटना उच्च न्यायालय में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा अन्वेषित मामलों से उद्भूत अभियोजन, अपीलों, पुनरीक्षणों अथवा अन्य कार्यवाहियों का संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. 225/23/99-ए वी डी. II]

हरि सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 29th September, 1999

S.O. 2932.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri P. P. N. Roy, Advocate Ranchi a Retainer Counsel of Central Bureau of Investigation in the Ranchi bench of Patna High Court as Special Public Prosecutor for conducting prosecution, appeals, revisions or other proceedings arising out of the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment in the Patna High Court.

[No. 225/23/99-AVD. II]

HARI SINGH, Under Secy.

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
1035 G1/99
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 14th September, 1999

S.O. 2939.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) read with rules 7 and 8 of the Cinematograph (Certification) Rules, 1983 and in supersession of this Ministry's earlier Notifications on the subject, the Central Government is pleased to reconstitute the Delhi Advisory Panel of the Central Board of Film Certification and to appoint the following persons as members of the said panel with immediate effect for a period of two years or until further orders, whichever is earlier :—

1. Sh. Subhash Agarwal
2. Sh. Chatrapal Singh
3. Smt. Damayanti Rawat
4. Sh. Rakesh Gupta
5. Sh. Gajendra Solanki
6. Smt. Malati Jain
7. Sh. Yogendra Chandolia
8. Sh. Seshadrichari
9. Sh. Narendra Kohli
10. Sh. Jagdish Pal
11. Sh. Gopal Krishan Arora
12. Sh. S. Kuldeep Singh Bhogal
13. Sh. S. Vikramjeet Singh Sahni
14. Sh. Virender Bhatia
15. Sh. Jitender Gupta
16. Sh. Ajit Kumar Sood
17. Ms. Amita Purushotam
18. Sh. Dharam Veer Sharma
19. Sh. Ashish Kumar Mehrotra
20. Ms. Nupur Nagpal
21. Ms. Sarjana Sharma
22. Sh. Ram Avatar Bhageria
23. Ms. Shobha Vijender
24. Sh. Nand Kishore
25. Sh. Irwin Chugh
26. Sh. Rameshwar Prasad
27. Mohd. Nazir
28. Smt. Raj Kumari Aggarwal
29. Sh. Shah Mohd. Khan
30. Ms. Shilpi Saxena
31. Sh. Harbhajan Singh
32. Ms. Asha Sharma
33. Sh. Virender Singh Johar
34. Sh. Birat Hussain
35. Sh. Rajinder Singh Chauhan

[F. No. 809/2/99-F(C)]

RAJESH SHARMA, Desk Officer

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1999

का.आ. 2940.—केन्द्र सरकार का दिल्ली मुख्य योजना क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव लिखित रूप में आयुक्त-एवं-सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई.एन.ए., नई दिल्ली को भेज सकते है। आपत्ति करने वाले/सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी देना होगा।

संशोधन—

1. "योजना डिवीजन "एल" (पश्चिमी दिल्ली-3) में पड़ने वाले लगभग 25 हैक्टेयर (62.5 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "ग्रामीण उपयोग जोन" से "आवासीय" में बदलने का प्रस्ताव है। यह क्षेत्र उत्तर में रोहतक रोड, (राष्ट्रीय राजमार्ग 10) से, पूर्व में 400 कि.वा.हाई. वोल्टेज लाईन से, दक्षिण में कृषि योग्य भूमि से और पश्चिम में गांव शाहबाद मोहम्मदपुर से घिरा हुआ है।"

2. "भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (2) दिनांक 1-8-90 के पृष्ठ संख्या-40 (दाईं ओर) में "तरल पैट्रोलियम गैस एल.पी.जी. गोदाम हेतु मानक" शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है।"

"मानदण्ड : 1,000,00 जनसंख्या (एक लाख जन-संख्या) के लिये 3 एल.पी.जी. गोदाम।"

"क्षमता क्षेत्र : 500 सिलैण्डर अथवा 8000 कि.ग्रा. एल.पी.जी. चौकीदार की हट सहित 520 वर्ग मीटर (20 मी. × 26 मी.)"

"स्थान : क्षेत्रीय पार्कों/जिला पार्कों और विकसित मनोरंजनात्मक क्षेत्रों/पार्कों को छोड़कर सभी उपयोग जोनों में अनुमत है।"

"टिप्पणी : एल.पी.जी. गोदाम स्थल का निर्धारण प्राथमिक रूप से खुले स्थानों के आस-पास/अथवा सेवा केन्द्र में किया जाना चाहिये और वह क्षेत्र भीड़भाड़ वाले क्षेत्र अथवा सांस्थानिक क्षेत्र से दूर होना चाहिये।"

"भारत के राजपत्र, भाग-II खण्ड-3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1-8-90 की पृष्ठ संख्या-46-49 में "समुदाय" शीर्षक के अन्तर्गत उपक्रम संख्या-15 की क्रम संख्या को निम्नलिखित रूप में बदलने का प्रस्ताव है :—

"3 520 1560 — 0"

"भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1-8-90 की पृष्ठ संख्या-59 (दाईं ओर) और 60 में "उपखण्ड 8(2) ए उपयोग जोनों में उपयोग परिसरों की अनुमति" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 022 पर गैस गोदाम को निम्नलिखित रूप में बदलने का प्रस्ताव है :—

"पी. पी पी पी पी"

"भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1-8-90 के पृष्ठ संख्या-63 (दाईं ओर) में ए-3 ग्रामीण जोन (ए-2 सहित) शीर्षक के अन्तर्गत पैरा (बी) (2) को निम्नलिखित रूप में संशोधित करने का प्रस्ताव है।"

"(बी) (2) सभी उपयोग जोनों में पार्क, पार्किंग, परिचालन, एल.पी.जी. गोदाम (क्षेत्रीय पार्कों/जिला पार्कों/विकसित मनोरंजनात्मक क्षेत्रों/पार्कों को छोड़कर) और सार्वजनिक उपयोगिता अनुमत है।"

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाले नक्शे के साथ-साथ दिल्ली मुख्य योजना-2001 का पाठ निरीक्षण के लिये उपर्युक्त संदर्भित अवधि के अन्तर्गत सभी कार्य दिवसों में संयुक्त निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, दि.वि.प्रा., विकास मीनार, छठी मंजिल, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध होगा।

Attested
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)

[सं. एफ-20(18) 96-एम.पी.]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त-एवं-सचिव

भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाइन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 11th October, 1999

S.O. 3940 - The following modifications which the Central Govt. proposes to make in the Master Plan Zonal Development Plan for Delhi are hereby

published for public information. Any person having any objections/suggestions with respect to the proposed modifications may send objections/ suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, "B" Block, INA, New Delhi within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The persons making the objections/suggestions should also give his name and address.

MODIFICATIONS

(i) "The land use of an area, measuring about 25 ha (62.5 acres) falling in Planning Division 'J' (West Delhi-III) bounded by Rohtak Road (NH 10) in the North 400 KV high tension line in the East, cultivated land in the South and village Tikri Kalan in the West, is proposed to be changed from 'rural use zone' to "residential".

(ii) At page 140 (LHS) of the Gazette of India, Part II, section 3 sub-section (ii) dated 1-8-90, under the heading standard for LPG godowns is proposed to be amended as under:

Norms: 3 LPG godowns for 1,000,00 population (one Lac population)

Capacity Area: 500 cylinders or 8000 kg of LPG 520 sqm (20m x 26m) inclusive of chowkidar hut.

Location: Permitted in all use zones except in Regional Parks/Distt Parks and developed recreational areas/parks.

Note: LPG godown site shall be identified preferably around open spaces/or in service centre and should be away from congested area or Institutional area.

"At page 145 of the Gazette of India, Part II section 3 sub-section (ii) dated 1-8-90 under the heading "community at s. no 4 of sub serial no. 15" is proposed to be replaced as under.

"3 500 1560 - 0"

"At page 152 of the Gazette of India, Part II, Section 3 sub-section (ii) dated 1-8-90 under the heading "SUB,CLAUSE 8(2) A PERMISSION OF USE PREMISES IN USE ZONES" at S.No. 022 Gas Godown is proposed to be replaced are as under:

"p p p p p

"At page 155 (LHS) of the Gazette of India, Part II Section 3 sub-section (ii) dated 1-8-90 under the heading A-3 Rural Zone (including A-2) in para (b) (ii) is proposed to be amended as under

"(b) (ii) Park, Parking, Circulation, LPG Godown (except in Regional Parks/Distt. Parks/Developed recreational areas/Parks) and public utility are permitted in all use zones."

2. The plan as well as text of MPD-2001 indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of Joint Director, Master Plan Section, DDA, Vikas Minar, 6th floor, IP Estate, New Delhi on all working days within the period referred to above.

[No.F-20(18)96-MP]

V. BANSAL, Commissioner-Cum-Secy

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 1999/पौष 25, 1920
No. 22] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 1999/PAUSA 25, 1920

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा-1)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1999

सा. का. नि. 36(अ).—दिल्ली विकास (विविध) नियम, 1959 के उप-नियम (4) के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मुख्य विधि सलाहकार, उप मुख्य विधि सलाहकार, कनिष्ठ विधि अधिकारी और विधि सहायक पद के भर्ती विनियम बनाता है, जो निम्नानुसार हैं :—

1.	पद का नाम	: मुख्य विधि सलाहकार
2.	पदों की संख्या	: 1
3.	वर्गीकरण	: समूह ''क''
4.	वेतनमान	: 4500-150-5700/- रु.
5.	चयन पद है अथवा अचयन	: लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	: लागू नहीं
6क.	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ देय है।	: लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	: लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वाले और प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों के मामले में भी लागू होंगी ?	: लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	: लागू नहीं

10.	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा है अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत क्या है ?	: प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा
11.	यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाती है, तो की जाने वाली पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति का ग्रेड बताएं ?	: प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा :— केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त सांविधिक संस्थाओं के अधीन विधिक कार्य करने वाले अधिकारी :— (क) (1) समान पदधारी अथवा (क)(2) 3700-5000/-रु. के वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा सहित अथवा समकक्ष और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्रीधारी अथवा समकक्ष तथा भूमि, राजस्व, सेवा मामलों आदि में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अथवा उच्च न्यायिक सेवाओं के अधिकारी।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) है, तो उसकी क्या संरचना है ?	: लागू नहीं
13.	**बचाव**	: इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, छूट, आयु सीमा और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
14.	**निरर्हता**	: कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :— (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो अथवा (ख) जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो और उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो। बशर्ते केन्द्रीय सरकार/दि.वि.प्रा. यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि यह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अन्तर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं, तो वह उस व्यक्ति को इस विनियम के प्रावधान से छूट दे सकता है।
15.	शिथिल करने की शक्ति	: जब केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों और पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

टिप्पणी :— कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

उप मुख्य विधि सलाहकार के पद हेतु भर्ती विनियम

1.	पद का नाम	: उप मुख्य विधि सलाहकार
2.	पदों की संख्या	: तीन या जो समय-समय पर कार्यभार के आधार पर स्वीकृत होंगे
3.	वर्गीकरण	: समूह "क"
4.	वेतनमान	: 3700-5000/- रु.
5.	चयन पद है अथवा अचयन पद	: चयन पद
6क.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	: 45 वर्ष से अधिक नहीं।
ख.	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत स्वीकार्य है।	: नहीं

7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	:	अनिवार्य (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समकक्ष; (ख) बार में 10 वर्ष का अनुभव **वांछनीय :** भूमि, राजस्व, सेवा मामलों आदि के कार्य के अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
8. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित : आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत और प्रतिनियुक्ति अधिकारियों के मामले में लागू होंगी।	:	नहीं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री अनिवार्य है।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	2 वर्ष
10. भर्ती की पद्धति-सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	:	(क) $66^{2}/_{3}$% पदोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ख) $33^{1}/_{3}$% प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा।
11. पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में उस ग्रेड का नाम, जिससे पदोन्नति/ स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है।	:	**पदोन्नति:** वरिष्ठ विधि अधिकारियों में से, जो ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय/राज्य सरकारों/सार्वजनिक उपक्रमों/अर्ध-सरकारी स्वशासी या सांविधिक संगठनों में विधि कार्य करने वाले अधिकारी। (क) (i) जो सदृश पदधारी हैं ; (ii) 3000-4500 रु. के वेतनमान के पदों पर 5 वर्ष की सेवा या समकक्ष। (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्रीधारी और भूमि, राजस्व तथा सेवा-मामलों आदि के कार्य में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
12. क्या विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसका गठन :	:	निम्नलिखित अधिकारियों वाली वरिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति :— उपाध्यक्ष : अध्यक्ष वित्त सदस्य : सदस्य अभियंता सदस्य : सदस्य सचिव, दि.वि.प्रा. : सदस्य आयुक्त (कार्मिक) : सदस्य सचिव मुख्य विधि सलाहकार : सदस्य
13. बचाव	:	इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, छूट, आयु-सीमा और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
14. निरर्हता	:	कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :— (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबन्ध किया हो जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो, या (ख) जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो और उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया हो या विवाह करने का अनुबंध किया हो। बशर्ते केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि यह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के कारण हैं, तो वह उस व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।
15. शिथिल करने की शक्ति	:	केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो यह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों और पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

टिप्पणी : कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

कनिष्ठ विधि अधिकारी पद के भर्ती विनियम

1. पद का नाम	:	कनिष्ठ विधि अधिकारी
2. पदों की संख्या	:	6 (छह) अथवा कार्यभार के आधार पर समय-समय पर यथा संस्वीकृत।
3. वर्गीकरण	:	समूह "ख"
4. वेतनमान	:	2000-60-2300-दक्षता रोध-75-3200-100-3500 रुपये।
5. चयन पद है अथवा अचयन पद	:	चयन
6. (क) सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	:	35 वर्ष (उनयुक्त मामलों में छूट)
(ख) क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ देय है	:	नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षत शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	:	अनिवार्य (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री अथवा समकक्ष; और (ख) बार में 5 वर्ष का अनुभव। वांछनीय : भूमि, राजस्व, सेवा मामलों आदि से संबंधित कार्य करने का अनुभव। दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त विधि की डिग्री अथवा समकक्ष।
8. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वाले और प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों के मामले में भी लागू होंगी	:	लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	2 वर्ष
10. भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा है अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत क्या है?	:	(क) 60% पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ख) 40% सीधी भर्ती द्वारा, ऐसा न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।
11. यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाती है, तो की जाने वाली पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति का ग्रेड बताएं?	:	पदोन्नति ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित विधि सहायक से। प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम अर्ध-सरकारी/स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठन के अधीन विधिक कार्य करने वाले अधिकारी :— (क) समान पदधारी अथवा 1640—2900 रु. के वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा सहित। (ख) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि डिग्री धारी अथवा समकक्ष और भूमि, राजस्व, सेवा मामलों आदि से संबंधित कार्य करने का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी क्या संरचना है?	:	वरिष्ठ स्तर की विभागीय पदोन्नति समिति का गठन निम्नानुसार है :— उपाध्यक्ष — अध्यक्ष वित्त सदस्य — सदस्य

	अभियन्ता	—	सदस्य
	सचिव	—	सदस्य
	आयुक्त (कार्मिक)	—	सदस्य सचिव
	मुख्य विधि सलाहकार	—	सदस्य

13. बचाव : इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, छूट,आयु सीमा और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

14. निरर्हता : कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो; अथवा

(ख) जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो और उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया हो या विवाह करने का अनुबंध किया हो। बशर्ते केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि यह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं, तो वह उस व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।

15. शिथिल करने की शक्ति : जब केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा अवर्ग अथवा व्यक्तियों और पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

टिप्पणी :—कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

विधि सहायक के पद हेतु भर्ती विनियम

1.	पद का नाम	: विधि सहायक
2.	पदों की संख्या	: 21 अथवा कार्यभार पर आधारित समय-समय पर यथा स्वीकृत।
3.	वर्गीकरण	: समूह "ख"
4.	वेतनमान	: 1640-60-2600-द.रो.-75-2900 रु.
5.	चयन पद है अथवा अचयन	: लागू नहीं।
6. (क)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	: 18—35 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों और दि.वि. प्रा. के कर्मचारियों के मामले में शिथिलनीय)।
(ख)	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन (नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ देय है	: नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	: अनिवार्य :—
		(क) (1) सीधी भर्ती मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री अथवा समकक्ष।
		(2) बार में 3 वर्ष का अनुभव।

		दि.वि.प्रा. कर्मचारियों के लिए : (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री अथवा समकक्ष। (2) दि.वि.प्रा. में 3 वर्ष की नियमित सेवा। **टिप्पणी** : चयन एक लिखित परीक्षा द्वारा किया जाएगा।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगी	: लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: 2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति— सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	: 100% सीधी भर्ती
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में उस ग्रेड का नाम, जिससे पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है	: लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन क्या है	: लागू नहीं
13.	बचाव	: इन नियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, छूट, आयु सीमा और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
14.	निरर्हता	: कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा— (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो; अथवा (ख) जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो और उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया हो या विवाह करने का अनुबंध किया हो : बशर्ते केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्रधिकरण यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि यह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं, तो वह उस व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।
15.	शिथिल करने की शक्ति	: जब केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्रधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों और पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

टिप्पणी :—कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

[सं. एफ. 7(127)/93/पी.बी.-I]

वी. एम. बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Personnel Branch)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 1999

G.S.R. 36(E).—In exercise of the powers conferred by Section 57, of the Delhi Development Act., 1957 (61 of 1957) read with sub-rule-4 of the Delhi Development (Miscellaneous) Rules-1959, the Delhi Development Authority hereby makes, recruitment Regulations with the previous approval of the Central Govt. to the posts of Chief Legal Advisor, Dy. Chief Legal Advisor, Jr. Law Officer and Legal Assistant may be read as under :—

1. Name of Post	:	Chief Legal Advisor
2. No. of posts	:	1*
3. Classification	:	Group 'A'
4. Scale of pay	:	Rs. 4500-150-5700 (Pre-revised)
5. Whether selection post or non-selection post.		N.A.
6. Age limit for direct recruits.		N.A.
(a) Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension Rule, 1972).	:	N.A.
7. Educational and other qualifications required for direct recruits.	:	N.A.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.	:	N.A.
9. Period of probation, if any	:	N.A.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	:	By transfer on deputation
11. In case of recruitment by promotion/ transfer/deputation, grades from which promotion/transfer/deputation is to be made.	:	Transfer on deputation :— Officers dealing with Legal Affairs under the Central/State Govt. Public Undertakings/Semi-Govt. Autonomous or statutory organisations. (a)(i) Holding analogous posts; or (a)(ii) With 5 years' service in post in the scale of Rs. 3700-5000 (pre-revised) or equivalent and (b) Possessing degree in Law from a recognised University or equivalent and preferably having experience of dealing with land revenue, service matters etc. Or Officer of the Higher Judicial Services.
12. If a DPC exists what is its composition	:	N.A.
13. Saving	:	Nothing in these regulations shall effect reservations, relaxation in age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.

14. Disqualification	:	No person (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or (b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts; provided that the Central Govt. may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.
15. Power to relax	:	Where the Central Govt./Delhi Development Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations in respect of any class of category of persons of posts.

*Note—Subject to variation dependent on work-load.

RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF DY. CHIEF LEGAL ADVISER

1. Name of Post	:	Dy. Chief Legal Advisor
2. No. of posts	:	Three-or as sanctioned from time to time depending on work-load.
3. Classification	:	Group 'A'
4. Scale of pay	:	Rs. 3700-5000 (Pre-revised)
5. Whether selection post or non-selection post.		Selection post
6. (a) Age limit for direct recruits.		Not more than 45 years
(b) Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension Rule, 1972)	:	No
7. Educational and other qualifications required for direct recruits.		**ESSENTIAL** (a) Degree in Law from a recognised University or equivalent; (b) 10 years experience at Bar. **DESIRABLE** Preference will be given for experience of dealing with land, revenue, service matters etc.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists		No Degree in Law from recognised University is essential.
9. Period of probation, if any		2 years
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.		(a) 66-2/3% by promotion failing which by deputation. (b) 33-1/3% by transfer on deputation failing which by direct recruitment.
11. In case of recruitment by promotion/ transfer/deputation, grades from which promotion/transfer/deputation is to be made.		**Promotion:** From Sr. Law Officers with 5 years regular service in the grade. **Deputation:** Officers dealing with legal affairs under the Central/ State Govt./Public Undertaking/Semi Govt. Autonomous or Statutory Organisation.

(a) (i) Holding analogous posts; or

(ii) With 5 years' service in post in the scale of Rs. 3000-4500 or equivalent and

(b) Possessing Degree in Law from a recognised University or equivalent and preference will be given for having experience in dealing with Land, revenue, service matters etc.

12. If a DPC exists what is its composition : Sr. Level DPC comprising of

Vice-Chairman	—Chairman
Finance Member	—Member
Engineer Member	—Member
Secretary, DDA	—Member
Commissioner (Pers.)	— Member Secretary
Chief Legal Adviser	—Member

13. Saving : Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation in age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./ Delhi Development Authority from time to time in this regard.

14. Disqualification : No person

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts; provided that the Central Govt. may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulations.

15. Power to relax : Where the Central Govt./Delhi Development Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations in respect of any class of category of persons of posts.

*Note : Subject to variation dependent on work-load.

RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF JR. LAW OFFICER

1. Name of post : Jr. Law Officer.
2. No. of posts : 6 (Six) or as sanctioned from time to time dependent on work-load.
3. Classification : Group 'B'.
4. Scale of pay : Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500 (Pre-revised).
5. Whether selection post or non-selection post : Selection
6. (a) Age limit for direct recruits : 35 (relaxable in suitable cases)
   (b) Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972. : No

7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	: **ESSENTIAL** (a) Degree in Law from a recognised University or equivalent; and (b) 5 years experience at Bar. **DESIRABLE** Experience of dealing with land, revenue, service matters etc. FOR DDA EMPLOYEES Degree in Law from a recognised University or equivalent.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.	: N.A.
9.	Period of probation, if any	: 2 years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	: (a) 60% by promotion failing which by deputation. (b) 40% by direct recruitment failing which by transfer on deputation.
11.	In case of recruitment by promotion/ transfer/deputation, grades from which promotion/transfer/deputation is to be made.	: PROMOTION From Legal Asstt. with 5 years regular service in the grade. DEPUTATION Officers dealing with legal affairs under Central/State Govt./Public Undertakings/Semi-Govt./Autonomous or Statutory Organisation :— (a) Holding analogous posts; or with 5 years service in the scale of Rs. 1640-2900. (b) Possessing Degree in Law from a recognised University or equivalent and preference will be given for having experience in dealing with land, revenue, service matters etc.
12.	If a DPC exists what is its composition	: Sr. Level DPC comprising of — Vice-Chairman — Chairman Finance Member — Member Engineer Member — Member Secretary — Member Commissioner (Pers.) — Member-Secretary Chief Legal Advisor — Member
13.	Saving	: Nothing in these regulations shall effect reservations, relaxation in age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./ Delhi Development Authority from time to time in this regard.
14.	Disqualification	: No person (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or (b) Who having a spouce living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts; provided that the Central Govt. may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

15. Power to relax	:	Where the Central Govt./Delhi Development Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations in respect of any class of category of persons of posts.

*Note: subject to variation dependent on work-load.

RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF LEGAL ASSISTANT

1. Name of post	:	Legal Assistant
2. No. of posts	:	21 or as sanctioned from time to time dependent on work-load.
3. Classification	:	Group 'B'.
4. Scale of pay	:	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900/- (Pre-revised).
5. Whether selection post or non-selection post	:	N.A.
6. (a) Age limit for direct recruits	:	18-35 years (relaxable in the case of Govt. employees and employee of the DDA)
(b) Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972.	:	No
7. Educational and other qualifications required for direct recruits.	:	ESSENTIAL (a) (i) Direct Recruits Degree in Law from a recognised University or equivalent. (ii) 3 years experience at Bar. DDA Employees (i) Degree in Law from a recognised University or equivalent. (ii) 3 years regular service in DDA. Note : Selection will be made through common written test.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.	:	N.A.
9. Period of probation, if any	:	2 years.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	:	100% direct recruitment.
11. In case of recruitment by promotion/ transfer/deputation, grades from which promotion/transfer/deputation is to be made.	:	N.A.
12. If a DPC exists what is its composition	:	N.A.

13. Saving : Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation in age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Serviceman and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./ Delhi Development Authority from time to time in this regard.

14. Disqualification : No person

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) Who having a spouce living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts; provided that the Central Govt. may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

15. Power to relax : Where the Central Govt./Delhi Development Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations in respect of any class of category of persons of posts.

*Note:— subject to variation dependent on work-load.

[No. F. 7(127)/98/PB-I]

V. M. BANSAL, Com.-Genl.-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1999.

रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/99 REGISTERED NO. D. L.—33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 18, 1999/अग्रहायण 27, 1921
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 18, 1999/AGRAHAYANA 27, 1921

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1999

(आयकर)

का. आ. 3599.—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2 ग क के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23-ग) के उपखंड (VI) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतदद्वारा उपर्युक्त खंड के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक के लिए "आल इंडिया इन्स्टीटयूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मुम्बई" को अनुमोदित करता है ।

बशर्ते कि संस्थान आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ग क के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (VI) के उपबंध, के अनुरूप हो और उनका अनुपालन करता हो ।

[अधिसूचना सं. 11093/फा. सं. 197/102/99—आ. क. नि. I]

प्रोमिला भारद्वाज, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 4th October, 1999

(INCOME TAX)

S.O. 3599.—In exercise of the powers conferred by the sub-clause (vi) of clause (23C) of section 10 of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), read with rule 2CA of the Income-tax Rules, 1962, the Central Board of Direct Taxes hereby approves the "All India Institute of Local Self Government, Mumbai", for the purpose of the said section for the assessment years 1999-2000 to 2001-2002.

सहायक नियंत्रक (व्यवसाय)
Asstt. Controller (Business)

3545 GI/99—1

भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग,
Department of Publications

(xiv) Regional Rural Water Supply Scheme for Arjuni Mor and group villages by M/s. S.M.S. Paryavaran Private Limited, 216 Vats Market (behind Shiva Market), Pitampura, Delhi-110034, under the Agreement No. E-1/12 of 1999-2000 dated 29-5-99 between Executive Engineer, Maharashtra Jeevan Pradhikaran, Works Division, Bhandara and M/s. S.M.S. Paryavaran Private Limited.

[Notification No. 11157/F. No. 205/97/99-ITA-II]

KAMLESH C. VARSHNEY, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1999

का. आ. 3608.—अतः संयुक्त सचिव, भारत सरकार जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत विशेष रूप से शक्ति प्रदान की गई है, ने उक्त उप-धारा के अधीन आदेश फाइल सं. 673/67/99-सी.यू.एस.-VIII दिनांक 11-10-99 जारी किया और यह निर्देश दिया कि श्री एस. मोहम्मद रफीक सुपुत्र स्व. श्री शाहुल हमीद घर का पता : नं. 15-बी, महल प्रथम गली, मदुरै-1, तमिलनाडु । नेटिव पता : नं. 1/35, वेलालेर गली, पार्थीबनूर जि. रामनाद, तमिलनाडु । बिजनेस पता : प्रबन्धक, मै. दाऊद टैक्सटाईल्स, नं. 98-ए., दक्षिणी मासी गली, मदुरै । को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार मदुरै में अभिरक्षा में रखा जाए जिससे कि उन्हें भविष्य में विदेशी मुद्रा के संवर्धन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी भी तरह के कार्य करने से रोका जा सके ।

2. अतः केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या स्वयं को छिपा रखा है जिससे कि यह आदेश निष्पादित नहीं किया जा सकता ।

3. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को यह निर्देश देती है कि वह शासकीय राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशित होने के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, मदुरै के सम्मुख उपस्थित हो ।

[फा. सं. 673/67/99-सी.यू.एस.-VIII]

प्रकाश चन्द्र, उप सचिव

Attested
Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication

3545 GI/99—2

ORDER

New Delhi, the 6th December, 1999

S.O. 3608.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specialy empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange & Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/67/99-Cus.-VIII dated 11-10-1999 under the said sub-section directing that Shri S. Mohamed Rafeek, S/o Late Shahul Hameed, Residence No. 15-B, Mahal 1st Street, Madurai-1, Tamil Nadu, Native Address No. 1/35, Velalar Street, Parthibanoor, Ramnad District, Tamil Nadu; Business: Manager, M/s. Dawood Textile, No. 98-A, South Masi Street, Madurai be detained and kept in custody in the Central Prison, Madurai with a view to preventing him from acting in any manner predudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Madurai within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/67/99-Cus-VIII]

PARKASH CHANDRA, Dy. Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना विभाग)

सार्वजनिक-सूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1999

का. आ. 3609:— दिल्ली विकास प्राधिकरण (मु.योजना तथा क्षेत्रीय योजना) नियम 1959 के नियम 5 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 10 (i) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को क्षेत्रीय विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने तथा उसके प्रकाशन के लिए सूचना ।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि:—

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के तीन एम, एन एवं पी (पार्ट) नरेला उप-नगरीय परियोजना के लिए एक क्षेत्रीय विकास योजना प्रारूप तैयार कर लिया गया है ।

(ख) उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, भूतल, विकास मीनार में आगे पैरा '3' में उल्लेखित तारीख तक सभी कार्य दिवसों के दौरान प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध होगी।

2. इस प्रारूप योजना के संबंध में एतद्द्वारा आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।

3. आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप में आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास सदन, नई दिल्ली-23, को सन् 2000 के ..... मार्च ..... महीने की 17वीं तारीख से पहले भेजें।

आपत्ति/सुझाव भेजने वाले व्यक्ति को अपना नाम एवं पता भी अवश्य देना चाहिए।

[सं. एफ.-4(3)98-एम.पी.]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Department)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 10th December, 1999

S.O. 3609.—Notice under section 10(1) of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) read with rule 5 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959 of the preparation and publication of the draft of the Zonal Development Plan for the National Capital Territory Delhi.

Notice is hereby given that :

a. A draft of a Zonal Development Plan for zone M, N & P (part) (Narela sub-city) in the National Capital Territory of Delhi has been prepared.

b. A copy thereof will be available for inspection of the office of the Delhi Development Authority, on Ground Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi, between hours of 11 A.M. to 5 P.M. on all working days till the date mentioned in para '3' hereinafter.

2. Objections and suggestions are hereby invited with respect to this draft plan.

3. The Objection or Suggestion may be sent in writing to the Commission-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' block, I.N.A., New Delhi-23, before the 17th day of March, 2000.

Any person making the objection or suggestion should also give his name and address.

[No. F. 4(3)98-MP]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1999

का.आ. 3610.— तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से और और दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, अगला आदेश होने तक, श्री अरविन्द वर्मा, सचिव रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को श्री दीपक चटर्जी के स्थान पर तेल उद्योग विकास बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है।

[सं.सा जी–35012/2/91-वित्त-II]

मोहित सिन्हा, उप सचिव.

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 3rd December, 1999

S.O. 3610.—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Sub-section (3) of Section 3 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby appoints, with immediate effect and for a period not exceeding two years, Shri Arvind Varma, Secretary, Department of Chemicals and Petrochemicals, as a Member of the Oil Industry Development Board vice Shri Deepak Chatterjee, until further orders.

[No. G-35012/2/91-Fin. II]

MOHIT SINHA, Dy. Secy.

सहायक नियंत्रक (कारोबार)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publications

of India in part II-3 (ii) dated 1-1-1993. The following changes may be made against Sl. No. 4 and 16 i.e., Delhi and Rajasthan Circles.

Sl. No.	Name of Circle	Designation of the officer	Territorial Jurisdiction
4.	Delhi	Sh. D.L. Yadav, Asstt. Post Master General, O/o. Chief Postmaster General, Delhi	Delhi Circle
16.	Rajasthan	Sh. C.B. Sankhla Asstt. Postmaster General O/o. Chief Postmaster General, Rajasthan Circle	Rajasthan Circle

[No. 2-119/90-Bldg.]

PROMILA RAY, Dy. Director General (MM)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1999

का.आ. 19.— केन्द्र सरकार का दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव सूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अन्दर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई.एन.ए., नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज सकता है। आपत्ति करने/सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता भी दे।

संशोधन :—

भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(ii) दिनांक 1-8-90 के पृष्ठ सं. 4-80 (दायीं ओर) पर "मिश्रित भूमि उपयोग विनियम" शीर्षक के अन्तर्गत (ह) कबाड़ी की दुकान के बाद निम्नलिखित शामिल किया जाना है, जिनके संशोधन पहले अधिसूचना संख्या एच.-11011/17/91-डी.डी.आई.बी. दिनांक 20-5-99 द्वारा अंतिम रूप से अधिसूचित किये जा चुके हैं।

"नर्सिंग होम, गेस्ट हाऊस और बैंक को केवल पुनर्वास कालोनियों में न्यूनतम 13.5 मीटर चौड़ी सड़क पर पड़ने वाले न्यूनतम 167.2 वर्गमीटर आकार के "आवासीय प्लाटों" पर अनुमति दी जाएगी।"

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला दिल्ली मुख्य योजना-2001 का पाठ निरीक्षण के लिए उक्त अवधि के अंदर सभी कार्य दिवसों को संयुक्त निदेशक मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.स्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ. 10(5)81 एम.पी.पार्ट-2]

विश्वमोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 27th December, 1999

S.O. 19.—The following modification which the Central Government propose to make in the Master Plan for Delhi-2001, is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi, within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objection/suggestion should also give his/her name and address.

MODIFICATION

"At Page 166 (LHS) of the Gazette of India, Part-II Section 3 sub section (ii) dated 1-8-90 under the heading "Mixed Land Use Regulations", the following is to be incorporated after (h) Junk Shop and earlier amendments finally notified by the Govt. of India, vide Notification No. H-11011/17/91-DDIB dt. 20-5-99 :

"Nursing Home, Guest House and Bank shall be allowed on "residential plots" of minimum size of 167.2 sqm. facing a minimum road width of 13.5 m. wide, only in rehabilitation colonies."

2. The text of MPD-2001 duly incorporating the modification is available for inspection of the office of Joint Director Master Plan Section, 6th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi, on all working days within the period [No. F. 10(5)81/MP Pt. II]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

सहायक नियंत्रक (व्यवसाय)
Asstt. Controller (Business)

भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54

रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/99

REGISTERED NO. D. L.—

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 1, 2000/पौष 11, 1921
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1, 2000/PAUSA 11, 1921

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1999

का.आ. 1 :—केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 1980 के अधिनियम, 61 तथा 1984 के अधिनियम 35 द्वारा यथा संशोधित लोक परिसर (अनैध कब्जेदारों का निष्कासन) अधिनियम, 1971 लोक (1971 का 40) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुनर्वास प्रभाग, गृह मंत्रालय में अवर सचिव, श्री खुशहाल चंद को, सरकार का राजपत्रित अधिकारी होने के नाते, उक्त अधिनियम के उद्देश्य हेतु संपदा अधिकारी नियुक्त करती है। वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में स्थित कोटला फिरोजशाह, नई दिल्ली में स्थित लोक परिसरों के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत एक संपदा अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे।

[सं. 1(4)/99-बंदोबस्त]
फूल सिंह, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Rehabilitation Division)

New Delhi, the 21st December, 1999

S.O. 1.—In exercise of the powers conferred by Sectio 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupant Act, 1971 (40 of 1971) as amended by Act 61 of 198 and Act 35 of 1984 the Central Government hereby appoin Shri Khushal Chand, Under Secretary, Rehabilitation Div sion, Ministry of Home Affairs being a Gazetted Officer the Government, to be an Estate Officer for the purpose the said Act. He shall exercise the powers and perform t duties of an Estate Officer under the said Act in respect public premises, situated in the Kotla Ferozeshah in t National Capital Territory of Delhi.

[No. 1(4)/99-Settlemer
PHOOL SINGH, Direc

सहायक निदेशक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication

3665 GI/99—1

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 10, 2000/पौष 20, 1921
No. 25] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 10, 2000/PAUSA 20, 1921

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा-1)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2000

सा.का.नि. 26 (अ).—दिल्ली विकास (विविध) नियम, 1959 के नियम 3 के उप-नियम(4) के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दि.वि.प्रा. में आयुक्त पद के भर्ती नियम बनाता है, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाए :—

दिल्ली विकास प्राधिकरण में आयुक्त पद के भर्ती नियम

1. पद का नाम — आयुक्त/सचिव
2. पदों की संख्या — 5 आयुक्त और एक सचिव का पद (कुल 6)
3. वर्गीकरण — समूह "क"
4. वेतनमान

1. विभागीय आयुक्त

(क) आरम्भिक नियुक्ति पर पद का वेतनमान 14300-18300/- रु. होगा। (यही वेतनमान विभागीय निदेशकों को सलेक्शन ग्रेड के रूप में दिया गया है। निदेशकों को यह वेतनमान गैर-प्रयोजनमूलक आधार पर दिया जा रहा है।) तथापि, विभागीय आयुक्तों को आयुक्त पद पर पांच (5) वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद की तारीख से 18400-22400/-रु. का वेतनमान दिया जाएगा।

(ख) 14300-18300/-रु. के वेतनमान के पदों के साथ 18400-22400/-रु. के वेतनमान में पदों की संख्या विभागीय अधिकारियों के लिए 2 होगी।

2. प्रतिनियुक्ति पर आने वाले आयुक्त

वे अपने नियुक्ति के निबंधनों और डी.ओ.पी. एण्ड टी. और शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय के निदेशों के अनुसार वेतनमान लेंगे।

Attested
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, Delhi-54
Civil Lines, Delhi-54

5.	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद	चयन
6.	(क) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
	(ख) क्या सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा में किसी वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय है।	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8.	पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति के मामले में क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी।	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जानी वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	(1) 2 पद पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा। (2) 4 पद प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।
11.	यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाती है तो ग्रेड जिससे पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है।	1. पदोन्नति दिल्ली विकास प्राधिकरण के सभी निदेशक, जो 12000-375-16,500/- रु. और 14300-400-18,300/- रु. के वेतनमान में आठ वर्षों की संयुक्त सेवा कर चुके हों, आयुक्त/सचिव के रूप में पदोन्नति हेतु पात्र होंगे। 2. प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (1) भारतीय प्रशासनिक सेवा/केन्द्रीय ग्रुप "ए" सेवाओं के उन अधिकारियों में से नियुक्तियाँ की जाएंगी जो भारत सरकार में निदेशकों के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र हैं। (2) शहरी विकास के क्षेत्र में पृष्ठ भूमि रखने वाले अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी। (3) ए.सी.सी. के अनुमोदन से, सेन्ट्रल स्टाफिंग स्कीम के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका क्या रूप है ?	(1) उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा.—अध्यक्ष (2) अभियंता सदस्य—सदस्य (3) वित्त सदस्य—सदस्य (4) प्रधान आयुक्त—सदस्य (5) आयुक्त (कार्मिक)—संयोजक
13.	बचाव	इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, छूट, आयु-सीमा और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
14.	निरर्हता	कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी पत्नी जिसका पति जीवित हो।
15.	शिथिल करने की शक्ति	कोई शिथिलता नहीं।

[सं. एफ. 7(335)/87-पी.बी.-I/42]

वी.एम. बंसल, आयुक्त एवं सचिव

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Personnel Branch-I)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2000

G.S.R. 26(E).— In exercise of the powers conferred by section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with sub-rule (4) of rule 3 of the Delhi Development (Misc.) Rules-1959, the Delhi Development Authority hereby makes with the prior approval of the Central Govt., Recruitment Regulations for the post of Commissioners in the DDA which may be read as under :

Recruitment Regulations for the post of Commissioners in Delhi Development Authority

1. Name of the post : Commissioner/Secretary

2. Number of posts : 5 Commissioners and one post of Secretary (total 6)

3. Classification : Group 'A'

4. Scale of pay : I. DEPARTMENTAL COMMISSIONERS

a] On initial appointment, the pay scale of the post shall be Rs. 14300-18300/-. (The same scale as the departmental Directors, Selection Grade who are being given this scale on non-functional basis). Departmental Commissioners shall however be placed in the pay scale of Rs. 18400-22400/- from the date they have completed five (5) years of service on the post of Commissioners.

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

b] Number of posts in the scale of Rs. 18400-22400/- interchangeable with the posts in the pay scale of Rs. 14300-18300/- shall be restricted to 2 for the departmental officers.

II. COMMISSIONERS ON DEPUTATION

They shall draw the pay scale as per their terms of appointment and as per instructions of the DOP & T and the Ministry of Urban Affairs and Employment.

5. Whether selection post or non-selection post : Selection

6.	(a) Age limit for direct recruitment	:	Not applicable
	(b) Whether benefit of any added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension) Rules 1972.	:	Not applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruitment	:	Not applicable
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotion and deputationists.	:	Not applicable
9.	Period of probation, if any	:	2 years
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	:	i] 2 posts by promotion failing which by transfer on deputation. ii] 4 posts by transfer on deputation.
11.	In case of recruitment by promotion/transfer/ deputation, grades from which promotion/transfer/ deputation is to be made	:	I. <u>Promotion</u> All Directors of DDA, with eight years of combined service in the grades of Rs. 12000-375-16500/- and Rs. 14300-400-18,300/- shall be eligible for promotion as Commissioner/Secretary.

Attested

सहायक नियंत्रक (कारोबार)
Assistant Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54.

II. Transfer on deputation

i] Appointment shall be made from amongst theofficers of the IAS/Central Group-A services who are eligible for appointment as Directors in the Govt. of India,

ii] Preference shall be given to those officers having background in the field of Urban Development,

iii] Appointment shall be made through the Central Staffing Scheme, with the approval of the ACC.

12. If a DPC exists what is its composition for departmental promotions : i] Vice-Chairman, DDA - Chairman
ii] Engineer Member - Member
iii] Finance Member - Member
iv] Principal Commissioner - Member
v] Commissioner (P) - Convener

13. Saving : Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation or age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government, from time to time in this regard.

14. Disqualification : No person who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive.

15. Power to relax : No relaxation.

Attested

सहायक नियंत्रक (कारोबार)
Asstt Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईंस, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

[No. F.7(335)/87-PB-I/42]
V.M. BANSAL, Commr.-Cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

065356/3-b-2000

20709
24-1-2000

भारत सरकार मुद्रणालय
से दिनांक .....को प्राप्त ।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

प्रभार।
रजपत्र वितरण एकक

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

P.O. 380
K.M. 30
Deptt. 30
C.P.B. 320

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 17, 2000/पौष 27, 1921
No. 44] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 17, 2000/PAUSA 27, 1921

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा-I)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2000

सा. का. नि. 50 (अ).—भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ. 7(92)/98/पी. बी.-I दिनांक 22-10-99 के हिन्दी पाठ में आंशिक संशोधन करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण में योजना सहायक पद के भर्ती विनियमों के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित संशोधन/सुधार किया जाता है:—

अनुलग्नक सं. 12 (पृ.-14)

दिल्ली विकास प्राधिकरण में योजना सहायक के पद हेतु भर्ती विनियम।

कालम सं. 12

कालम सं. 12 के सामने वरिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति (डी. पी. सी.) के चौथे सदस्य को आयुक्त (कार्मिक) के बजाए आयुक्त (योजना) पढ़ा जाए।

[सं एफ. 7(92)/98/पी. बी.-I]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

सहायक नियंत्रक (व्यापार)
Asstt Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईंस, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Personnel Branch-I)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th January, 2000

G. S. R. 50 (E).—In partial modification of Notification No F. 7(92)/98/PB-I dated 22-10-1999 published in the Gazette of India, under Part-II, Section-3, Sub-section (i) Extraordinary, the following rectifications/corrections in

respect of Recruitment-Regulations for various posts of Planning, Architecture and Horticulture Cadres are made as under :—

Specimen given for notification	Notified/Published	Rectifications/ corrections made
Annexure No. 5 (Page-25)		
Asstt. Landscape Architect	Asst. Landscope Architect	Asstt. Landscape Architect
RRs to the post of ASSTT. HORTICULTURIST(Page-25)		
Col. No. 6		
Promotion/direct recruitment	Promotion direct recruitment	Promotion/direct recruitment
RRs to the post of RESEARCH ASSISTANT (Page-27)		
Col No. 2		
Group—'B'	Group-'A'	Group-'B'
Col. No. 6		
Essential:		
(ii) Atleast two years experience in collecton & analysis of data relating to Socio-ecomonic, Industrial and physical studies. (Relaxable in case of candidates otherwise well qualified.	(ii) Atleast two years experience in collection & analysis of data relating to socio-economic, industrial physical studies, (Relaxable in case of candidates otherwise well qualified).	(ii) Atleast two years experience in collection & analysis of data relating to Socio-economic, Industrial and physical studies, Relaxable in case of candidates otherwise well qualified).
RRs to the post of RESEARCH OFFICER (Page-28		
Col. No. 2		
Group-'A'	Group-'B'	Group-'A'
RRs to the post of Dy. DIRECTOR (LANDSCAPE ARCHITECTURE) (Page-30		
Heading		
Recruitment Rules to the post of Dy. DIRECTOR (LANDSCAPE ARCHITECTURE)	Recruitment Rules to the post of Dy. Director Landscape Architect	Recruitment Rules to the post of Dy. DIRECTOR (LANDSCAPE ARCHITECTURE)
Col. No. 1		
Dy. Director (Landscape Architecture)	Dy. Director (Landscape Architect)	Dy. Director (Landscape Architecture)
Col. No. 10		
Promoton:		
Landscape Architect/Jr. Architect (Landscape) with atleast 3 years regular service in the grade possessing qualification prescribed for the post of Dy. Direector (Landscape Architecture)	Landscape Architect/Jr. Architect. Jr. Architect(Landscape) with atleast 3 years regular service in the grade qualificaton prescribed for the post of Dy. Director (Landscape Arch.)	Landscape Architect/Jr. Architect (Landscape) with atleast 3 years regular service in the grade possessing qualification prescribed for the post of Dy. Director (Landscape Architecture).

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication

3

RRs to the post of SENIOR RESEARCH OFFICER (Page-31

Col. No. 10

Promotion:		
Promotion from Research Officer with atleast 3 years regular service in the grade with qualifications prescribed for the post, failing which by deputation.	Promotion from Research Officer with atleast 3 years regular service in in the grade qualifications prescribed for the post failing which by deputation.	Promotion from Research Officer with atleast 3 years regular service in the grade with qualifications prescribed for the post, failing which by deputation.

RRs to the post of Director(Planning) (Page-32)

Col. No. 8

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotage and deputationists.	Whether age and educational qualifications prscribed for the direct recruits will apply in the case of promotion and deputationists.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotage and deputationists.

Col. No. 10

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion on transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.

RRs to the post of JOINT DIRECTOR (PLANNING) (Page-33)

Col. No. 1

Name of post: Joint Director (Planning) re-designated as Director-(Planning)	Joint Director (Planning) Redesignated as Director Commr. (Plg.).	Joint Director (Planning) re-designated as Director (Planning)

Col. No. 10

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion on transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.

RRS FOR THE POST OF ADDL. CHIEF ARCHITECT (PAGE-38)

Heading :

Recruitment Regulations for the post of Addl. chief Architect in the Delhi Development Authority.	Recruitment Regulation for the post of Addl. Architect in the Delhi Development Authority.	Recruitment Regulations for the post of Addl. Chief Architect in the Delhi development authority.

Col. No. 6 (b)

Whether benefit of added years of services admissible under rule 30 of CCS(Pension) Rules, 1972	: Yes (vide Resolution No. 47/95 dt. 29-5-95)	Whether benefit of added years of services admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972	: yes (vide Resolution No. 47/95 dt 29-9-95)	Whether benefit of added years of services admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972	: yes (vide Resolution No. 47/95 dt. 29-5-95 Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54

RRS FOR THE POST OF ASSTT. ARCHITECT (PAGE-41—42).

Col. No. 7

Essential :

(i) Post Graduate qualification either in Architecture or in Urban Design or Conservation or Landscape or Building Engineering :	(i) Post Graduate qualification either in Architecture or in Urban Design or Conservation or Landscape or Building Engineer :	(i) Post Graduate qualification either in Architecture or in Urban Design or Conservation or Landscape or Building Engineering :

• Due to printing errors at page Nos 45 , 44 &46, the Recruitment Regulations as per Annexure Nos. 18 & 19 for the posts of Senior Landscape Architect and Statistical Assistant deleted and re-notified as below :

ANNEXURE-18

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF SENIOR LANDSCAPE ARCHITECT IN THE DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

1.	Name of post	:	SENIOR LANDSCAPE ARCHITECT Re-designated as Director (Landscape).
2.	No. of posts	:	One *(1993), *subject to variation dependent on work-load
3.	Classification	:	Group 'A'
4.	Scale of pay	:	Rs. 3000-125-4700-150-5000/-
5.	Whether selection post or non-selection post	:	Selection post
6.	(a) Age limit for direct recruits.	:	Up to 45 years
	(b) Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972.	:	Yes (Vide Resolution No. 47/95 dt. 29-5-95)
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	:	ESSENTIAL : 1. Post Graduate Degree or equivalent Diploma in Landscape Architecture, and 2. Degree in Architecture from a recognised University or Institution or equivalent, and 3. Atleast 8 years experience in the Landscape Plg. in responsible capacity (relaxable in the case of candidates otherwise well qualified).
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists	:	1 Age —No 2. Education & Experience —Yes
9	Period of probation, if any.	:	2 years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	:	Promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment.
11	In case of recruitment by promotion/transfer/deputation, grades from which promotion/transfer/deputation is to be made.		1 PROMOTION : From Deputy Director (Landscape Architecture) with atleast 5 years regular service in the grade possessing qualifications prescribed for the post of Senior Landscape Architect.

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली

2. **DEPUTATION** : From office of the Central/State Government/Public Sector Undertakings/Autonomous Organisation :

a. Holding analogous post.

b. Holders of posts in the pay scale of Rs. 3000-4500 with 7 years regular service in the grade and possessing qualification prescribed for direct recruitment (period on deputation should not exceed 3 years).

12. If a DPC ,what is its composition : Senior level DPC comprising of the following :—

1. Vice-Chairman	—Chairman
2. Finance Member	—Member
3. Engineer Member	—Member
4. Commissioner-cum-Secretary DDA.	—Member
5. Commissioner (Personnel)	—Member Secretary

6. Expert in the field to be co-opted by the Chairman.

13. Saving : Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.

14. Disqualification. : No person :

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Govt./Delhi Development Authority may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

15. Power to relax : Where the Central Govt./Delhi Development Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category of persons or posts.

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

ANNEXURE-19

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF STATISTICAL ASSISTANT

1. Name of post : STATISTICAL ASSISTANT
2. No. of posts : 1 (1998)
3. Classification : Group 'C'

153-E/2000-2

4.	Scale of pay	:	Rs. 4500-125-7000/-
5.	Whether selection post or non-selection post.	:	Non-Selection post
6.	Age limit for direct recruits.	:	Not exceeding 25 years.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	:	**ESSENTIAL :** Master's Degree in Statistics or Mathematics/Economics/Commerce/Operational Research with Statistics as one of the subjects of study of a recognised University or equivalent. OR Degree of a recognised University with Statistics as one of the subjects and two years post graduate diploma in Statistics from a recognised statistical Institute, **Desirable :** Experience of Statistical work involving collection and compilation of Statistical data or experience of field enquiry.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.	:	N.A.
9.	Period of probation, if any.	:	Two years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	:	By Direct Recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/transfer/ deputation, grades from which promotion/ transfer/deputation is to be made.	:	N.A.
12.	If a DPC exists what is its composition.	:	Group 'C' DPC
13.	Saving	:	Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./ Delhi Development Authority from time to time in this regard.
14.	Disqualification.		No person who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive.
15.	Power to relax	:	When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category of persons or posts.

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)

Encl : As above.

भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

[No. F. 7(92)98/PB-I]

V.M. BANSAL, Commissioner-cum Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2000.

05086/6-4-2000

03856
18-2-2(

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

पभारी
सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

P.O. 7
K.M.
Dept 4
C.P.G. 3(

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 8, 2000/माघ 19, 1921
No. 82] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 2000/MAGHA 19, 1921

दिल्ली विकास प्राधिकरण

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2000

सा.का.नि. 93(अ).—सामान्य सेवा विनियम [जी.एस.आर.(624)ई.] भारत के असाधारण राजपत्र में भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना सं. 7 (11) 96-पी.बी.I/पी.एण्ड सी. (पी.) दिनांक 8-9-99। इस संबंध में विभिन्न दि. वि. प्रा. आचरण, अनुशासनात्मक एवं अपील विनियम, 1999 विधिवत संशोधित किए गए।

विनियम-4

सामान्य आचरण

(i)

1. प्राधिकरण का प्रत्येक कर्मचारी हमेशा :

क. ड्यूटी के प्रति पूर्ण निष्ठा बनाए रखेगा।

(ii) पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखेगा।

(iii) ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे वह सरकारी कर्मचारी न बना रह सके।

के बजाय

1. प्राधिकरण का प्रत्येक कर्मचारी हमेशा :

(i) ड्यूटी के प्रति पूर्ण निष्ठा बनाए रखेगा।

(ii) पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखेगा।

(iii) ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे वह सरकारी कर्मचारी न बना रह सके।

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Publication

352 GI/2000 (1)

मामूली दंड लगाने की कार्रवाई हेतु आरोप प्रेषित करना

ज्ञापन

ज्ञापन में :—दि.वि.प्रा. (आचरण, अनुशासनात्मक एवं अपील नियम), 1998 के बजाय दि.वि.प्रा. आचरण, अनुशासनात्मक एवं अपील विनियम, 1999।

जाँच प्राधिकारी परिवर्तित करने हेतु मानक फार्म

आदेश में :—दि.वि.प्रा. (आचरण और अनुशासनात्मक एवं नियम), 1998 के बजाय दि.वि.प्रा. आचरण और अनुशासनात्मक एवं अपील विनियम, 1999

सामूहिक कार्यवाही में प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी की नियुक्ति

आदेश

आदेश में :—दि.वि.प्रा. आचरण, अनुशासनात्मक एवं अपील नियम,1998 के बजाय दि.वि.प्रा. आचरण, अनुशासनात्मक और अपील विनियम, 1999।

[एफ. 7(11)/96/पीबी-I/पीएण्डसी (पी)]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th February, 2000

G. S. R. 93 (E).—G.S.R. 624(E). the notification No. 7(11)96-PB-I/P&C(P) dated 8-9-99 published under Part-II, Section 3, Sub-Section (i) in the Extraordinary Gazette of India. In this connection various DDA, Conduct, Disciplinary & Appeal Regulations, 1999 duly corrected.

REGULATION—4
GENERAL CONDUCT

1. Every employee of the Authority shall at all time :
   (i) Maintain absolute devotion to duty.
   (ii) Maintain absolute integrity.
   (iii) Do nothing which is unbecoming of a Public Servant.

Instead of

i)

i). Every employee of the Authority shall at all time :
   (i) Maintain absolute devotion to duty.
   (ii) Maintain absolute integrity.
   (iii) Do nothing which is un-becoming of a Public Servant.

COMMUNICATION OF ALLEGATION FOR MINOR PENALTY ACTION
MEMORANDUM

In the memorandum :—DDA Conduct, Disciplinary and Appeal Regulations, 1999 instead of DDA (Conduct D & A Rules), 1998.

STANDARD FORM FOR CHANGE OF INQUIRING AUTHORITY

ORDER

In the order :—DDA Conduct, Disciplinary & Appeal Regulations, 1999 instead of DDA Conduct and D & A Rules, 1998.

APPOINTMENT OF THE PRESENTING OFFICER IN COMMON PROCEEDINGS

ORDER

In the order :—DDA Conduct, Disciplinary and Appeal Regulations, 1999 instead of DDA Conduct and D & A Rules, 1998.

[F. 7(11)/96/PB-I/P&C(P)]

V. M. BANSAL, Commr.-cum-Secy.

Attested

सहायक नियंत्रक (व्यवसाय)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

भारत सरकार मुद्रणालय..... से दिनांक.....को प्राप्त।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

प्रभारी
राजपत्र वितरण एकक

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24, 2000/फाल्गुन 5, 1921
No. 121] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 2000/PHALGUNA 5, 1921

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा-I)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2000

सा.का. नि. 155(अ).—दिल्ली विकास (विविध) नियम, 1959 के नियम 3 के उप-नियम (4) के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण, एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों की भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाता है, जो निम्नानुसार पढ़े जाएं :—

दिल्ली विकास प्राधिकरण में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद हेतु भर्ती विनियम

1.	पद का नाम	:	पुस्तकालयाध्यक्ष
2.	पदों की संख्या	:	(एक)
3.	वर्गीकरण	:	समूह "क"
4.	वेतनमान	:	8000—13500/- रु.
5.	आयु सीमा	:	35 वर्ष (केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार 5 वर्ष की छूट)
6.	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है?	:	चयन पद
7.	अपेक्षित योग्यताएँ	:	अनिवार्य :

1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक विषय के रूप में लेकर ऑनर्स डिग्री सहित स्नातक।
2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा।

Attested
सहायक नियंत्रक (कार्य.)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Personnel Branch-I)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2000

G.S.R. 155(E).—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), read with sub-rule (4) of rule 3 of the Delhi Development (Miscellaneous) Rules 1959, the Delhi Development Authority, hereby makes, with the previous approval of the Central Government, the following Regulations relating to the methods of recruitment to the posts of Librarian/Asstt. Librarian which may be read as under :—

Recruitment Regulations for the post of Librarian in DDA

1.	Name of the post	:	Librarian
2.	Number of post	:	1
3.	Classification	:	Group A
4.	Scale of pay	:	Rs. 8000—13,500/-
5.	Age	:	35 years (relaxation of 5 years to the Central Govt./ State Govt./DDA employees under the orders of Central Govt.
6.	Whether selection or non-selection post	:	Selection
7.	Educational/Qualification	:	**Essential :** (i) Masters degree or graduation with Hons. degree of a recognised University with Hindi or English as a Subject. (ii) Degree or Diploma in Library Science of a recognised University/Institution. (iii) 3 years administrative and organising experience in a library of standing. (iv) Knowledge of technique of book preservation. (v) Diploma in Public Relations/Journalism. **Desirable :** (i) Proficiancy in a language other than the one at graduation level. (ii) For departmental candidates the post will be regularised only when Diploma in Journalism/PR is acquired by the promotee.
8.	Period of probation, if any.	:	2 years
9.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer.	:	(1) Promotion : Asstt. Librarian with 5 years regular service in the grade failing which by Direct Recruitment
10.	If a DPC exists what is its composition.	:	Sr. Level DPC
11.	Whether age and qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	:	Not applicable
12.	Savings.	:	Nothing in these regulations shall effect reservations, relaxation or age limit and other concessions required to be provided for the SC/ST, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./DDA from time to time.
13.	Disqualification	:	No person. (a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living or

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication

(b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any peson, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Govt./DDA may, satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

14. Powers to relax : Where the Chairman/Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be order, for reason to be recorded i n writing relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category of persons or post.

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF ASSISTANT LIBRARIAN

1. Name of post : Assistant Librarian
2. No. of posts : 2
3. Classification : Group 'C'
4. Scale of pay : Rs. 4500—7000
5. Educational & other qualifications required for direct recruits. : Degree from a recognised University or equivalent with English or Hindi as a subject.

(ii) Proficiency in a language other than the one at graduation level.

(iii) Diploma in Lib. Science.

Desirable :

Experience of public relation/journalism or mass communications will be preferred.

6. Period of probation if any. : Two years
7. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods. : By promotion failing which by direct recruitment.
8. In case of recruitment by promotion/transfer/ deputation grades from which promotion/transfer/ deputation is to be made. : By promotion from amongst Graduate LDCs & UDCs with 6 years service in the grade & possessing qualification of diploma in Library Science. Age limit will be 40 years.
9. If a DPC exists what is its composition. : As for Group 'C'.
10. Saving. : Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Ex-Serviceman and other special categories or persons in accordance with the order issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.
11. Disqualification : No person

(a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living or;

(b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाइन, दिल्ली-54
Delhi-54

545 GI/2008—2

Provided that the Central Govt./DDA may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

12. Power to relax. : When the Chairman/Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category or persons or posts.

[No. F. 7(68)98/PB-I]

V. M. BANSAL, Commr.-cum-Secy.

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2000/चैत्र 9, 1922
No. 203] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2000/CHAITRA 9, 1922

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2000

का. आ. 291 (अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2) (एच) के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. के-11011/27/92-डी.डी.आई.ए., दिनांक 21 मार्च, 2000 द्वारा सूचित किया है कि डा. श्रीमती अनीता आर्या और श्री अवतार सिंह भडाना, सांसद (लोक सभा) को विधिवत् रूप से प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[सं. एफ. 1(2)/2000/एसी/एम.सी./डीडीए/45]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2000

S. O. 291 (E).—It is hereby notified that under Section 5(2) (h) of the Delhi Development Act, 1957 the Govt. of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/27/92-DDIA, dated 21st March, 2000 communicated that Dr. (Smt.) Anita Arya and Shri Avtar Singh Bhadana, M.Ps. (Lok Sabha) have been elected to be members of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[No. F. 1(2)/2000/AC/MC/DDA/45]

V. M. BANSAL, Commr.-cum-Secy.

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

990 GI/2000

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 2000

3. किसी प्रतिष्ठित पुस्तकालय में 3 वर्ष का प्रशासनिक एवं संयोजन का अनुभव।

4. पुस्तक परिरक्षण-तकनीकों का ज्ञान।

5. जनसम्पर्क/पत्रकारिता में डिप्लोमा।

वांछनीय :

(1) स्नातक स्तर की भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा मे दक्षता।

(2) विभागीय उम्मीदवारों के लिए पद, पत्र-कारिता/जनसम्पर्क में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद ही पदोन्नति द्वारा विनियमित किया जाएगा।

8. परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो : 2 वर्ष

9. भर्ती की पद्धति-सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा : (1) पदोन्नति-ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, जिसके न मिलने पर सीधी भर्ती द्वारा।

10. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका क्या गठन है ? : वरिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति

11. क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी। : लागू नहीं

12. बचाव : इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, छूट या आयु-सीमा और अन्य रियायतों, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

13. निरर्हता : कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

क. जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी/जिसका पति/पत्नी जीवित है, या

ख. जिसकी/जिसका पत्नी/पति जीवित है और उसने किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह करने का अनुबन्ध किया हो।

बशर्ते केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि वह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं, तो वह उस व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।

14. शिथिल करने की शक्ति : जब अध्यक्ष/प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है , तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों और पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकता है।

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईंस, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद हेतु भर्ती विनियम

1.	पद का नाम	:	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
2.	पदों की संख्या	:	2
3.	वर्गीकरण	:	समूह ''ग''
4.	वेतनमान	:	4500—7000/- रु.
5.	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	:	1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी या हिन्दी एक विषय के रूप में लेकर डिग्री या समकक्ष। 2. स्नातक स्तर की भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा में दक्षता। 3. पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा। वांछनीय : जन-सम्पर्क/पत्रकारिता या जनसंचार के अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।
6.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
7.	भर्ती की पद्धति (सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।)	:	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
8.	यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो वह ग्रेड, जिसमें पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है।	:	ग्रेड में 6 वर्ष की सेवा रखने वाले स्नातक नि.श्रे.लि. एवं उ.श्रे.लि. में से पदोन्नति द्वारा, जो पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा की योग्यता रखते हैं। आयु सीमा 40 वर्ष है।
9.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका क्या गठन है?	:	समूह ''ग'' के अनुसार
10.	बचाव :	:	इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, छूट या आयु सीमा और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
11.	निरर्हता	:	कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :— (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी/जिसका पत्नी/पति जीवित हो और उसने किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह करने का अनुबंध किया हो। बशर्ते केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि वह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं, तो वह उस व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।
12.	शिथिल करने की शक्ति	:	जब अध्यक्ष/प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों और पदों के सम्बन्ध में इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकता है।

[सं. एफ. 7(68)/98/पी.बी.-I]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त-एवं-सचिव

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication

143 3-8-2000

1245
24-4-2000

भारत सरकार मुद्रण स्थ..... ...
से दिनांक .....को प्राप्त ।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

प्रभारी
उपय वितरण एकक

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2000/चैत्र 17, 1922
No. 201] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2000/CHAITRA 17, 1922

P.O. 370
K.M. 30
D/O - 20
C.P.B. - 320

ppl

पूरा किया

प्रभारी
उ०वि० एकक

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा I)—

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2000

सा.का.नि. 313 (अ).—दिल्ली विकास (विविध) नियम 1959 के उप-नियम-4 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा उप सचिव (हिन्दी) के पद के भर्ती विनियम बनाता है, जिन्हें निम्नानुसार पढ़ा जाए :—

उप सचिव (हिन्दी) के पद हेतु भर्ती विनियम।

1.	पद का नाम	:	उप सचिव (हिन्दी)
2.	पदों की संख्या	:	एक (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)
3.	वर्गीकरण	:	समूह "क"
4.	वेतनमान	:	3000-100-3500-125-4500/-रु. (पूर्व संशोधित) रु. 10,000-15,200/- (संशोधित)
5.	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है	:	चयन
6.	क. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
	ख. क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ देय है।	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं।	:	लागू नहीं

Attested
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication

8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगी।	: लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	: 2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति-सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	: पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में उस ग्रेड का नाम, जिससे पदोन्नति/स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति की जानी है।	: पदोन्नति :— हिन्दी अधिकारियों में से जिन्होंने ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक के ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखते हों :— (1) डिग्री स्तर पर विषय के रूप में अंग्रेजी सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष। प्रतिनियुक्ति :— उन अधिकारियों में से जो अधिकतम 4 वर्ष की अवधि से केन्द्र/राज्य सरकार में समान पदों पर हों।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन क्या है?	: समूह "क" की विभागीय पदोन्नति समिति।
13.	बचाव	: इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण छूट, आयु सीमा और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
14.	निरर्हता	: कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी पत्नी/ जिसका पति जीवित हो।
15.	शिथिल करने की शक्ति	: जब अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों और पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकता है।

[सं. एफ 7(54)/90/पी बी-I]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

Attested

सहायक नियंत्रक (कारोबार)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt of India
प्रकाशन विभाग
Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54
Civil Lines, Delhi-54

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Personnel Branch-I)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2000

G.S.R. 313(E).—In exercise of powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with sub-rule-4 of the Delhi Development (Misc.) Rules, 1959, the Delhi Development Authority hereby makes with the previous approval of the Central Government the recruitment regulations for the post of Deputy Secretary (Hindi) which may be read as Under :—

Recruitment Regulations for the Post of Deputy Secretary (Hindi)

1.	Name of Post	: Deputy Secretary (Hindi)
2.	No. of Posts	: One (subject to variation dependent on workload)

रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/99 REGISTERED NO. D. L.—33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 29, 2000/वैसाख 9, 1922
No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 29, 2000/VAISAKHA 9, 1922

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आयकर महानिदेशक (छूट) का कार्यालय

कलकत्ता, 14 मार्च, 2000

(आय-कर)

का.आ. 875.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिक भवन," न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठ पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की 35 (1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

अपने द्वारा अपनाई गयी निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देगी ताकि खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-I) के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अंतर्गत निरीक्षण प्रमाण-पत्र दिया जा सके ।

(2) मैसर्स एस्सन एण्ड कम्पनी इस अधिसूचना के अधीन अपने कृत्यों के पालन में ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगी जो निदेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण) समय-समय पर लिखित रूप में देंगे ।

[फाईल सं. 5/10/2000-ई. आई. एण्ड.ई.पी]

पी. के. दास, उपसचिव

New Delhi, the 13th April, 2000

S.O. 902.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of three years w.e.f.22-1-2000, M/s. Essen & Company, No. 6, III Main Road, Indira Nagar, Madras-600020, as an agency for the inspection of Minerals and Ores (Group-I) specified in Schedule annexed to Ministry of Commerce Notification No. S.O. 3975 dated 20-12-1965 prior to export at Madras, subject to the following conditions, namely :—

(i) that M/s. Essen & Company, shall give adequate facilities to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by them in granting the certificate of inspection under rule 4 of Export of Minerals and Ores (Group-I) (Inspection) Rules. 1965;

(ii) that M/s. Essen & Company, in the performance of thheir function under the notification shall be bound by such directives as the Director (Inspection & Quality Control) may give in writing from time to time.

[F. No. 5/10/2000-EI&EP]

P. K. DAS, Dy. Secy.

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2000

का. आ. 903.—दिनांक 22 मई, 1994 के भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 15-4-94 की विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या - 25/1/90-डी (एसईवी), का.आ. सं. 1251 के संदर्भ में ।

2. उक्त अधिसूचना के क्रम सं. 1 में दर्शाए गए संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के नाम को हटाया हुआ समझा जाए ।

[फा. सं. 35/1/99 आर एंड आर]

एम. आर. राजोरिय, अवर सचिव

1093 GI/2000—4

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 17th April, 2000

S.O. 903.—Reference Ministry of Power Notification (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 15-4-1994 published in Part II Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India dated , the 22nd May, 1994.

2. The name of Union Territory of Chandigarh appearing at S. No. 1 of the said notification may be treated as deleted.

[F. No. 35/1/99-R&R]

M. R. RAJORIA, Under Secy.

संस्कृति विभाग

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2000

का. आ. 904.—भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में इस विभाग की दिनांक 13-4-2000 की अधिसूचना सं. एच. 13011/36/97-स्था. के जारी हो जाने के साथ भारत की राजपत्र में दिनांक 17-4-1999 को प्रकाशित दिनांक 26-3-1999 की अधिसूचना सं. एच. 13011/36/97-स्था. दिनांक 13-4-2000 से रद्द हो जाती है ।

[सं. एच. 13011/36/97-स्था.]

एल खियांगते, उप सचिव

DEPARTMENT OF CULTURE

New Delhi, the 19th April, 2000

S.O. 904.—With the issue of the Notification No. H. 13011/36/97-Estt. in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 13-4-2000, this Department's Notification No. H.13011/36/97-Estt. dated 26-3-1999 published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India dated 17-4-1999 hereby stands cancelled with effect from 13-4-2000.

[No. H-13011/36/97-Estt.]

L. KHIANGTE, Dy. Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2000

का. आ. 905.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की क्षेत्रीय विकास योजना का प्रारूप तैयार करने और उसके प्रकाशन के बारे में दिल्ली विकास (मुख्य योजना एवं क्षेत्रीय विकास योजना) नियम, 1959 के नियम 5 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की सं. 61) की धारा 10(1) के अंतर्गत एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :—

क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के योजना जोन "के" (भाग) (द्वारका उप-शहर) के लिए क्षेत्रीय विकास योजना का प्रारूप तैयार किया गया है ।

ख. निरीक्षण के लिए उसकी एक प्रति आगे पैरा "3" में उल्लिखित तारीख तक सभी कार्य-दिवसों को प्रात: 11 बजे से सायं 5 बजे तक संयुक्त निदेशक (मुख्य योजना) दि.वि.प्रा. छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-2 के कार्यालय में तथा निदेशक (योजना) द्वारका, दि.वि.प्रा. के मंगलापुरी, पालम, द्वारका, नई दिल्ली-45 स्थित कार्यालय में उपलब्ध होगी ।

2. इस प्रारूप क्षेत्रीय विकास योजना के संबंध में एतद्द्वारा आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।

3. आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में आयुक्त-एवं-सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 को दिनांक 27-7-2000 से पहले भेज दें ।

आपत्ति करने या सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम एवं पूरा पता अवश्य दें ।

[सं. एफ. 4(5) 98/एम.पी.]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त-एवं-सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 24th April, 2000

S.O. 905.—Notice under Section 10(1) of the Delhi Development Act 1957 (No. 61 of 1957) read with rule 5 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan), Rules, 1959 about the preparation and publication of the draft of the Zonal Development Plan for the National Capital Territory of Delhi.

Notice is hereby given that:

(a) A draft of a Zonal Development Plan for planning zone 'K' (Part) (Dwarka) sub-city) of the National Capital Territory of Delhi, has been prepared.

(b) A copy thereof will be available for inspection in the office of Jt. Dir. (Master Plan), DDA at 6th floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi-2 as well as in the office of Dir. (Plg.) Dwarka, DDA at the Project Office in Manglapuri, Palam, Dwarka, New Delhi-45 between hours of 11.00 AM to 5 PM on all working days till the date mentioned in para '3' hereinafter.

2. Objections and suggestions are hereby invited with respect to this draft Zonal Development Plan.

3. The objection or suggestion may be sent in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi-23 before the 27th day of July, 2000.

Any person making the objection or suggestion should give his name and full address.

[No. F. 4(5)98/MP]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली, 3 अप्रैल 2000

का.आ. 906.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के उपनियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्वीकृत कर दिए गए हैं :

अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेंस संख्या	स्वीकृत करने की तिथि वर्ष/माह	लाइसेंसधारी का नाम व पता	शीर्षक भारतीय मानक	भारतीय मानक सं०/भाग/अनुभाग वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	9200154	99/02	अजय वुड प्रॉडक्ट्स, गांव हरनौली, बिलासपुर रोड, जगाधरी (हरियाणा)	लकड़ी के सपाट दरवाजे के शटर (ठोस कोर प्रकार) भाग 1 प्लाईवुड सतहयुक्त पल्ले	आईएस 02202 : 91 भाग 01

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L. 33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 2000/आषाढ़ 13, 1922

No. 442] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 2000/ASADHA 13, 1922

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2000

का.आ. 626 (अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. के-11011/27/92-डी.डी.आई.ए. दिनांक 16 मई, 2000 द्वारा सूचित किया है कि श्री हंसराज भारद्वाज, सांसद (राज्य सभा) को विधिवत रूप से प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[सं. एफ. 1(2)/2000/ए.सी./एम.सी./डी.डी.ए.]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त-एवं-सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2000

S.O. 626 (E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Govt. of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/27/92-DDIA dated 16th May, 2000 communicated that Shri Hansraj Bhardwaj, MP [Rajya Sabha] has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

Attested

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)
भारत सरकार
Govt. of India

[F. No. 1(2)/2000/AC/MC/DDA]

V.M. BANSAL, Commr.-cum.-Secy.

1837 GI/2000

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller, Publications, Delhi-110054

Department of Publication
सिविल लाईन, दिल्ली-54.
Civil Lines, Delhi-54